खण्ड-233, अंक-3
मंगलवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1884
(21 अगस्त, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२०७–२११
प्रश्नोत्तर	२११–२७०
प्रश्नों के समय से उत्तर न मिलने की शिकायत	२७०–२७१
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं (जारी)	२७१–२७२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव सूचनाएं ..	२७२
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं ..	२७३–२७५
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ (जारी) ..	२७५–३१६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापित किया गया) ..	३१६–३१९
उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापित किया गया)	३१९
राजकीय महिला चिकित्सालय, अलीगढ़ से नव जात शिशु को कुत्ते द्वारा उठा ले जाने के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न के विषय पर विवाद	३१९
नत्थियां	३२०–३६७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २१ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित—सदस्य ३६६

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अक्षैवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलीरानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
निथाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त माथर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री

महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअवतार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय श्री
रामसुन्दर शास्त्री श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लल्लीसिंह, श्री

लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा सिंचाई उप-मन्त्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार २१ अगस्त, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

अमरोहा ग्रुप के नलकूपों से पानी न मिलना

*१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल के अन्तिम सप्ताह से अमरोहा ग्रुप के नल कूपों को दिन में बिजली क्यों नहीं मिल रही है? क्या यह सही है कि दिन में बिजली न मिलने के कारण सैकड़ों एकड़ ईख तेजी से सूख रही है? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

सिंचाई उप-मन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—अमरोहा ग्रुप के नलकूप १६ अप्रैल, १९६२ से जून, १९६२ तक बिजली की कमी के कारण रोस्टरिंग प्रोग्राम के अनुसार बिजली पा रहे थे जिसके अनुसार लगभग ७८ नलकूप बारी-बारी से बन्द रहे। इस समय बिजली की कोई कमी नहीं है। अमरोहा ग्रुप के अन्तर्गत ईख की सोख्त नहीं हुई अतएव इस विषय में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ईख जैसी फसल के दर्मियान जिसको कि पानी हर वक्त मिलना चाहिये, पानी क्यों बन्द हो जाता है बीच-बीच में, और बिजली की कमी का क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—बिजली की कमी है जिसके कारण पानी बन्द करना पड़ता है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—बिजली के कम होने का क्या कारण है?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—बिजली की सप्लाईज कम हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य की इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि अलीगढ़ के कुछ पावर हाउसेज में बिजली बढ़ गयी है, करीब ६०-६५ हजार किलोवाट बिजली बढ़ गयी है और उम्मीद की जाती है कि अगले सीजन तक और बढ़ जायगी। बिजली की कमी से अभी तक ट्यूबवेल्स कुछ जगहों पर रोस्टरिंग से चलाये जाते थे और अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल से रोस्टरिंग नहीं होगी।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—जैसा कि उत्तर में कहा गया है ७८ नलकूप बारी-बारी से चल रहे थे तो एक नलकूप को बिजली मिलने के बाद दुबारा कितने दिन बाद नम्बर आता था उसे बिजली मिलने में?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—उनकी स्थिति यह है:

१६-४-६२ को ढाई बजे दोपहर से १० बजे रात तक।
१९-४-६२ को साढ़े ८ बजे सुबह से १० बजे रात तक।
२२-४-६२ को ढाई बजे दोपहर से १० बजे रात तक।
२५-४-६२ को साढ़े ८ बजे सुबह से १० बजे रात तक।
२८-४-६२ को ढाई बजे दोपहर से १० बजे रात तक।
१-५-६२ को साढ़े ८ बजे सुबह से १० बजे रात तक।
४-५-६२ को ढाई बजे दोपहर से १० बजे रात तक।
७-५-६२ को साढ़े ८ बजे सुबह से १० बजे रात तक।
१०-५-६२ को ढाई बजे दोपहर से १० बजे रात तक।

शार्टेज हो जाने के बाद इस प्रकार से रोस्टरिंग हुई है।

रतनगढ़ ग्राम का कच्चा बांध

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली जिले की बहेड़ी क्षेत्र समिति के अन्तर्गत रतनगढ़ ग्राम को धौरा नदी की बाढ़ से बचाने के लिये किसी कच्चे बांध का निर्माण फरवरी-मार्च, १९६२ में कराया गया था?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—रतनगढ़ ग्राम के एक छोटे बांध का निर्माण मार्च, १९६२ में अवश्य हुआ था। परन्तु इसका उद्देश्य जाड़े और गर्मी के दिनों में छोड़े गये सिंचाई के पानी को रतनगढ़ के नाले में जाने से रोकने का था।

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस कच्चे बांध की दशा अभी से इतनी सोचनीय हो गई है कि वर्षा और बाढ़ का थोड़ा वेग भी सहन नहीं कर सकता? यदि हां, तो सरकार इस विषय में जांच कर के क्या उचित कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—उक्त कच्चा बांध केवल ५०० रु० की लागत का था और सिंचाई की सुविधा के लिये प्रति वर्ष वर्षा के पश्चात् बनाया जायेगा। बाढ़ से बचाने की कोई योजना इस क्षेत्र के लिये अभी तक नहीं बनाई गई है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि बांध बनाने की प्रार्थना निवासियों ने कब की और किस तिथि को बांध बनना प्रारम्भ हुआ और किस तिथि को समाप्त हुआ ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है, बांध नहीं बनाया गया है, केवल उस नाले को सील-अप किया गया है ताकि पानी उसमें न जाय। ऐसी वक्तन-फवक्तन दरख्वास्तें थीं कि इस पर बांध बांधा जाय लेकिन कोई बांध नहीं बांधा जा सका है, केवल सील अप करके समाप्त कर दिया गया ताकि पानी सारा नाले में न बह जाय आबपाशी के जमाने में।

श्री हरीशकुमार गंगवार—यह ५०० रुपया किस विभाग से लगाया गया है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग से लगाया गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—इस बात को देखते हुए कि जो ५०० रुपये की लागत से छोटा-सा बांध पानी रोकने के लिये बनाया गया वह अपर्याप्त है और हालत खराब है, उसकी जांच कराकर उसका कुछ विस्तार कराने की कृपा माननीय मन्त्री करेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अर्ज किया कि एक दरिया आ रहा है, उसमें से एक नाला कट गया। बरसात में तो पानी नाले में जाता है लेकिन आबपाशी के दौरान में पानी नाले में न जाय इसलिये उसका प्रोटेक्शन कर दिया गया। बरसात के जमाने में थोड़ा बहुत कट जायगा तो जब आबपाशी का वक्त आयेगा मरम्मत कर दी जायगी। पूरा बांध बनाने के ऊपर अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री को ऐसी कोई सूचना मिली है कि वह बांध अब बिल्कुल ही नष्ट हो गया है और जो पैसा इसमें लगाया गया यह बिल्कुल बेकार हो गया ? तो ऐसी स्थिति में बार-बार ५०० रुपये का कच्चा बांध न बना कर सरकार कोई ऐसी योजना रखेगी कि वहां एक बाकायदा पक्का बांध बनाया जाय ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अर्ज कर दिया कि यह बांध दौरान बरसात के पानी को रोकने के लिये नहीं है। यह थोड़ी सी रकम से जो मरम्मत की जाती है, सील-अप किया जाता है दरिया का हिस्सा, वह सिर्फ उतने जमाने के लिये कि जबकि इसमें आबपाशी के लिये पानी छोड़ा जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

आजमगढ़ जिले में असिंचित भूमि

*१—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि सिंचित है और कितनी भूमि असिंचित ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२० पर)

*२—श्री दौलतलाल—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील की असिंचित भूमि की कोई व्यवस्था विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—असिंचित भूमि की सिंचाई के लिये निम्नलिखित योजनायें प्रस्तावित हैं—

(क) २५ नये नलकूपों का निर्माण,

(ख) टांडा तथा दीहरीघाट कैनाल का बढ़ाना।

श्री दौलतलाल—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो २५ नलकूप बनाने की योजना है ये आजमगढ़ जिले के किन-किन गांवों में लगेंगे और इनसे कितनी जमीन की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—गांवों की फेहरिस्त तो इस वक्त नहीं है। वह तो गालिबन मेम्बर साहब अगर चाहें तो उन्हें अपने अंतरिम जिला परिषद् या जो वहां के डेवलपमेन्ट आफीसर हैं उनसे मिल सकती है। लेकिन यह बात जरूर है कि आमतौर से एक ट्यूबवेल का कमांड करीब ७०० एकड़ रखा जाता है और अगर गन्ना, गेहूं और खरीफ, ये तीनों चीजें बोई जाती हैं तो कमांड एरिया ५०० एकड़ तक हो जाता है और अकेले रबी की सिंचाई की जाय तो दो-ढाई सौ एकड़ तक हो पाता है।

श्री दौलतलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित नलकूप कब तक बन जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—कुछ तो बन भी गये हैं और बाकी पर काम हो रहा है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—इस बात को देखते हुये कि किसी ट्यूबवेल का कमांड एरिया जो कागज में लिखा होता है आमतौर पर बहुत से ट्यूबवेल्स में पानी का डिस्चार्ज कम होने की वजह से उतनी सिंचाई नहीं हो पाती, क्या। मंत्री जी कृपा कर के इस योजना पर विचार करेंगे कि उस कमांड एरिया में उतनी भूमि सींची जा सके इसलिये और ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति—कमांड एरिया किसी भी ट्यूबवेल का इस खयाल से रखा जाता है कि चूंकि सारे एरिया के अन्दर एक वक्त में फसल नहीं बोई जाती है, रोटेशन के साथ बोई जाती है। जिन ट्यूबवेल्स के ऊपर अच्छी आबपाशी होने लगी है और खासा पानी इस्तेमाल होता है वहां कमांड घटा कर ६०० एकड़ तक कर दिया है और अगर किसी एरिया में और भी इंटेन्सिव करने लगें तो हम ५०० एकड़ भी कर देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हर तहसील में कितनी सिंचित और असिंचित भूमि है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—तहसीलवार निम्न भूमि सिंचित और असिंचित हैं—

नाम तहसील	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
आजमगढ़	८२,५५६	६६,३६८
सगरी	७३,६८०	९८,७७६
फूलपुर	१,१४,४४९	१,०१,२३७
लालगंज	८३,१९६	९६,४८६
घोसी	९२,७६८	८९,६८१
मुहम्मदाबाद	८६,७२२	८६,५२५
	५,३३,३७१	५,३९,०७३

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी इस तालिका को देखकर बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्षों में आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील के सिंचन की व्यवस्था हो जायगी?

श्री राममूर्ति—जैसा कि माननीय सदस्य देख रहे हैं कि आजमगढ़ का ५० प्रतिशत एरिया सिंचित है और ५० प्रतिशत असिंचित हैं। मैं यह खयाल करते हुये कि यह जिला घना बसा हुआ है और इसकी हालत अच्छी नहीं है, तृतीय योजना में और ज्यादा ट्यूबवेल्स देने की कोशिश करूंगा जिससे और ज्यादा अच्छी हालत हो ।

गाजीपुर जिले में नलकूप

*३—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार गाजीपुर जिले के नलकूपों की तालिका निम्न रूप में सूचना हेतु रखने की कृपा करेंगे —

(अ) कौन-कौन स्थान पर तहसीलवार नलकूप लगे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूची† संलग्न है ।

श्री कमलासिंह यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गाजीपुर में जितने नलकूप हैं उनमें से कितने नलकूप काम नहीं कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो बहुत कम डिस्चार्ज दे रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—गाजीपुर में १८३ नलकूप में से २१ काम नहीं कर रहे हैं और १६२ काम कर रहे हैं ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे प्रदेश में जो ट्यूबवेल्स लगे हैं उनको जितना पानी देना चाहिये, नहीं दे रहे हैं और बहुत से बेकार पड़े हैं, तो क्या वे इसके लिये कमेटी बनाने पर विचार करेंगे कि वह जांच करे और रिपोर्ट दे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, हर डिवीजन और सर्किल में यह जांच हमेशा होती रहती है और सर्किल आफिसर देखते रहते हैं । यह सही है कि बहुत से ट्यूबवेल्स खराब हैं और बहुत सी जगह का स्टार्टा ऐसा है कि उनके अच्छे होने की सम्भावना नहीं है । जिस ट्यूबवेल का पानी १५ हजार गैलन से नीचे पहुंच जाता है उसको नये सिरे से बना दिया जाता है जिससे वह पानी अच्छा देने लगता है । इसलिये किसी कमेटी की जरूरत नहीं है । अगर माननीय सदस्य किसी डिवीजन के बारे में पूछते हों तो नोटिस दें, बराबर बताया जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो २१ ट्यूबवैल्स काम नहीं कर रहे हैं उनके सुधार के लिये क्या किया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन् गाजीपुर में कटपुरी में दो, इसलिये नहीं चल रहे हैं कि विद्युतीकरण नहीं हुआ है । जमालपुर में भी यही स्थिति है । तीसरा सतपुरा है । यह भारत सरकार के ट्यूबवेल आर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है । इसका पानी खारी है इसलिये सिंचाई के काम में नहीं लिया गया । मनकापुर में भी इलेक्ट्रीफिकेशन नहीं हुआ है । बिदौली, सुवाकापुर और कंसारी, इनका भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मुहम्मदाबाद में फीरोजपुर यह नलकूप मिलिटरी के हवाई अड्डे के पास है और मिलिटरी के अधिकारियों द्वारा आपत्ति के कारण अभी इसका विद्युतीकरण नहीं हो सका है । असावर-विभाग द्वारा अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सका है । बांकी—ट्रांस्फार्मर की दिक्कत की वजह से चालू नहीं हो सका है । अमाई—विद्युतीकर ण नहीं हुआ है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो गाजीपुर में ट्यूबवेल्स लगाये गये थे, उनके अलावा प्रदेश के बहुत हिस्सों में फ्रांस की कम्पनी ने प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो ट्यूबवेल्स लगाये थे, उनमें से ८० फीसदी ट्यूबवेल्स काम नहीं दे रहे हैं या बेकार हैं, क्या इसकी जानकारी है ?

---

†सूची छापी नहीं गई ।

श्री राममूर्ति—इसके बारे में कोई आंकड़े तो हैं नहीं । वह तो नोटिस देने से बता सकता हूं । लेकिन जहां तक उन्होंने कम्पनी का जिक्र किया, मैं बतला देना चाहता हूं कि जो एड मिल रही थी उसमें एक शर्त लगा दी गयी थी कि एड दी जायगी, लेकिन जर्मन और फ्रांस की कम्पनियों के जरिये काम लेना पड़ेगा । यह तो हमारी मजबूरी थी । इसलिये ऐसी बात हुई नहीं तो, हम काम अपने विभाग के जरिये करवाया करते हैं ।

***४—श्री कमलासिंह यादव**—[हटा दिया गया ।]

गाजीपुर जिले में गावों व सड़कों का ऊंचा करना

***५—श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार गाजीपुर जिले के बाढ़ग्रस्त गांव तथा सड़कों को ऊंचा करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रश्न का प्रथम, भाग—जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—इस सम्बन्ध में इस समय निश्चित रूप से कुछ कह सकना कठिन है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतायेगी कि जो गांवों को ऊंचा करने की स्कीम है वह कब शुरू होगी और कब तक उनको ऊंचा कर लेंगे ?

श्री राममूर्ति—जहां तक गांवों को ऊंचा करने का सम्बन्ध है उसमें हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६० लाख रुपया खर्च करने का इरादा रखते हैं । उसके सम्बन्ध में जिलाधीशों से उसके आंकड़े मांगे गये हैं कि किन किन गांवों को वह ऊंचा करवाना चाहते हैं । जहां ज्यादा गम्भीर स्थिति है, पहले वहीं ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, जब बरसात खत्म होगी, जैसे गोरखपुर और देवरिया से लिस्टें आ गयी हैं, वहां फौरन काम शुरू कर दिया जायगा । बाकी जैसे-जैसे आंकड़े आते जायेंगे वैसे-वैसे काम शुरू करते जायेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से गांव, कई साल से बराबर बाढ़ में पानी से भर जाते हैं और वह ऊंचे भी किये गये थे लेकिन फिर नीचे हो गये, क्या उनको जल्द से जल्द सरकार ऊंचा करने की कोशिश करेगी ?

श्री राममूर्ति—एक गांव जो एक दफा ऊंचा कर दिया गया वहां की जनता को भी चाहिये कि आगे सरकार पर वजन न डाले । थोड़ा बहुत जो गांव कट जाता है उसकी मरम्मत कर ले, यह मुनासिब होगा । अगर फिर यह कोशिश करेंगे कि सरकार पर बोझ डाला जाय तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां तक सड़कों के ऊंचा करने का ताल्लुक है, लोगों में इस बात का मतभेद है कि सड़कें ऊंची की जायं अथवा नीची रहें और पानी ऊपर से बह जाय, तो सरकार ने इस विषय में कोई अन्तिम फैसला कर लिया है ? यदि हां, तो वह किस राय पर कायम है ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है । इसके बारे में, मैं यहां यह नहीं बतला सकता कि एक्सपर्ट ओपीनियन क्या है । बाकी सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश होती है कि सड़कें ऊंची बनायी जायं, और पुल-पुलियों को चौड़ा किया जाय ताकि पानी आसानी से निकल जाय और वाटर लागिंग न हो ।

श्री मैनेजर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गांव पटाई का कार्य रूरल मैं पावर स्कीम के अन्तर्गत दिया गया है और उसमें बन्धन लगाया गया है कि ब्लाकवाइज काम लिये जायेंगे और २ लाख से कम और ५ लाख से ज्यादा के काम नहीं स्वीकार किये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति---यह बात सही है कि हम इस कोशिश में हैं कि रूरल मैन पावर स्कीम, जो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से चली है और जिसमें सारे हिन्दुस्तान के लिये करीब २०-२२ करोड़ रुपया रखा गया है । हम इस कोशिश में हैं कि हमारे प्रदेश के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले और जो ब्लाक डेवलपमेन्ट कमेटियां अपने यहां से रिजोल्यूशन पास करेंगी कि उनके यहां यह काम होगा, तो सम्भवतः ढाई लाख या ३ लाख रुपया हर ब्लाक कमेटी को दिया जायगा ।

विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा से किसानों को लाभ

*६---श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले १० वर्षों में कितना अनुदान सरकार द्वारा विवेकानन्द प्रयोगशाला, जिला अल्मोड़ा को दिया जा चुका है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)---सन् १९५२ से मार्च, १९५९ तक जब सरकार ने इसे ले लिया, श्री सेन, संचालक विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा को ९,००० रु० का वार्षिक अनुदान दिया गया ।

*७---श्री चैतन्यराजसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह (अनुपस्थित)---उपरोक्त अनुदानों के फलस्वरूप क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां किये गये अन्वेषणों के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या लाभ पहुंचा है ?

श्री चरणसिंह---वहां के अनुसंधानों के फलस्वरूप किसानों को उत्तम किस्म के बीज कलमें एवं पौधे दिये गये जिनका विवरण संलग्न सूची "क" में उपलब्ध है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२१ पर)

*८---श्री चैतन्यराजसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बीज गोदामों से जो बीज बांटा जा रहा है उसकी शुद्धता के विषय में उनके विभाग द्वारा भी कोई जांच होती है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---जी हां, सहकारी विभाग द्वारा भेजे नमूने की जांच कृषि विभाग के अनुसंधान कृषि क्षेत्रों पर की जाती है ।

ट्रैक्टर्स

*९---श्री भीखालाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में १९५६ के बाद से अब तक विभिन्न जिलों में कितने-कितने नये ट्रैक्टर विभिन्न वर्षों में पंजीकृत हुये ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)---आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पष्ठ. ३२२-३२३ पर)

*१०---श्री भीखालाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ट्रैक्टरों में से कितने कृषि कार्य में प्रयोग होते हैं और कितने अन्य कार्यों में ?

श्री गनेशीलाल---२,०४२ ट्रैक्टर कृषि कार्य में तथा ३०९ अन्य कार्यों में प्रयोग होते हैं ।

मड़ियाहूं तहसील में नदियों से कथित कटाव

*११---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत मड़ियाहूं तहसील के नगेसरा, बेलोना कला, सेखनपुर, रामचन्दपुर, नूरपुर, घावा, खड़वा, चतुर्भुजपुर, मलेयू, राइपुर, मन्नोरा, कोदेला, कठबतिया, चिलाह, कम दौनपुर, ललापुर, सिरौली, भगवानपुर, मानपुर आदि गांवों में बसुही और वर्नी नदी के कटाव से अधिक जमीन खेती करने लायक नहीं रह गई ? यदि हां, तो क्या कटाव रोकने की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---प्रश्न में कथित ग्रामों में बस्ही या वरना नदियों द्वारा कोई भूमि का कटाव नहीं हुआ है। अतः कटाव रोक की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित गांवों में से कुछ गांवों के कटाव को रोकने के लिये सरकार ने कभी कोई सर्वे भी कराया था?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---श्रीमन्, इसकी सूचना जिस प्रकार मांगी गई है उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कई वर्षों से वहां पर कोई कटाव नहीं हो रहा है और यह सारे गांव चूंकि इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं और इसमें कोई कटाव होने की रिपोर्ट है नहीं, तो जब तक विशेष रूप से यह न पूछा जाय तब तक यह बताना सम्भव नहीं होगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तीन साल से अधिक हुए इन गांवों में से अधिक गांव बाढ़ और कटाव दोनों की लिस्ट में आये थे और दोनों पर कुछ न कुछ काम हुआ भी था?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---श्रीमन्, यह तीन साल से पुराना है, नोटिस की आवश्यकता होगी।

विधान सभा सदन में ध्वनिविस्तारक यन्त्र न लग सकना

*१२---**श्री गंगासिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतायेगी कि ३-४ वर्ष पूर्व विधान सभा के सदन हेतु ध्वनि प्रसारण के निमित्त कोई ध्वनि प्रसारक यन्त्र क्रय किया गया था? यदि हां, तो उसका मूल्य क्या था और वह अब तक उपयोग में क्यों नहीं लाया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जो ध्वनिविस्तारक यंत्र क्रय किया गया उसका मूल्य १,१९,५७८ रु० है। कुछ टेक्नीकल कठिनाइयों के कारण यंत्र पूरी प्रकार से लगाया नहीं जा सका है अतः अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पाया है।

श्री गंगासिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन सी टेक्नीकल कठिनाइयां हैं जिनसे उस यंत्र को काम में लाया नहीं जा रहा है?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, एक मर्तबा यहां पर वह सब मशीन लगायी जा चुकी है और वह सब अभी लगी हुई भी है लेकिन जब उसका इस्तेमाल हुआ, तो उसमें आवाज ज्यादा निकलने लग गई, जो ठीक नहीं थी। उन्होंने यह बतलाया कि अगर यह हाउस एयर कंडीशन किया जाय तब यह मशीन ठीक तरीके से काम करेगी। हमने कहा कि नहीं, यह कंडीशन पहले नहीं थी, इसलिए इस को इसी हालत में ठीक कीजिए। कम्पनी विलायत की है, एजेंट उसके दिल्ली में हैं। पिछले महीने हमारे पास यह खबर आयी है कि उन्होंने कोई एक नया यंत्र बना कर भेजा है और अब चार छः रोज के अन्दर उसका तजुर्बा करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे यहां फिजिकल लेबोरेटरी है उसके असिस्टेंट डाइरेक्टर आ चुके हैं, उन्होंने उसको देखाभाला है और उनका सयाल है कि जो दूसरा यंत्र आने वाला है उससे शायद काम हो जायगा। वैसे यह सचमुच बड़े अफसोस की बात है कि कई साल हो गए इन यंत्रों को लगे हुए और इनका इस्तेमाल नहीं हो सका। यह सब चीजें पड़ी हुई हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---जिस वक्त सवा लाख रुपये के लगभग यह मशीन खरीदी गई थी उस वक्त यह जांच पड़ताल कर ली गई थी कि यह हाउस एयर कंडीशन नहीं है और उसमें यह मशीन इस तरह से काम करेगी?

श्री राममूर्ति—वाकयात यह हैं कि जब वह लोग देखने आये तो उन्होंने यह मालूमात की नहीं और हमें बतलाया भी नहीं। जो हालात देखीं, उसकी बिना पर उन्होंने उसके तखमीने बनाये, हमसे पये के लिए कहा, और वह रुपया उनको दे दिया गया। अब बाद में यह चीज पैदा हो गई, यह हमारे नोटिस में नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज कर दूं कि यही एक कम्पनी थी जिसने हिन्दुस्तान में सेंट्रल पार्लियामेंट में और कुछ और स्टेट्स में भी यही यन्त्र लगाया था जिस तरह का यहां पर लगा हुआ है। लिहाजा यह समझ कर कि इसने अच्छे तरीके से और जगह यन्त्र लगाये हैं तो हमने भी उसी कम्पनी से यहां पर काम कराना मुनासिब समझा।

श्री गंगासिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस हाउस को वातानुकूलित बनाने का उनका विचार है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यदि यह हाउस चाहेगा तो सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और निर्णय लेगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जब तक यह फैसला नहीं हो जाता है कि इस सदन को वाताकूलित बनाया जाय तो ये डंडे अनावश्यक मालूम होते हैं, इनको इस मौसम में निकाल देने की सरकार मेहरबानी करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय गेंदा सिंह के रहते हुये मौसम हमेशा बदल सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १ लाख १९ हजार का जो उन्होंने ठेका बतलाया तो इसमें से कितना पया ठेकेदार को दिया गया है?

श्री राममूर्ति—इसमें ९० फीसदी रुपया, जब यह काम शुरू हुआ था, उसी वक्त उसकी शर्त के मुताबिक दे दिया गया था। अभी जो डंडों को निकाल देने का जिक्र किया गया, उसके सम्बन्ध में एक बात अर्ज कर दूं। जब यह सवाल आया तो हमने अपने यहां के एल० आर० से पूछा कि इन डंडों को निकाल देने में कोई एतराज तो नहीं है तो उन्होंने बतलाया कि अगर कम्पनी अपना काम पूरा नहीं करती है और हम यहां से इन डंडों को हटा दें तो हमको सूट फाइल करने में दिक्कत होगी। इसीलिए अभी इनको हटाया न जाय। अगर नालिश करनी पड़ी तो शायद तब हमारा मामला कमजोर पड़ जाय। इस वजह से ये अभी यहां पर लगे हुए हैं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना ट्रायल लिये ही पेमेंट कैसे कर दिया गया?

श्री राममूर्ति—वह तो मैंने अर्ज किया कि उनकी शर्त यह थी कि ९० फीसदी हमको दो, तो वह हमने इसलिये दे दिया कि सेन्ट्रल पार्लियामेंट में और दो-तीन स्टेट्स में वह काम कर चुके थे और अच्छा काम कर चुके थे। इसलिये कभी खयाल नहीं हुआ कि वह खराब काम करेंगे।

एक बात और बतलाऊं कि उनकी यह तजवीज है कि अगर इसको एयर कंडीशन्ड करेंगे तो फिर इसमें आर्टिफिशियल सीलिंग लगाई जायगी जिससे इसकी खूबसूरती मारी जायगी। इससे भी एक अजीब शक्ल पैदा हो जायगी।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह माननीय मुख्य मंत्री के सामने जो डंडा है उसको एक कांस्टेबिल के डंडे की तरह से बनाने का क्या कारण है जो आम तौर से मारपीट करने में इस्तेमाल होता है?

श्री अध्यक्ष—यह लाइट के लिए लगाया गया है। (जला कर दिखाया गया)

श्री ऊदल---सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट का बहुत हवाला दिया गया कि वह एयर कन्डीशन्ड है तब वहां पर तरह का यन्त्र लगाया गया। मैं समझता हूं उसका हवाला मंत्री जी को देना ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब यह हाल एयर कन्डीशन्ड नहीं था उस हालत में १ लाख १९ हजार नहीं, बल्कि मेरी जानकारी के अनुसार २ लाख से ऊपर रुपया उनको दिया गया, क्या यह बात सत्य है ?

श्री राममूर्ति---जितना रुपया दिया गया है वह मैंने बतला दिया। मेम्बर साहबान को इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिये। उनका अभी खत आया है कि वह दूसरा यन्त्र लगा कर देखेंगे। अगर वह कामयाब हो जाय तो क्या हर्ज है।

श्री गंगासिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक इस प्रकार का कार्य किये जाने के अतिरिक्त और कितना खर्चा हो चुका है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---श्रीमन्, इसमें वही है। इसमें और आगे का खर्चा नहीं है।

*१३---**श्री गंगासिंह विष्ट**---[हटा दिया गया।]

नई बस सर्विसेज

*१४---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में प्रदेश की किन सड़कों पर यातायात की सुविधा के लिये राजकीय रोडवेज बसें चालू करने की योजना बनाई गई हैं ?

श्री गनेशीलाल---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२४ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन डिवीजनों में यह योजना चालू है और किन में नहीं है ?

श्री गनेशीलाल---जनरल मैनेजर्स को लिखा गया है कि सर्वे कर के हमको रिपोर्ट भेजें। उनकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या परिवहन मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के चालू हो जाने के बाद कितने कर्मचारियों और कितनी बसों को काम में लिया जायगा ?

श्री गनेशीलाल--- इसके लिये सूचना चाहिये।

माताटीला बांध-क्षति संबंधी रिपोर्ट

*१५---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माता टीला बांध में हुई क्षति की जांच के लिये कमिश्नर, झांसी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी और जिसकी रिपोर्ट ३० मई, १९६० को सरकार के पास आ चुकी है सरकार उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---अभी यह रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*१६---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—चूंकि रिपोर्ट पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है अतः उसके आधार पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि २३ अगस्त, १९६० को और ११ अप्रैल, १९६१ को इसी प्रश्न के उत्तर में यह उत्तर दिया गया था, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि २७ महीने में भी इस पर विचार न कर सकने के कौन-कौन कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, इसमें विस्तृत जांच हो रही है और इसके लिये एक कमेटी भी मुकर्रर की गयी है क्योंकि मामला टेक्निकल है । उन लोगों ने काफी गहराई से इसे जानने का प्रयत्न किया और कुछ सेम्पुल्स भेज कर उनका इक्जामिनेशन कराया गया । इसी में विलम्ब हुआ और अब थोड़े समय में ही इस पर अन्तिम फैसला होने वाला है ।

श्री गेंदासिंह—२७ महीने की अवधि को माननीय मंत्री जी जो चाहे समझते हों, लेकिन जो थोड़ी अवधि उन्होंने बतलायी है वह कितनी होगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, अभी ७ जुलाई को इंजीनियर-इन-चीफ के यहां से रिपोर्ट आ गयी और सरकार में उस पर जांच पड़ताल हो रही है । उसी में जो समय लगेगा, लगेगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ११ अप्रैल को प्रश्न संख्या ५२-५४ के उत्तर में यह स्वीकार किया गया था कि ३० अगस्त, १९६० को चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट भेजी है और विचार करने में देर हुई है । तो उस समय ११ महीने की देर हुई, अब १६ महीने में यह विचार नहीं हो सका । तो अब यह थोड़े दिनों की बात कितने दिनों के लिये है ?

श्री राममूर्ति - अध्यक्ष महोदय, यह माताटीला बांध के सिलसिले में कई कमेटियां बैठीं । एक बार फाइनेंस सेक्रेटरी और कुछ इंजीनियर्स की कमेटी बैठी, फिर एक अलग कमेटी बैठी, फिर वाइस चांसलर, रुड़की यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ गलतफहमी हो रही है माननीय सदस्य को । जो जवाब दिये जाते हैं वह उस प्रसंग में ही दिये जाते हैं ।

आगरा जिले में सहारा ड्रेन का निर्माण न हो सकना

*१७—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा) (अनुपस्थित) —क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि पांच वर्ष पूर्व गांव लढ़ायदा, सहारा एवं बरारा जिला आगरा के नाला का निर्माण स्वीकृत हो चुका था और उसका निर्माण आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री राममूर्ति—केवल सहारा डेन का निर्माण जनवरी, १९६१ में शासन ने स्वीकृत किया था । पर चूंकि इसकी लंबाई ५ मील से कम है फरवरी, १९६१ के शासकीय आदेशों के अनुसार अब यह ड्रेन श्रमदान द्वारा बनाई जानी चाहिये । ग्राम सभा श्रमदान द्वारा ड्रेन को बनाने को तैयार नहीं है, यही कारण है कि अभी तक इस ड्रेन का निर्माण नहीं हुआ है ।

*१८—श्री छत्रपति अम्बेश (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नाला के न बनने से तीनों गांवों में बर्बा के कारण सम्पूर्ण गांव जलमग्न हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और मकान भी धराशायी हो जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

अमरोहा क्षेत्र में नलकूप

*१९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा साउथ और नार्थ जोन में कितने राजकीय ट्यूबवेल हैं और वह किस सन् में लगाये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना† संलग्न सूची में दी हुई है।

*२०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि इन ट्यूबवेलों का डिस्चार्ज चालू होने के शुरू वर्ष में कितना था और अब कितना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना† संलग्न सूची में दी हुई है।

*२१—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या उनके पास इन दोनों जोनों के ट्यूबवेलों का डिस्चार्ज बराबर कम होने की कोई रिपोर्ट आयी है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कुंए सन् १९३५ में लगे थे उनका डिस्चार्ज बराबर गिरता जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—जैसे कुंए पुराने होते जाते हैं, उनका डिस्चार्ज भी गिरता जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बतलाया था कि जब कुवें का डिस्चार्ज १५, २० हजार गैलन आ जाता है तो यह समझा जाता है कि अब इससे सिंचाई नहीं हो सकती और तब दूसरे कुएं खोद दिये जाते हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—जैसा अभी-अभी मंत्री जी ने कहा है कि १५–२० गैलन डिस्चार्ज होता तो नये कुएं लगाने की बात सोची जाती। जो सूची दी गई उसमें ऐसे कुएं भी हैं जिनका डिस्चार्ज १३, १४, १५ हजार गैलन है, तो अब तक उनकी बोरिंग क्यों नहीं की गई ?

श्री राममूर्ति—आमतौर पर यह होता है कि हर डिवीजन और सब डिवीजन में जो कुएं खराब हो जाते हैं उनको अच्छा बना लिया जाता है और हर साल उसमें कुछ बोरिंग कर दी जाती है और इसी तरह से वह काम पूरा होता रहता है हो सकता है कि किसी कुएं में कुछ देरी हो गई हो।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि एक कुएं में जो दोबारा बोरिंग कराई जायगी तो उसकी क्या लागत बैठती है ?

श्री राममूर्ति—मैं ठीक आंकड़े तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन करीब २४ हजार खर्च होता है।

गरौठा तहसील में नदियों से कटाव

*२२—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि झांसी जिले की गरोठा तहसील के पूर्व में धसान नदी व उत्तर में बेतवा नदी से भीषण कटाव हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार कटाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना एकत्र की जा रही है।

---

† छापी नहीं गई।

श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि कितना क्षेत्र ऐसा है जिसमें कटाव हो रहा है?

श्री अध्यक्ष—अभी सूचना एकत्र की जा रही है, जब आयेगी तो पूछ लीजियेगा।

छोटी सरजू संबंधित बदरहुवा नाले की खुदाई की आवश्यकता

*२३—श्री इन्द्रासन सिंह (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में छोटी सरजू नदी की बाढ़ से सन् १९५८ व १९५९ व १९६० की मामूली बाढ़ में आजमगढ़-दोहरीघाट सड़क पर कांखभार स्थान से महुला तक सड़क पानी से डूब गई थी और यातायात बन्द था? १९६१ की भयंकर बाढ़ में उक्त स्थान महीनों बाढ़ से डूबा रहा और यातायात बन्द था? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं, सन् १९५८ व १९५९ में यह सड़क पानी में नहीं डूबी थी। सन् १९६० में केवल १।। फर्लांग की लम्बाई में (१२४ वें मील में) इस सड़क पर दो सप्ताह तक ५'' से ८'' तक पानी रहा और यातायात जारी रहा। सन् १९६१ में भयंकर बाढ़के कारण इसी १२४ वें मील पर ५ फर्लांग की लम्बाई में १' से १ १/२' तक गहरा पानी भरा रहा और यातायात अगस्त के दूसरे सप्ताह से सितम्बर के पहले सप्ताह तक और अक्तूबर के तीसरे सप्ताह से नवम्बर के शुरू तक बन्द रहा। इस जगह पर सड़क को ऊंचा करने तथा एक पुलिया के निर्माण का कार्य हो रहा है।

*२४—श्री इन्द्रासन सिंह—क्या यह सही है कि छोटी सरजू जो लाटघाट के पुल से होकर बहती थी वादें हरहुआं से लाट घाट के पुल तक अवरूद्ध हो गयी है और इसी कारण इस प्रकार की बाढ़ आती है और इस नाले की खुदाई का कार्य-क्रम कई वर्ष पूर्व बना था परन्तु अब तक कार्यान्वित नहीं हुआ? इसकी खुदाई के निमित्त सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नदी से सन् १९५८ व १९५९ व १९६० व १९६१ में कितनी ग्राम की फसल और मकान की क्षति हुई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां, सरजू नदी बदरहुआ नाले के संगम से लेकर लालघाट से ३ मील नीचे तक पटी हुई है। बाढ़ में छोटी सरजू नदी का पानी बदरहुवा नाले के रास्ते से घाघरा में चला जाता है किन्तु जब घाघरा और टोंस दोनों नदियों में बाढ़ होती है तो छोटी सरजू का पानी जल्दी नहीं निकल पाता और उससे क्षति होती है। पिछले वर्ष विस्तृत रूप से सर्वेक्षण किया गया जिससे यह विदित हुआ कि छोटी सरजू नदी में पर्याप्त ढाल नहीं है इसलिये टेढ़ेपन को सीधा करके २७ मील लंबाई का लेवलिंग किया गया पर तब भी स्थिति में सुधार न हो सका, अतः छोटी सरजू की खुदाई की अब कोई योजना नहीं है। सन् १९५८–५९ में कोई हानि नहीं हुई। सन् १९६० में ६ ग्रामों की फसल को हानि पहुंची परन्तु मकानों की कोई क्षति नहीं हुई। सन् १९६१ में ५० ग्रामों की फसल को हानि पहुंची और ४ ग्रामों में ३१ घरों को क्षति पहुंची।

श्री इन्द्रासनसिंह—मंत्री महोदय ने यह बताया है कि १९६०–६१ में जो वहां के गांवों की फसल को नुकसान हुआ है और पानी निकालने का रास्ता तक नहीं बना और अब यह जो इन्जीनियर्स का कहना है कि यह नहीं बन सकता है, तो उनकी फसल की सुरक्षा के लिये क्या इन्तजाम है?

श्री राममूर्ति—इस समय तो मैं नहीं कह सकता, चूंकि मेरे सामने कोई योजना नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य नोटिस दें, तो संरक्षण का कार्य कराया जाय।

*२५—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—[हटा दिया गया ।]

*२६—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—[हटा दिया गया ।]

सिंचाई साधनों से उत्पन्न सिंचन क्षमता तथा व्यय

*२७—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना नहर ट्यूबवेल, मेसोनरीवेल्स तथा अन्य किसी प्रकार से कितना पानी उत्पन्न करने का लक्ष्य था, इस पर कितना धन व्यय करना था और उसमें कितनी सफलता मिली ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजकीय तथा अन्य साधनों से उत्पन्न पानी तथा उन पर व्यय के लक्ष्य तथा लक्ष्य प्राप्ति संबंधी उपलब्ध सूचना संलग्न है । इससे स्पष्ट है कि राजकीय कार्यों में लक्ष्य प्राप्ति में यथेष्ट सफलता मिली है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२५ पर)

*२८—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि जितना खर्च करने का लक्ष्य दोनों योजनाओं में था वह खर्च न हो सका और न पानी लक्ष्य के अनुसार उत्पन्न हुआ ? यदि नहीं, तो वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—दोनों योजनाओं में सिंचाई के राजकीय साधनों पर खर्च तथा पानी उत्पन्न करने का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया ।

आंकड़े प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के साथ दिये गये हैं । अन्य साधनों के संबंध में संपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*२९—श्री गेंदासिंह—दोनों योजनाओं की अवधि में प्रतिवर्ष कितना पानी उत्पन्न हुआ और कितना उपयोग हुआ और उसमें जो अन्तर है उसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रति वर्ष उत्पन्न पानी तथा उसके उपयोग के आंकड़े नहीं रखे गये । प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में उपलब्ध सूचना संलग्न है ।

उत्पन्न पानी के पूर्ण उपयोग में कुछ समय लगता है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३२६ पर)

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में जो सिंचन क्षमता उत्पन्न हुई वह हुई २१.४५ लाख एकड़ की और उसका उपयोग हुआ २३.८९० लाख एकड़ में । तो यह जो ज्यादा क्षमता उत्पन्न हो गयी, १ लाख से ज्यादा की, वह कैसे हो गयी, उसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसका कारण यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य २०.१०० था और उसमें से उपयोग केवल ७.८२० ही हुआ । तो वह बचा हुआ इधर इस्तेमाल में लाया गया । प्रथम और दूसरी दोनों में जितनी क्षमता उत्पन्न हुई, अगर उसको देखा जाय, तो वह पूरी इस्तेमाल नहीं हो सकी ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी कोई ऐसे आंकड़े उपलब्ध करायेंगे जिससे यह जाना जा सके कि पहली और दूसरी योजना में कितनी क्षमता उत्पन्न की गयी और कितना पानी इस्तेमाल हो सका ?

श्री राममूर्ति---बजट के समय जो पुस्तिका बांटी गयी थी उसमें, अगर माननीय सदस्य ने देखा होगा और उन्हें स्मरण होगा, यह लिखा था कि दूसरी योजनाकाल के अन्त में करीब १ करोड़ १८ लाख एकड़ की क्षमता हमारे प्रदेश में तैयार हो गयी और किसी एक वर्ष में ज्यादा सिंचाई लगभग ९१ लाख एकड़ में ही की जा सकी। नहर विभाग में यह देखा जाता है कि साल में ज्यादा से ज्यादा कितनी सिंचाई हुई ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो इतनी क्षमता बेकार रहती है उसका क्या कारण है और क्या उसके उपयोग करने के लिये सरकार ने कभी कोई विचार किया है ?

श्री राममूर्ति---इसके कई कारण हैं । सिंचाई का दारोमदार वर्षा पर निर्भर रहता है । अगर वर्षा समय से हो जाती है तो उस पानी का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा कारण यह भी है कि सिंचाई के जो नियम बने हुये हैं उस हिसाब से उसके पूरे-पूरे उपयोग के लिये ७/८ साल का समय लग जाता है । एक कारण यह भी है कि नाली बनाने का काम ऐसा है जो जनता के जरिये ही किया जाता है । वह नहीं बन पाती । इन्हीं कारणों से पूरी क्षमता इस्तेमाल में नहीं आ पाती । वैसे जितना पानी का इस्तेमाल हुआ है वह सिंचाई विभाग के तजुर्बे के लिहाज से संतोष-जनक है ।

श्री गेंदासिंह---क्या इस पूरी क्षमता के उपयोग में न आने का एक कारण यह भी है कि जो कीमत उसकी काश्तकार से मांगी जाती है उसको वह देने में असमर्थ होता है? जो तालिका दी गयी है उसमें यह बताया गया है कि पहली योजना में ३५.४४ लाख में से २० लाख एकड़ का ही सिंचन हुआ, और दूसरी योजना में ४०.१० में से २१.४५ लाख की ही सिंचन हुआ । तो क्या यह सही है कि पानी की दर बराबर बढ़ती जा रही है ?

श्री राममूर्ति---जो गेंदासिंह जी ने कहा, उसका पहला हिस्सा ठीक है । दिनों दिन सिंचाई के कामों में लागत बढ़ रही है, लेकिन दूसरा हिस्सा इस मानों में ठीक नहीं है कि आबपाशी की दरें अपनी जगह पर बिलकुल वहीं हैं चाहे ट्यूबवेल की हों या नहर की । तो उसकी कीमत बढ़ने से काश्तकार के लिये कहने का मौका नहीं है कि पानी ले या न ले ।

सेरसा ग्राम में पानी भर जाने से कठिनाई

*३०---**श्री काशीप्रसाद द्विवेदी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या झांसी जिले की मोंठ तहसील के सेरसा ग्राम में पुरानी गढ़ी की खाई में बरसात में इतना अधिक पानी भरा रहता है कि जिससे करीब तीन माह जनता को परेशानी होती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जी नहीं । यह खाई गढ़ी के गिर जाने से भर गई है और इसमें अब पानी नहीं भरता ।

श्री काशीप्रसाद द्विवेदी---क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि पानी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---अगर माननीय सदस्य लिखकर दे दें कि पानी बढ़ा है तो जांच करा लेंगे । लेकिन उस खाई में नहीं बढ़ा है जिसका विवरण दिया गया है ।

गोरखपुर एवं वाराणसी डिवीजनों में नलकूप लगाने में विलम्ब

*३१---**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि वाराणसी एवं गोरखपुर कमिश्नरी में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ नलकूप बनने को थे जो अब तक नहीं बने हैं ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं । टेक्निकल कठिनाइयों के कारण ही इन नलकूपों के बनने में विलम्ब हुआ है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वाराणसी और गोरखपुर कमिश्नरी में कितने नल-कूप लगने थे और कितने नहीं लगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—२३५ लगने को थे वाराणसी में । २२६ बोर हो चुके हैं और १९४ उनमें से इनरजाइज भी हो चुके हैं । ९ नलकूपों में विलम्ब हुआ है क्योंकि गहरा बोरिंग करना था । जहां तक गोरखपुर का संबंध है, १५९ नलकूप निर्धारित किये गये थे जिनमें से १५१ सफलतापूर्वक बोर हो चुके हैं, १३२ इनरजाइज भी हो चुके हैं, केवल ८ बोर करने के लिये बाकी हैं, जिनमें से एक एक्सप्लोरेटरी विभाग से बोर होना था और एक जंगबहादुर सिंह की वजह से रुक गया और ५ नलकूपों में स्ट्रैटा की दिक्कत पड़ी हुई है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं जिनकी वजह से ट्यूबवेल्स बनने से रुक गये ?

श्री राममूर्ति—अभी बताया कि बोरिंग बहुत गहरा है इसलिये देरी है ।

श्री ऊदल—वाराणसी में १०९ नलकूप जो लगने थे वह अभी तक नहीं लगे और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी लगने हैं, तो क्या वह इस तृतीय योजना के अन्दर सब के सब लग जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—पढ़ कर बताया गया कि २३५ में से २२६ बोर हो चुके हैं, केवल ९ बाकी हैं जिसपर ऊदल जी नाराज हो रहे हैं, वह भी लग जायेंगे ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी डिवीजन के जौनपुर जिले में कितने ट्यूबवेल लगने वाले थे और कितने बाकी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—४१ लगने थे, ४१ का बोरिंग हो चुका ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—जौनपुर जिले में २ साल के अन्दर पुराने और नये जो भी ट्यूबवेल लगे हैं उनमें किसी कारण से नाली का काम भी रोक दिया गया है और पक्की, कच्ची नाली भी नहीं बन रही है, क्या यह सही है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, उसकी वजह यह है कि नालियों के लिये शिकायत आयी थी भ्रष्टाचार की । उसके सिलसिले में कमेटी बैठाल दी गयी । चूंकि ट्यूबवेल की नालियां और ट्यूबवेल दूर-दूर जगह होते हैं तो नाप-जोख सी० आई० डी० के जरिये से की जा रही है जिसमें खासा टाइम लग रहा है । रिमाइंडर्स दिये जाते हैं, वे भी मजबूरी का इजहार करते हैं ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि सरकार के पास नलकूप खोदने की बोरिंग मशीन नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत होती है ? यदि हां, तो उसके मगाने की सरकार कोशिश करेगी ?

श्री राममूर्ति—यह सही है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बोरिंग मशीन नहीं हैं । यह नहीं है कि बिलकुल नहीं हैं । अमेरिका से गालिबन दिसम्बर तक और मशीनें आ जावेंगी ।

श्री मैनेजरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ९ ट्यूबवेल वाराणसी क्षेत्र में नहीं लगे हैं वे किन-किन जिलों में लगने वाले थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना की जरूरत है ।

कानपुर व इटावा रोडवेज क्षेत्र में बस स्टेशनों पर जल-व्यवस्था

*३२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज इटावा व कानपुर रीजन में कितने बस स्टेशनों पर पानी पिलाने वाला है और उसे क्या वेतन मिलता है और इस समय कौन बस स्टेशन ऐसे हैं, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—कानपुर रीजन में, इटावा डिपो जिसका एक भाग है, ८४ बस स्टेशनों पर पानी पिलाने वाला है जिसका वेतन भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर इस प्रकार है :

पार्ट टाइम—१० रु० से लेकर ३० रु० प्रति मास तक ।

डेली पेड—१ रु० ५० नये पैसे प्रति दिन ।

फुल टाइम अलावा

जिला हेड क्वार्टर्स—२२.५०—२७ रु० ।

फुल टाइम

जिला हेड क्वार्टर्स में २७.५०—३२ रु० ।

निम्न ७ बस स्टेशनों पर पानी पिलाने वाला नहीं है :

१—सिकटिया पुरवा
२—देरापुर
३—रूरा
४—चौबे पुर
५—उत्तरीपुरा
६—बेला
७—हरिहरगंज

*३३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के कन्डक्टर और बुकिंग क्लर्क के वेतन और महंगाई में कोई अन्तर नहीं है, तरक्की भी हर साल बराबर दी जाती है, लेकिन जब ईमानदारी और अच्छा कार्य करने पर कंडक्टर को क्लर्क की जगह तरक्की पर भेजा जाता है तो उसका वेतन कम हो जाता है ऐसा क्यों ? क्या सरकार के सम्मुख यह मामला विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फरहसन—कंडक्टर व बुकिंग क्लर्क के काम में अन्तर है । कंडक्टर की duties के अनुसार उनके लिये गुड कन्डक्ट अलाउन्स देने की स्कीम है । बुकिंग क्लर्क को यह अलाउन्स देने का मामला विचाराधीन नहीं है ।

लखनऊ बस सर्विस में ड्राइवरों व कंडक्टरों को अवकाश देने की व्यवस्था

*३४—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ बस सर्विस के ड्राइवर व बस कंडक्टरों को मेडिकल सार्टीफिकेट पर अवकाश दिया जाता है ?

श्री मुजफ्फरहसन—स्थायी ड्राइवरों और कंडक्टरों को मेडिकल सार्टीफिकेट पर अवकाश दिया जाता है ।

*३५—श्री सुखलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ बस सर्विस के बस कंडक्टरों तथा ड्राइवरों के द्वारा भेजे गये मेडिकल सार्टीफिकेट के साथ छुट्टी के प्रार्थना-पत्र ड्यूटी क्लर्क के द्वारा वापस कर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन——आमतौर से ऐसा नहीं होता । यदि किसी केस में बीमारी के बहाने का शक होता है तो (private) प्राईवेट डाक्टर द्वारा दिये गये सार्टिफिकेट को अथराइज्ड मेडिकल अटेन्डेन्ट (Authorised Medical Attendant) से काउन्टर साइन (countersign) करवाने के लिये भेजा जाता है ।

मड़ियाहूं तहसील में सिंचाई व्यवस्था

*३६---श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)——क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील के रामनगर ब्लाक के अन्तर्गत तरती, लच्छनपुर, बांधीपुर, दीपापुर, नवापुर, मिसिरपुर, भटवारा, बरहि, गोसांईपुर, सरइआ, छतीसां, इन गांवों के बीच दो पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की क्या व्यवस्था की गई तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार क्या विचार कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय——मड़ियाहूं तहसील के रामनगर ब्लाक के अन्तर्गत तरती, लक्ष्मनपुर, बांधीपुर, दीपापुर, नबापुर, मिसिरपुर भटवार, गोसाईपुर, बरहि, सरइया और छतीसा गांवों के बीच दो पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन गांवों का सर्वेक्षण करना है तथा यह देखना है कि इन गांवों में नलकूप लगाना संभव है या नहीं ।

*३७——श्री जगन्नाथराव——क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परेवा, गोला, चकडामैन, परऊपुर, वैनीपुर आदि गांवों में दो पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की क्या व्यवस्था हुई है और तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सरकार क्या करने जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय——ग्राम परेबा, गोला, चकडामैन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नलकूप रामनगर, कसियांव और सैदपुर के कमांड में लिये जा चुके हैं ।

परऊपुर ग्राम का कुछ भाग केराकत रजबहा के २ मील ७ फर्लांग ४० फीट बाई पटरी पर लगे हुये कुलाबे नं० ११ के कमांड के अन्तर्गत आता है।

बनपुरा गांव में सिंचाई की दो पंचवर्षीय योजना तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है ।

श्री जगन्नाथराव——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना सर्वे करके कब तक नहर और नलकूप का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति——बीच में एक नाला आता है, उसके पार करने की दिक्कत है । इसलिये अभी विचार नहीं हुआ है कि वहां क्या काम कराया जाय ।

करछना तहसील में गंगा का कटाव

*३८——श्री सत्यनारायण पांडेय——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के कौन-कौन से गांव की कितनी भूमि गंगा के कटाव के कारण कट गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय——सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३२७ पर)

*३९——श्री सत्यनारायण पांडेय–इस कटाव को रोकने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय——कोई योजना नहीं बनाई गई है।

*४०——श्री सत्यनारायण पांडेय——जिन किसानो की भूमि इस कटाव के कारण गंगा के दूसरी पार चली गई है उस भूमि पर उन्हीं का स्वामित्व रहता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय——जी हां।

श्री सत्यनारायण पांडेय—जो तालिका दी है उससे पता चलता है कि हजारों बीघे जमीन कटाव से कट गई है। और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री से लेकर वहां तमाम मन्त्रियों के दौरे हुये और बराबर आश्वासन दिये गये कि योजना बनेगी और १० वर्ष हो गये आज भी सरकार कहती है कि कोई योजना नहीं है। कितने परिवार इससे पीड़ित हुये हैं, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—जहां तक मन्त्रियों के दौरे का सवाल है, सम्बन्धित मन्त्री का तो दौरा अभी तक वहां हुआ नहीं है। जहां तक गांव की कठिनाई का सवाल है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि गंगा, जमुना और घाघरा इतनी बड़ी नदियां हैं कि इनमें छोटे से काम को लेने में भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इससे तो सस्ता यह है कि और जगह इन गांव को बसा दिया जाय। अगर पानी के बहाव का ही मामला होता तो बांध बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वह काम हम करते हैं।

श्री सत्यनारायण पांडेय—जब सरकार यह कहती है कि करोड़ों रुपये का खर्च है तो आल्टरनेटिव स्कीम गांवों को दूसरी जगह बसाने की, क्यों नहीं लेती है ?

श्री राममूर्ति—उसकी योजना बनती है। जिलाधीश जब देखते हैं कि किसी गांव की बस्ती कट गई है तो दूसरी जगह जमीन लेकर उस गांव को बसाने की कोशिश करते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके अपने दौरे का कार्यक्रम बनावेंगे ताकि उस क्षेत्र के लिये कोई योजना बने ?

श्री राममूर्ति—जब हुक्म होगा तो जरूर बनावेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों की जमीन कट गई है उन्हें बसाने की सरकारी कौन सी योजना बनाई गई थी और कार्यान्वित हुई ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ३६ में है कि अभी कोई योजना नहीं बनाई गई।

श्री सत्यनारायण पांडेय—सरकार ने कहा है कि जिनकी जमीन कटाव के कारण नदी के उस पार चली जाती है उन पर उन्हीं का स्वामित्व रहता है, लेकिन मेरी जानकारी है कि वे जमीनें "गंगबरामद" कानूनों के मातहत उस पार के किसानों की हो जाती हैं। तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—मैंने ३६ प्रश्न का उत्तर दिया, यह ४०वां सवाल है। यह वहां के वाजिबुल अर्ज पर मुनहसर है कि जमीन वहीं रहेगी चाहे नदी कहीं भी जाय।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—जो वाजिबुलअर्ज जमींदारों और किसानों के बीच में था जमींदारी खत्म होने से पहले, क्या वह अब भी लागू है ?

श्री राममूर्ति—अब भी लागू है और बड़े-बड़े मुकदमें उसके बारे में होते रहते हैं। माननीय सदस्य तो खुद बड़े वकील हैं, वे स्वयं जानते होंगे।

चदरों ग्राम से नहरी पानी के लिये कथित प्रार्थनापत्र

*४१—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम चदरों, मौजा सलेमपुर, जिला फर्रुखाबाद के निवासियों का प्रार्थना-पत्र नल लगाने या साइफन तरिहा रजबहा बनवाने के लिये इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर लोअर गंगा कैनाल डिवीजन मैनपुरी को १ जनवरी, १९६२ तथा २८ फरवरी, १९६२ के बीच में मिला है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

नोट :—तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

झांसी जिले में बरुआ सागर से निकली नहरें

*४२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बरुआसागर जो जिला झांसी में है की जो नदी किसान वर्ग को पानी देती है कई स्थानों पर टूटी होने के कारण किसानों के खेतों में १२ महीने पानी भरा रहता है जिससे कि हजारों रुपये की हानि वहां के किसानों को उठानी पड़ती ? यदि यह सत्य है तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, बरुआसागर में ऐसी कोई नदी नहीं है जिससे किसान वर्ग को पानी मिलता है।

किसानों को पानी बरुआसागर तालाब से निकली नहरों के द्वारा मिलता है और कोई भी नहर टूटी अवस्था में नहीं है अतः हानि का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले में सिंचाई योजना व कटेहर क्षेत्र में गंगा का कटाव

*४३—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को यह मालूम है कि वाराणसी जिले के कटेहर क्षेत्र में गंगा के किनारे पड़ने वाले गांव राम चन्द्रीपुर, रामपुर, गोबरहा, मोक्लपुर तथा गोमती के किनारे गांव पिपरी, तेतारपुर भारी बाढ़ में चारों ओर से घर के दरवाजे तक पानी से घिर जाते हैं ? यदि हां, तो इन गांवों को ऊंचा करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। किन्तु अभी इन्हें ऊंचा करने की कोई योजना नहीं है।

*४४—श्री रघुनाथसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में गंगा और गोमती नदियों के किनारे के गांवों में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये कोई योजना है जब कि इन गांवों में कहीं नहर या नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

रायबरेली जिले में सई और गंगा बाढ़ योजना

*४५—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में बहने वाली सई नदी तथा गंगा जी के बीच के क्षेत्र में निरन्तर बाढ़ से हानि को रोकने के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

श्री राममूर्ति—जी हां, एक योजना बनाई जा रही है।

बलरामपुर क्षेत्र में राप्ती का कटाव

*४६—श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर जिला गोंडा के पश्चिम ७१ इलाका राप्ती नदी के किनारे पिछली बरसात में पानी से १ जुलाई से लगायत ३० सितम्बर, १९६१ तक कितने गांव कटे और कितने खेत बर्बाद हुये ?

श्री राममूर्ति—कोई पूरा ग्राम नहीं कटा। ९ ग्रामों में कुछ मकान और ३३० खेत राप्ती नदी से कटे।

*४७—श्री नवरंगसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगली बरसात में कितने गांव और कितनी जमीन राप्ती नदी की बाढ़ से उपरोक्त क्षेत्र की खतरे में हैं और उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

श्री राममूर्ति—खतरे का अनुमान बाढ़ के प्रकोप व फैलाव पर निर्भर होता है, अतः यह मालूम करना कठिन है कि कितने गांव और कितनी जमीन इस वर्ष की बाढ़ में प्रभावित होगी। बाढ़ पीड़ितों की सहायता व रक्षा का प्रबन्ध किया जा चुका है और उनके ठहरने आदि के स्थान निश्चित किये जा चुके हैं।

*४८—**श्री नवरंगसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त क्षेत्र के रहने वालों के लिये सरकार अगली बरसात के पहले कोई प्रबन्ध करने जा रही है? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—जी हां, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये फ्लड पोस्ट और फ्लड सेंटर बना दिये गये हैं और उनमें से प्रत्येक पर अफसरों की नियुक्ति भी कर दी गई है जो आवश्यकता पड़ते ही अपना-अपना कार्य आरम्भ कर देंगे।

बस्ती जिले में राप्ती के कटाव से बचने की योजना

*४९—**श्री जगदीश** (जिला बस्ती)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उसका बाजार, जिला बस्ती में बाजार की आबादी में होने वाले कटाव को रोकने के लिये सरकार कोई कार्य करने जा रही है?

श्री राममूर्ति—जी हां। कटाव को रोकने की एक योजना बनाई जा रही है।

*५०—**श्री जगदीश**—बस्ती जिले में राप्ती नदी की बाढ़ से होने वाली हानि से बचने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है?

श्री राममूर्ति—जी हां। कुछ नई योजनाओं का सर्वे हो रहा है और प्राक्कलन तैयार हो रहे हैं।

आगरा जिले में नलकूप

*५१—**श्री बनवारीलाल विप्र** (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरे की फतिहाबाद तहसील में खेती की उपज बढ़ाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं और किन-किन जगहों पर लगाये जा रहे हैं?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इस क्षेत्र के लिए कोई भी नलकूप प्रस्तावित नहीं है।

*५२—**श्री बनवारीलाल विप्र**—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाह तहसील जिला आगरा में कितने ट्यूबवेल लगाये गये हैं और उससे खेती की उपज में कितना इजाफा हुआ?

श्री राममूर्ति—जिला आगरा की बाह तहसील में ५५ नलकूप बन कर चालू हो चुके हैं और उनसे अनुमानतः ३३५५ टन खाद्य पदार्थ में वृद्धि हुई है।

घाटमपुर कलां की असिंचित भूमि

*५३—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि खेती के रकबे में वृद्धि के साथ-साथ सिंचाई के साधन में आनुपातिक वृद्धि न होने के कारण भगवन्त-नगर निर्वाचन क्षेत्र में तहसील पुरवा जिला उन्नाव के अन्तर्गत घाटमपुर गांव की लगभग पांच सौ बीघा जमीन सिंचाई से पूर्णतः वंचित है जब कि गांव के किनारे से ही रजबहा जाता है और उसका नाम भी घाटमपुर रजबहा है?

श्री राममूर्ति—जी हां, यह सही है कि घाटमपुर कलां ग्राम की लगभग ५५० एकड़ भूमि नहर से नहीं सींची जाती है।

*५४—**श्री देवदत्त मिश्र**—इस स्थिति को देखते हुये क्या सरकार इस रजबहा से ऐसी नाली निकालने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे घाटमपुर गांव की उक्त असिंचित भूमि सींची जा सके ?

श्री राममूर्ति—घाटमपुर कलां गांव के अधीन क्षेत्र को नहर के कमान्ड में लाने के लिये १९६० में एक योजना बनाई गई थी, परन्तु उक्त क्षेत्र के बहुत अधिक डलुआं होने के कारण (३५ फुट प्रति मील) माइनर बनाने की योजना अस्वीकृत कर दी गई।

मढ़रा ताल जल निकासी योजना

*५५—**श्री शारदाभक्तसिंह** (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में परगना पद्दोहा में स्थित मढ़रा तालाब में पानी इकट्ठा होने के कारण पास-पड़ोस के ग्रामों की सन् १३६७ व १३६८ फसली में कुल कितनी खेती योग्य भूमि पानी से डूबी रही और उससे कितनी हानि हुई ?

श्री राममूर्ति—१३६७ फसली में कुछ भी खेती योग्य भूमि जलमग्न नहीं हुई। १३६८ फसली में लगभग ३२५ एकड़ खेती योग्य भूमि जलमग्न हुई और लगभग ४०,००० रुपये की हानि हुई।

*५६—**श्री शारदाभक्तसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मढ़रा तालाब के पानी के निकास का क्या और कब तक प्रबन्ध कर दिया जायेगा ?

श्री राममूर्ति—मढ़रा ताल का पानी निकालने के लिये मढ़रा नाले को गहरा और चौड़ा करने की योजना बनाई गई है। इस पर कार्य प्रगति पर है और जून, १९६३ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

*५७—**श्री शारदाभक्तसिंह**—[१०वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मंझनपुर व सिराथू क्षेत्र में सिंचाई साधनों का अभाव

*५८—**श्री नाथूराम शिक्षक** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंझनपुर और सिराथू तहसील जिला इलाहाबाद के असिंचित क्षेत्र के १४ आने ऊसर और बंजर भूमि की किसी प्रकार सिंचाई कराने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हाँ, तो किस साधन से और कब से ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना अभी नहीं है।

*५९-६०—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)—[१०वें शक्रवार के लिये प्रश्न ९९-१०० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सिंचाई विभाग के मुअत्तल कर्मचारी

*६१—**श्री लोकपालसिंह** (जिला एटा)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें मुअत्तल हुये ६ माह से अधिक हो गये हैं ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में ३ गजटेड अधिकारियों तथा ३७ नान-गजटेड कर्मचारियों को मुअत्तल हुये ६ माह से अधिक हो गये हैं।

*६२—**श्री लोकपालसिंह**—क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की देरी के कारण क्या हैं और कब तक उनका निर्णय हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—देरी के कारण भिन्न-भिन्न हैं। इनका यथाशीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न किया जाता है।

कांतोर गांव का पानी काली नदी में गिराने का सुझाव

*६३—**श्री गिरवरप्रसाद** (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा काँतोर परगना बिलराम तहसील कासगंज में तालाब में जो बरसात में पानी इकट्ठा होता है और सैकड़ों बीघा जमीन की फसल मारी जाती है उस पानी को निकाल कर काली नदी में मिलाने की उसकी कोई योजना है ? यदि है तो उस पर कब तक अमल हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। ग्राम काँतोर काली नदी से पाँच मील के अन्दर है वहाँ की स्थानीय जनता ने लगभग ५ मील का एक नाला श्रमदान द्वारा खोदकर काली नदी में मिलाया था। इसका निरीक्षण कराया जा रहा है, यदि इस नाले में कुछ सुधार आदि की आवश्यकता होगी तो जनता को बताया जायगा ताकि वह श्रमदान द्वारा उसे करें।

हरदोई–सीतापुर व हरदोई–संडीला मार्ग पर बसें बढ़ाने की प्रार्थना

*६४—**श्री परमाई** (जिला हरदोई)—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई सीतापुर वाया बैनीगंज व हरदोई वाया बैनीगंज व हत्याहरण संडीला लाइन पर कितनी प्राइवेट बसें चलती हैं और जनता की आवश्यकता को देखते हुये क्या सरकार गाड़ियों की मात्रा बढ़ाने का इरादा रखती है ? यदि हाँ, तो कितनी ?

श्री मुजफ्फर हसन—इन मार्गों पर क्रमशः ७ व ५ बसें चलती हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (Regional Transport Authority) के सामने विचाराधीन है। सरकार को इस विषय पर आदेश देने का अधिकार नहीं है।

बैलों और भैंसों का वध

*६५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६०–६१ में कितने बैलों और भैंसों का वध किया गया ?

श्री चरणसिंह—कृषि वर्ष १९६०–६१ (जुलाई से जून तक) में उत्तर प्रदेश के अधिकृत बूचड़-खानों में १,१८८ साँड और बैलों का तथा २,९०,३९७ भैंसों का वध हुआ।

सीतापुर जिले में नलकूप

*६६—**श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत कितने नलकूप लगाये गये और उनमें कितने चल रहे हैं और कितने बन्द हैं ? यदि कोई बन्द हैं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—सीतापुर जिले में ९० राजकीय नलकूप हैं और इनमें से ८२ चल रहे हैं शेष ८ नलकूप निम्नलिखित कारणों से बन्द हैं :—

१—विद्युतीकरण न होने के कारण	६ नलकूप
२—फेल हो जाने के कारण	२ नलकूप

*६७–६९—**श्री बृजेश्वर सहाय** (जिला मैनपुरी)—[हटा दिये गये।]

देवरिया जिले में गांव ऊंचे करने की योजना

*७०—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में देवरिया जिला के अन्तर्गत सलेमपुर तहसील में भटनी से उत्तर तरफ सिंचाई के लिये नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

*७१—श्री कैलाश—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में में इस वर्ष कौन-कौन गाँवों को ऊंचा करने की योजना है और कब तक उनमें कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—इस वर्ष देवरिया जिले में निम्नलिखित ११ ग्रामों को ऊंचा करने की व्यवस्था है :—

१—बेलथरा,
२—सलहबक,
३—खैराट,
४—घरमखोर बाबू,
५—दमौर,
६—बनकटी,
७—कैरा ग़ोल,
८—पिपरा कछार,
९—सेराब बुजुर्ग,
१०—सरांव खुर्द,
११—डढ़िया,

यह काम १५-७-१९६२ को आरम्भ हो चुका है ।

*७२—श्री कैलाश—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला में खनुआ और गंडक नदी से खैराट ग्राम जो लगातार सन् १९५६ से बाढ़ का शिकार होता चला आ रहा है उस ग्राम को बचाने हेतु सरकार के विचाराधीन कोई योजना है ?

श्री राममूर्ति—खैराट ग्राम जो कि खनुआँ और गंडक नदी के बाढ़ से प्रभावित १९५६ से होता चला आ रहा है उसको ऊंचा करने के लिये इस वर्ष की योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

एटा व आगरा जिलों को जलर शि विकास योजनान्तर्गत लेने की प्रार्थना

*७३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो २०० एकड़ तक की २० मध्यम आकार की जलराशियों को वह विकसित करने जा रही है उनमें जिला एटा और आगरा में किन-किन स्थानों पर जलराशियों के लिये निश्चय किया गया है ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीच योजना के अन्तर्गत जिला आगरा व एटा में ऐसी किसी जलराशि के विकसित करने का न तो कोई प्रस्ताव है और न कोई स्वीकृत योजना है ।

अलीगढ़ व बुलन्दशहर जिलों में नलकूप व्यवस्था

*७४—श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जो अलीगढ़ पश्चिम नया ट्यूबवेल डिवीजन खोलने जा रही है उसमें कुल नलकूपों की संख्या क्या है ? इन नलकूपों में से कितने नलकूप जिला बुलन्दशहर में स्थित हैं ?

*७५—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रस्तावित अलीगढ़ पश्चिम डिवीजन में ग्रुप सिकन्दराबाद, दादरी, बाजरपुर, चचूरा, तथा खुर्जा के कितने नलकूप हैं? क्या सरकार उपरोक्त ग्रुपों के प्रत्येक नलकूप की दूरी बुलन्दशहर तथा अलीगढ़ से अलग-अलग बताने की कृपा करेगी ?

*७६—क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रस्तावित अलीगढ़ पश्चिम डिवीजन के सम्बन्ध में बुलन्दशहर के बजाय अलीगढ़ में डिवीजन का हेडक्वार्टर बनाने के कारण जो सरकार को मशीन इत्यादि लाने में, उनकी मरम्मत कराने, निरीक्षण कराने आदि कार्यों में सरकारी खर्चा अधिक बढ़ जायेगा उस पर विचार कर लिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त डिवीजन का हेडक्वार्टर बजाय अलीगढ़ के बुलन्दशहर में बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, सरकार कोई अलीगढ़ पश्चिमी नया ट्यूबवेल डिवीजन खोलने नहीं जा रही है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

राठ बस स्टेशन पर जल व प्रकाश व्यवस्था तथा लखनऊ–कानपुर–हमीरपुर का बस का किराया

*७७—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राठ जिला हमीरपुर में बस स्टेशन के compound में पानी और रोशनी का प्रबन्ध नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*७८—श्री डूंगरसिंह—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर से लखनऊ और कानपुर से हमीरपुर का फासला तथा सरकारी बसों का लोअर क्लास का किराया क्रमशः अलग-अलग क्या है ?

श्री मुजफ्फरहसन—वाँछित सूचना इस प्रकार है—

रूट	फासला	लोअर क्लास का किराया
कानपुर–लखनऊ	४८ मील	१ रु० ५० न०पै०
कानपुर–हमीरपुर	४० मील	१.५६

खरकपुर का फ्लड रेस्क्यू शेड टूट जाना

*७९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम खरकपुर बाजे तहसील व जिला मुरादाबाद का फ्लड रेसक्यू शेड जो कि लगभग १० हजार रुपये की लागत से बना था किस हाल में है और सरकार उसका भविष्य में क्या करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—यह फ्लड रेस्क्यू शेड टूटा हुआ खाली पड़ा है। ११–६–१९६२ की जिला बाढ़ निरोधक समिति की बैठक में यह निश्चित हुआ है कि यह शेड मरम्मत योग्य नहीं है और न इससे कोई लाभ ही है । इसकी और छानबीन की जा रही है ।

सौरी नलकूप की पक्की नालियां बढ़ाना

*८०—श्री बेदराम (जिला एटा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नलकूप नं० २५ की, जो सौरों जिला एटा में प्रथम पंचवर्षीय योजना में बना था, पक्की नालियां अब तक नहीं बन सकी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—इस नलकूप पर ७ फर्लांग ३३० फीट पक्की नालियाँ बनी हुई हैं ।

*८१—श्री बेदराम—क्या सरकार पक्की नालियों के बनाने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके सूखती हुई गन्ने की खेती को बचा कर किसानों के क्षोभ को दूर करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ । इसके लिये चार फर्लांग पक्की नाली और बनाने का प्रस्ताव है ।

पनियाली ग्राम को बाढ़ से बचाने की प्रार्थना

*८२—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल तहसील हल्द्वानी में ग्राम पनियाली को सरकार गधेरे के बरसाती बाढ़ से बचाने की जो योजना गत वर्षों से सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उसमें कितना समय और लगेगा ?

श्री राममूर्ति—इस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है जो शीघ्र पूर्ण हो जायगा । इसके पश्चात् यदि योजना उचित पाई गई तो राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सन्मुख रक्खी जायगी और उसके बाद भारत सरकार के नियोजन आयोग की स्वीकृति के मिलने पर और आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

बुलन्दशहर जिलें के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*८३—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ऐसे कितने फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्टेट हैं जिनको ५ वर्ष से अधिक काम करते हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे तीन आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं ।

*८४—श्री मन्नालाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट की रिश्वत लेने की शिकायत पर १९५६ से अब तक उनकी पावर को पुनः रिन्यू नहीं किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिश्वत लेने का अपराध किसी मैजिस्ट्रेट पर सन् १९५६ के बाद साबित नहीं हुआ है ।

कांतौर व बेरी से नाला खुदवाने की दरख्वास्त

*८५—श्री गिरवरप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा के ग्राम कांतौर व बेरी परगना बिलराम के कृषकों की दरख्वास्त नाला खदवाने व पानी निकालने के लिये आयी है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ, एक प्रार्थना-पत्र नाला खुदवाने हेतु ड्रेनेज डिवीजन एटा के सहायक अभियंता को प्राप्त हुआ था । उस पर सर्वेक्षण करके स्थानीय जनता को नाले की वास्तविक चौड़ाई व गहराई के बारे में मौके पर निर्देश दिये थे । इसका कार्य श्रमदान द्वारा जनता ने किया था । इस नाले की लम्बाई लगभग ५ मील थी और जनता ने इसे काली नदी से मिला दिया ।

*८६-८७—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)—[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न ३-४ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

उलाई परगने में गंगा का रिटायर्ड बांध निर्माण करने की योजना

*८८—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला एटा तहसील कासगंज, परगना उलाई के ग्रामीणों के द्वारा गंगा के बांध के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? यदि हाँ, तो कब और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ । निम्नलिखित दिनाँकों में :—

(अ) २१-८-६१ ।
(ब) २५-११-६१ ।
(स) २१-६-६२ ।

उक्त प्रार्थना-पत्रों पर निम्न कार्यवाही की गई—

१९६१ की बाढ़ में करीब ११,८६० रुपये की लागत पर अनेकों पेड़ और झाड़ियाँ डालकर और बल्ली लगाकर भूमि को कटने से बचाया गया । बाढ़ के उपरान्त विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और सोच विचार के पश्चात् एक रिटायर्ड बाँध को बनाने हेतु ४७,६७४ रुपये के लागत की एक योजना उधेर बन्ध के नाम की शासन ने स्वीकार कर ली है ।

इटावा रेलवे स्टेशन के समीप पानी का जमाव

*८९—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार को यह मालूम है कि इटावा रेलवे स्टेशन से पश्चिम की तरफ एक बरसाती नाले की पुलिया रेलवे द्वारा तंग कर दी गई है जिसके फलस्वरूप रेलवे लाइन के उत्तर तरफ बरसात के जमाने में बहुत पानी जमा हो जाता है और चार, पाँच, ग्रामों की फसलें नष्ट हो जाती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार रेलवे विभाग को लिखेगी कि इस नाले की पुलिया को शीघ्रातिशीघ्र चौड़ा करवा दिया जाय ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, रेलवे द्वारा यह पुलिया तंग नहीं की गई है । इस समय रेलवे द्वारा इसको चौड़ा किये जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है ।

*९०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार इस क्षेत्र का सर्वे कराकर कोई दूसरा नाला बनाने की तजवीज सोचेगी कि जिससे बरसाती पानी जमा न हुआ करे और खेती की फसलें बरबाद न हुआ करें ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस क्षेत्र के पानी को निकालने के लिये एक ड्रेन बनाने की योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

*९१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि इटावा जिले के जमुना और चम्बल के बीच के ग्रामों में जैसे पछाह गाँव, उदी, गाती, मुरोंग आदि-आदि में प्राकृतिक कटान की वजह से ग्रामों के अन्दर मकानों के गिरने की स्थिति पैदा हो गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सर्वे कराकर इन कटानों के रोकने की योजना बनाकर इन ग्रामों के मकानों को नष्ट होने से बचायेगी ?

श्री राममूर्ति—विभाग में ऐसे कोई आँकड़े नहीं है जिसके आधार पर यह बताया जा सके कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक कटान हो रहा है । कटान की रोक-थाम के लिये सरकार की योजना अभी उस क्षेत्र में नहीं है ।

रिहन्द बांध संबंधित कृषि-भूमि तथा पन्त सागर में मोटर बोट चलाने की योजना

*९२—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बाँध के कारण जो प्राप्त भूमि डूबी नहीं है अथवा जो रवी की खेती के लिये उपयुक्त है उसकी सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार होगी ?

श्री राममूर्ति—इस भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है, और न इसकी आवश्यकता है ।

*९३—श्री रामप्यारे—जो भूमि किसानों को दी जावेगी उनके लगान की दर क्या होगी ?

श्री राममूर्ति—लगान की दर अभी निश्चित नहीं की गई है ।

*९४—श्री रामप्यारे—क्या पन्त सागर से स्टीमर चलाने की योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—गोविन्दवल्लभ पन्त सागर में पिपरी से चिलकाडांड तक डीजल द्वारा चालित मोटर बोट चलाये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

बरेली क्षेत्र में यातायात निरीक्षकों का ओवरटाइम भत्ता

*९५—श्री नाथूराम शिक्षक—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवहन विभाग के सहायक यातायात निरीक्षकों को बरेली रीजन में नवम्बर सन् १९६० से ओवरटाइम दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, लेकिन बिलों का भुगतान कुछ प्रशासकीय कारणों से देर में शुरू हुआ ।

*९६—श्री नाथूराम शिक्षक—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त निरीक्षकों ने अपना ओवरटाइम बिल विभाग को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । इन बिलों की जांच की जा रही है और जो ठीक पाये जा रहे हैं उनका भुगतान किया जा रहा है ।

*९७-९९—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

सदन से माइक्रोफोन स्टैन्ड हटाने का सुझाव

*१००—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदरणीय सदन में जो लाउड स्पीकर लगा है उसके अलावा जो दूसरा यंत्र (लाउड स्पीकर) लगाने की मशीन लगी है, जिसके कारण सदस्यों को बोलने में उनके सामने आड़ होने से तकलीफ होती है उस यन्त्र में कितना व्यय हो चुका है और उसको क्यों सदन से नहीं हटाया जाता ?

श्री राममूर्ति—इस यंत्र पर अब तक १,१०,०९७ रुपये व्यय हुआ । माईक्रोफोन स्टैन्ड जो लगाये गये हैं वे मुख्य यंत्र के भाग हैं अतः उन्हें हटाना उचित नहीं होगा ।

*१०१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस यंत्र को किसके द्वारा लगवाया जा रहा था और क्या इसके लिये कोई टेन्डर मांगे गये थे ?

श्री राममूर्ति—इस यंत्र को मेसर्स यूनियन रेडियो ऐण्ड अप्लाइन्सेज नई दिल्ली ने लगाया । इस कार्य के लिये अन्य किसी फर्म से टेन्डर नहीं मांगे गये ।

मिधौली तथा घिलोई ग्रामों की जल निकास व्यवस्था

*१०२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में मिधौली ग्राम के तालाब में बरसाती पानी निकालने के लिये एक नाला

खोदने का निश्चय हुआ था, जिससे हजारों बीघा जमीन उपजाऊ हो सके, लेकिन अभी तक उस सम्बन्ध में मौके पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जब कि बरसात सर पर है, क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नाला खोदने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस नाले के खुद जाने से हजारों बीघा नहीं बल्कि लगभग २०० एकड़ भूमि को लाभ होगा। इस नाले का सर्वेक्षण किया गया था। यह नाला १ मील और २ फर्लांग लम्बा ह, अतः श्रमदान द्वारा बनाने के लिये है। लगभग १ फर्लांग नाला श्रमदान द्वारा बनाया भी गया शेष के लिये सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा भूमि न मिल सकी जिसके कारण नाला श्रमदान द्वारा नहीं बन सका। इस सम्बन्ध में जिला नियोजन अधिकारी को कहा गया है कि वे पंचायत द्वारा इसको तय कराएं।

*१०३—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि घिलोई गांव जिला फर्रुखाबाद जो बरसात में पानी की वजह से हर साल डूब जाता है वहां का बरसाती पानी निकालने के लिये एक नाला खोदा था जो जी० टी० रोड को पार करता है, लेकिन जी० टी० रोड पर पुलिया न बनने से पानी नहीं निकल रहा है ? क्या सरकार पुलिया बनाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति—यह नाला अभी पूरा नहीं खुदा है जब यह नाला सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायगा तभी मौजूदा पुलिया के पुनर्निमाण के लिये विचार किया जायगा।

*१०४—**श्री मैनेजरसिंह**—[१२वें गुरुवार के लिए प्रश्न ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सहारनपुर जिले में नलकूप

*१०५—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर की किस-किस तहसील में कितने-कितने नलकूप हैं और उनमें से इस समय कितने चालू हालत में हैं ?

श्री राममूर्ति—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३२८ पर)

*१०६—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो नलकूप कोआपरेटिव बेसिस पर लगाये गये थे और अब बेकार पड़े हैं क्या सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस कारण से और किन-किन स्थानों पर ?

श्री राममूर्ति—सहारनपुर जिले के ५० सहकारी नलकूपों में से ३१ नलकूप सरकार द्वारा लिये जाने का विचार है और वह इसलिये कि समितियां अपने नलकूपों को चलाने में कठिनाई अनुभव कर रही थीं और सरकार को बतौर राजकीय नलकूप चलाने के लिये देना चाहती थीं। इन ३१ नलकूपों के स्थानों का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३२८ पर)

इंचार्ज, बस स्टेशन, गाजीपुर के विरुद्ध शिकायत

*१०७—**श्री रघुवीर**—क्या परिवहन मंत्री प्रथम सत्र १९६२ के चौथे मंगलवार (८-५-१९६२) के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४६ व ४७ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्डक्टर और ड्राइवर के प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या मंत्री जी उस जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्र की जा रही है।

गोपामऊ परगने में गंगासागर का पानी निकालने की व्यवस्था

*१०८—**श्री परमाई**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज हुसेंपुर परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई में जो बहुत बड़ा भयानक गंगा सागर तालाब है उसका पानी निकालने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—गंगा सागर की पानी निकासी के लिए व्यवस्था तो अब भी है, किन्तु मरैल ड्रेन जिसके द्वारा उसका पानी निकलता है काफी नहीं है। इस ड्रेन को आवश्यकतानुसार और चौड़ा करने का विचार है। यह कार्य सम्भवतः अगले वर्ष हाथ में ले लिया जायगा और आशा है कि दो वर्षों में पूर्ण हो जायगा।

अलीपुर माइनर से जल वितरण में कमी

*१०९—**श्री जगन्नाथ राव**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं कैनाल में जो मलीपुर गांव के पास से जियरामऊ माइनर निकली है उसमें पर्याप्त पानी नहीं मिलता? क्या नहर विभाग जौनपुर के इंजीनियर को इसकी सूचना प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—जियरामऊ माइनर नामक कोई माइनर नहीं है। हां, अलीपुर माइनर है जो कि किराकत रजबहा मड़ियाहूं जलशाखा से निकलती है इसके जल वितरण में कमी है जिसके निवारण के लिये मुख्य रजबहा केराकत में अलीपुर माइनर के हेड के नीचे एक झील बनाने का प्रस्ताव है। झील बन जाने से केराकत रजबहा का जलस्तर ऊंचा हो जायेगा और अलीपुर माइनर में पानी बराबर पहुंचने लगेगा।

रतुपुरा ग्राम का नलकूप

*११०—**श्री रामपालसिंह** (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रतुपुरा, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में सन् १९५३ में एक सहकारी नलकूप सिंचाई विभाग द्वारा बनवाया गया है? यदि हाँ, तो उसमें कितना रुपया और किस प्रकार एकत्रित करके खर्च हुआ है?

श्री राममूर्ति—सन् १९५४ में एक सहकारी नलकूप सिंचाई विभाग द्वारा बनवाया गया था। इसके लिये १०,००० रुपये जिलाधीश मुरादाबाद से तकाबी ऋण के रूप में तथा ५,००० रुपये सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, मुरादाबाद से प्राप्त हुआ था। इन १५,००० रुपये में से ९,२१६ रुपये सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप के निर्माण पर खर्च किये गये थे तथा शेष ५,७८४ रुपये जिला नियोजन अधिकारी मुरादाबाद को पम्पिंग सेट तथा पम्प हाउस आदि लगाने के लिये वापस कर दिये गये थे।

*१११—**श्री रामपालसिंह**—क्या इस नलकूप की सिंचन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है? क्या सिंचाई विभाग उसे अपने अधीन लेगा?

श्री राममूर्ति—इस नलकूप का रखरखाव सम्बंधित सहकारी समिति के अधीन है अतएव इसकी सिंचन क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इस नलकूप को सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने का कोई विचार नहीं है।

*११२—**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)—[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न ९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कोहली मुहान ताल से जल निकासी न होना

*११३--श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि कोहली मुहान ताल (बलिया) से वर्षा काल में पानी का समुचित निकास न होने से किसानों की हजारों बीघा उर्वरा भूमि बेकार पड़ी रहती है तथा बहुत से गावों के बीच का आवागमन रबी के बोआई के बाद तक ठप सा रहता है? यदि हाँ, तो सरकार जल-निकास का क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री राममूर्ति--जी हाँ। जल निकास सम्बन्धी कार्य के बारे में जाँच पड़ताल की जा रही है।

*११४--श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि फजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया और बलिया से जहाँ, घाघरा गाँवों को द्रुतगति से काट रही है, धार को नियंत्रित करके उसे एक निश्चित रास्ते से बहाया जाय? यदि हाँ, तो सरकार इस योजना की रूप-रेखा कृपया सदन की मेज पर रखेगी?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई के पर्चे न बटने तथा लाही माइनर का विस्तार न करने की शिकायत

*११५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में कहीं भी सिंचाई के पर्चे नहीं बाँटे गये और इसका कारण सरकार से परचे के सादे फार्मों का न मिलना रहा है? यदि हाँ, तो कितनी सरकिलें हैं जहाँ ऐसा हुआ है?

*११६--क्या सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार करेगी कि जिन क्षेत्रों में बिना परचा बाँटे जमा बन्दियां तैयार की गई हैं और जिनमें त्रुटियाँ हैं तो इन त्रुटियों को दूर करने की सरकार कार्यवाही कर उन जमाबन्दियों की वसूली स्थगित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--आवश्यक सूचना अभी प्रदेश की सभी सर्किलों से प्राप्त नहीं की जा सकी हैं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र यह सूचना उपलब्ध की जा सके।

*११७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर शारदा की हैदरगढ़ ब्रांच की लाही माइनर का विस्तार करने की योजना सरकार ने द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में स्वीकार कर लिया था? यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके विस्तार पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति--लाही माइनर का विस्तार करने की कोई योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार नहीं की गई थी।

शारदा नहर सिस्टम पर और अधिक रकबे की सिंचाई के लिये पानी न होने के कारण लाही माईनर का विस्तार सम्भव नहीं है।

ऋषिकेश-जोशीमठ बस सर्विस

*११८--श्री शारदाभक्तसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष ऋषिकेश से जोशीमठ के लिये अधिकतम प्रतिदिन कितनी गाड़ियां यात्रियों को ले जाने के लिये चलती थीं?

श्री मुजफ्फर हसन--सूचना इकट्ठी की जा रही है।

*११९--श्री शारदाभक्तसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आज कल इस मार्ग पर कितनी बसें प्रतिदिन चल रही हैं?

श्री मुजफ्फरहसन—सूचना इकट्ठी की जा रही है।

*१२०—श्री शारदाभक्तसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस मार्ग पर यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री मुजफ्फरहसन—सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(१) ७५ नयी गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियों के बदले में चलायी गयीं।

(२) यात्रियों को ऋषिकेश से जोशीमठ तथा रुद्रप्रयाग तक सीधे टिकट देने की व्यवस्था की गयी।

(३) गाड़ियों की तादाद बढ़ाने के लिये आर० टी० ओ० देहरादून ने २८ स्थायी तथा ४९ अस्थायी परमिट अप्रैल और मई, १९६२ में जारी किये थे, परन्तु केवल ५० प्रतिशत ही परमिटों पर गाड़ियाँ चलायी जा सकीं।

बलरामपुर तहसील में चितिया जलाशय निर्माण योजना का स्थगन

*१२१—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सही है कि चितिया बाँध विकास क्षेत्र शिवपुरा तहसील बलरामपुर में कोई बाँध बनाने के लिये स्वीकृत हुआ था परन्तु अब उसी नाम से अब शिकारी पुरवा, बटपुरवा वगैरह ग्रामों के बीच उसका बनना शुरू हो गया है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ? और उनके जीवन सम्बन्धित लोगों के लिये खेत तथा रहने के लिये मकान बनाने की जमीन एवं अनुदान देने की क्या व्यवस्था है ?

श्री राममूर्ति—तहसील बलरामपुर में चितिया जलाशय बनाने का निश्चय हुआ था। कई स्थानों के सर्वेक्षण के पश्चात् जो स्थान जलाशय के निर्माण के लिये उपयुक्त समझा गया वह हरैया सतघरवा विकास क्षेत्र में पड़ता है। उक्त बंधे के निर्माण हेतु २४८.५५ एकड़ भूमि प्राप्त की गई और मुआवजे की कुल रकम १९,४२२ रुपये में से ९,१२२ रुपये का वितरण अब तक हो चुका है। शेष के वितरण का प्रबन्ध किया जा रहा है चूंकि अब इस योजना की लागत बहुत अधिक हो जाने का अनुमान है जिससे कि योजना अलाभकर (Unremunerative) हो गई है, अतः इस समय इस योजना का कार्य स्थगित कर दिया गया है और इस कारण उक्त क्षेत्र के लोगों के लिये भूमि तथा अनुदान देने की व्यवस्था करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता है।

*१२२—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसके पूर्व कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री, चीफ इंजीनियर नहर बाँध को दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो उसके सम्बन्ध में कोई जाँच उन ग्रामवासियों की सहमति लेकर की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—कई प्रार्थना-पत्र इस विषय में प्राप्त हुये। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशाषी अभियन्ता ने ग्रामवासियों के साथ स्वयं मौके पर जाँच की और उन लोगों को स्थिति का पूर्ण ज्ञान करा दिया गया।

गजरौला के निकट ट्रक दुर्घटना

*१२३—श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि गजरौला (मुरादाबाद) रोडवेज बस स्टेशन की सीमा के अन्दर १२, १३ मई, १९६२ के बीच की रात्रि में एक स्त्री तथा उसके दो पुत्रों (११ वर्षीय व ९ वर्षीय) की एक ट्रक से दब कर हत्या हो गई ?

श्री मुजफ्फरहसन— जी हाँ।

*१२४—श्री जगदीशप्रसाद—क्या यह बात सही है कि गजरौला स्टेशन पर रात को हसनपुर के लिये बस न मिलने पर काफी यात्री पड़े रहते हैं ?

श्री मुजफ्फरहसन—ट्रेन लेट होने और आखिरी बस छूट जाने पर कुछ यात्रियों को रुकना पड़ता है ।

रुस्तमपुर बड़मार ग्राम में रामगंगा से कटाव की शिकायत तथा ढेला नदी पर बांध की आवश्यकता

*१२५—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार के पास ग्राम रुस्तमपुर बड़मार तहसील व जिला मुरादाबाद के निवासियों के २५० प्रार्थना-पत्र आये थे कि उनका पूरा ग्राम रामगंगा नदी से कट गया है और उनको वन की तलेटी में ग्राम वेर खेड़े में बसा दिया जाय । यदि हाँ, तो उन दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ग्राम रुस्तमपुर बड़मार पिछले दो साल में रामगंगा नदी से नहीं कटा है और इस दरमियान में कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई अतः आबादी को हटाने का प्रश्न नहीं उठा ।

*१२६—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बाढ़ को रोकने को कोई बाँध ढेला नदी के पश्चिम दिशा में ग्राम हिमायूंपुर और जहाँगीरपुर तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद के करीब बनाने जा रही है ? यदि हाँ, तो इस बाँध के बनने से नदी के पूरब दिशा में कौन-कौन से गाँव में बाढ़ का पानी नुकसान पहुंचायेगा ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद न्यायालयों के विचाराधीन मुकदमे

*१२७—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या सरकार बतलायेगी कि इलाहाबाद जिले की अदालतों में फौजदारी तथा दीवानी के मुकद्दमों की संख्या क्या है जिनके फैसले तीन वर्ष से ज्यादा हुये, नहीं हुये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)—ऐसे मुकदमों की संख्या निम्नलिखित है:—

फौजदारी के मुकदमें ..	१५
दीवानी के मुकदमें ..	५६०
योग ..	५७५ ।

सरजू नहर योजना

*१२८—श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरजू कैनाल का कार्य कब शुरू होगा और किसानों को कब से पानी मिलेगा ? यदि कार्य शुरू है, तो उस पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—सरजू नहर योजना के अन्तर्गत अभी केवल विस्तृत सर्वेक्षण हो रहा है । वास्तविक निर्माण कार्य को यथासंभव शीघ्र ही प्रारम्भ करने का विचार है । सिंचन सुविधा उपलब्ध होने में लगभग ७,८ वर्ष लगेंगे । चूंकि अभी वास्तविक निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है अतः इस कार्य पर लगे हुये कर्मचारियों की अभी कोई निश्चित संख्या नहीं है ।

*१२९—श्री गंगप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरजू नहर से कौन जिले लाभान्वित होंगे ?

श्री राममूर्ति—सरजू नहर से बहराइच, गोंडा और बस्ती जिले लाभान्वित होंगे ।

कैसरगंज तहसील में घाघरा का कटाव

*१३०—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भोंधी, मुरउवामुंसारी तहसील कैसरगंज जिला बहराइच को घाघरा नदी के कटाव से खतरा बढ़ता जा रहा है और वर्षा में कट जाने की पूर्ण आशंका हो रही है, सरकार इस गाँव की सुरक्षा के लिये क्या विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या इस ओर ध्यान द कर कटाव से बचाने के लिये कोई योजना शीघ्रतम लागू करेगी ?

श्री राममूर्ति—यह ग्राम, जो घाघरा नदी का रूख बदल जाने के कारण कट रहे हैं, बहराइच मार्जिनल बाँध और नदी के बीच में स्थित हैं इसलिये इनकी सुरक्षा हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है । इस क्षेत्र में फ्लड शेल्टर और फ्लड पोस्ट स्थापित कर दिये गये हैं और इस वर्षाकाल में यदि आवश्यकता हुई तो इन ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाया जायेगा ।

हरैया तहसील में बाढ़ से क्षति

*१३१—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ के बरसात में जो बाढ़ बस्ती जिला में आई थी उसमें हरैया तहसील में कितने ग्राम प्रभावित हुये थे और क्या बधुवापार का बाँध टूटने से यह बाढ़ आई थी ?

श्री राममूर्ति—बस्ती जिले की हरैया तहसील में ३८८ ग्राम बाढ़ पीड़ित हुये थे । इस क्षेत्र में बाढ़ घाघरा नदी के (Catchment) में अधिक वर्षा के कारण आई थी । इसी कारण बधुवापार बाँध भी कई जगहों पर टूटा था ।

*१३२—श्री रणबहादुरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि उपरोक्त बाढ़ से हरैया में कुल कितने की क्षति हुई ? कितनी तकावी दी गई और कितनी किस रूप में सहायता की गई ?

श्री राममू त—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३२९ पर)

*१३३—श्री रणबहादुरसिंह—क्या यह सच है कि जिलाधीश बस्ती ने कई एक पत्र बधुवापार बाँध को बनाने के लिये सरकार को लिखे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बाढ़ के पहले उसे बनवा देन की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—इस संबंध में सरकार के पास कोई पत्र नहीं आया है ।

परिवहन विभाग में नियुक्तियों के संबंध में शिकायत

*१३४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि १९६१-६२ में Transport Commissioner U. P. के पास इस प्रकार की शिकायतें की गईं कि विभाग में जो नियुक्तियाँ की गईं अथवा प्रमोशन्स दिये गये उनमें पक्षपात किया गया ? यदि हाँ, तो उसकी कोई जाँच हुई और हुई तो क्या परिणाम निकला और इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनमें मुख्य-मुख्य शिकायत क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—परिवहन विभाग में लगभग १९,००० कर्मचारी हैं । उनकी नियुक्ति तथा प्रमोशन्स के बारे म शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती रहती है । इन सबके बारे में सूचना एकत्रित करन में जितना समय और व्यय लगेगा वह जनहित में न होगा ।

रोडवेज बसों के लिये साहित्य

*१३५—श्री छत्रपति अम्बेश—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय रोडवेज बसों में जो पत्रिकायें व समाचार पत्र आदि यात्रियों को पढ़ने के लिये उपलब्ध होने की स्वीकृति सरकार दे चुकी है तो क्यों यह व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है ?

श्री मुजफ्फरहसन—ऐसे कोई आदेश विभाग ने जारी नहीं किये हैं ।

डीह रजबहा में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*१३६—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में नहर के डीह रजबहा जिसको बने हुये आठ साल हो गये हैं उसमें पड़ी हुई परसन्दपुर व रोखा परगना के काश्तकारों की भूमि का मुआविजा आज तक काश्तकारों को मिला कि नहीं यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ । मुआवजे की कुल रकम १६,७६०.१४ रुपये में से १३,६३४.४५ रुपये संबंधित काश्तकारों को दिया जा चुका है। शेष मुआवजे ३,१२५.६९ रुपये के लिये संबंधित काश्तकारों को, जो पहले नोटिस पर नहीं आ सके थे, दुबारा नोटिस देकर बुलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

*१३७—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में नहर के डीह रजबहा जिसको बने हुये ८ साल हो गये हैं और जिन काश्तकारों की भूमि उस नहर में पड़ गई है उनका लगान उस भूमि को उन काश्तकारों के खाते से आज तक क्यों नहीं निकाल दिया गया ? और आज तक उन काश्तकारों को ही उस भूमि का लगान अदा करना पड़ता है यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—डीह रजवहा में पड़ी हुई भूमि के कागजात में त्रुटियाँ होने के कारण काश्तकारों को लगान से शीघ्र मुक्त कर देना संभव न था। त्रुटियों को ठीक किये जाने के पश्चात् संबंधित काश्तकारों को सन् १३६९ फसली से भूमि-कर से निलंबित किया गया है और अब उन्हें लगान नहीं देना पड़ता है। जो लगान वसूल किया जा चुका है उसे भी वापस करने की कार्यवाही की जा रही है ।

गाजीपुर जिले में नलकूप

*१३८—श्री रघुवीर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने कितने स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने के लिये सर्वे कराई है ? और किन-किन स्थानों पर ट्यूबवेल लग चुके हैं?

श्री राममूर्ति—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३३० पर)

अमरोहा तहसील में नाले का निर्माण

*१३९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि अमरोहा तहसील जिला मुरादाबाद के पश्चिमी क्षेत्र में बाढ़ का पानी बहाने के लिये जो नाला बनाया जा रहा है वह कितने मील लम्बा होगा ? उस पर सरकार का कुल कितना खर्चा होगा और वह नाला कब तक बनकर तैयार हो जायेगा और उसकी गहराई कितनी होगी ?

श्री राममूर्ति—३९ मील ६ फर्लांग ३०० फुट लंबा और ५ फुट गहरा ।

इसकी अनुमानित लागत ७,६६,२७० रुपये है। इसके १९६४-६५ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

*१४०—श्री शराफतहुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतलायेंगे कि इस नाले के लिये किसानों से जो जमीन ली गई है क्या सरकार ने उसका पूरा-पूरा मुआवजा किसानों को अदा कर दिया है ? यदि हाँ, तो किस दर से ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ, जो जमीन इस ड्रेन के लिये ली गई है उसका मआवजा दिया जा चुका है और जितनी ली जा रही है उसका मुआविजा भी Special Land Acquisition Officer जिस दिन भूमि का कब्जा विभाग को देते हैं उसी दिन बाँट देते हैं। मुआवजे की रकम राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आँकी जाती है ।

*१४१—श्री शराफतहुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री भी बतायेंगे कि इस नाले के बन जाने से कितने एकड़ जमीन बाढ़ में आन से सुरक्षित हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति—१५,००० एकड़ भूमि सुरक्षित होने की आशा है ।

पीलीभीत-सितारगंज बस सर्विस

*१४२—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पीलीभीत, जहाँनाबाद, अमरिया, सितारगंज सड़क पर Buses चलाने के कितने permits दिये हुये हैं । यह परमिट कब-कब दिये गये तथा R. T. O. महोदय ने कितने दफा वर्ष भर में इस route पर Checking की तथा कितनी Buses को चलाते हुये पाया ?

श्री मुजफ्फरहसन—४ परमिट क्रमशः ८ अगस्त, १९५६, ७ मई, १९५७, ३१ अक्तूबर, १९६१ तथा १७ मई, १९६२ को जारी किये गये। आर० टी० ओ० ने इस मार्ग पर कोई Checking नहीं किया ।

*१४३—श्री अनीसुर्रहमान—क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि जिस समय यह परमिट दिये गये थे उस समय यह सड़क कच्ची थी और किराया का हिसाब कच्ची सड़क के Schedule से निर्धारित था और क्या यह भी सही है कि अमरिया तक 22 Km, सड़क पक्की P. W. D. द्वारा बन चुकी है और Buses का किराया अब भी पुराने हिसाब से ही लिया जा रहा है ?

श्री मुजफ्फरहसन—जी हाँ ।

सहारनपुर जिले में काठा नदी गहरी करने की आवश्यकता

*१४४—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्षा ऋतु में काठा नामी नाले से जो कि जिला सहारनपुर के परगना गंगोह नुकुड़ में स्थित है, उसमें खुदाई न होने के कारण हजारों बीघे फसल हर साल तबाह हो जाती है ? यदि हाँ तो क्या सरकार इस नाले को हर वर्ष वर्षा ऋतु से पहले खुदाई कराकर इस हलके की जनता को इस (जबरदस्त) भारी हानि से बचाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री राममूर्ति—काठा नामी नाला नहीं बल्कि एक नदी है । जिसकी तली की सफाई नहीं की जाती । यदि इसकी तली की सफाई की जावे तो बहुत खर्चा पड़ेगा अतः इसके लिये कोई योजना नहीं है ।

रोडवेज के किराये में अन्तर

*१४५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी रोड़वेज की किरायों की दर प्रतिमील यूनीफार्म है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

*१४६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—यदि हाँ, तो बिसवाँ—लखनऊ रूट और लखनऊ-कानपुर रूट में प्रति मील किराये की दर में अन्तर क्यों है ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न नहीं उठता ।

*१४७—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करगे कि प्रांत में सरकारी रोडवेज की कितनी रूट्स पर अपर क्लास रिटर्न कन्शेसन की सुविधा है ? यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सिर्फ एक रूट पर और किसी रूट पर ऐसा करने का विचार नहीं है ।

कानपुर जिले में राजनीतिक पेंशनें

*१४८—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर व जिले में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ित पेंशन मिल रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर जिले में १३६ व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ित पेंशनें मिल रही हैं ।

रजबहा घाटमपुर के अन्तर्गत सिंचाई अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*१४९—श्री शिवनाथसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नहर गंग डिवीजन फतेहपुर रजबहा घाटमपुर के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६२ से १८ मई, सन् १९६२ तक विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की कितनी दरख्वास्तें किसी विधायक द्वारा सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुई और उन दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—इस मामले में माननीय सदस्य द्वारा एक दरख्वास्त प्राप्त हुई । इस पर जाँच की जा रही है ।

मड़ियाऊ—केराकत नहर से बरेछा ग्राम को क्षति

*१५०—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में शारदा कैनाल की उपशाखा मड़ियाऊ-केराकत के ३१वें मील के आगे नहर का लेबिल ऊंचा होने की वजह से बार-बार टूटती है तथा बरैछा ग्राम के पास पानी अधिक सोखने की वजह से उस ग्राम के सभी मकानों को काफी क्षति पहुंची है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। ऐसी बात नहीं है कि केराकत राजबहा ३१ मील के आगे नहर का लेबिल ऊंचा होने के कारण बार-बार टूटती है। हां, यह बात सत्य है कि बरेछा ग्राम के पास भूमि में अधिक पानी सोखने के कारण उस ग्राम के कुछ मकानों को क्षति पहुंची है ।

*१५१—श्री रामसमझावन—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस ग्राम की क्षति पूर्ति तथा बसाने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

झांसी में सवारी गाड़ियों का लाइसेंस

*१५२—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में क्या सन्, १९५८ में सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि वह जन सुविधा के हेतु मोटर, रिक्सा व बसों के लाइसेंस को शहर में चलायेगी ? यदि यह सत्य है तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*१५३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी डिवीजन में मोटर ट्रांसपोर्ट अथारिटी का कार्य अलग से नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन—अलग नहीं है।

*१५४—श्री लखपतराम शर्मा—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलाहदा से झांसी में ही कई वर्षों से अथारिटी कार्यालय खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन चला आ रहा है ? यदि हां, तो अब तक वह क्यों नहीं खोला गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—अलग कार्यालय नहीं खोला जा रहा क्योंकि आवश्यकता नहीं है।

भगवानपुर परगने में सोलनी नदी का कटाव

*१५५—श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोलनी नदी ने अपनी कटान से परगना भगवानपुर जिला सहारनपुर में १९५७ से १९६१ तक कितने ग्रामों को क्षति पहुंचाई है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री राममूर्ति—केवल १३ ग्रामों को क्षति पहुंची। क्षति ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को रहने के लिये दूसरी जगह जमीन दी गई है।

वाराणसी जिले में गंगा का कटाव

*१५६—श्री रघुनाथसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि वाराणसी में गंगा की दो धाराओं के बीच पड़ने वाले गांवों—रामचन्दीपुर, रामपुर, गोबरहा, और मोबलपुर की अच्छी उपजाऊ जमीन दोनों ओर से इतनी तेजी से चार-पांच वर्षों से कट रही है कि खेती बन्द हो जाने की नौबत आ गई है ? यदि हां, तो निकट भविष्य में ही इन गांवों के मिट जाने की आशंका की स्थिति में सरकार इनके बचाव के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। अभी इन गांवों को बचाने के लिये कोई योजना नहीं बना रही है।

असिस्टेंट ट्राफिक इंस्पेक्टर की जगहों के लिये परीक्षा

*१५७—श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ ई० में जो असिस्टेंट ट्राफिक इंस्पेक्टर रोडवेज, लखनऊ का इम्तहान हुआ था उसमें जो लोग लिये जा चुके हैं उनके क्या नाम हैं और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनके क्या नाम हैं उसकी पूरी सूची क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३३१ पर)

आजमगढ़ जिले में बेसों तथा उदन्ती नदियों से सिंचाई दर

*१५८—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़ में बेसों तथा उदन्ती नदियों के पानी द्वारा सिंचाई पर टैक्स किसानों से वसूल किया जाता है अथवा नहीं? यदि हां, तो किस दर से और किसानों को सिंचाई के निमित्त सरकार द्वारा क्या सुविधायें उपलब्ध की गई हैं?

श्री राममूर्ति—जी हां। आजमगढ़ जिले में बेसों तथा उदन्ती नदियों के पानी द्वारा जो सिंचाई होती है उस पर सिंचाई कर लगाया जाता है। सिंचाई की दर खरीफ तथा रबी दोनों फसलों के लिये तीन रुपया छः आना प्रति एकड़ तोड़ तथा एक रुपया ग्यारह आना हाल का है।

सरकार द्वारा बेसों नदी का पानी खेतों व नीची जमीन में फैलने के लिये रेगूलेटरों, बांध व ड्रेनेज कट्स का निर्माण कराया गया है जिससे सिंचाई की जा सके।

हमीरपुर जिले में प्राइवेट मोटर मालिकों का परमिट कैंसिल करना

*१५९—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी-मौदहां, चरखारी-हमीरपुर, महोबा-लौंडी और राठ-मौदहा मार्ग का प्राइवेट मोटर मलिकों का परमिट किस तारीख की मीटिंग में कैंसिल या रिजेक्ट किया गया और इस रूट का रोड टैक्स किस तारीख तक का प्राइवेट मोटर मालिकों से वसूल किया गया?

श्री मुजफ्फर हसन—आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है।

बहराइच जिले में घाघरा बांध की पटरी पर बस चलाने का परमिट कैंसिल करना

*१६०—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—क्या यातायत मन्त्री को यह ज्ञात है कि जिला बहराइच में घाघरा बांध की पटरी पर बौड़ी से केशगंज तक बस चलाने के लिये २ परमिट दिय गये थे और वह परमिट कैंसिल कर दिये गये? अगर यह सच है, तो यातायात मन्त्री क्या इस पर विचार करेंगे कि और जनता की सुविधा को देखते हुये बांध पर लारियां चलाने की इजाजत दिलायेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। यह मार्ग मोटर चलने के काबिल नहीं है इसलिये लारियां चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१६१—चौधरी अब्दुल हसीब खां—क्या यातायात मन्त्री को यह ज्ञात है कि बहराइच से जरवल रोड को जो बसें रोडवेज की चलती हैं उन पर गजाधरपुर व रुकनापुर प्रार्थना स्टापेज पर सवार होने वाले यात्रियों से ४ मील ज्यादा का किराया (अर्थात् फखरपुर और कुडाहर का) वसूल किया जाता है यदि यह सही है तो ऐसा क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। क्योंकि नियमानुसार टिकट पिछले फेयर स्टापेज से ही बनाया जाता है।

सहसवान तहसील में नलकूप की आवश्यकता

*१६२—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं तहसील सहसवान में सहसवान से पश्चिम में महावा नदी के पार कोई ट्यूबवेल बनाने की योजना है? यदि हां, तो वह कब तक और कहां बनेगा?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

गुन्नौर तहसील में नलकूप बनाने की आवश्यकता

*१६३—श्री सूरजपालसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं तहसील गुन्नौर में ट्यूबवेल बनाने के लिये सर्वे हुआ था परन्तु अब तक किसी पंचवर्षीय योजना में इस तहसील में कोई टयूबवेल नहीं बना है? क्या इस पंचवर्षीय योजना में तहसील गुन्नौर में कुछ ट्यूबवेल बनाने की योजना है या नहीं? यदि है तो कहां-कहां?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां।

प्रश्न का दूसरा भाग—जी नहीं।

देवबन्द तहसील में पानी निकासी की अव्यवस्था

*१६४—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि देवबन्द तहसील सहारनपुर के ग्राम कपूरी, गोविन्दपुर, मंगोल, जबरदस्तपुर, बन्हेड़ाखास, न्यामतपुर दुगचाड़ा मोहीउद्दीनपुर, सल्हापुर व सलूनी आदि-आदि ग्रामों के बीच में वर्षाकाल में पानी का जमाव हो जाता है और इससे प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की फसल नष्ट हो जाती है?

श्री राममूर्ति—जी हां। लाखों रुपये की तो नहीं वरन केवल ५०० रुपये के लगभग अनुमानित की हानि होती है।

*१६५—श्री रामसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कपूरी, गोविन्दपुर से एक नाला खुदवाने का इरादा सरकार का था जो कि काली नदी में मोहीउद्दीनपुर ग्राम के पास गिरता है?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*१६६—श्री रामसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने इसके व्यय का और नाले की खुदाई का सर्वे कराकर नाले की खुदाई अभी तक नहीं कराई? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—जी हां। योजना बन गई है किन्तु राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् व भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद रुपया उपलब्ध होने पर इस योजना पर कार्य किया जा सकेगा।

नलकूप योजना

*१६७—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश में कितने ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य निर्धारित था और इस लक्ष्य की प्राप्ति में कहां तक सफलता मिली? तथा जिलेवार ट्यूबवेल लगाने का क्या आधार है?

श्री राममूर्ति—प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में नलकूप लगाने का लक्ष्य तथा उसमें से जितने नलकूप लगाये गये, उसकी तफसील दिनांक ३१-७-६२ को तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर में दी जा चुकी है।

जहां तक जिलेवार नलकूपों को लगाने के आधार का प्रश्न है जिलों में नलकूप लगाने का लक्ष्य विशेषकर सिंचाई की आवश्यकता और जिले में सिंचाई के साधन के रूप में नलकूप की उपयुक्तता एवं उसके निर्माण की व्यवहारिकता (feasibility) को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित किया जाता है। किसी जिले में नलकूपों की उपयुक्तता एवं उनके निर्माण की व्यवहारिकता के सम्बन्ध में विचारणीय बातों में से निम्नलिखित खास हैं:

(१) क्षेत्र में सिंचाई का कोई अन्य सस्ता अथवा अधिक उपयुक्त साधन सम्भव न हो।

(२) क्षेत्र नलकूप से सिंचाई योग्य हो।

(३) क्षेत्र में तकनी की दृष्टि से नलकूप सफल होने की आशा हो अर्थात् भू-स्तर नलकूप निर्माण के लिये उपयुक्त हो।

(४) नलकूप चलाने के लिये बिजली मिलना सुलभ हो।

*१६८—श्री रामसुन्दर शास्त्री—गाजीपुर जिले में प्रथम तथा द्वितीय योजना काल में नलकूप लगाने का कितना लक्ष्य था और उसमें कितनी पूर्ति हुई और शेष की पूर्ति किन कारणों से नहीं हो सकी तथा कितने ऐसे नलकूप हैं जिनकी खोदाई हुई लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—१८१ नलकूपों के निर्माण का लक्ष्य था और इन सब का निर्माण हो चुका है। जो नलकूप काम नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या २१ है।

*१६९—श्री रामसुन्दर शास्त्री—गाजीपुर जिले में चालू नलकूपों को पूरी क्षमता के हिसाब से चालू करने के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता है और उन्हें कितनी बिजली इस वक्त प्राप्त हो रही है ?

श्री राममूर्ति—गाजीपुर जिले के चालू नलकूपों को आवश्यकता भर पूरी बिजली मिल रही है केवल ५ नलकूपों को छोड़कर। यह पांच नलकूप कम पावर के ट्रांसफार्मर लगे होने के कारण पूरी क्षमता से नहीं चल रहे हैं। इन नलकूपों पर २० वी० एच० पी० के मोटर लगे हैं पर ट्रांसफार्मर केवल १५ के०वी० ए० के ही हैं।

बाराबंकी—रुदौली मार्ग पर बस परमिट

*१७०—श्री भूपसिंह (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी से रुदौली के लिये कितने बस परमिट किस आधार पर दिये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—११ परमिट आर० टी० ए० द्वारा दिये गये। आर० टी० ए० क्वासी जुडिशियल बाडी (Quasi Judicial Body) है। साधारणतया बस परमिटें आवागमन की आवश्यकतानुसार दी जाती हैं।

खेड़ा ग्राम की गूल का निर्माण

*१७१—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल नं०२२ ग्रूप सरधना, मेरठ डिवीजन, जिला मेरठ में ग्राम खेड़ा में अर्सा एक साल में से ज्यादा हुआ पक्की नाली बनाने के लिये जमीन एक्वायर की गई थी और उसका मुआवजा भी बांट दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस नाली को कब तक पक्की बनायेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां। गूल का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और इसके शीघ्र ही बन जाने की आशा की जाती है।

बहराइच जिले के बाढ़-पीड़ित ग्रामों का धरातल ऊंचा करने की योजना

*१७२—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार जो बाढ़ नियन्त्रण वृहत योजना बनाने जा रही है क्या उसमें बहराइच जिले के उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जायगा जिस क्षेत्र को राप्ती नदी की बाढ़ से क्षति पहुंचती है और जहां से राप्ती नदी पहाड़ से निकलकर मैदान में आती है और क्या जब तक यह योजना कार्यान्वित नहीं होती है तब तक वहां की जनता को बाढ़ से प्राण देने के लिये गांवों की सतह को ऊंचा उठाने के लिये क्या सरकार आज्ञा देने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—बहराइच जिले के उस क्षेत्र को, जिसे राप्ती नदी से क्षति पहुंचती है, बाढ़ से बचाने की कोई योजना Master Plan में शामिल नहीं है। हां, इस क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित ग्रामों की सतह को ऊंचा करने की योजना पर कार्य Rural Manpower Utilisation Scheme के अन्तर्गत करने का विचार है।

गोफा दुडरहा गांवों में सिंचाई की कठिनाई

*१७३—**श्री झारखंडेराय**—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि दोहरी घाट पम्प नहर पर आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में गोफा दुडरहा तथा बहरामपुर कैलवर गांवों के बीच पानी रोकने तथा उसे ऊंचा करने की कोई व्यवस्था न होने से वहां के कुलावों में पानी नहीं चढ़ता और सिंचाई में घोर कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है? यदि हां, तो सिंचाई मन्त्री इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कर रहे हैं?

श्री राममूर्ति—दोहरीघाट नहर पर आजमगढ़ जिले की तहसील घोसी में गोफा दुडरहा तथा बहरामपुर कैलवर गांवों के बीच पानी रोकने व ऊंचा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुलाबों पर पानी का दबाव पर्याप्त है किन्तु सिंचाई में कठिनाई वहां की भूमि ढाल होने के कारण है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये थोकवार ओसराबन्दी की व्यवस्था की जा रही है।

रोडवेज विभाग, बरेली संबंधित शिकायतें

*१७४—**श्री झारखंडे राय**—क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को बरेली ए० जी० एम० तथा स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट तथा उनके दफ्तर में घोर पक्षपात, कुनबा-परस्ती तथा प्रान्तीयता की गम्भीर शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो सरकार इन रोगों से हेड-क्वार्टर को मुक्त कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—शिकायत की जांच की जा रही है।

रुद्रही ग्राम का नलकूप

*१७५—**श्री सुखलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बख्शी के तालाब क्षेत्र के नं० ७ ट्यूबवेल जो रुद्रही ग्राम में है कितने बार उठाया गया और कब-कब उसकी सफाई हुई और जब यह ३१ मार्च, १९६२ को फेल हो गया तो यह कितने दिन तक नहीं ठीक हुआ?

श्री राममूर्ति—यह नलकूप चार बार बन्द हुआ इसमें से एक बार दिनांक ७-११-५९ से ८-११-५९ तक इसकी सफाई हुई। यह नलकूप ३१ मार्च, १९६२ से लगभग ८ दिन तक बन्द रहा।

सलेमपुर तहसील में घाघरा का कटाव

*१७६—**श्री कैलाश**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में घाघरा, छोटी गंडक तथा धनुवां नाला से कितने ग्राम कट चुके हैं और कटाव के अन्दर प्रत्येक गांव का क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है?

श्री राममूर्ति—छोटी गंडक व धनुवां नाले द्वारा तो कोई कटाव नहीं हुआ है। घाघरा नदी द्वारा कुल ५ ग्रामों में कटाव जरूर हुआ है जिसका आवश्यक विवरण संलग्न सूची संख्या १ में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३३२ पर)

*१७७--**श्री कैलाश**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के सलेमपुर तहसील में कितने ग्राम बाढ़ से प्रति वर्ष प्रभावित होते हैं तथा इन ग्रामों में प्रत्येक का क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है ?

श्री राममूर्ति--ठीक तौर पर यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि प्रति वर्ष कितने ग्राम बाढ़ से प्रभावित होते हैं क्योंकि यह तो कम या अधिक बाढ़ पर निर्भर है ।

बस्ती जिले में खाद का वितरण

*१७८--**श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती को १९६१-६२ में सरकार ने कितनी खाद दी और वह किस प्रकार बांटी गयी ? क्या खाद पाने वालों की एक सूची सरकार सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--सन् १९६१-६२ में बस्ती जिले को ४४.१० टन चिलियन नाइट्रेट तथा ०.२० टन अमोनियम क्लोराइड खाद दी गई । उसका वितरण तकावी तथा नकद दाम लेकर किया गया । जिले में खाद पाने वालों की संख्या बहुत अधिक है जिनकी सूची कृषि निदेशालय में मंगा ली गई है जो देखी जा सकती है ।

*१७९--**श्री शिवसम्पत्ति शर्मा** (जिला जालौन)--[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न ९८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

छाता तहसील में बाढ़ ग्रस्त फसल के लगान में छूट

*१८०--**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में कितने गांव हैं जो बाढ़ ग्रस्त हैं जिसमें अभी तक पानी भरा हुआ है पानी भर जाने के कारण खरीफ व रबी की फसल नहीं बोई गई ? जिनमें अब तक सैकड़ों एकड़ भूमि में पानी भरा हुआ है ? ऐसी जमीनों का सरकार ने लगान मुल्तवी किया था ? यदि हां, तो सरकार ऐसी जमीनों का लगान माफ करेगी ?

श्री राममूर्ति--मथुरा जिले की छाता तहसील में १५३ ग्राम ऐसे हैं जो पिछले वर्ष की बरसात में बाढ़ से प्रभावित हुये थे । पानी भर जाने के कारण इन प्रभावित ग्रामों में से १०८ ग्रामों में १३६९ फसली की खरीफ की फसल तथा ४५ ग्रामों के कुछ क्षेत्रों में रबी की फसल नहीं बोई जा सकी । प्रभावित क्षेत्रों की खरीफ १३६९ फसली की मालगुजारी व लगान की वसली पहले मुल्तवी की गई थी और तत्पश्चात् उनमें नियमानुकूल छूट दे दी गई है । रबी १३६९ फसली वाले प्रभावित क्षेत्रों में भी मालगुजारी की वसूली मुल्तवी कर दी गई है और सहायता के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर इनमें नियमानुकूल छूट दी जायगी ।

*१८१--**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)--[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया ।]

बसों का क्रय

*१८२--**श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने रोडवेज व्यवस्था के चालू होने से लेकर अब तक कितने मूल्य की कितनी बस किस-किस प्रकार (नकद या उधार) खरीदी हैं ? इनमें से कितनी बसें टूट कर बेकार हो चुकी हैं और कितनी चालू हैं तथा कितनी मरम्मत होकर चालू हो सकती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--३१ मार्च, सन् १९६२ तक ४,४२० बसें १४,६५, १६,१९३ रुपये में नकद खरीदी हैं । इनमें से १,१४३ बसें टूट कर बेकार हो गईं, ६५ दूसरे विभागों तथा संस्थाओं को बेच दी गई और २,९२५ चालू हैं तथा २८७ बसें मरम्मत होकर चालू हो सकती हैं ।

*१८३—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—इन खरीदी हुई बसों का कितना रुपया भुगतान हो चुका है और कब-कब तथा कितना शेष है और उस पर वार्षिक ब्याज कितना देना पड़ता है ?

श्री मुजफ्फर हसन— कुल रुपया भुगतान हो चुका है । प्रत्येक वर्ष खरीदी गई बसों का रुपया भुगतान कर दिया जाता है । अतः ब्याज देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१८४—श्री मेघ नाथ सिंह शिशोदिया—इन बसों की कीमत लगाकर तथा वार्षिक ब्याज सम्मिलित करके क्या यह योजना लाभ में चल रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां ।

मैनपुरी जिले में नलकूप तथा नहरी बम्बे

*१८५—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह कितने ट्यूबवेल लगा रही है और किन-किन स्थानों पर ?

श्री राममूर्ति—जहां तक प्रश्न में मैनपुरी जिले में कितने नलकूप लगाये जाने का सम्बन्ध है आवश्यक सूचना प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर में ७-८-६२ को दी जा चुकी है उसमें उल्लिखित ४५ नलकूपों में से अब तक २७ नलकूपों का स्थितिकरण हो चुका है इनकी सूची संलग्न है। शेष नलकूपों का स्थितिकरण अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३३३ पर)

*१८६—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पंच वर्षीय योजना के अन्दर कितने बड़े-बड़े और कितने छोटे-छोटे नहर के बम्बे वह बना रही है और उनसे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग ४०० मील बड़े-बड़े तथा ३१०० मील छोटे-छोटे नहर के बम्बों का निर्माण प्रस्तावित है । निर्माण पूर्ण होने पर लगभग १५.७७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी ।

एसोशियेटेड ट्यूबवेल कम्पनी को ठेका

*१८७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एसोशियेटेड ट्यूबवेल कम्पनी को सरकार ने पिछले सालों में कितने नलकूप बनाने का ठेका दिया था ?

श्री राममूर्ति—एसोशियेटेड ट्यबवेल नाम से दो कम्पनियाँ हैं :

१—असोशियेटेड ट्यबवेल लिमिटेड, तथा

२—असोशियेटेड ट्यूब वेल्स (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड,

इन दोनों कम्पनियों को गत वर्षों में कुल ७०३ नलकूप लगाने का ठेका दिया गया ।

*१८८—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने एक भी नलकूप नहीं बनाया बल्कि इसके कारण सरकार को ५ लाख रुपये का घाटा सहन करना पड़ा ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

*१८९—श्री उमाशंकर—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि किस अधिकारी ने उक्त कम्पनी को ठेका दिया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता ।

[२१ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विधि आयोग

*१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो विधि आयोग सरकार ने गठित किया है उसमें प्रदेश के कुछ वकीलों को भी रक्खा गया है ? यदि हां, तो किसको ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह आयोग कब स्थापित किया गया और इसमें और कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

श्री कन्हैया लाल मिश्र, ऐडवोकेट जनरल, इसके एक सदस्य हैं ।

यह आयोग १ फरवरी, १९६२ से स्थापित हुआ है और उसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

(१) माननीय जस्टिस श्री बी० जी० ओक, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (चेयरमैन) ।

(२) श्री कन्हैया लाल मिश्र, एडवोकेट जनरल, उत्तर प्रदेश (सदस्य),

(३) श्री रणधीर सिंह, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (सदस्य),

(४) श्री रामनाथ शर्मा, अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश (सहकारी सदस्य),

*२—श्री ऊदल—[हटा दिया गया ।]

अलीगढ़ डेरी फार्म का आय-व्यय

*३—श्री ऊदल—क्या सरकार अलीगढ़ डेरी फार्म के सम्बन्ध में कृपया बतायेगी कि जब से यह फार्म स्थापित हुआ है उसमें कितनी आय तथा कितना व्यय किन-किन मदों पर हुआ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है ।

चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग को बीबीपुर से कथित पत्र

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १८ अप्रैल, १९६२ का लिखा हुआ, ग्राम बीबीपुर तथा शीतलपुर, जिला आजमगढ़ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है जिसमें कटघरा माइनर को हस्तगत भूमि से न ले जाकर दूसरी भूमि से ले जाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं । ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग को नहीं प्राप्त हुआ ।

आजमगढ़ जिले में बस स्टेशनों का निर्माण

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला में दोहरी घाट, मधुबन, घोसी बस स्टेशनों के भवनों के बनाने की प्रगति अब तक की क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी जमीन हासिल करने की कार्यवाही हो रही है ।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घोसी बस स्टेशन के भवन की भूमि प्राप्त न हो सकने के कारण कौन-कौन हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जमीन पर मालिक ने एक मन्दिर की तामीर शुरू कर दी थी। अब आखीरी नोटिफिकेशन हो गया है । उम्मेद है कि अब कब्जा जल्द मिल जावेगा ।

नलकूप डिवीजन, गोरखपुर के कर्मचारियों के एरियर बिल

*७---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में सन् १९५८ से सन् १९६० तक कितने कर्मचारियों के एरियर बिल ए० जी० और सरकार को भेजे गये तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ? इन एरियर बिल्स में कितने गायब हैं और उनकी धनराशि क्या है ?

श्री राममूर्ति---राजकीय नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में सन् १९५८ से सन् १९६० तक १२७ कर्मचारियों के एरियर बिल ए० जी० और सरकार को भेजे गये । सरकार को भेजे गये सभी बिलों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । ए० जी० को भेजे गये बिलों पर अभी सम्बन्धित कार्यालयों से लिखा-पढ़ी चल रही है ।

किसी भी कर्मचारी का कोई भी एरियर बिल गायब नहीं है अतः गायब हुये बिलों की धनराशि का प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप के सब-डिवीजनों में कर्मचारियों का वेतन

*८---**श्री उग्रसेन**---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप डिवीजनों के सब-डिवीजनों में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन प्रति माह किस तारीख को मिलता है ?

श्री राममूर्ति---राजकीय नलकूप डिवीजन के सब-डिवीजनों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों का वेतन जो हेडक्वार्टर पर रहते हैं पहली तारीख को दे दिया जाता है और ऐसे कर्मचारियों को जो हेडक्वार्टर्स पर नहीं रहते हैं वेतन महीने की १५ तारीख तक दे दिया जाता है ।

*९---**श्री उग्रसेन**---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में काम करने वाले कितने कर्मचारियों का इन्क्रीमेंट १९५८ से सन् १९६१ तक बाकी है और क्यों ?

श्री राममूर्ति---केवल २ कर्मचारियों का इंक्रीमेंट सन् १९५८ से १९६१ तक का बाकी है । इसका कारण यह है कि १ कर्मचारी के सम्बन्ध में ए० जी० से लिखा-पढ़ी चल रही है और दूसरे कर्मचारी के विषय में, जो अभी हाल ही में स्थानान्तरित होकर आया है, कुछ लिखा-पढ़ी हो रही है ।

कानपुर में बस स्टेशन की नई इमारत बनाने का विचार

*१०---**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि कानपुर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास जहां रोडवेज का आफिस है, वहां पर जगह बहुत कम है और टिकट लेने में देर और सरकारी बसें खड़ी होने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इसलिये रोडवेज आफिस वहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह पर कर दिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन---सरकार बस स्टेशन की नई इमारत बड़े पैमाने पर बनवाने का प्रयत्न कर रही है ।

*११-१२---**श्री कल्पनार्थसिंह**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित कर दिये गये ।]

*१३-१४---**श्री कमलासिंह यादव**---[हटा दिये गये ।]

गाजीपुर जिले में नलकूपों के सुधारने की आवश्यकता

*१५—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार जिला गाजीपुर के उन नलकूपों को दुबारा गड़ाने या नीचा करने का यत्न करेगी जो सरेदस्त पानी कम दे रहे हैं, उन पर कितना खर्च होगा ?

श्री राममूर्ति—साधारणतः ऐसे सभी नलकूपों का, जिनका डिस्चार्ज घट कर original discharge का ५० प्रतिशत या १५००० गैलन प्रति घंटा रह जाता है, पुनर्निर्माण यथासम्भव शीघ्र ही करने का प्रयत्न किया जाता है । पुनर्निर्माण में हर नलकूप की लागत भिन्न भिन्न होती है अतएव इस सम्बन्ध में खर्च की निश्चित धनराशि बता सकना कठिन है ।

*१६-१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये ।]

*१९—श्री कल्पनार्थसिंह—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

*२०-२१—श्री गणेश चन्द्र काछी—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये ।]

*२२-२४—श्री चन्द्रबली—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये ।]

छिबरामऊ व ताल ग्राम परगनों में असिंचित भूमि

*२५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में कितने नलकूप बनाना स्वीकार हुआ है और किस-किस जगह पर ?

श्री राममूर्ति—इस तहसील में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १० नलकूप निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं । इन नलकूपों का स्थितिकरण होना अभी शेष है । अतः अभी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह नलकूप कहां-कहां पर बनेंगे ।

*२६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ व तालग्राम परगना, जिला फर्रुखाबाद में जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां नहर निकाल कर सिंचाई करने की योजना सरकार के सम्मुख थी ? अगर हां, तो वह योजना कब तक कार्यरूप में परिणित होगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, प्रश्न में उक्त स्थान में असिंचित क्षेत्र में सिंचाई करने की योजना है । उसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्यरूप में परिणत होने की आशा की जाती है ।

इटावा जिले में कन्डक्टरों का चुनाव

*२७—श्री लखीसिंह—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत २२ अप्रैल, सन् १९६२ को रोडवेज विभाग के अन्तर्गत कन्डक्टरों का चुनाव हुआ था ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां ।

*२८—श्री लखीसिंह—यदि हां, तो कुल कितने कन्डक्टर निर्वाचित किये गये और इसमें कितने हरिजन व पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—१११, जिसमें ५ हरिजन हैं । पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

*२९--श्री लखीसिंह---क्या यह सही है कि उपर्युक्त चुनाव के अन्तर्गत एक-एक या दो-दो साल के प्रार्थना-पत्रों के उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह सही नहीं है।

रामगंगा योजनान्तर्गत फतेहपुर नहर कालोनी पर व्यय

*३०--श्री दीपनारायणसिंह---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा योजना के अन्तर्गत फतेहपुर में जो नहर कालोनी बनाई गई है उसमें सरकार का क्या व्यय हुआ है या होने वाला है ?

श्री राममूर्ति---जी हां। नहर कालोनी, फतेहपुर के पूर्ण निर्माण में ४,७१,७०० रु० व्यय किये जायेंगे जिसमें से १,९१,८७५ रु० व्यय किये जा चुके हैं।

*३१--श्री दीपनारायणसिंह---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

अंवारा ग्राम को कटाव से कथित खतरा

*३२--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम अंवारा तहसील बांदा नदी के कटाव से नदी में विलीन होने जा रहा है ?

श्री राममूर्ति---इस ग्राम के नदी में विलीन होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

*३३--श्री मतोलासिंह---यदि हां, तो सरकार उस ग्राम के बचाव की क्या सोच रही है ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर-नौआपुर सड़क पर बस-दुर्घटना

*३४--श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन कारणों से सरकारी बसें लखीमपुर-नौआपुर सड़क पर उलट गईं, कितने व्यक्तियों को चोटें आयीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---एक प्राइवेट ट्रक के धक्के से सरकारी बस सड़क के किनारे की एक खाई में गिर कर उलट गई। इस दुर्घटना में दो यात्रियों को तथा बस चालक को चोटें आयीं।

नहर विभाग के फतेहपुर डिवीजन कार्यालय का स्थानान्तरण

*३५--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नहर विभाग के फतेहपुर डिवीजन के कार्यालय को फतेहपुर में स्थानान्तरण करने के लिये आदेश दिया था ? यदि हां, तो वह अब तक क्यों स्थानान्तरित नहीं हुआ ?

श्री राममूर्ति---जी हां। यह शासन के विचाराधीन है।

*३६--श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर डिवीजन का कार्यालय फतेहपुर नगर में बनने वाली नहर कालोनी में स्थानान्तरित न करके उसे रामगंगा नहर के कार्यालय ले जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---यह शासन के विचाराधीन है।

*३७-३८---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर जिले में नये बस रूट

*३९---श्री तेजनारायण त्रिवेदी---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकार ने कुछ समय पूर्व औरंगाबाद से सीतापुर सरकारी बस चलाने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अभी तक सरकारी बस उक्त मार्ग पर नहीं चलाई गई ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*४०---श्री तेजनारायण त्रिवेदी---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि निकट भविष्य में सरकार का विचार सीतापुर-हरदोई सड़क व सीतापुर से लहरपुर सड़क पर सरकारी बसों को चलाने का है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। शेष प्रश्न नहीं उठता।

रसड़ा मुन्सिफी में मुकदमें तथा राज्य में तलाक के मामले

*४१---श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रसड़ा की मुंसिफी हटा कर बलिया सदर में कब ली गयी और उस वर्ष रसड़ा मुंसिफी में कितने मुकदमें दाखिल हुए थे ?

श्री सैयद अली जहीर---नवम्बर, १९५० में। उस वर्ष नवम्बर तक रसड़ा मुन्सिफी में १३२ मुकदमें दाखिल हुए थे।

*४२---श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सन् १९५३ से लेकर सन् १९६१ तक प्रत्येक वर्ष में पृथक-पृथक बलिया, स्थित रसड़ा, मुन्सिफी में कितने मुकदमें दाखिल हुए ?

श्री सैयद अलीजहीर---मन्सिफी (वेस्ट) बलिया में, जो कि मुन्सिफी रसड़ा, के तोड़े जाने पर कायम की गई, भूतपूर्व रसड़ा मुन्सिफी के अधिकार क्षेत्र से दायर किये हुए मुकदमों की संख्या निम्नलिखित है:—

१९५३	४४१
१९५४	५७२
१९५५	९१७
१९५६	१०४०
१९५७	४९०
१९५८	४५०
१९५९	२५९
१९६०	२२३
१९६१	१९६

*४३---श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५९-६० और १९६०-६१ में पृथक-पृथक कितनी विवाहित स्त्रियों ने कानूनन अपने पतियों से सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक) किया है ?

श्री सैयद अली जहीर---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*४४-४५---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६---श्री बृजेश्वर सहाय---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४७---४८---श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---[४सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जजी में मुकदमों के फैसले

*४९---श्री बृजेश्वर सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ में सेशन जज, मैनपुरी ने सेशन केस कितने छोड़े हैं और कितने सजावार हुए हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१२२ केसेज छोड़े गये और २५ में सजायें हुयीं।

*५०---श्री बृजेश्वर सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ की अप्रैल तक कितने केस उक्त सेशन जज ने छोड़े और कितने केस सजावार हुए हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---२५ केसेज छोड़े गये और १२ में सजायें हुयीं।

*५१---श्री कोतवालसिंह भदौरिया---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२---श्री हिम्मतसिंह---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५४---श्री रियासत हुसैन---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५-५६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५९---श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---[२२ वें गुरुवार के लिए प्रश्न ८-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६०-६२---श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३-६५---श्री डूंगरसिंह---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६-६७---श्री विजयपालसिंह---[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट केसेज

*६८---श्री रक्षपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने मुकदमें विचाराधीन हैं उसमें मिसलेनियस रिटों की संख्या क्या है तथा इनमें ३ साल से अधिक पुरानी कितनी रिटें हैं ? क्या रिटों की यह संख्या पिछले दो तीन वर्षों से औसतन ज्यादा बढ़ी है ?

श्री सैयद अली जहीर—सूचना एकत्र की जा रही है।

*६९—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार को यह पता है कि अनेक प्रान्तीय कानूनों में वादों के निर्णय की अपील या निगरानी की व्यवस्था न होने के कारण रिटों की संख्या बढ़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित कानूनों को संशोधन कर उनमें अपील तथा निगरानी की व्यवस्था करेगी?

श्री सैयद अलीजहीर—(क) जी नहीं।

रिट पिटीशन की व्यवस्था संविधान में दी हुई है और क्योंकि यह शीघ्र और सस्ती होती है इसलिये वादी ज्यादातर इसकी ही मदद लेते हैं।

(ख) प्रत्येक प्रान्तीय कानूनों में अपील या निगरानी करने की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत नहीं होती है।

*७०-७२—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*७३-७४—श्री जगन्नाथ राव—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बादशाहबाग बायोलाजिकल प्रोडक्ट सेक्शन के कर्मचारी

*७५—श्री रणबहादुरसिंह—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में बादशाहबाग के बायोलाजिकल प्रोडेक्ट सेक्शन में कितने डाक्टर हैं और कितने कर्मचारी निम्न श्रेणी के हैं? क्या यह सही है कि उसमें काम करने वालों को प्रयोगशाला में रखने के कारण बीमारी हो जाती है?

श्री चरणसिंह—इसमें १८ पशु-चिकित्सक और ८९ निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं। यह सही नहीं है कि उसमें काम करने वालों को प्रयोगशाला में रखने के कारण बीमारी हो जाती है।

*७६-७७—श्री रणबहादुरसिंह—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*७८—श्री राम सिंह (जिला मैनपुरी)—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

बहराइच जिले में रोडवेज के प्रबन्ध की शिकायत

**७९—चौधरी अब्दुल हसीब खां—क्या सरकार को यह विदित है कि बहराइच जिले में यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज की बसें ठीक समय पर नहीं छूटतीं? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फरहसन—जी हां, क्योंकि वहां की अधिकतर सड़कें खराब हैं।

८०—चौधरी अब्दुल हसीब खां—क्या सरकार को यह भी विदित है कि जिला बहराइच में समस्त बस-स्टेशनों पर पानी पिलाने वाले आदमी का पूर्णतया प्रबन्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—नानपारा बस-स्टेशन को छोड़कर शेष सब जगह प्रबन्ध है।

खीरी उपनिवेशन योजना

*८१—**श्री रघुवीर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी उपनिवेश में कितने पुनर्वासित बसाये गये हैं, उनमें कितने अशिक्षित भूमिहीन तथा कितने शिक्षित बेरोजगार हैं ?

श्री चरणसिंह—खीरी उपनिवेश योजना के अन्तर्गत कुल ६८८ पुनर्वासित बसाये गये हैं जिनमें ६११ अशिक्षित भूमिहीन तथा ७७ शिक्षित बेरोजगार हैं।

*८२—**श्री रघुवीर**—[हटा दिया गया।]

गोंडा बीज भण्डार से मनकापुर बीज भण्डार धान ले जाना

*८३—**श्री विजयसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १६ मई, १९६२ ई० की रात में एक ट्रक धान का बीज गोंडा जिले के गोंडा बेसिक सीड स्टोर से मनकापुर बेसिक सीड स्टोर आया और लगभग २४ मई, १९६२ की रात में वह धान फिर गोंडा बेसिक सीड स्टोर गया ? यदि हां, तो यह बीज क्यों आया और फिर वापस गया तथा इस बीज के लाने और ले जाने में कितना धन अपव्यय हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री चरणसिंह—१६ मई, १९६२ को तो नहीं बल्कि १४ मई, १९६२ की रात को ट्रक द्वारा धान का बीज गोंडा बीज भंडार से मनकापुर बीज भंडार को उस क्षेत्र की आवश्यकता के लिये ले जाया गया। यह धान फिर वापस नहीं गया। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*८४—**श्री विजयसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २६ मई, १९६२ को एक सौ मन धान का बीज गोंडा जिला मनकापुर बेसिक सीड स्टोर पर खरीदा गया ? यदि हां, तो यह किस आदेश से और किस विभाग के लिये और कहां के वास्ते खरीदा गया था ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, दिनांक २६ मई, १९६२ को मनकापुर बेसिक सीड स्टोर पर कोई भी धान का बीज नहीं खरीदा गया। प्रश्न का दूसरा भाग उठता।

*८५—**श्री विजयसिंह**—जिन सज्जन से यह बीज खरीदा गया वह रजिस्टर्ड ग्रोवर हैं या नहीं और अगर नहीं तो क्यों उनसे खरीदारी हुई ? यदि यह बीज मनकापुर क्षेत्र से बाहर के लिये खरीदा गया तो कहां के वास्ते खरीदा गया तथा वहां के खंड विकास सहायक या रजिस्टर्ड ग्रोवर से न लेकर यहां से क्यों भेजा गया ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न ही नहीं उठता।

सहारनपुर–मुजफ्फरनगर मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग

*८६—**श्री रामसिंह** (सहारनपुर)—सहारनपुर से मुजफ्फरनगर रोड पर प्राइवेट बसें चलने के कारण जनता को काफी परेशानी होती है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त Route का राष्ट्रीयकरण करके उसके ऊपर रोडवेज की बसें चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है और न कोई राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव ही विभाग के विचाराधीन है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन विभाग में हरिजन कर्मचारी

*८७—**श्री रामसिंह** (मैनपुरी)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित पदों पर प्रदेश में कितने-कितने कार्यकर्त्ता कार्य करते हैं तथा इनमें से हरिजनों की संख्या क्या है :

(क) जनरल मैनेजर,
(ख) सहायक जनरल मैनेजर,
(ग) ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेंट,
(घ) असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेंट,
(ङ) स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट,
(च) स्टेशन इन्चार्ज,
(छ) बुकिंग क्लर्क,
(ज) कन्डक्टर ।

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३३४ पर)

*८८—**श्री शराफत हुसैन रिजवी**—[१३वें गुरुवार के लिए प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८९—**श्री शराफत हुसैन रिजवी**—[२८ अगस्त, १९६२ के लिए प्रश्न ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९०—**श्री शराफत हुसैन रिजवी**—[१३वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९१—**श्री रामसिंह** (मैनपुरी)—[४ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

*९२-९४—**श्री मुन्नूसिंह तथा श्री विजयसिंह**—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बांध नदी का पुल टूटने से बस_सर्विस में कठिनाई

*९५—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने को सोच रही है कि बरसात में बांध नदी का पुल न होने के कारण बस सर्विस बन्द करनी पड़ती है इस कठिनाई को दूर करने के हेतु एक गाड़ी इस वर्षाकाल में काली से बांध नदी तक उस पार रहे और एक गाड़ी बांदा से नदी के तट तक जाया करे ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

*९६-९७—**श्री शिवसम्पति शर्मा**—[४ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

गंडक नहर निर्माण-कार्य का कथित स्थगन

*९८—**श्री झारखंडे राय**—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के एक बड़े भू-भाग की "आशा सरिता" गण्डक नहर का निर्माण-कार्य कोयला के अभाव म स्थगित होने जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस संकट के निवारणार्थ क्या आवश्यक कदम उठा रही है ?

श्री राममूर्ति— जी नहीं ।

लखनऊ–हरदोई एवं बाराबंकी–फैजाबाद बस सर्विस के सम्बन्ध में जानकारी

*९९–श्री गंगाप्रसाद–क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ से हरदोई सड़क पर किस माह से परिवहन विभाग रोडवेज बस चलाने जा रही है ?

*१००–क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी से फैजाबाद रोड पर परिवहन विभाग किस माह से रोडवेज बस चलाने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन–निश्चित तौर से यह बताना सम्भव नहीं है।

*१०१–१०३–श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)–[४ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*१०४–श्री झारखंडे राय–[४ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

परिवहन विभाग कुमायूं क्षेत्र के ड्राइवरों व कन्डक्टरों की मांगें

*१०५–श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)–क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं रीजन के परिवहन विभाग के मोटर चालकों व कन्डक्टरों ने १९ जून, १९६२ से हड़ताल कर दी थी ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ? जिनके लिये उन्होंने हड़ताल की थी और उन हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन–जी हां। उनकी मांग केवल यह थी कि कर्मचारियों के तबादले के हुक्म को रद्द किया जाय। आम हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल उन हड़ताली कर्मचारियों में से जिन्होंने शान्ति भंग करने की कोशिश की या किसी प्रकार का अनुशासन तोड़ने की कोशिश की कुछ को पुलिस ने दफा १४४ के मातहत गिरफ्तार कर लिया और कुछ को मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ वैभागिक कार्यवाही की जायेगी।

*१०६–श्री भीखालाल–[४ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

जसराना तहसील में सेंगर नदी की बाढ़ से सुरक्षा के लिये प्रार्थना

*१०७–श्री बलवीरसिंह तथा श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)–क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नदी सेंगर, तहसील, जसराना, जिला मैनपुरी में ग्राम कोंडर के पास बारिस में पचासों गांवों को पानी से बरबाद कर देती है ? इससे बचने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या और वह योजना कब तक कार्यान्वित होगी।

श्री राममूर्ति–अभी कोई योजना नहीं बनी है।

कानपुर में गंगा का कटाव

*१०८–श्री भीखालाल–क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका ध्यान उन्नाव व कानपुर के बीच गंगा नदी के कटाव व बदलती हुई धारा की ओर गया है जिसके कारण कानपुर वाटर वर्क्स व केसा कम्पनी के काम में बाधा पड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार उस कटाव को रोकने के लिये क्या योजना बना रही है ?

श्री राममूर्ति–जी हां, इस समस्या को केसा (KESA) तथा नगरमहापालिका, कानपुर में ड्रेजर्स (Dredgers) की सहायता से संभाल लिया है। स्थायी समाधान के लिये रिसर्च इन्स्टीटयूट, रुड़की में मोडिल एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है। इन्स्टीटयूट के सुझावों के बाद जैसा उचित होगा किया जायेगा।

बस्ती–नौगढ़ बस सर्विस

*१०९—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सीमा के अन्तर्गत से नैपाल राज्य में किन-किन मार्गों पर कितनी बसें अथवा ट्रकें चल रही हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—बस्ती-नौगढ़ मार्ग पर केवल यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज की १५ अप तथा १५ डाउन बस सर्विसेज चलती हैं।

*११०—श्री परमाई—[४ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले के सहकारी नलकूप

*१११—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ के इंजन द्वारा चालित सहकारी नल कूपों को अपने अधीन लेकर उनको बिजली द्वारा चालित करने का विचार कर रही है? अगर हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

पैनल लायर की नियुक्ति का कथित विज्ञापन

*११२—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९६२ में पैनल लायर की नियुक्ति के लिये जो विज्ञापन निकाला गया है वह कितने समाचार-पत्रों को कब दिया गया और अभ्यर्थियों से प्रार्थना-पत्र मांगने की अन्तिम तिथि क्या निर्धारित की गई थी?

श्री सैयद अली जहीर—पैनल लायर की नियुक्ति के लिये जून, १९६२ में अभ्यर्थियों से प्रार्थना-पत्र मांगने के लिए कोई विज्ञापन सरकार द्वारा नहीं निकाला गया है।

*११३—श्री अवधेकुमार सिनहा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त पैनल में नियुक्ति के लिये कितने आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता है।

*११४—श्री अवधेशकुमार सिनहा—क्या यह सही है कि कुछ वकीलों ने इस बात की शिकायत की है कि उसकी विधिवत सूचना नहीं दी गई है? यदि हां, तो इस प्रकार की कुल कितनी शिकायतें सरकार को मिली हैं?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता है।

*११५—श्री भीखालाल—[हटा दिया गया।]

*११६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[९वें मंगलवार के लिए प्रश्न ७८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

तराई राजकीय फार्म का हस्तान्तरण तथा खाद्य पदार्थ उत्पादन योजना

*११७—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई राजकीय फार्म को रुद्रपुर कृषि विश्वविद्यालय को कानूनी तौर पर हस्तान्तरित कर दिया गया? यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर?

श्री चरणसिंह--जी हां। तराई राजकीय फार्म २० सितम्बर, १९६१ को एक अनुदान बिलेख निष्पादित करके उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कर दिया गया। निष्पादित विलेख की एक प्रति† संलग्न है।

*११८—**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है कि राज्य में अनाज के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ बड़े पैमाने पर तैयार किये जायं? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री चरणसिंह—तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत अनाज के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की उपज बढ़ाने के लिए "सहायक खाद्यान्नों की योजना" चालू की गई है। उसका विवरण अनुबन्धन "क" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३३५ पर)

*११९—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष राज्य में कुछ सरकारी डेयरी फार्म खुलने वाले हैं? यदि हां, तो क्या उसका विवरण सदन को देने की कृपा करेंगे?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष राज्य में सरकारी डेयरी फार्म खोलने की कोई योजना नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग उठता नहीं।

*१२०-१२१—**श्री गयाप्रसाद**--[२८ अगस्त, १९६२ के लिये प्रश्न ८०-८१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

विधायकों की राजनीतिक पेंशन बन्द करने का आदेश

*१२२—**श्री केशरीप्रसाद पांडेय** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने और कौन-कौन से ऐसे विधान मंडल के सदस्य हैं जिनको राजनैतिक पीड़ित होने के नाते पेंशन मिलती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ७ जून, १९६२ को समस्त जिलाधीशों को इस आशय के आदेश जारी किये जा चुके हैं कि जो व्यक्ति राजनैतिक पीड़ित पेंशनें पा रहे हैं और अब विधान मंडल या संसद सदस्य चुन लिये गये हैं उनकी पेंशनें तत्काल बन्द कर दी जायं।

*१२३-१२४—**श्रीमती रामरती** (जिला फैजाबाद)--[९ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ८२-८३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

कानपुर आर० टी० ए० से संबंधित व्यक्तियों को बस परमिट

*१२५--**श्री मैनेजर सिंह**—क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आर० टी० ए० में सदस्य मनोनीत करते समय मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों के संबंध में यू० पी० मोटर विहिकिल ऐक्ट की धाराओं को दृष्टि में रखते हुये कोई जांच की जाती है? यदि हां, तो क्या कानपुर आर० टी० ए० में मनोनीत सदस्यों के संबंध में की गई जाँच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा होगी?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई फार्मल इनक्वाइरी (Formal enquiry) नहीं की जाती। शेष प्रश्न नहीं उठता।

---

†प्रति छापी नहीं गयी।

*१२६—श्री मैनेजर सिंह—क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर आर० टी० ए० के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत मऊ-गरौठा रोड पर एक बस परमिट श्री महेशचन्द्र गोस्वामी के नाम से स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि श्री महेशचन्द्र गोस्वामी का सम्बन्ध कानपुर आर० टी० ए० के किसी सदस्य से है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हाँ ।

*१२७—श्री मैनेजरसिंह—क्या परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री कौशल किशोर गोस्वामी के नाम झांसी माताटीला रोड का बस परमिट है ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि इसके संबंधी आर० टी० ए० कानपुर के सदस्य हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हाँ ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

मुन्सिफी बांसी में विचाराधीन मुकदमे

२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अदालत मुंसिफी बाँसी, जिला बस्ती में इस वक्त कितने मुकदमें पेंडिंग हैं तथा उपरोक्त मुकदमों में कितने जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट सन् १९५१ के अन्तर्गत हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—४४८ रेगुलर मुकदमे पेंडिंग हैं । डिस्ट्रिक्ट जज के कहने के अनुसार इनमें जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट सन् १९६१ के अन्तर्गत कोई मुकदमा नहीं है ।

३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—क्या तहसील बाँसी, जिला बस्ती में सरकार जुडीशियल आफिसर की अदालत मुकाम बाँसी में कायम करने के बारे में कुछ सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मुंसिफी बाँसी को Criminal Powers देने के बारे में विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हाँ । यह प्रश्न विचाराधीन है ।

दूसरी बात तभी उठेगी जब प्रश्न के पहले भाग पर निर्णय हो जायेगा ।

४—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

५—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—[१० वें बुधवार के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

६—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

बलिया जिले में नलकूप

७—श्री मैनेजरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप किन स्थानों पर लगे हैं ?

श्री राममूर्ति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में ३७ नलकूप बनाये गये हैं । जिन गाँवों में यह नलकूप लगे हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ३३६ पर)

८—श्री मैनेजरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में कितने नलकूप ऐसे हैं जिन पर गूल का निर्माण नहीं हुआ है ?

श्री राममूर्ति—एक नलकूप । इस पर भी गूल निर्माण का कार्य अब आरम्भ हो गया है ।

९—श्री मैनेजर सिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा श्री कान्तपुर, जिला बलिया में नलकूप लगाने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कब तक नलकूप लगाये जाने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—यहाँ पर नलकूप लगाना उचित होगा अथवा नहीं इसकी जाँच करने के लिये सर्वेक्षण प्रगति पर है । अतएव इस समय यह कह सकना संभव नहीं कि नलकूप कब तक बन जायगा ।

१०—श्री मैनेजरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने नलकूप बलिया जिले में लगने वाले हैं और कितने कहाँ-कहाँ लगे हैं ?

श्री राममूर्ति—कुल १९ नलकूप लगाये जाने थे जिनमें से पाँच नलकूप निम्नलिखित स्थानों पर बने :—

१—अलीमपुर
२—विन्दहा
३—कसौरी कलाँ
४—जगदीशपुर तथा
५—पकरी कौल

गोरखपुर जिले में नारायणी का कटाव

११—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में जंगल के किनारे के कुछ ऐसे गाँव हैं जो नारायणी (बड़ी गन्डक) के धारा बदलने की वजह से एक दम बरबाद हो गये और इस साल भी नैपाल बाँध न बनने के कारण उनके बह जाने की पूर्ण आशंका है क्या उन गाँवों के लोगों को बचाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ , पिछले वर्ष कुछ गाँव बाढ़ में जलमग्न हो गये थे उनके निवासी ऊंचे स्थानों पर बसा दिये गये थे । इस वर्ष भी जिन गाँवों के जलमग्न होने की संभावना है वहाँ के निवासियों को ऊंची जगह पर बसाने के लिये व्यवस्था विचाराधीन है ।

१२-१४—श्री हिम्मतसिंह—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

१५-१७—श्री अवधेशकुमार सिनहा—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

१८—श्री कल्पनार्थसिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

कृषि एवं प्रसार परीक्षा फल न घोषित करना

१९—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष कृषि तथा प्रसार डिप्लोमा कोर्स परीक्षा, १९६२ का परीक्षा फ ा समाचार-पत्रों में प्रकाशित क्यों नहीं कराया गया तथा मान्यता प्राप्त तत्संबंधित कृषि स्कूलों को सम्पूर्ण परीक्षा फल क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री चरणसिंह—कृषि एवं प्रसार परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार "जाब ट्रेनिंग" किये हुये विद्यार्थियों की सूचना के अभाव में परीक्षाफल समाचार-पत्रों में नहीं प्रकाशित किया गया। प्रत्येक संबंधित विद्यालय को सम्पूर्ण परीक्षाफल पूर्ण (फाइनल) न होने के कारण नहीं भेजा गया ।

२०–२३—श्री मैनेजरसिंह—[९ वें मंगलवार के लिये प्रश्न १–५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

बढ़ाना–खतौली बस सर्विस

२४—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार को पता है कि बढ़ाना कस्बा, जिला मुजफ्फरनगर से खतौली जाने वाली सड़क पर कुल एक ही रोडवेज की बस चलती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार और बसें चलाने का कष्ट करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—तीन बस सर्विस चल रही हैं। बढ़ाने की अभी जरूरत नहीं मालूम होती है ।

२५–२७—श्री चन्द्रबली—[४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

२८–२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[९ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ५–६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

टनई नदी योजना

३०—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—क्या सरकार को यह पता है कि उन्नाव जिले के सिकन्दरपुर परगने में नहर के खारजे का पानी गंगा नदी में न मिलकर ऐसे ही छोड़ देने के कारण सिकन्दरपुर के पास बरकोता झील बन गई है ? जिसके कारण वहाँ की अत्यन्त उपजाऊ भूमि में पानी भरे रहने से सैकड़ों बीघे जमीन बेकार हो गई है और वहाँ के किसानों का जीवन संकट में है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं । बरकौता झील एक पुरानी झील है । पानी भरने का कारण टनई नदी के द्वारा झील में वर्षा का पानी जमा होना है ।

३१—श्री गोपीनाथ दीक्षित—इस पानी के निकास के लिये क्या सरकार गंगा नदी तक नाला बनाने का विचार कर रही है अथवा क्या कोई अन्य योजना विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ । टनई नदी के ढाल को ठीक और चौड़ा करने के लिये एक योजना का सर्वेक्षण हो रहा है ।

जसवन्तनगर ब्लाक में सिंचाई साधनों का अभा व

३२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार इटावा जिले के जसवन्तनगर ब्लाक के अन्तर्गत सरसों एवं सेंगर नदी के बीच में जहाँ बम्बा की सिंचाई का कोई साधन नहीं है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाकर सिंचाई के साधन उपलब्ध करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ ।

३३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है और उसके पश्चात् ही नलकूपों का निर्माण निर्धारित किया जा सकेगा ।

बैरिया बांध के दक्षिण गांवों को ऊंची करना

३४—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या सरकार बलिया बैरिया बाँध के दक्षिण गंगा तट की ओर बसे हुये सैकड़ों गाँवों को बाढ़ से बचाने के लिये उन गाँवों को ऊंचा करने की योजना चलावेगी ?

श्री राममूर्ति—इनमें से कुछ गाँवों को ऊंचा करने की योजना प्रस्तावित है ।

प्रश्नों के समय से उत्तर न मिलने की शिकायत

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कुछ समय से ऐसा हो गया है कि प्रश्नों के उत्तर हम सब लोगों को नहीं मिलते हैं। हाउस में जब हम लोग उपस्थित होते हैं तब सम्बन्धित क्लर्क से हम लोग मांग करते हैं, मिल जाते हैं। एक जानकारी हमको हुई है कि सरकारी कार्यालयों से आपके यहां उत्तर देर में आते हैं सवेरे और रात तक आते रहते हैं, इसका नतीजा यह होता है कि आपका कार्यालय हम लोगों को प्रश्नों के उत्तर नहीं पहुंचा पाता। इसके सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया जा चुका है, सरकार को भी आगाह किया गया है, लेकिन वही पुराना ढ़ंग बदस्तूर जारी है। इसके सम्बन्ध में काई ठोस कदम उठाया जाय, जिससे ठीक समय पर हम लोगों को उत्तर मिल सके।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—श्रीमन्, आपने देखा होगा कि आज सिंचाई विभाग के १९० सवाल हैं। सवाल जब मेरे पास आते हैं तो मैं इस बात की कोशिश करता हूं कि ज्यादा डिटेल में उनके जवाब आयें ताकि माननीय मेम्बरान को ज्यादा तफसील में मैं उत्तर दे सकूं। नतीजा यह होता है कि कल रात और आज सुबह तक उत्तर की डिटेल्स आती रहीं। अगर सवाल की पूरी डिटेल्स न आयेंगी तो—सप्लीमेंटरीज के ठीक उत्तर हम नहीं दे पायेंगे। मेम्बरान की सहूलियत के लिये ही ज्यादा से ज्यादा मालूमात करने की कोशश की जाती है। सवालों के जितने जवाब आते हैं अगर उतने ही दे दिये जायं तो माननीय सदस्यों का उनसे सन्तोष नहीं हो सकता, उनको जवाब समय से जरूर मिल जायगा।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, हम लोगों के पास उत्तर पहुंचता ही नहीं। मैंने इसको लिखित रूप में भी दे दिया है। न तो यहां मिलता है और न हम लोगों के पास भेजा जाता है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—श्रीमन्, सदन में जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह तो आपके कमरे में पूछे जाने चाहिये। इन बातों में सदन का समय नष्ट न किया जाना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, इस बारे में आप कोई निश्चित व्यवस्था दें कि जो प्रश्न यहां आते हैं और आदरणीय सदन के कार्यालय से गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं उनका उत्तर यदि समय पर नहीं आता है तो उस पर जो सैकड़ों रुपया व्यय होता है, वह बेकार चला जाता है यह मोटी-सी बात है, समय भी व्यर्थ चला जाता है, हम सवाल नहीं पूछ सकते और वे फिर बाद में रद्दी की टोकरी में फेंक दिये जाते हैं। आपको इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से व्यवस्था देनी चाहिये कि सदन के सामने कितने सवाल आयें, यह नहीं कि ३-३ सौ सवाल हो जायं और पूछे आधे भी न जा सकें।

श्री अध्यक्ष—इस विषय में निश्चित व्यवस्था इस सम्बन्ध में यह है कि अगर यहां सदन में विशेष परिस्थितियों में एक आध प्रश्न मुझसे हो जांय तो मुझे उनके उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ज्यादातर जितनी भी इस प्रकार की समस्यायें हों, उनका अधिक सुचारुरूप से मेरे कक्ष में, मेरे साथ बातचीत करके समाधान किया जा सकता है।

अब इन प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं बता दूं, कि दिन प्रति दिन दो सौ, ढ़ाई सौ प्रश्न किये जाते हैं और उनको हमारे यहां अलग-अलग रजिस्टर में लिखने में और सरकार के पास भेजने में कुछ विलम्ब होता है। यद्यपि मैंने आदेश दे दिये हैं और कह दिया था कि २० अगस्त तक जितने भी प्रश्न आये हों वे सब सरकार के पास चले जायं। लेकिन जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनके विभाग से सम्बन्धित आज १९० प्रश्न आये थे और उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने में कुछ समय लगता है। उनके उपमन्त्री भी मेरे पास आये थे, उन्होंने मुझ से बताया कि रात और सवेरे साढ़े तीन बजे तक आफिस में काम होता रहा फिर भी ६०–७० प्रश्नों का उत्तर ठीक तरह से नहीं लिखा जा सका। तो उनकी भी एक कठिनाई है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को असुविधा होती है। अतः इस सम्बन्ध में हम लोग बैठ जायं और आपस में बातचीत कर लें तो अच्छा होगा। इसके लिये सब दलों के नेतागण तथा संसदीय मन्त्री भी आ जायं तो हम विचार कर सकते हैं और उसका कुछ हल निकल सकता है जिससे माननीय सदस्यों को कुछ शिकायत न हो और सरकार को भी सूचना प्राप्ति का समय पर्याप्त हो जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—श्रीमन्, मुझे जन्माष्टमी की छुट्टी के बारे में कुछ निवेदन करना है। एक दिन की ही छुट्टी है जब कि अधिकतर दो दिन जन्माष्टमी मनायी जाती है। तो उसपर भी कुछ विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, उस पर विचार कर लेंगे।

श्री शिवनार्थासिह (जिला कानपुर)—एक गांव बेहटा जो घाटमपुर तहसील के अन्दर है, वहां की एक बहुत ही जरूरी बात है.....

श्री अध्यक्ष—यह कोई जरूरी नहीं है, नियम के अनुरूप जो काम होना चाहिये वह अब होगा।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मुझे सवालों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है।

श्री अध्यक्ष—जानकारी आप बाद में प्राप्त कर लेंगे, अभी आप बैठें।

श्री नवरंगसिंह—अध्यक्ष महोदय, आज से पहले भी एक रोज ऐसी घटना हो चुकी है जब कि मेरे प्रश्न संख्या १४६ का जवाब नहीं मिला था.....

श्री अध्यक्ष—उस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी है। इस समय इस विषय का यहां कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नवरंगसिंह—सम्बन्ध इस तरह से है कि गलत जवाब दे दिया जाता है.....

श्री अध्यक्ष—अगर गलत जवाब दिया जाता है तो आप लिख कर दीजिये, उस पर नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास विशेषाधिकार की कई सूचनायें आयी हैं। एक माननीय वीर-सेन जी की है, एक सभी विरोधी दल के नेताओं के हस्ताक्षर से सब की तरफ से है, एक माननीय रघुनार्थासिह की है, एक माननीय शिवनाथ जी की है, और एक माननीय उग्रसेन जी की है। एक पत्र माननीय झारखंडेराय जी ने भी दिया है। ये सब जितनी सूचनायें हैं वे सब कल जो घटना हुई, उससे सम्बन्धित हैं। मैं इन सब को देख नहीं पाया हूं, तो इन सब को देख कर मैं परसों इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है कि विरोधी दल के सभी नेताओं ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना आपको दी है कि कल जो घटना हुई अवैधानिक तरीके से पुलिस द्वारा जो माननीय सदस्यों को घसीट घसीट कर निकाला गया उसके सम्बन्ध में यदि आप उचित समझें तो हम लोगों की बातें आज ही सुन लें ताकि उस पर कुछ प्रकाश पड़ सके। मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी और माननीय राय जी इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, आपने मेरे नाम की जो बात कही कि वह कोई खत है, तो उसे उस रूप में न लिया जाय, जिस रूप में कि सब लोगों ने दिया है, क्योंकि मेरा हस्ताक्षर उसके ऊपर है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ और कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में बहुत से प्रश्न हैं जिनमें से एक को मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है और उसको मैं पढ़ देता हूं। माननीय भीखालाल जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही दिया है, लेकिन मैं उसे नियम ५२ के अन्तर्गत ले रहा हूं।

"दिनांक १४ अगस्त, सन १९६२ ई० को ग्राम घौरा, थाना जाखलौन, जिला झांसी में पी० ए० सी० के सिपाहियों ने एक व्यक्ति के गोली मार दी जिसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और कई व्यक्तियों को संगीनों से घायल किया।

घटना इस प्रकार है कि उक्त दिनांक को पी० ए० सी० के दो सिपाही घौरा (ललितपुर) ग्राम में श्री शमशुद्दीन की चक्की पर आटा पिसवाने गये थे। सिपाहियों ने भीड़ में खड़ी एक महिला से छेड़छाड़ की। शमशुद्दीन ने इस पर हस्तक्षेप किया। इस प्रश्न को लेकर परस्पर संघर्ष बढ़ गया। इसपर सिपाही क्रुध होकर अपने कैम्प गये और अपने अन्य तीन साथियों को साथ लेकर राइफलों से लैस होकर घटनास्थल पर आ गये। इन में से दो सिपाहियों ने शमशुद्दीन पर गोली चलाई। एक गोली उनके दाहिने हाथ पर लगी और दूसरी गर्दन में लगी। जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। शमशुद्दीन के भाई रमजान खां को सिपाहियों ने संगीनों से जख्मी किया और नजीर को कुन्दों से पीटा।

उक्त घटना से ललितपुर क्षेत्र और समस्त झांसी जिले में काफी आतंक व क्षोभ का वातावरण छाया हुआ है।"

इसी सम्बन्ध में माननीय दीपनारायणसिंह और माननीय लखपतराम शर्मा के और कुछ और भी लोगों के प्रस्ताव आये हैं वे सब मैंने मन्त्री महोदय के पास भेज दिये हैं, मन्त्री जी बता दें कि वह कब वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---तीन चार रोज में दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---तो सोमवार को आप देदें। अब माननीय सन्तसिंह जी यहां नहीं हैं, एक उनका भी प्रस्ताव है जो बोनस के सम्बन्ध में है, उसपर भी मैं वक्तव्य मांग लूंगा। वह यह है कि जो कानपुर में विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड तथा म्योर मिल को छोड़ कर बाकी सभी मिलों में सन १९६०-६१ वर्ष का बोनस बट चुका है। इन दोनों मिलों में बहुत दिनो से बोनस के सवाल पर विवाद चल रहा है। जे० के० मैन्युफैक्चरिंग में भी बोनस के सवाल पर औद्योगिक विवाद है। इसको मन्त्री जी के पास वक्तव्य के लिये भेज दूंगा और तारीख इसकी मैं फिर बता दूंगा।

अब माननीय परिवहन मंत्री जी....

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आपने अभी कहा था कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विभिन्न दलों के नेताओं को सुना जायगा, तो उनको आप पहले सुन लें, उनको सुनने के बाद आप को मौका मिलेगा क्योंकि अभी तो यह घटना कल की हो है, तत्काल की है आप सुन लें कि किस तरह से ५ आदमियों को मार कर सदन से निकाला गया और सदन के बाहर सड़क पर फेंका गया, जब कि उनको नाम लेकर इंगित भी नहीं किया गया और प्रस्ताव नहीं पास किया गया था उनको मारा गया आप स्वयं उनकी उंगलियां देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर, आप बैठें। इसमें यह है कि जब प्रिविलेज मोशन आयेगा तो अध्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तियों से बातचीत कर लेंगे और देखेंगे कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं, इसी दृष्टि से मैंने आप से निवेदन किया था कि आप और विभिन्न नेतागण जिन्होंने हस्ताक्षर किये हैं वह मुझ से मिल लें और बातचीत कर लें और परसों इस सम्बन्ध में सब तय हो जायगा।

अब परिवहन मंत्री अपना उत्तर देंगे।.....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, पहले मेरी बात सुन लें, वह तो टैक्स का बिल पेश करेंगे वह पास हो जायगा। लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि आपने कहा कि ऐसा कर लेंगे कि बात-चीत हो जाय। परन्तु हम सब आपके विश्राम कक्ष में पहुंचे और उपनेता सदन और दूसरे मेम्बर भी मौजूद थे और वहां इस बारे में बातचीत भी हुई, वहां भी मुख्य प्रश्न यही था कि जिन को इंगित नहीं किया गया था श्री राधेश्याम शर्मा, श्री नत्थाराम और शिवनाथसिंह जो वे उनको पुलिस ने मार कर सड़क के बाहर क्यों फेंका? इस प्रश्न पर अब क्या बात होगी?

श्री अध्यक्ष—कल कोई मेरे पास सूचना नहीं भेजी गई थी विशेषाधिकार की।

श्री उग्रसेन—मगर आपने मुझे ही कहा था, हमारे कमरे में आकर बातचीत कर लें। आपने सदन को इससे आश्वस्त किया था.....

श्री अध्यक्ष—वही मैं कह रहा हूं सदन में बातचीत नहीं होगी, मेरे कमरे में होगी और जो उचित होगा किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह मामला इतना गम्भीर है और इस का इतना व्यापक प्रभाव या कुप्रभाव पड़ा है, मैं समझता हूं आपके कमरे में बातचीत का कोई असर उस पर, यह जरूर हो जायगा कि आप इस प्रश्न को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, लेकिन जो कल की घटना हुई है उसकी चर्चा इतनी हुई है देश में कि देश उस बारे में कुछ और जानकारी चाहता है। इसलिये आप इस समय और अगर इस समय नहीं तो किसी और समय इस हाउस में उसपर बातचीत, विचार-विनिमय जरूर होने दें। फिर उसके बाद आप जो निर्णय देना चाहें दें।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है तो मैं इसको परसों के लिये रख रहा हूं।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, हमारा एक लोक महत्व का प्रश्न था कल हमारे ऊपर इतनी ज्यादती की गई। ऐसी स्थिति में यह बड़ा आवश्यक है....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

(श्री शिवनाथसिंह के बोलते रहने पर)

अगर आप नहीं बैठते तो मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़ दीजिये।

श्री शिवनाथसिंह—श्रीमन्, बड़ा आवश्यक है, अधिक महत्व का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हू। माननीय शिवनाथसिंह जी नहीं बैठ रहे हैं जबकि मैं उनको आदेश दे रहा हूं कि बैठ जायं इसलिये मैं उनको इंगित करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शिवनाथसिंह को एक सप्ताह के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि माननीय शिव नाथ सिंह को एक सप्ताह के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१६८,

विपक्ष में-- २१।)

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य शिवनाथसिंह सदन को छोड़ें। मार्शल शिवनाथसिंह जी को सदन के बाहर ले जायं हाथ पकड़ कर।

(श्री शिवनाथसिंह का हाथ मार्शल द्वारा पकड़ने पर वह सदन के बाहर नहीं गये।)

श्री अध्यक्ष--विभिन्न दलों के नेताओं से मेरा निवेदन है जो बात तय हुई है, उसके अनुरूप वह इस सम्बन्ध में मदद दें।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, शिवनाथसिंह ने यही तो कहा कि कर भार वाले प्रस्ताव के वक्त हमें कल निकाल दिया गया। उसमें हम होते ....

श्री अध्यक्ष--आर्डर, आर्डर, आप बैठें। जो प्रस्ताव यहां पर स्वीकृत हो चुका है उसका पालन किया जाय। मैं कल की घटना दोबारा यहां नहीं करना चाहता। नेता वर्ग से मैं कहूंगा.....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--नेतागण बैठ कर एक जगह सलाह मश्विरा कर लें। इसके लिये उन्हें मौका दे दिया जाय।

श्री गेंदासिंह--१० मिनट का अवसर हमें दिया जाय।

लघु उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री वीरसेन)--व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य सदन से निलम्बित किये गये हैं पहले उस प्रस्ताव को एक्जिक्यूट करना चाहिये न कि किसी सदस्य का भाषण होना चाहिये। यही पार्लियामेंटरी पद्धति है।

श्री उग्रसेन--माननीय शिवनाथसिंह ने यही तो कहा है...

श्री अध्यक्ष--आर्डर, आर्डर.....

श्री गेंदासिंह--मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। हमें १० मिनट का अवसर दिलायें ताकि उनको समझा कर आपकी आज्ञा पालन करा सकें। आप उचित समझें तो ठीक है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं सदैव अपने सम्मानित मित्र गेंदासिंह की सलाह को मान लेता हूं और इस अवसर पर भी मैं कोई आपत्ति नहीं करना चाहता परन्तु यदि यह कार्य रोज होने वाला है और रोज इसी तरह की कार्यवाही इस सदन में होने को है तो मैं अवश्य निवेदन करूंगा और माननीय नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस तरह से सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती। इसलिये यदि आज १० मिनट का समय माननीय गेंदासिंह तथा अन्य नेतागण चाहते हैं तो आप अवश्य दे दें, लेकिन इस तरह की कार्यवाही के लिये मैं आपसे नम्रता से निवेदन करूंगा कि और नेताओं से निवेदन करूंगा कि यह आखिरी दिन होगा इस तरह वक्त देने का और इस तरह से अवसर देने का।

श्री अध्यक्ष—अब १० मिनट के लिये सदन उठता है और १० मिनट में मैं आशा करता हूं कि मित्रवर शिवनाथसिंह जी को बाहर निकाल सकेंगे ।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। श्री शिवनाथसिंह उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

श्री अध्यक्ष—मैं विभिन्न दलों के माननीय नेताओं का आभारी हूं कि उन्होंने इस सदन की मर्यादा का संरक्षण किया । स्थगन के बीच जो कार्यवाही हुई हो वह न प्रेस में आयेगी और न प्रोसीडिंग्स में ही रहेगी ।

‡उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, परिवहन बिल को जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने की तजवीज हमारे पांडेय जी ने पेश की, उस सिलसिले में उनकी दलीलों को मैंने सुना । ज्यादातर वह पंचवर्षीय योजनाओं को क्रिटिसाइज करते रहे । तो मैं नहीं समझ सकता कि सेलेक्ट कमेटी में बैठ के वहां क्या रास्ता निकल सकता है । सेलेक्ट कमेटी में तो जो बिल यहां पेश है, उसी के बारे में बातें आ सकती हैं। लेकिन यहां तो कहा जाता है कि रुपया हासिल करने के लिये चीनी मिलें नेशनलाइज की जायं । और कई तरह की बातें कही जाती हैं। सेलेक्ट कमेटी में इन तमाम का क्या स्थान हो सकता है । मैं समझता हूं कि जो संशोधन आये हैं और जो इसके ऊपर तकरीरें की गयी हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सेलेक्ट कमेटी में कोई रास्ता निकल सके । इसलिये मैं सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजने की मुखालिफत करता हूं ।

बिल के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गयी हैं, जिनमें से मैं दो , तीन बातों का जिक्र करूंगा एक तो हमारे आजमगढ़ के भाई ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि इस बिल में शहरी और जिले के एरिया में एक फर्क किया गया है । ऐसी बात नहीं है । देहातों से जो दूर से गाड़ियां गुजरती हैं, उनमें शहर के भी आदमी होते हैं और देहात के भी होते हैं । शहर में भी जो गाड़ी चलती है उसमें खाली शहरी लोग ही नहीं होते । असल बात उसमें यह थी कि ५ फीसदी इतना कम टैक्स लगाया गया है कि उसका हिसाब करने में दुश्वारी होती है क्योंकि शहरों में रेट कहीं ५ पैसे होता है कहीं १० पैसे होता है । लेकिन अगर माननीय सदस्य इसको एक फर्क समझते हैं तो मुझे कोई उज्र नहीं है, अगर कोई ऐसी तरमीम आये कि शहर को जो मुस्तसना किया गया है वह खत्म किया जाय तो मैं उसको मन्जूर करने को तैयार हूं ।

दूसरी बात चन्द्रजीत जी ने कही कि गवर्नमेन्ट में हिम्मत नहीं है कि वह सीधे बिल ला सके और ५ फीसदी की बात करके १५ फीसदी का अख्तियार अपने हाथ में ले रही है । मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट काफी मजबूत है और काफी उसके अन्दर हिम्मत है कि वह जनता और देश के फायदे के लिये जो काम मुनासिब समझे वह मजबूती और सख्ती से कर सके । हमने जो १५ फीसदी की तजवीज पेश की है वह सामने है । हम इसका असर देख करके उसको बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अभी सख्ती बाकी है क्या ? (व्यवधान) ।

श्री मुजफ्फर हसन—तीसरी बात जो कही गयी वह यह थी कि उसको ला कोर्ट में जाने से रोका गया है। ऐसी कोई बात नहीं है । हम तो खुद जिस तरह से और भी टैक्सेशन

---

‡२० अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।
*२० अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से ।

[श्री मुजफ्फर हसन]

के सिलसिले में उन जगहों पर इंतजाम है जैसे सेल्स टैक्स में है, इसके लिये अलग से कोर्ट कायम करने की तजवीज रख रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इसको लिटिगेशन में डाल दिया जाय और इसका मतलब ही फौत हो जाय। दो तीन प्वाइंट्स ऐसे थे, जिनके बारे में मैंने जरूरी समझा कि कुछ अर्ज कर दूं और मैं इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने की मुखालफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले मैं श्री केशरीप्रसाद द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सदन के समक्ष रखता हूं। संशोधन यह है कि "यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट, एक सप्ताह के भीतर दे दे और उसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन कर सके।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७४,

विपक्ष में—१४६।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "व्यवसाय" का तात्पर्य यात्री-गाड़ी द्वारा यात्रियों को ले जाने के व्यवसाय से है;

उ०प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(ख) "नगर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ में यथापरिभाषित नगर से है,

(ग) "वाहन-समूह-स्वामी" का तात्पर्य ऐसे परिचालक से है जिसके पास एक सौ या उससे अधिक यात्री-गाड़ियों को चलाने के लिये अनुज्ञा-पत्र हो या जो इतनी यात्री गाड़ियां चलाता हो;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(घ) "नगरपालिका" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथापरिभाषित म्युनिसिपैलिटी से है;

(ङ) "परिचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम यात्री-गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र में उस गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र-धारी के रूप में दर्ज हो और जब कोई ऐसा अनुज्ञा-पत्र न हो तो यात्री-गाड़ी के स्वामी से है, और

(१) धारा १५ और १८ में, कोई ऐसा व्यक्ति जो तत्समय यात्री-गाड़ी का प्रभारी हो; तथा

(२) किसी राज्य परिवहन प्रतिष्ठान की यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रभारी अधिकारी के रूप में घोषित कोई व्यक्ति (और विभिन्न व्यक्तियों को इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये प्रभारी अधिकारी घोषित किया जा सकता है)

भी इसके अन्तर्गत है:

(च) "यात्री" का तात्पर्य यात्री-गाड़ी में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है किन्तु इसके अन्तर्गत उस यात्री-गाड़ी का परिचालक या ड्राइवर या कन्डक्टर

या ऐसा कर्मचारी नहीं है जो उस यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये यात्रा कर रहा है;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ज) "यात्री-गाड़ी" का तात्पर्य (ड्राइवर के अतिरिक्त) छः से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली या ले जाने के लिये प्रयुक्त की जाने वाली ऐसी मोटर गाड़ी से है, जो पूरी यात्रा या उसके प्रक्रमों के लिये प्रत्येक यात्री द्वारा या उसकी ओर से दिया गया अलग किराया या पारितोषिक लेकर यात्रियों को ले जाती है, और जब कोई बस ठेका-गाड़ी के रूप में प्रयोग में लायी जाय तो वह भी इसके अन्तर्गत होगी, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी बस नहीं है जो केवल नगरपालिका या नगर के भीतर अथवा नगरपालिका या नगर को जाने वाले ऐसे मार्गों पर और ऐसे आसन्न क्षेत्रों में चलती हो, जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे ;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ञ) "कर" का तात्पर्य धारा ३ में उल्लिखित कर से है;

(ट) "कर अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए कर-प्रधिकारी नियुक्त करे और राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य या उसके किन्हीं भी क्षेत्रों के लिए एक से अधिक अधिकारियों को कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकती है; और

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(ठ) शब्द और पद "ठेका-गाड़ी", "किराया", "मोटर गाड़ी", "बस", "अनुज्ञा-पत्र" और "राज्य परिवहन प्रतिष्ठान" के वही अर्थ होंगे जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में "contract carriage", "fare," "motor vehicle," "omni bus", "permit", और "State Transport undertaking", के दिये गये हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं खंड २ में निम्न संशोधन उपस्थित कर रहा हूं :—

"खंड २ का उपखंड (ग) निकाल दिया जाय ।"

इसमें श्रीमन्, एक शब्द आया है "वाहन-समूह-स्वामी" । यह शब्द पूरे विधेयक में और कहीं प्रयोग नहीं किया गया है । अतः इसकी व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है ।

श्री मुजफ्फर हसन—मैं इसको मंजूर करता हूं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं और इसलिये करना चाहता हूं कि कृष्णानन्द जी ने बिना दलील के कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और माननीय परिवहन मंत्री ने स्वीकार कर लिया । विधायिका विभाग जो बैठा हुआ है इसने बड़ी नुक्ताचीनी करके, महीनों मेहनत करके, इस विधेयक को बनाया और उसने आवश्यक समझा कि इसको रखा जाय, और माननीय कृष्णानन्द राय जी ने इतनी तकलीफ भी गवारा नहीं की कि महीनों की मेहनत को काटने के लिये एक मिनट

[श्री गेंदासिंह]

मेहनत करके बताते कि क्या वजह है निकालने की । मैं समझता हूं कि इसको रखने की जरूरत है । इसके बगैर रखे काम नहीं चलेगा । मैं भी माननीय कृष्णानन्द जी की नकल करते हुये बिना कोई दलील किये हुये कोई बात कह दूं मैं समझता हूं कि इसको कतई नहीं निकालना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—मैं भी यही सोच रहा था ।

श्री गेंदासिंह—मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथियों में कुछ और लोग भी कहेंगे और माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो स्वीकार किया है, उनकी बात निकलवाने के लिये दलील पेश करेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय—मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आपको उत्तर का मौका मिलेगा ।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी ने जो कहा है, उसके समर्थन में कहना चाहता हूं और कृष्णानन्द जी राय के संशोधन का विरोध करता हूं । प्रश्न यह है कि श्रीमन्, कि इस सरकार का कुछ ऐसा रवैया सा है कि मन्त्री जी सोने के बाद सुबह जब सोचते हैं तो बाद में उन्हें खयाल आता है । जब यह विधेयक पहले बन रहा था तो उस समय तो 'वाहन समूह स्वामी' रखना ठीक था क्योंकि उस समय परिस्थिति दूसरी थी । मगर जब से मन्त्रिमंडल ने यह फैसला कर लिया कि हमको बहुत से टैक्सेज लगाने हैं, कहीं ऐसा न हो कि उसका भार हमारे भी ऊपर आ जाय क्योंकि यह भी वाहन समूह स्वामी हैं, कहीं इनको भी रजिस्ट्री में न दौड़ना पड़े, या परिवहन आयुक्त को न दौड़ना पड़े, कहीं ऐसा न हो कि उन पर कोई दावा हो जाय, कोई मन्त्री जी पर डिग्री हो जाय, तो सरकारी पक्ष के लोगों ने रात को डरवाया होगा और यह बेचारे डर गये । कह दिया अच्छी बात है, माननीय राय जी, आप एक संशोधन ला दीजिये, मैं एक मिनट में उसको मान लूंगा तो मैं तो इस प्रक्रिया का घनघोर विरोधी हूं । पहले तो यह प्रक्रिया ही गलत है । दूसरी बात यह कि माननीय मन्त्री जी पर कोई डिक्री न करा सके या परिवहन सचिव या परिवहन आयुक्त पर कोई डिक्री न करा सके, और जो टुटपुंजिहे ट्रक वाले हैं अपनी ट्रकें वगैरह चला लेते हैं जो प्राइवेट आपरेटर्स के नाम से बदनाम है उन्हीं के ऊपर यह लागू हो तो यह जो दोनों तरफ तलवार चलाने वाली बात है यह दोनों तरफ तलवार नहीं चल सकती है । तलवार सीधे चलाइये ।

आप अपनी फौज लिये चले जा रहे हैं, लड़ाई के मैदान में कहते हैं कि यह दस्ता आगे जायगा और यह पीछे चला जायगा । तो मैं समझता हूं कि अपनी बचत के लिये उन्होंने किया है और जैसा माननीय गेंदासिंह ने कहा कि विधायिका विभाग ने इसका अच्छी तरह पर्यवेक्षण किया होगा और उन्होंने इसका रखना जब आवश्यक समझा तो कोई वजह नहीं है कि उसे इस तरह हटा दिया जाय । अगर इसकी दलील वह न दें तो माननीय मन्त्री जी इसका स्पष्टीकरण करें कि क्यों इसे मान लिया जाय । पहले आपने क्यों इसे रखा और अब क्यों इसे हटाना चाहते हैं? इसके माने यह हैं कि मन्त्री जी ने इसको पढ़ा नहीं । बिना पढ़े इसे उन्होंने रख दिया, मेरा चार्ज है माननीय परिवहन मन्त्री पर, वह बतायें कि क्यों पहले इसे उन्होंने रखा और अब क्यों उसे काटना चाहते हैं ? हमारे यहां देहात में बच्चे एक खेल खेलते हैं, उसे मामा-मामा का खेल कहते हैं । दिन में कई बार घरौंदा बनाते हैं और तोड़ देते हैं । उसी तरह चौधरी की चौपाल इसे सरकार ने बना लिया है । ८५ लाख से ऊपर का खेल है । क्या बढ़िया खेल हो रहा है ? साढ़े सात करोड़ जनता रो रही है, बाढ़ से परेशान है, सूखे से परेशान है, गर्की से परेशान है । और इधर यह ८५ लाख का कर लगाने जा रहे हैं और उसके बाद जहां अपने पर भार वहन करने की बात आती है वहां कहते हैं कि यह शब्द निकाल दिया जाय । तो मेरा यह कहना है कि माननीय मन्त्री जी विधेयक पढ़कर नहीं आये हैं और अगर आये हैं तो इसे पहले क्यों रखा, और जब रखा तो अब निकालने की मंजूरी क्यों दे दी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह का समर्थन करता हूं ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री कृष्णानन्द राय जी ने जो संशोधन रखा है, उसके मुताल्लिक जो कोई दलील उन्होंने नहीं दी, मैं समझता हूं कि मोहतरिम गेंदासिंह ने जो उसका अपोजीशन किया है वह शायद इसी वजह से है कि चूंकि उन्होंने उसमें कोई दलील नहीं दी । लेकिन वह हाउस का वक्त बचाने के लिये हुआ और माननीय गेंदासिंह का उसके खिलाफ कोई दलील न देना खुद इस बात की दलील है कि यह संशोधन जो है वह मुनासिब है । अगर उसके खिलाफ उनके पास कोई दलील होती तो वह देते । लेकिन किसी दलील का न देना खुद इस बात की दलील है कि उन्होंने जो अपोजीशन किया है वह महज अपोजीशन फार दि सेक आफ अपोजीशन है । भाई उग्रसेन जी ने जो बात की, उन्होंने मामा के खेल का जिक्र किया, और और बातें कहीं, लेकिन उसके खिलाफ कोई दलील उन्होंने भी नहीं दी।

श्री उग्रसेन—आपने सुना ही नहीं ।

श्री अहमद बख्श—मैं खूब सुनता हूं । आप भी सुनने की कोशिश कीजिये और बोलने की कोशिश न कीजिये । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि इस हाउस में बैठने के बाद कुछ सीमायें, कुछ हदूद होते हैं एक आदमी के कहने और बोलने के (व्यवधान)। आप यह समझते हैं कि मुझसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है । आप समझते हैं कि आपसे ज्यादा कोई बोल नहीं सकता । लेकिन ऐसी बात नहीं है । सेर को सवा सेर मिल सकता है । तो मैं समझता हूं कि हाउस का वक्त इस तरह से जाया करना ठीक नहीं है । यह बात खुद इसकी दलील है कि जिन लोगों ने इसकी मुखालिफत की है उनके पास इसके खिलाफ कोई दलील नहीं है । इसलिये मैं इस संशोधन की ताईद करता हूं और इसकी ताईद करते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैंने जहां तक इसको समझा है माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस धारा के हटाने का कारण केवल एक शब्द है । अगर वह एक शब्द इस क्लाज में न होता तो इसके हटाने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती । वह शब्द यह है कि एक सौ या उससे अधिक यात्री गाड़ियां । इस वजह से कृष्णानन्द राय जी ने अपने संशोधन को रखा । अब सौ या सौ से अधिक गाड़ियां केवल सरकार के परिवहन विभाग के पास हैं और किसी दूसरे के पास नहीं है । जब किसी दूसरे के पास नहीं हैं, आपके ट्रान्सपोर्ट विभाग के पास हैं । तो इस क्लाज के हिसाब से आपका विभाग उसमें फंसता है । मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक अलग चीज है और व्यापार एक अलग चीज है । सरकार को और व्यापार को एक में मिलाना बहुत गलत चीज होती है । मगर हमारी सरकार की आदत हो गई है कि वह सरकार और व्यापार दोनों को एक में मिला दिया करती है । सरकार को अलग होना चाहिये और व्यापार को अलग होना चाहिये ।

जहां तक व्यापारी का सम्बन्ध है, वहां तक सरकार भी यदि कोई व्यापार करती है तो वह व्यापारी है तो उसको भी कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिये । उसको भी कानून के अन्दर आना चाहिये । मगर महज उस कानून के पेंच से बचने के लिये कि कहीं सरकार इस कानून की चपेट में न आ जाय, पंजे में न आ जाय यह संशोधन लाया जा रहा है । जो चीज हमारे विधायिका विभाग ने रखी थी उसको हटाने के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है । इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं । सरकार को इस मनोवृत्ति को छोड़ देना चाहिये । सरकार अलग है और व्यापार अलग चीज है । दोनों को एक में नहीं मिला देना चाहिये ।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

जब सरकार के हाथ में व्यापार है तो सरकार के हाथ में जो भी व्यापार हो उस व्यापार से भी रुपया आना चाहिये। जब सब से सरकार रुपया लेना चाहती है तो सरकार को अपने पास से भी देना चाहिये । इसलिये मैं गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि धारा को हटाया

[कुंवर श्रीपालसिंह]

नहीं जाना चाहिये । मैं परिवहन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि परिवहन मन्त्री जी उस व्यापारी विभाग के हैड की हैसियत से नहीं बल्कि मन्त्री की हसियत से सरकार की इज्जत रखते हुये और सरकार की प्रतिष्ठा को रखने के लिये, इस व्यापारी विभाग को सरकार के हाथ में रखने के लिये इस क्लाज को न हटायें और इस क्लाज को जरूर रहना चाहिये ।

श्री उग्रसेन---जब इस विधेयक के खंडों पर बहस हो रही है तो इतनी हम लोगों पर दया कीजिये कि जो हमारा हक है वह हमको दिया जाय । हमको भी बोलने का अवसर प्रदान किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---आपको बोलने का मौका दिया जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---जहां तक इस क्लाज का सम्बन्ध है इस बिल में और कहीं इसका जिक्र नहीं आया है । यह एक प्रकार से रिडेन्डेन्ट है । माननीय मंत्री जी से जो गलती हो गई थी, अब किसी तरह से उस कमी को पूरा करने के लिये इस संशोधन को स्वीकार किया गया है कि इसको हटा दिया जाय । अगर इसको यहां से निकाल दिया जायगा तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा । इसका आगे कहीं पर भी जिक्र नहीं है । अगर इसको यहां पर रहने भी दिया जाता है तो फिर इससे कोई लाभ भी नहीं होगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी ने जो कृष्णानन्द राय जी के प्रस्ताव का विरोध किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम यह नहीं कहते कि सौ से अधिक गाड़ियां सरकार के ही पास हैं बल्कि ऐसे एसोसियेशन हैं, जैसे यू० पी० ट्रान्सपोर्ट मोटर आपरेटर्स एसोसियेशन है, वगैरह । इस तरीके पर तमाम बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके पास १०० से अधिक गाड़ियां हैं और वह इस से फायदा उठा सकते हैं। कांग्रेस की पालिसी यह है कि गरीबों को चूसा जाय और अमीरों को छोड़ा जाय तो यह फ्लीट ओनर की डेफनीशन निकाल कर आप अमीरों को छोड़ देंगे और छोटे आदमियों से कर वसूल करने की कोशिश करेंगे । इसलिये उचित यह होगा कि इसको निकाला न जाय और इसे बिल में इसी तरह रहने दिया जाय ।

श्री रामपालसिंह (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय नेकराम जी ने बतलाया कि जो गलती पहले हो गयी थी उसे दुरुस्त करने के लिये यह संशोधन लाया गया है । इस विषय में मुझे अर्ज करना है कि गलती दुरुस्त करना बुरा नहीं है । सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो वह अच्छी ही बात है । अगर सरकार से गलती हो गयी है और उसकी दु स्ती के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है तो कोई बुरी चीज नहीं है । इसलिये जो संशोधन राय जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गेंदासिंह जी तथा श्री राय जी की बात सुनी । बात मेरी समझ में नहीं आयी । मैं केवल विरोध के लिये और समर्थन के लिये समर्थन नहीं करना चाहता । लेकिन राय जी ने संशोधन पेश किया और मंत्री जी ने उसे तुरन्त मान लिया, उसे देख कर ऐसा लगा कि मानो कोई साठ गाठ पहले से हो । अगर विरोधी दल की तरफ से ५ मिनट समय बढ़ाने या घटाने की बात आती है तो वह ठुकरा दी जाती है, लेकिन इस संशोधन को मंत्री जी ने तुरन्त मंजूर कर लिया । यह बात समझ में नहीं आयी । इसे हटाने का मतलब साफ है । १०० से अधिक गाड़ियां केवल सरकार के पास हैं और वह अपनी बचत का रास्ता निकाल रही है । इस लिये मेरा सुझाव है कि जैसा यह विधेयक में आया है वैसा ही रहने दिया जाय । इससे सरकार बचेगी और जनता का कष्ट बढ़ेगा । मेरी समझ में नहीं आया कि मंत्री जी ने बिना दलील के इसे मंजूर कैसे कर लिया

यह तो मिली जुली भगत मालूम होती है। इस तरह से सदन का समय सरकारी पक्ष बर्बाद करता है और इस लिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक ज्यों का त्यों रहने दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन में यह जो परम्परा हो गयी है कि हर विषय पर अधिक से अधिक बोला जाय, यह उचित नहीं है। मैंने इसे नहीं माना और इसीलिये गेंदासिंह जी को एतराज हुआ। मैंने संशोधन पेश करते समय एक वाक्य में निवेदन किया था कि इस विधेयक में कहीं भी शब्द फ्लीट ओनर इस्तेमाल नहीं हुआ है इस लिये व्याख्या के क्लाज में उसकी व्याख्या करना अनावश्यक है। मैंने यह भी कहा था कि इसलिये इस पर बहस की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। अब यह कहना कि बिना पढ़े ही मैंने यह संशोधन पेश कर दिया और उस के लिये कोई दलील नहीं दी यह एक आश्चर्य की बात है।

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय गेंदासिंह जी ऐसा करते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आदरणीय सदस्यों को इसे देखना चाहिये कि वह शब्द का प्रयोग कहां है और उसकी व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है।

एक बात मैं कुंवर श्रीपाल जी को बता देना चाहता हूं कि उन के मन में यह भ्रम है कि राज्य सरकार और फ्लीट ओनर्स का यह काम है। परन्तु मैं तो यह कहता हूं कि चाहे वह राज्य सरकार की बसें हों और चाहे वह प्राइवेट हों दोनों पर ही यह कर लगेगा। उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया है। दोनों पर ही यह कर लगने जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय परिवहन मंत्री जी को कुछ कहना है?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं इसको मंजूर कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखण्ड (ग) निकाल दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड दो में यह संशोधन प्रस्तुत करती हूं कि "खंड दो के उप-खंड (ज) की पंक्ति ६ में से शब्द 'होगा' के पश्चात्, शब्द 'किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी बस नहीं है जो केवल नगरपालिका या नगर के भीतर अथवा नगरपालिका या नगर को जाने वाले ऐसे मार्गों पर और ऐसे आसन्न क्षेत्रों में चलती हों, जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे', निकाल दिये जायें।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसको रखने का मेरा आशय यह है कि हमारी योजनाओं के लिये धन की आवश्यकता है और जब हमारी राज्य सरकार येन केन प्रकारेण थोड़ी और बहुत धनराशि हर अंग से और हर आधार से ले रही है तो मैंने इस को हाउस के सामने रखा। जो बसें हमारी शहरों में चलती हैं उन पर १० पैसा से २० नया पैसा तक जो किराया लिया जाता है उसमें भी एक दो पैसे की वृद्धि की जाय ताकि प्रत्येक जनता और प्रत्येक जन का इस यज्ञ में योगदान हो इसलिये मैंने यह प्रार्थना की है और मुझे उम्मीद है कि हमारे विरोधी दल के नेताओं को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। चाहे वह एक ही पैसा बढ़े और उससे चाहे थोड़ी धनराशि आए लेकिन उनसे सबको इस यज्ञ में भाग लेने का हक होगा। उनको पता होना चाहिये कि योजनायें कैसे चल रही हैं उनकी क्या प्रगति हो रही है इन सब बातों की उनको जानकारी होगी। मुझे उम्मीद है कि इसे बिना किसी विरोध के स्वीकार किया जायगा।

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने अभी जो जवाब दिया था उसमें यह अर्ज किया था कि इस बारे में आपत्ति की गई है और उसमें कोई खास मकसद नहीं था सिवा इसके कि शहर में छोटे एरिया पर जो सफर करते हैं, जिनको कहीं ५ पैसा, कहीं १० पैसा और कहीं १५ पैसा देना पड़ता है। इसमें कठिनाई थी। वह क्लाज रखा गया है। मैंने अर्ज किया कि अगर कोई अमेंडमेंट आवे तो उस पर गौर किया जायेगा। मैं इसे मंजूर करता हूं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, कुमारी श्रद्धादेवी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं और माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद। यह संशोधन अगर श्रद्धादेवी जी ने न उपस्थित किया होता तो शायद उसकी भी वही गति होती जो और संशोधनों की आगे चल कर होगी। यह अनुभव से अगर साबित हो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंग। । मैं यहाँ अच्छी तरह से समझता हूं कि जबतक मैं इधर बैठता हूं तब तक मेरी सच बात भी झूठही मानी जायगी। लेकिन मैं यह आग्रह करूंगा कि सत्य की परख की जाय और चाहे कहीं हो। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। सरकार का यह जो प्रस्ताव है कि सब के ऊपर और यात्रियों के ऊपर वह टैक्स लगाना चाहती है तो उसके ऐसा करने का तात्पर्य योजना के लिये धन एकत्रित करना है इसी सम्बन्ध में पहले सरकार का ऐसा इरादा था चाहे जो भी कठिनाई रही हो लेकिन उसको माननीय परिवहन मंत्री ने यह बतलाया कि उसमें छोटी रकम किराये की ली जाती है इसलिये उसमें हिसाब-किताब, जोड़-घटाने में बड़ी दिक्कत होगी केवल इसी लिए वह छोड़ दिया गया। परन्तु अ. इस समय उन्होंने शायद उस दिक्कत का सामना करने का इरादा कर लिया है।

परन्तु इस के दूसरी तरफ भी सोचना चाहिये। मेरा ऐसा ख्याल है कि पोस्टकार्ड और लिफाफे की कीमत में, जितनी और चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है उसके अनुपात में उतनी बृद्धि नहीं हुई है। उसकी कीमत में उतना अन्तर नहीं आया है जितना कि और चीजों की कीमतों में। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग कर सकें और उससे ज्यादा रेटर्न आता रहे और वह पैसा सरकारी खजाने में जमा हो सके। उसका पैसा इसी लिये कम रखा गया है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जनता को सुविधा पहुंचाना इस सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है। आज जो रोडवेज की यात्रा पर किराया बढ़ाया जा रहा है उसका नतीजा क्या होगा। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं, वह भी हम ही लोगों की तरह कामनर्स में से हैं, हम ही लोगों जैसे हैं कि जिसके पास चार पैसे हैं वह तो उस सवारी को क्यों छोड़ेगा। वह तो उसमें सफर करेगा लेकिन गरीब पर मुसीबत आ जायगी। आज जो आप सवारी बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, परिवहन की तरक्की की बात सोच रहे हैं, उन लोगों के लिये यात्रा सुविधायें पहुंचाने की बात सोंच रहे हैं, वह सब कैसे पूरी होंगी? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जरा इस पर गम्भीरता के साथ बिचार करें। अगर आप धन एकत्र करना चाहते हैं तो हम उसमें बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन हम धन एकत्र करने के तरीकों में तब्दीली चाहते हैं। आप तो उसी जगह से धन एकत्र करना चाहते हैं जहां पर दो राय हो सकती हैं। आप उन रास्तों को नहीं सोचते जिनको अपनाने से आप को पैसा भी मिल सकता है, आपकी प्रतिष्ठा भी कायम रह सकती है और आपका काम भी सुचारु रूप से चल सकता है। जो पैसे वाले हैं उनको तो इस किराये के बढ़ने से असुविधा नहीं होगी, मैं भी उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर इस किराये को बढ़ा कर आप उन्हीं लोगों की बस में यात्रा करने से महरूम रखेंगे कि जो लोग दो पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। वे लोग बस में सफर नहीं कर सकेंगे। मैं इससे दुखी नहीं हूंगा। अगर हमारे सूबे की माली हालत में पैदल चल कर भी भरपेट रोटी मिल जाय यह जरूरी नहीं है कि बस पर चल कर आराम से चलें। तो इस प्रस्ताव के समर्थन करने का सीधा साधा परिणाम यह है कि कुछ कर लोगों के ऊपर पड़ेगा और इसलिए समर्थन किया कि श्रद्धा जी के सोचने का ढंग अच्छा है। प्रवर समिति में जाने का जो मंत्री जी ने विरोध किया, यह अच्छा नहीं किया, बल्कि गलती हो गयी। ऐसा लगता है कि उनका ध्यान इस ओर नहीं गया, और जिन लोगों ने इस बिल को बनाया उन्होंने यह समझा कि शहर के लोगों को बचाया जाय, क्योंकि कर तो रूरल एरिया वालों पर लगाना है। तो यह इस प्रकार का बिधेयक बनाया गया कि जिसमें शहरी और गांव के एरिया के लोगों के प्रति भेद भाव मालूम हो। यह इंडेंसी जो पैदा होती दिखाई देती है यह श्रद्धा जी की समझ में आ गयी सरकार की समझ में आ गयी। क्या श्रद्धा जी गरीब हैं या सचिव लोग गरीब हैं

उनको कहीं पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। मिनिस्टर लोगों के पास कारें हैं उनको कहीं पहुंचने में कठिनाई नहीं होती। इसलिये मिनिस्टर साहब को और विभाग के लोगों को ऐसी चीजों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि कहीं फर्क न रह जाय। इसलिये इस प्रकार का संशोधन ले आना यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी है।

लेकिन साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि कृपा करके आप यह न समझियेगा कि हम आपकी योजना के सोलहों आना समर्थक नहीं हैं। चन्द्रजीत भी उसके समर्थक हैं और गेंदासिंह भी समर्थक हैं। सोलहों आना न हों लेकिन मर्यादा की रक्षा करते हैं जिससे यह योजना पूरी हो सके। उस योजना को पूरा करने का, कार्यान्वित करने का अधिकार सरकार को इस वक्त है। हम चाहते हैं कि योजना का जो उद्देश्य लिखा हुआ है उसको पूरा कराने में जो भी योगदान हो सके वह करायें।

विषमता को दूर करना, नीचे के लोगों को ऊपर उठाना, एकोनामिक स्टैंडर्ड आगे न बढ़ पाये, इन उद्देश्यों का कौन समझदार आदमी विरोध करेगा। इसलिये उस योजना के लिये अगर आपको कर लगाना है, धन एकत्रित करना है तो आप इस प्रकार से कर लगायें, हम आपकी उसमें मदद करेंगे। लेकिन आगे आने वाले जमाने में आप लोग जरा सतर्क रहें ऐसे बहुत से विधेयक आने वाले हैं, जो निचली श्रेणी के लोगों की जेबों से पैसा निकालने की बात कहेंगे। माननीय परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देता हुआ मैं अपील करूंगा कि हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो हम नहीं कर रहे कि गरीब लोगों की जेब से रुपया निकाल कर धनिक लोगों को दें।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कर जो माननीय मंत्री जी ने लगाया है उसका बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ेगा। योजना का बहुत नाम लिया जाता है। यह ठीक है कि योजना कामयाब होनी चाहिये, लेकिन उस योजना के लिये जिनके पास धन है उनसे धन लिया जाना चाहिये और गरीबों से केवल मेहनत ली जानी चाहिये। किन्तु यह जो तरीका आपने योजना को कामयाब बनाने का अपनाया है वह तरीका नहीं है। गरीबों और मध्यमवर्ग के ऊपर ज्यादा बोझ डालना योजना को तोड़ने का तरीका है। योजना के लिये यह आवश्यक है कि आम जनता का उसको समर्थन हो। बिना जनता के समर्थन के कोई योजना कामयाब नहीं हो सकती है। कहीं हुई है? जनता का कोआपरेशन न लेकर किसी भी तरीके से पैसा बटोरने वाली बात ठीक नहीं है। क्या मंत्री जी को नहीं मालूम कि शहरों में जो पैसे वाले लोग हैं वे मोटर कार में बैठते हैं, बसों में तो कारखाने के मजदूर और मध्यम श्रेणी के लोग बैठते हैं।

बहिन जी ने अभी कहा कि यह एक यज्ञ है। यह यज्ञ नहीं एक प्रकार की चीटिंग है। जब लोगों की जेब कट जायगी तो लोगों को मालूम होगा कि महंगाई ५०५ प्वाइन्ट या ५१३ प्वाइन्ट बढ़ गयी। बाजार में जब वह सौदा खरीदने जाता है तब उसको पता लगता है कि उसकी जेब इन डायरेक्टली कट गयी। यू० पी० में अगर आपको रुपया वसूल करना है तो आप बड़े पैसे वालों पर टैक्स लगावें, किसानों और गरीब मजदूरों को कब तक पकड़ेंगे? आपने जो एम० एल० एज० की एक ऐडवाइजरी कमेटी बना रखी है, वह काहे के लिये है जब कि आप उसकी कोई राय ही नहीं लेते, आप उसको तोड़ दें। बिल को पहले ऐडवाइजरी कमेटी के सामने आना चाहिये था जहां तक मेरी समझदारी है। ऐसे तो जो आपके मन में आयेगा आप करेंगे ही, लेकिन उसका नतीजा भी देंगे कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इसलिये मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आपको यह बिल लाना नहीं चाहिये। पहले आप ऐसा बिल लावें, जिससे जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे कर वसूल करें और उससे अपनी योजना को कामयाब करने की बात करें। मेरी समझ में नहीं आया कि किस मनोवृत्ति से यह कहा गया कि शहर वाले थोड़ा छूट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

गये थे, इसलिये उनको भी लपेट में ले लिया गया । मैं समझता हूं कि यह गलत है और इसका असर गरीब आम जनता पर पड़ेगा, अपर क्लास वाले या जिनके पास मोटर कार हैं, उनके ऊपर इसका असर नही पड़ेगा । इसलिये यह अमेंडमेंट स्वीकार नहीं होना चाहिये ।

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई विचार इस वाद-विवाद में पड़ने का नहीं था मगर माननीय यूसुफ साहब को सुनने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बोलूं। जाहते से वे कम्युनिस्ट दल के नेता भले ही न हों लेकिन मैं उनको कम्युनिस्ट दल का प्रदेश का नेता मानता हूं । मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने इस टैक्स के विरोध में अपने कुछ तर्क पेश किये । उन्होंने कहा कि यह जो शहरों को बसों के किराये को न बढ़ाने के कारण जो डिफरेंस था उसको मिटाने के लिये जो तरमीम पेश की गयी है उसे कोई न माने । मान्यवर, मुझे याद है कि विरोधी दल की तरफ से ही यह बात कही गयी कि इस बिल के अन्दर शहरों और देहातों की आम जनता के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया गया है क्योंकि शहरों में चलने वाली स्थानीय बसों के किराये नहीं बढ़ाये गये हैं इस पर मेरे एक साथी ने संशोधन पेश किया है । अगर डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखलायी पड़ता है और उसे दूर करने की चेष्टा की जाती है तब भी आपको एतराज है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि आजमगढ़ के एक साथी की तरफ से भी यह बात आयी तो अगर विरोधी दल की इच्छा को पूरी करने के लिये कांग्रेस दल की तरफ से यह संशोधन पेश हुआ है तो हमारे माननीय संतसिंह जी का यह कहना है कि हमको यह संशोधन नहीं मानना चाहिये । यह एक अजीब बात हुई ।

माननीय गेंदासिंह जी की बात का जवाब मैं बाद में दूंगा आपको जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिये । जनता के सहयोग के बिना योजना सफल नहीं हो सकती इसमें आपसे १०१ फीसदी इत्तफाक करता हूं ।

एक सदस्य—१०१ फीसदी तो होता ही नहीं है ?

श्री नवलकिशोर—२०० फी सदी भी होता है अब अगर आपकी बुद्धि में न आवे तो उसके लिये मैं क्या कहूं । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारी तरफ से निरन्तर यही चेष्टा रही है कि हम जनता का सहयोग लेकर ही आगे बढ़े क्योंकि बिना जनता के सहयोग के कोई योजना पूरी नहीं हो सकती । लेकिन मैं माननीय संतसिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी तरफ से भी हम लोगों को वह सहयोग और वह कोआपरेशन मिल पाता है ? मैं उनको इस बात की दावत देता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ भी योजनायें हैं वे उसी मुल्क की तरह की हैं जो कि उनकी आंखों में पूज्य है, इंस्पायरिंग है । इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहां हमने डेमोक्रेटिक सेटअप रखा है जब कि आपके उस पूज्य मुल्क में टोटलिटेरियन मेथड के अन्दर काम होता है । अगर आपकी आस्था प्लानिंग में है तो इस दलबन्दी को छोड़िये और इसकी घोषणा कीजिये कि हम इनको सफल बनायेंगे जिस मुल्क से आपको प्रेरणा मिलती है उनका जो प्रेरणा प्रदायी देश है उसमें भी योजनायें वह देखें कि कैसे कार्यान्वित की गई हैं इसको वह दिमाग में रखें लेकिन यहां बिना पैसे के योजना कैसे चले यह वह बतावें । माननीय गेंदासिंह जी ने अपने भाषण में फरमाया कि यह न समझिये कि हम १६ आना आपकी योजना के समर्थक हैं उन्होंने साफ कहा कि उन्हें प्लानिंग में सेन्ट परसेंट विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे उनका वह भाषण याद है कि जब तृतीय योजना पर विचार हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि यह योजना ९०० करोड़ रुपये की होनी चाहिये । हम उस समय केवल ६९० करोड़ की ही बनाकर केन्द्र को भेज रहे थे इस पर उन्होंने कहा था कि यह तो सरकार का निकम्मापन है अच्छा होता कि यह योजना यहां से ९०० करोड़ से भी ज्यादा की भेजी जाती । जब वह ९०० करोड़ की बात करते हैं तो वह यह भी समझते होंगे कि उसके लिये सरकार को अपने साधनों को बढ़ाना पड़ेगा । जब ४९७ करोड़ की योजना मंजूर हुई है और उसमें प्रदेशीय सरकार को केवल १४१ करोड़ रुपया

ही जुटाना है तो उसके लिये इतना शोर है। अगर उन के कहने के मुताबिक और ज्यादा हो जाता तो वह कहां से आता कोई जादू का डंडा घुमा भी देते या अलाउद्दीन का चिराग जला देते कि जिससे ९०० करोड़ की योजना चालू हो जाती, कोई टैक्स न लगाया जाता, कौन ऐसी तरकीब थी कि योजना भी चल जाती और टैक्स भी न लगता।

माननीय संतसिंह जी ने कहा कि पैसा उससे लेना चाहिये जो दे सकता है। बात तो बिलकुल सही है, लेकिन अगर आप देखें तो दिक्कत यह है कि विरोधी दल टैक्स के नाम से इस तरह से एवसाइट हो जाता है और अपना मेन्टल बैलेन्स खो देता है। हम मानते हैं कि टैक्स का जनता पर इंसीडेंस इक्विटेबिल होना चाहिये लेकिन ६ पैसे की जगह ६।। पैसा हो जाने से या १ रुपए की जगह १७ आने हो जायंगे तो इससे कोई बड़ा भारी गजब होने वाला नहीं है इसमें कोई बड़ा भारी टैक्स बढ़ रहा है मैं इस को नहीं मानता।

उन्होंने एक बात जेब काटने वालों के बारे में कही पता नहीं योजना में जेब काटने की बात कहां से आ गई। डायरेक्ट टैक्स और इन्डायरेक्ट टैक्स का विषय बड़ा विवादास्पद है, लेकिन आमतौर से धारणा यह है कि इन्डायरेक्ट टैक्स इसलिये अच्छा है कि वह देने वाले को महसूस कम होता है। माननीय गेंदासिंह जी से कहा जाय कि एक प्याली चाय पिलाओ तो उनके लिये उसका इंतजाम करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इन्डायरेक्टली उन पर कितना ही खर्च पड़ जाय तो वह मालूम नहीं होता। हमारे देश की जैसी एकानामी है या अन्य देशों की जहां की एकानामी कमजोर है वहां के लिये इन्डायरेक्ट टैक्सेशन को बेहतर माना गया है। इसलिये मैं माननीय संतसिंह जी से कहूंगा कि अगर उन को प्लानिंग में विश्वास है, यह दूसरी बात है कि वह हमारी बहुत सी बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बात हमारी उनकी कामन है हम और वह सब देश के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसमें हममें उनमें फर्क नहीं है, फर्क इतना है कि वह तानाशाही के तरीके को अपनाना चाहते हैं और हम जनतांत्रिक तरीके के हामी हैं। अच्छा हो कि वह इन हालात में अपने को एडजस्ट करें और जो देश की समस्या है उस को समझ कर काम करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन और ताईद करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन में जो यात्री कर का विधेयक पेश है, उस पर हमारे आदरणीय सदस्यों ने संशोधन भी पेश किये हैं लेकिन मेरी राय तो यह है कि प्रदेश की आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और आम जनता की हालत को देखते हुए मैं अदब से इस सदन से प्रार्थना करूंगा और पहले तो मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे विधेयक को जिसका भार आम जनता पर पड़ेगा, गरीब लोगों पर पड़ेगा, उसको वापस ले लें। ऐसा विधेयक आज के दिन पेश नहीं होना चाहिये था ऐसा मैं महसूस करता हूं। श्रीमन्, कोई भी विधान सभा प्रदेश की आम जनता की इच्छाओं का प्रतिबिम्ब हुआ करती है। क्या इस विधेयक को यहां पेश करना जनता की इच्छाओं को प्रतिबिम्बित करता है। हरगिज नहीं। जनता की समस्याओं के बारे में सदन को सोचने का मौका मिलता है? मुझे ऐसा लगता है सारा सदन प्रदेश की आम जनता की समस्याओं से परे है और कुछ और ही माहौल में यह सारा जलसा डूबा हुआ है। सदन में ऐसा विधेयक पेश होता कि पूर्वी प्रदेशों में जो बाढ़ और कटान की समस्या है, जिसमें लाखों आदमी परेशान हैं उनके अन्न, वस्त्र का क्या और कैसे इंतजाम किया जाय।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—श्रीमन्, क्या माननीय सदस्य संशोधन पर बोल रहे हैं या फ्लड पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है। माननीय काशीनाथ जी अब आप विधेयक क विषय पर आ जाइये।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—श्रीमन्, पूर्वी जिलों में बाढ़ आ रही है और हमारे यहां पश्चिमी जिलों में सारी फसल नष्ट हो गई, उसका भी प्रबन्ध किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इनकी शालीनता है। किसी भी तरह के टैक्स बिल को पेश करना देश की जनता के साथ, राष्ट्र के साथ मैं देशद्रोह समझता हूं और उन तमाम मंत्रियों को जो किसी भी तरह का टैक्स बढ़ाने का विधेयक लाते हैं उन तमाम सदस्यों को जो उनका समर्थन करते हैं, उनके इस काम को देश की जनता के साथ गद्दारी समझता हूं। आप योजना के नाम पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, योजना चल रही है लेकिन देश में गरीबी, भुखमरी, बढ़ रही है, यह कौन सी योजना है। टैक्स सरकार लेती है विधान सभा और कैबिनट रूम को एयर कंडीशन करने के लिये, न कि जनता की भलाई के लिये। मैं ऐसे विधेयक और उसमें किये गये संशोधनों के खिलाफ हूं तथा विरोधी पक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि यदि सरकार बहुमत के बल पर किसी भी तरह का कर लगाने वाला विधेयक पेश करके पास कराना चाहती है तो विरोधी पक्ष का कर्तव्य है कि उसमें किसी भी प्रकार की शिरकत न करें और सब लोग इस सदन को छोड़ दें तथा सरकार को स्वयं ऐसे विधेयकों को पास करने दें। मैं ऐसे विधेयकों का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यूसुफ साहब का भाषण सुना। उन्होंने एक बात यह कही कि जो बड़े लोग हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है। आप जानते हैं कि बस पर चढ़ने वाले लोग आम जनता के हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं। करोड़पति या लखपति जो हैं उनके पास स्वयं कार होती है और जरूरत पड़ने पर टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिये यह जो विधेयक है उन यात्रियों के लिये है जो बस के द्वारा सफर करते हैं।

दूसरी बात यह जैसा कि बार बार कहा जा चुका है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लिये रुपये की आवश्यकता है और इस संबंध में मैं माननीय गैंदासिंह के भाषण का स्वागत करता हूं जो उन्होंने अपनी सम्मति इस कानून के बनाने के लिये दी। वास्तव में जब तक हम सब लोग मिल कर कोई कानून नहीं बनायेंगे और ठीक-ठीक राय नहीं देंगे, तब तक यह मुमकिन नहीं होगा कि जो पंचवर्षीय योजना हमारे सामने हैं, उनको ठीक तरह से पूरा किया जा सके। वसूलन तो यह सभी लोग मानते हैं कि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है और अब प्रश्न केवल यही है कि इसके लिये रुपया कहां से लाया जाय और उस रुपये को लाने के लिये कर का लगाना आवश्यक हो जाता है। तो यह जो यात्री-कर विधेयक लाया गया है उसका इंसीडेंट आफ टैक्सेशन जनता पर बहुत ही मामूली है। जहां किसी यात्री को एक रुपया देना पड़ता था वहां उसको अब १ रुपया ५ नये पैसे देने होंगे। तो जहां तक जनता के देने की कैपेसिटी का सवाल है वह ऐसी नहीं है जिससे बहुत बड़ा बोझ बढ़ रहा हो, जिसके लिये इतना शोर मचाया जा रहा है, इस विधेयक में यात्रियों पर कम से कम भार वहन करने का प्राविधान है और इस विधेयक का समर्थन सबकी ओर से होना चाहिये और इसको पास होना चाहिये, अनावश्यक बहस करके जनता में भ्रम पैदा करके कोई लाभ प्रांत का नहीं होगा।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। मैंने कल भी भाषण देते हुए कहा था जब इस पर आम वाद विवाद हो रहा था कि किसी भी ऐसे कदम का हम विरोध करेंगे, जिससे आम जनता पर टैक्सेशन का बोझ पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो गरीब जनता है उसकी माली हालत बहुत खराब है। सरकार की प्रवृत्ति आम जनता पर करों का बोझ बढ़ाने की होती जा रही है। मैं शहर और देहात में भेदभाव में जाना नहीं चाहता। सीधी-साधी बात है कि गरीब और अमीर जनता का भेदभाव है। शहर का रहने वाला गरीब हो या मजदूर हो अथवा मध्यम वर्ग का हो अगर उसकी आमदनी कम है तो उसके ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिये, और देहात का रहने वाला अमीर है, उसकी आमदनी बहुत है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर करों का बोझ बढ़ना चाहिये और पड़ना चाहिये। इस तरह से इसको देखते हुए इस संशोधन का समर्थन करना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार बहुत उत्सुक है इस कर के बोझ को बढ़ाने के लिये और उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्सुकता का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि कल किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि शहरों के अन्दर अमीर तबका तेजी से बढ़ रहा है उसकी तरफ इशारा करते हुए माननीय मंत्री जी ने इस बात को बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया और उसका यह अर्थ लगा लिया कि शहरों में कर लगाने की तो उन को स्वीकृति मिल गयी। इसका असर यह होगा कि बस पर चलने वाली गरीब जनता पर इस कर का बोझ पड़ेगा। दूसरा सरकार की उत्सुकता का प्रमाण यह है कि जब कल वाद-विवाद चल रहा था तो सरकार की तरफ से एक तर्क यह उपस्थित किया गया कि चूंकि केन्द्रीय सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया है, इसलिये सरकार मजबूर है बस का किराया बढ़ाने के लिये। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्य आपका वही तर्क इस संशोधन को स्वीकार करते हुए लागू हो रहा है? शहरों में चलने वाली जनता कहीं रेल से नहीं चलती फिर उसी स्तर पर ले आने का सवाल कहां से आ गया?

माननीय नवलकिशोर जी की मैं बड़ी कद्र करता हूं और समझता हूं कि वे उन लोगों में से हैं जो बातें काफी संतुलित ढंग से कहते हैं और समझदारी से करते हैं। लेकिन उनका तर्क सुन कर आज मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं समझता हूं कि आज जो सरकार पैसा लेने के लिये आतुर है, उसमें संतुलन खो गया है और इस माने में खो गया है कि वाकई जिसके ऊपर करों का बोझ नहीं पड़ना चाहिये उसकी तरफ से सरकार का ध्यान हट गया है और इस लिये योजनाओं का नाम लेकर हर तरह से कर लगाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि कम्यनिस्ट पार्टी के लोग समाजवाद और एक देश की तरफ इशारा कर के कहा कि उससे प्रेरणा लेते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग किसी देश से प्रेरणा नहीं लेते हैं, हम एक व्यवस्था से प्रेरणा लेते हैं और जिन देशों ने समाजवादी व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाया है, उसके परिणाम सारे संसार के ऊपर प्रकट हुये हैं। उस व्यवस्था से हम प्रेरणा लेते हैं और चाहते हैं कि वह व्यवस्था हमारे मुल्क के अन्दर भी कायम हो जिस व्यवस्था के अन्दर गरीबी और अमीरी का भेदभाव मिटता है, जिस व्यवस्था के अन्दर छोटी आय वाले की आमदनी बढ़ती है, जिस व्यवस्था के अन्दर जनसाधारण का विकास होता है और इसीलिये हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से इस बात का समर्थन किया कि हमारी योजना बड़ी होनी चाहिये और खासतौर से इस सूबे की जिसकी हालत काफी खराब है। अगर माननीय गेंदा सिंह ने यह कहा था कि ७०० करोड़ की नहीं ९०० करोड़ की हमारे सूबे की योजना होनी चाहिये तो यह उसी भावना का प्रतिबिम्ब था कि हमारा सूबा तेजी के साथ आगे बढ़े। मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर आज भी ऐसे साधन हैं, जिनको इकट्ठा करने से हमारी योजना बड़ी हो सकती थी और किसी भी गरीब जनता के ऊपर एक नये पैसे का भी कर भार नहीं बढ़ता। उसके लिये अनेक सुझाव दिये गये। आप शहर की बात पकड़ लेते हैं। आज हमारे सूबे में शहरों के अन्दर १५ करोड़ रुपये से ज्यादा मिल मालिकों के ऊपर बकाया पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों पर बकाया है जिनकी सालाना आमदनी २५–३० लाख से अधिक होती है। आज ९ करोड़ से ऊपर सेल्स टैक्स का बकाया है। क्यों नहीं सरकार उसको वसूल करती है? हम तो उसका समर्थन करते हैं कि आप बकाया रकम को वसूल करें। हम तो कहते हैं कि आज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चीनी मिलें हैं, जिनकी सालाना आमदनी २० करोड़ रुपये है। आज एक परिवार वाले लोगों के हाथ में प्रदेश की बिजली कम्पनियां हैं, जिनसे ५ करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होती है। अगर सरकार इस संबंध में कोई बिल लाये तो हमारा उसको पूरा समर्थन प्राप्त होगा।

हम यह चाहते हैं कि हमारी योजनायें और भी बड़ी बनें, लेकिन हमने कल भी कहा था और आज भी मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बारे में हमारा सरकार से गहरा मतभेद है कि योजनाओं के लिये कैसे साधन इकट्ठे किये जायं और उन साधनों को इकट्ठा करने में भार किस के ऊपर पड़े। अगर उसका भार जनसाधारण पर पड़ेगा तो हम उसका डट कर विरोध करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारा जनसाधारण ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अधिक कर भार वहन कर सके। आप शहर के अन्दर इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसका क्या नतीजा होने वाला है? दस नये पैसे अगर किराया है और आप उसका बीसवां हिस्सा लेंगे तो मैं नहीं समझता

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कि साढ़े १० पैसे की कैसे वसूली होगी । फिर अगर २० पैसे किराया हुआ तो २१ पैसे उसे देने होंगे और एक नये पैसे को उसे ढूंढ़ना पड़ेगा । यह सारी कठिनाइयां होंगी और हमारे साथी संतसिंह जी ने सही बात कही कि इनमें कौन चलता है । वहां पर हजारों मजदूर हैं उनकी मांग है कि वहां पर बस कर दी जाय और रोडवेज की बस की जाय क्योंकि उनको परेशानी होती है । कानपुर में प्राइवेट लोग खूब पैसा कमा रहे हैं और लोगों को तकलीफ है । यदि आप रोडवेज की बसेज चालू कर देंगे तो ज्यादा लोग चलेंगे । रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है तो अच्छा है आपकी बस में जनता ज्यादा चलेगी और आपकी आमदनी बड़ेगी । इन सारी भावनाओं को लेकर इस संशोधन का किसी भी हालत में समर्थन नहीं किया जा सकता है । मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे गौर करें कि शहरों में बसेज में विद्यार्थी चलते हैं, दफ्तरों में काम करने वाले क्लर्क चलते हैं और मध्यम वर्ग के लोग चलते हैं तथा मजदूर चलते हैं, इन लोगों के ऊपर और बोझ डालना ठीक नहीं है । इसलिये जो आपका मूलभूत प्रस्ताव है उसी पर वापस आ जाइये । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, जिस पर चर्चा चल रही है, उस पर एक संशोधन श्रद्धा देवी जी का आया है और वह संशोधन उस भावना से प्रेरित है जिसका विरोधी पक्ष के साथियों ने जिक्र किया था कि शहर वालों के साथ पक्षपात किया जा रहा है और देहात वालों के साथ जबर्दस्ती की जा रही है । मैं सोच रहा था कि क्या बात है कि जो बात हम चाहते हैं और हम कहने लगते हैं तो फौरन उसका विरोध शुरू हो जाता है ? इसके क्या माने हैं ? श्रीमन्, इसके माने मैं समझता हूं कि उनका समर्थन है । हमारे प्लान का वे समर्थन करते हैं, हमारी योजनाओं का वे समर्थन करते हैं । लेकिन फर्क यह मालूम होता है कि बात सही है कि हमारी सफलता, कांग्रेस सरकार की सफलता, नियोजन की सफलता, प्लान की सफलता, हमारा जीवन होगी और उन लोगों की मौत होगी जो दरअसल इस बात को छिपाते हैं । अगर सरकार सफल हो जाती है और देश की गरीबी और बेकारी दूर हो जाती है तो सारी जनता हमारे पीछे चलेगी और उसका दूसरा रूप क्या होगा ? जो साथी सामने हैं उनमें से यहां पर एक भी नजर नहीं आयेंगे । इसलिये वह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं । वे जो कहते हैं कि हम तो हेल्दी क्रिटिसिज्म चाहते हैं यह उनकी बात थोथी लगती है । दरअसल में हमारी सफलता उनकी मौत है और उनकी सफलता में हमारी असफलता है । इसलिये वह किसी प्रकार से नियोजन को सफल बनाना नहीं चाहते हैं ।

श्रीमन्, यह साफ बात है कि वे चाहते हैं कि वे इस प्रकार का व्यवहार करते रहें, जिससे सरकार कोई कार्य सुचारु रूप से न कर सके और हमारी बेकारी, जहालत और गरीबी हमारे ऊपर बोझा बनी रहे, जिसका परिणाम यह होगा कि ५ साल के बाद वह जनता से कहेंगे कि यह सरकार नालायक है इसको अलग करो और उसकी जगह पर हमें बिठाओ । लेकिन श्रीमन्, यह बात मुनासिब नहीं लगती है क्योंकि आजकल जनता को धोखा देना आसान बात नहीं है क्योंकि वह आसानी से सारी बातें समझने लगी है । कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है कौन उसको एक्सप्लायट करना चाहता है, कौन उसको मजबूर और गुमराह करके वोट लेना चाहता है, ये सारी चीजें जनता अब समझने लगी है । इस नियोजन के कार्य को सभी नेताओं ने माना है, आप लोगों ने उसकी स्वीकृति दी है और नियोजन के जरिये से हम अपने प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं । पहली पंचवर्षीय योजना में इसी प्रकार से विरोध हुआ था । हमारे मंत्रियों ने यह सोचा कि अगर किसी प्रकार की कर वृद्धि की जायगी तो जनता असंतुष्ट हो जायगी । दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इसी तरह का संकोच किया गया । नतीजा यह हुआ कि केन्द्र से जो ज्यादा सहायता मिल सकती थी, उससे हम वंचित रहे । नतीजा यह हुआ कि हमारा प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पीछे गया। हमारे प्रदेश में जितनी जन-संख्या बढ़ी उसके अनुपात में हमारी उपज कम हुई और दस वर्ष में डेढ़ करोड़ आबादी का बोझा और बढ़ गया। तो देश के सामने हमारी माली हालत खराब हो गयी और लोगों को यह कहने का मौका मिला कि हिन्दुस्तान में जितने प्रदेश हैं सब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रदेश पीछे गया है। उस वक्त भी इसी तरह की बातें कही गयीं थीं कि जनता गरीब है, जनता के ऊपर कोई कर नहीं लगाना चाहिये। वह बात इस तरह की करते हैं जिससे हमारा समर्थन मालूम होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह यह चाहते हैं कि जनता हम से नाराज हो कर उनका समर्थन करे। समाजवादी पार्टियों ने एक जनरल पालिसी मान ली है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, इन पार्टियों का अपना एक अलग उसूल और तरीका है। उसके जरिये वह हिन्दुस्तान की तरक्की करना चाहती हैं।

वे इस बात को सोचें कि अगर हमें अपने प्रदेश की भूमि को उपजाऊ बनाना है, अपने प्रदेश के रहने वालों को विद्वान बनाना है, अपनी सड़कें ठीक करनी हैं, तो तरीका क्या होगा? अभी माननीय चन्द्रजीत जी ने यह कहा कि शहरों में तमाम रुपया भरा पड़ा है, सरकार उसको नहीं लेना चाहती। जोश में उन्होंने कह डाला कि १५ करोड़ एक जगह और ९ करोड़ दूसरी जगह, २४ करोड़ हो जाता है। ४९७ करोड़ का हमारा प्लान है। उसमें से १४७ करोड़ हम को करना है, ३५० करोड़ केन्द्र को देना है। इस तरह से ४९७ करोड़ होता है। आपने सिर्फ २४ करोड़ की गिनती रख दी। इससे क्या हमें संतोष हो सकता है कि गरीबों के ऊपर कर लगाया जा रहा है और बड़े आदमियों को छोड़ा जा रहा है, वह अच्छी तरह से इस बात पर गौर करें और सोचें कि जमींदारी टूटने के बाद वह जमींदार जो केवल नाम के जमींदार हैं वह कितने आर्थिक संकट में पड़े हुये हैं, उनकी क्या हालत है? अगर उनके पास आज जमीन न होती तो आज उनकी हालत हमसे भी बदतर हो गई होती। तो आज की जो हालात हैं वह उस तरह की नहीं हैं। चन्द बड़े आदमियों पर कर बढ़ाकर हम ४९७ करोड़ की कमी पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरी यह दरख्वास्त है कि आप इन सब चीजों को बहुत गौर से सोचें और समझें। अगर आप ईमानदारी से प्रदेश का हित चाहते हैं और प्रदेश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अपने प्रदेश को लाना चाहते हैं तो इस तरह के कार्य न करें जिसमें उसमें बाधा पड़े। हम जो कुछ कहते हैं वह गलत बात हो जाती है, लेकिन आप जो कहते हैं वही बात भी जब हम कहते हैं तो वह भी गलत हो जाती है। कल शहर और देहात की बात आयी थी और आज हमारी श्रद्धा बहन ने एक प्रस्ताव रख दिया तो उस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि दरअसल अब ऐसा जमाना नहीं रह गया है कि कोई ठोस चीज सामने न रखी जाय और सिर्फ बरगला करके जनता का समर्थन आप प्राप्त कर लें यह बात मुनासिब नहीं है। इसमें हमारा और आपका सब का नुकसान होगा। इसलिये यह जो छोटा-सा संशोधन श्रद्धा बहन जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने इस विधेयक पर जो संशोधन हमारी बहन श्रद्धादेवी ने रखा है, उस पर जो विवाद यहां हो रहा है और उस पर वास्तव में जो अपोजीशन की तरफ से विरोध किया जा रहा है वह एक बुनियादी बात है, उसके कुछ मौलिक आधार हैं। परिवहन मंत्री ने हमारे सामने विधेयक रख दिया। हमारा उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग जितनी सुविधा हमको देता है उसका और रेलवे से जो यात्री सफर करते हैं, उनका मुकाबला किया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ फर्क आप को खुद मिलेगा। मैं समझता हूं कि तीन वर्षों के अन्तर्गत जितनी दुर्घटनायें परिवहन मंत्री के विभाग में हुई हैं और अभी पिछले दिनों आगरे में एक बस से पहिया निकल गया, तो इसके माने यह हैं कि आपके पास टेक्निकल स्टाफ तक नहीं है जो कि चलते समय इन बसों को देख ले कि आया यह बस इस पोजीशन में है भी या नहीं कि चल सकें और आप कर दिन रात बढ़ाना चाहते हैं, अपनी योजना की सफलता के लिए। लेकिन उन योजनाओं से जो परिणाम निकलते

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

हैं जनता के सामने उसे देख कर अफसोस होता है कि कर बढ़ाना तो आसान है योजना के नाम पर, लेकिन उन योजनाओं के सफल करने में हमारी सरकार कितनी कामयाब होती हैं, हमारे सूबे की जनता उसे देख कर आश्चर्य करती है और उसी के प्रतिनिधि होने के नाते हम यहां पर उसका विरोध करने की भावना रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं बल्कि हमें उसमें कुछ सच्चाइयां दीखती हैं और जनता के सामने इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अभी जो संशोधन आया है, शहर का उसमें पहले रखा गया, फिर छोड़ दिया गया और अब कहते हैं कि शहर को भी ले लिया जाय। अभी माननीय चन्द्रजीत ने कहा था कि शहर में बसा हुआ एक छोटा-मोटा बाबू जिसका वास्तव में शहरी कैपिटलिस्टों द्वारा रात-दिन शोषण होता है, उसके ऊपर यह एक भार है। हालांकि मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि शहर और गांव के ऊपर विवाद करूं लेकिन मैं समझता हूं कि शहर में रहने वाले आदमियों के सामने जो समस्याएं हैं उन्हें कौन-सा ऐसा आदमी है जो नहीं जानता है।

नगरपालिकाओं द्वारा लगाये गये अनेक कर उनके ऊपर लगे हुए हैं, महापालिकाओं द्वारा लगाये गए कर उनके ऊपर लगे हैं और उसके बाद अपने जीवकोपार्जन के लिए आने-जाने का जो एक मात्र साधन उनके पास बस है, उस पर भी आप कर लगाने की बात सोचते हैं। तो पता नहीं पहले आप को सद्बुद्धि थी या अब जो संशोधन माना है, इसमें आपको सद्बुद्धि है, यह तो भगवान फैसला करे और आपको सद्बुद्धि दे। लेकिन अभी मुझ से पूर्व जो वक्ता महोदय बोले थे उन्होंने यह कहा है कि योजनाओं की सफलता से अपोज़ीशन की मौत है। आज मैं दावे के साथ उनसे यह कहना चाहता हूं——मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूं कि वह कहां के रहने वाले हैं——बल्कि उनसे क्या कहूं उनको सरकार के जिम्मेदार पिलर (खम्भों) से कहना चाहता हूं कि योजनाओं की सफलता से अपोज़ीशन का विरोध नहीं है। यदि योजनायें सफल होती हैं तो अपोज़ीशन को बहुत खुशी होगी। मैं यह समझता हूं कि अगर देश की योजना सफल होती है तो इसमें देश की जनता का लाभ होगा। जनता की ही सफलता होगी। अपोजीशन कभी नहीं चाहता है कि योजनायें सफल न हों। अपोज़ीशन यह चाहता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो आशा और विश्वास के साथ आप जनता से लेते हैं, उसी आशा और विश्वास के साथ उसको आप सही काम में लगायें। जनता अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, जो उसने अपना पेट काट कर आपको दिया है और आगे भी देगी उसका वह सदुपयोग देखना चाहती है। उस पैसे के सदुपयोग के लिये हम यहां पर विरोध करते हैं। विरोध के लिये विरोध नहीं करते हैं। यहां पर जो यह परम्परा चली आ रही है कि अमुक बेंच की तरफ से यह बात आई है चाहे वह कितनी ही वजनदार हो, चाहे कितनी ही सच्ची हो, उसको नहीं मानना चाहिये तो यह परम्परा उचित नहीं है। यदि आप देश में स्वस्थ वातावरण पैदा करना चाहते हैं और सही प्रजातन्त्र देश में लाना चाहते हैं तो अपोज़ीशन की सच्ची बात को आप जरूर मानें। यदि पूरी बात को न माना जाय तो कम से कम कुछ अंश में जरूर उसकी बात को माना जाय। मैं देखता हूं कि जब से मैं यहां पर इस हाउस में आया हूं हालांकि मैं इसी वर्ष आया हूं, लेकिन तब से ही देखता हूं कि जितने बिल यहां पर पेश हुये हैं, उनमें चाहे जितनी सच्ची बात कही जाय, लेकिन उसको नहीं माना जाता है, क्योंकि वह अपोज़ीशन की तरफ से आई है। यह पद्धति जनतंत्र की परम्परा के लिये अच्छी नहीं है।

माननीय परिवहन मंत्री जी की ओर से जो विधेयक यहां पर रखा गया है मैं उसका पूर्णरूप से इसलिये विरोध करता हूं कि रोडवेज विभाग में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, उनके लिये किसी भी सुविधा का प्रबन्ध नहीं है; न उनके लिये कोई मेडिकल एड का इन्तजाम है; न उनके लिये किसी छुट्टी का प्रबन्ध है; और न उनके लिये निवास का प्रबन्ध है। २४ घंटे उनसे काम लिया जाता है। जानवर की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। आप एक तरफ तो अमेरिका और रूस, माडर्न कन्ट्रीज की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस हाउस के

अन्दर हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं कि अमुक पाश्चात्य देशों में करों के द्वारा ही योजनाओं को चलाया गया है। लेकिन आप यह भी देखें कि दुनिया में सब से ज्यादा कर्जदार और परेशान मुल्क इंगलैण्ड है जहां पर आज भी आपसे २० गुना जन-स्वास्थ्य के ऊपर वहां की सरकार खर्च करती है। हमारे यहां स्थिति यह है कि लोगों को दवाई तक नहीं मिलती है। वे बेचारे अपनी मौत से मर रहे हैं, लेकिन उनको चिकित्सा नहीं हो पाती है। आप रेलवे को देखिये कि वहांपर किस तरह जन-सुरक्षा का प्रबन्ध है। आज आपकी रोडवेज बस को चार बन्दूकधारी लोग आकर मुसाफिरों को लूट लेते हैं। वहां पर यात्रियों के डिफेन्स का कोई इन्तजाम नहीं है, इतने सारे केसेज रजिस्टर होते हैं, लेकिन आप कोई इन्तजाम नहीं कर सकते कि लोगों की किस तरह से सुरक्षा का प्रबन्ध किया जा सके। आखिर कब तक यह डैथ लेते रहेंगे, कब तक लोगों का खून चूसते रहेंगे? कब तक यहां पर आप समाज का शोषण करते रहेंगे? इस बात को आप भी नहीं मानते हैं और मैं भी नहीं मानता हूं, लेकिन देश की जनता जरूर मानती है कि हमारा जो यह मन्त्रिमंडल आज बना हुआ है उसमें जनता का वास्तव में विश्वास नहीं रह गया है और जनता यह सोचती है कि रोड से २५२ आप भले ही हो जायं वह बात अलग है, लेकिन जनता यह मानती है कि पूंजीवादी तरीके से हमारी योजनाएं चल रही हैं। जिन योजनाओं के अन्दर पूंजीपतियों का हित निहित है, ऐसी योजनाएं आज चलाई जा रही हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और बहुत जोरदार शब्दों में यहां पर विरोध करता हूं और बाहर भी विरोध करूंगा।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रद्धा जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। इस संशोधन के विरोध में उधर के भाषणों को सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। यह विरोध ऐसे सदस्यों के द्वारा मैंने आज सुना है जो देश के और समाज के महारथी हैं चाहे इस दल के हों या उस दल के, लेकिन देश का निर्माण सब हृदय से चाहते हैं। सब चाहते हैं कि यहां से गरीबी दूर हो, देश सुखी हो, सम्पन्न हो और विशेष कर हमारे सोशलिस्ट नेता का तो उद्देश्य ही यही है। लेकिन जब हम भाषण सुनते हैं और देखते हैं कि इस संशोधन का भी विरोध हो रहा है तो ताज्जुब होता है। जो हरिजन वर्ग के उत्थान के समर्थक रहे हों और जिनका जीवन इसी के लिये बीता हो वह आज सरमायदारों के हामी बन इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। मुझे दुःख है कि मैं उस वीर यादव के मुंह से यह बात सुन रहा हूं कि गरीब किसान मजदूरों पर तो टैक्स हो जो देहातों में जाते हैं, लेकिन शहरों में यह टैक्स नहीं लगना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यात्री-कर उन पर क्यों नहीं होना चाहिये? इसी सदन में हमको बेरोजगारी देते हुये बार-बार कहा गया कि ग्राम के निवासी पिस रहे हैं, किसान की गरीबी बढ़ती जा रही है और वह आतंक से भयभीत है, लेकिन फिर भी आप शहरियों के सपोर्टर बने हुए हैं। यह सरकार जिसने जनहित करने का निश्चय किया है, उसका विरोध किस तरह से किया जाता है। आज विरोधी दल के नेता सरमायादार वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको इस संशोधन का स्वागत और समर्थन करना चाहिये और उनको कहना चाहिये कि अगर देहात के यात्रियों पर कर लग रहा है तो शहर के यात्रियों पर भी यह कर अवश्य लगना चाहिये। अभी भगवानदास जी ने कहा कि यह मौलिक अधिकार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे भी सरमायदारों के हामी हैं? हम तो उस वर्ग से सम्बन्धित हैं जिसका शोषण किया जा रहा है।

आपने कहा कि कहीं दवाइयों का प्रबन्ध नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि जहां-जहां रोडवेज के वर्कशाप हैं वहां-वहां अस्पताल हैं, जहां रोडवेज की यूनिअनें हैं वहां उनके अस्पताल हैं और रोडवेज के प्रत्येक कर्मचारी का इलाज होता है। जहां तक बीमे की बात है, वह ठीक है। हम आप सब चाहते हैं कि रोडवेज उन्नति करे और उसमें धीरे-धीरे बीमे का भी प्रबन्ध होगा, लेकिन अभी तो आप सरमायदारों के हामी बन रहे हैं, इसका मुझे अफसोस है और मैं आदरणीय नेता सोशलिस्ट पार्टी से कहना चाहता हूं, जिनका मैं आदर करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—मैंने भाषण नहीं दिया है।

श्री हरीसिंह—आपकी पार्टी वालों ने दिया है, वह सरमायदारों के हिमायती बनते हैं। यहीं तक नहीं श्री भगवानदास जी ने एक बात कही कि जो शहर वाले टैक्स देते हैं वह पेट काट कर देते हैं। परन्तु मैं यह कहता हूं कि गाँव वाले आदमी ही पेट काट कर टैक्स देते हैं। यदि गांव वालों का पेट न कटता होता तो आज उनके पास भी शहर वालों की तरह से ही पक्के मकान होते और वे भी बेचारे शहर वालों की तरह से पक्के मकानों और पक्की सड़कों का आनन्द उठाते। शहर वाले जो होटल और सिनेमा जाते हैं, वह शायद पेट काट कर ही जाते होंगे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि शहर वाले कभी भी पेट काट कर टैक्स नहीं देते हैं। इसलिए ऐसा कहना असंगत बात है कि शहर का आदमी पेट काट कर टैक्स देता है। देहात का किसान और मजदूर अलबत्ता अपना पेट काटता है। इसलिए शहर वालों का हिमायती आपको नहीं होना चाहिए, बल्कि गांव के किसानों और मजदूरों के हित की बात करनी चाहिये। जिनकी शक्ति पर देश निर्भर है, जिनकी गाढ़ी कमाई पर ही सरकार चलती है और देश जीता है। शहर में तो रोड पक्की, मोटर की सुविधा और सवारियों की और यातायात की हर प्रकार की सुख-सुविधा का प्रबंध है जिसका कि शहर वाले आराम उठाते हैं। परन्तु यह सब सुख सुविधाएं गांवों में नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सबको इसका समर्थन करना चाहिये जिससे यह पारित कर दिया जाय। इसमें विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन बहुत दुःख की बात है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं वह इसका विरोध करते हैं। श्री चन्द्रजीत जैसा महारथी इसका विरोध करे, यह बड़े दुःख की बात है और मैं उनसे कहूंगा कि वे भी इसका समर्थन करें।

*कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष अपना छोटा-सा सुझाव पेश करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने यात्री-कर के विषय में काफी जोर देकर और गला फाड़ कर खूब प्रकाश डाला। यह यात्री-कर विधेयक वही चीज है, जैसे आप योजना के नाम पर अधिक टैक्स लगा कर जनता से, हम लोगों से यह कहते हैं कि देश की उन्नति के लिए, योजनाओं की पूर्ति के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। परन्तु यह उसी प्रकार की कहावत है जैसे एक दिन एक गडरिया एक अपनी भेड़ का ऊन कतर रहा था, तो भेड़ ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो किसान ने कहा कि कमरी बनायेंगे। इस पर भेड़ ने कहा कि यहै उनवा रहै देव, हमका कमरी न चाही। वैसे ही आप भी कहते हैं कि हम टैक्स लगा कर योजनाओं की पूर्ति देश के अन्दर करेंगे। परन्तु मैं साफ-साफ इस सदन के समक्ष कह देना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को जनता के सुख और शांतिमय जीवन देने के लिये इच्छुक होना चाहिए और दिल से गरीब जनता के उत्थान के लिए उनको प्रयत्नशील होना चाहिए। परन्तु मैं यह कहूंगा कि केवल टैक्सों के बढ़ाने से ही देश की जनता को शान्ति और सुख नहीं मिल सकता, वह समृद्धिशाली नहीं हो सकती। आज जो आप कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं की पूर्ति के लिए १३ करोड़ ६५ लाख रुपये की आवश्यकता है, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि देहात की जनता को सुख मिले, इसकी भी आप व्यवस्था करें। मैं यद्यपि एक गरीब किसान का लड़का हूं और केवल मिडिल तक ही पढ़ा हूं परन्तु आप से यही कहूंगा कि आप मेरी बात मानें। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देहात की जनता यह चाहती है कि उसके खून पसीने का जो पैसा सरकार के पास आता है उसका सदुपयोग हो। उससे गरीब जनता को कुछ फायदा हो। अगर आप देहात की जनता को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो मेरा सदन से नम्र निवेदन है कि आप अपनी इन योजनाओं के लिये बढ़ते हुये कर की योजना को स्थगित करके ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे आज बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार दूर हो। गरीबों के लिये न्याय सस्ता हो। अगर ऐसा होगा तो देहात की गरीब जनता खुशहाल होगी और उसको कुछ फायदा पहुंचेगा। आज देहात में जाकर देखिये, जनता करों के बोझ से कराह रही है, अन्याय से पीड़ित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, देहात की जनता में जब यह खबर फैली कि मोटरों पर टैक्स बढ़ने वाला है तो वे लोग कहने लगे कि अब हम लोगों को मोटर पर शहर जाना मुश्किल हो जायगा और जब हम पैदल जायेंगे तो रास्ते में बड़े-बड़े जालिमों द्वारा लूटे जायेंगे, सताये जायेंगे। श्रीमन्, आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। न्याय के लिये उनको अदालतों में जाना पड़ता है। इसके लिये उनको बसों द्वारा शहर में आना-जाना होता है। अब अगर मोटरों पर भी कर बढ़ेगा तो नतीजा यह होगा कि उनको पैदल जाना पड़ेगा और जब वे पैदल जायेंगे तो रास्ते में बदमाश लोग उनको सतायेंगे, उनके हाथ पैर तोड़ डालेंगे। अभी तो वे बसों द्वारा किसी प्रकार अदालतों तक पहुंच जाते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष---यह जनरल डिस्कशन नहीं है। आप कृपया संशोधन पर ही बोलिये।

कुंवर तेजभानसिंह---जो लोग सैर करते हैं, उन पर अगर टैक्स होता तो ठीक रहता, लेकिन देहात में जो लोग सफर करते हैं वे तो किसी आवश्यक कार्यवश ही सफर करते हैं। अगर किराया बढ़ जायेगा तो गरीब जनता बहुत परेशान होगी।

इसलिये मेरा एक सुझाव है कि अगर सरकार अपनी जिद्द वश कर बढ़ाना चाहती है तो उसको अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिये बड़े-बड़े करोड़पतियों, बड़े-बड़े फार्मों और कारखानों पर टैक्स बढ़ाना चाहिये। उन लोगों पर टैक्स बढ़ा कर गरीब जनता को कर के बोझ से बचाया जा सकता है। इसलिये मैं सदन से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह निष्पक्ष भाव से इस पर विचार करे। अगर किराया बढ़ता है तो गरीब जनता पिस जायेगी।

***श्री दीनदयाल करवरिया** (जिला बांदा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत गर्मा-गरम बहस यात्रा-कर पर चल रही है। यात्रा-कर जो ५ परसेंट बढ़ाया जा रहा है, उस पर बहुत ही जोर-शोर मचाया जा रहा है। मैं आपसे कहूं कि यह जो यात्रा-कर है यह कोई विशेष वृद्धि नहीं है। मैंने अभी देहात का दौरा किया। मैं साइकिल पर जा रहा था, एक मोटर बस आ रही थी। एक लेबर पार्टी थी उन्होंने हाथ दिया, मोटर गाड़ी खड़ी हो गयी, मैंने भी हाथ दिया था तो नहीं खड़ी हुई। खैर, मैंने भी साइकिल रख दी और मोटर ड्राइवर से अर्ज किया कि इनको नराने की जगह पर ले जाइये। एक मील से ज्यादा स्थान नहीं था जहां मजदूरों को जाना था, लेकिन वह ५ पैसा नहीं १० पैसा देने के लिए तैयार थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो मंहगाई बढ़ी है इसका एवरेज ४ आना, ८ आना, १२ आना, डेढ़ रुपया, ढाई रुपये आ रहा है, और इसको वजह से लोगों का स्तर बढ़ा। उनको साबुन लगाने का, तेल लगाने का और भली प्रकार से भोजन पाने का अवसर मिला। अगर आप यह कहें कि यह बड़ी ज्यादती हो रही है और मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों पर ज्यादा बोझ आयेगा, जैसा कि गेंदासिंह जी, चन्द्रजीत जी, यूसुफ साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा---तो मेरे खयाल में अगर वस्तुस्थिति का अध्ययन करें---थोड़ा माफ कीजियेगा, दांत नहीं हैं तो स्लिप कर जाता हूं---तो ज्यादा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी योजना को पूरा करने के लिए १३-१४ करोड़ का घाटा आ रहा है। आप खयाल कीजिये कि पूंजीपतियों में भी ५ या १० परसेंट कई करोड़ रुपया दे सकते हैं, ९० परसेंट ऐसा तबका है जो एक पैसा नहीं देगा। वह तो अपने को बढ़ाना चाहता है, उनको पैसे से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्तियों को तो विदेशों की भांति अगर नागरिक शक्ति से वंचित किया जाय, वोट देने का अधिकार न दिया जाय तो अनुचित न होगा।

अब आप किसानों की तरफ देखिये। मुझे मालूम है कि अगर उनको आफर दिया जाय तो वह हर तरह से तैयार हैं। उन्होंने मुझे बतलाया कि मालगुजारी बढ़ा कर यह रुपया न लिया जाय, कर के रूप में ले लिया जाय। एक-एक रुपया ले लें तो वे खुशी से देने के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीनदयाल करवरिया]

तैयार हैं। वह कहते हैं कि हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे और कांग्रेस सरकार के नाम पर तृतीय योजना को सफल बनाने के लिए हम तहे दिल से ८ आना, १० आना, १२ आना जो कुछ होगा हम देने के लिए सहमत हैं। तो समाज में तो सबके कोआपरेशन से ही शान्ति होगी। उसमें सब के योग की, कोआपरेशन की जरूरत है। विश्व शान्ति कैसे होगी? वह तो पंचवर्षीय योजना की पूर्ति से ही होगी शान्ति-योग पाओगे। योग मीन्स कोआपरेशन। जो आपका कोआपरेशन प्राप्त होना चाहिये।

गेंदासिंह जी ने कहा कि श्रद्धादेवी और बनारसीदास जी से तो हमारा सोलह आना सहयोग है। न सही १६ आना, १२ आना या ८ आना ही सही। अगर आप का ८ आना भी सहयोग है तो हम समझते हैं कि आप हमारे साथ हैं। ५० परसेंट तक भी सहयोग है तो ठीक है। हम इस तरह से सोचते हैं। तृतीय श्रेणी के लोग और किसान उदार होते हैं। आप करोड़पति के पास जाइये, तो वह आपका एक पैसा के लिये गला काट खायेगा।

गिरते ऊंच रसिकमन, बूड़े जहां हजार।

वहै सदा पशुनरन को, प्रेम पयोधि पगार।।

वह आप की बात को समझते हैं। मेरा मतलब तृतीय श्रेणी के लोगों से है। संतसिंह यूसुफ और विरोधी दलों के नेताओं का हमें सहयोग चाहिये। मैं और चौपाई या दोहा नहीं कहूंगा और जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अन्य लोगों को भी बोलना है। पूंजीपतियों के यहां आप मोती, हीरे, जवाहरात भर दीजिये। वह तभी सन्तुष्ट हो सकता है। माननीय पांडेय जी का प्रवर समिति का सवाल है। आप ठंडे दिल से सोचिये। यहां सभी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। श्री अलगू राय, वन मंत्री, ने कहा था कि यहां पर अनाज का ढेर है, कहीं चूहे न खा जायं। अगर ईमानदारी से काम किया जाय तो कोई घाटा नहीं आ सकता है। चूहे साहब अनाज में लग जाते ह तो आप उन्हें मारने के लिये गोली दें। इसलिये अगर कुछ टैक्स ले भी लिया जाय तो किसान के भी वह काम आवेगा।

मैं आशा करता हूं कि सेंट पर सेंट कोआपरेशन हमें विरोधी दलों का प्राप्त होगा और वह बहुत ही अच्छा होगा पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिये।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं के नाम पर आज यह कांग्रेस शासन जनता का शोषण करता चला जा रहा है। परिणाम यह है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में नये-नये टैक्स लगाकर, जनता की आमदनी पर ध्यान न देकर, हठ पूर्वक टैक्सों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार टैक्स लगाने का आधार केवल यह बनाये हुए है कि उसे केन्द्रीय सरकार से ३५० करोड़ रुपया जब मिलेगा जबकि वह स्वयं १४७ करोड़ रुपया प्रदेश की जनता से वसूल करे। ठीक है, मगर आपको यह भी सोचना चाहिये कि करों का घड़ा भरता चला जा रहा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें तो मालूम होगा कि जनता के अन्दर करों के प्रति व्यापक रूप से असन्तोष बढ़ता चला जा रहा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये इस सरकार ने करों की योजना बनाई है और इसी सम्बन्ध में यह यात्रा-कर विधेयक रखा गया है।

अभी माननीय सदस्या ने जो संशोधन रखा, यदि उस पर विचार किया जाय तो प्रत्यक्ष रूप से विदित होना चाहिये कि देहात की जनता में और शहर की जनता में कौन लोग अधिक यात्रा करते हैं अगर इसका सर्वे कराया जाय तो आपको पता चलेगा कि शहर के अन्दर साइकिल और बसें लोगों के रोजाना के जीवन का अंग बन गई हैं। आज विधान सभा की बैठक समाप्त होते ही आप देखेंगे कि चौराहों पर हमारे छोटे-छोटे बाबू लोग बसों की प्रतीक्षा करते हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनसे अपने घर जाते हैं। बसें उनके जीवन का इस प्रकार अंग बन गई हैं। इस कर का अधिक भार शहर के मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। देहात में केवल तीन प्रकार के यात्री होते हैं। या तो वे जो अदालत के लिये जाते हैं, या तीर्थ यात्रा के लिये जाते हैं और या अपने रिश्तेदारों के यहां जाते हैं। लेकिन साधारणतया यात्रा उनके जीवन का अंग नहीं है, आवश्यकतानुसार वे यात्रा करते हैं। शहरों में यात्रा जीवन का अंग बन गई है। इसलिये माननीया सदस्या के संशोधन का मैं विरोध करता हूं क्योंकि इस संशोधन से कर का भार गरीब लोगों पर ही पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचवर्षीय योजना के नाम पर जिस प्रकार यह कांग्रेस सरकार जनता का शोषण करती जा रही है, उसे देखते हुए मैं उधर के सभी माननीय सदस्यों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि निकट भविष्य में जनता को अदालत में उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि जो करों का भार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जनता की आवश्यकताओं को नहीं देखा जाता है, तो यह एक बड़ा पाप इस कांग्रेस सरकार के द्वारा होने जा रहा है। जीवन की कोई भी ऐसी आवश्यकता की वस्तु नहीं है जो कर से मुक्त हो। जीवन की हर एक आवश्यक वस्तु पर इस कांग्रेस सरकार ने टैक्स लगा रखा है। उसका परिणाम यह हुआ है कि जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं अधिक समय न लेकर आपसे अपील करूंगा कि जो संशोधन आया हुआ है वह सर्वथा अनुचित है और यात्री-कर की इस धारा का असर अधिकतर शहर के मध्यवर्ग पर पड़ेगा और वह अधिक त्रस्त हो जायगा। जो सरमायेदार हैं वे तो कांग्रेस के लोगों की चाटुकारिता में घूमा करते हैं और उनके पास मोटरें हैं, साधन हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। अतः यह अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्या द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बसन्त लालशर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर काफी विवाद हो चुका है। (अनेक सदस्यों के खड़े होने पर) अच्छा तो दो एक सदस्यों को और मैं समय दिये देता हूं। श्री गंगाप्रसाद अब अपना भाषण करेंगे।

***श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इस मोटर यात्रियों पर कर के विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। कुछ लोग प्रस्ताव लाकर इस बोलने के अवसर से वंचित करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपको दुबारा बधाई देता हूं।

एक ओर तो चन्द्रजीत जी अपने देश की गरीबी को दूर करने की बात करते हैं, वे जरा सोचें कि यह यात्री-कर का लाभ किसको होगा। इसका लाभ किसी पूंजीपति को नहीं होगा, इसका लाभ जनता की सरकार को ही होगा और वह पैसा जनता पर खर्च किया जायगा। एक ओर तो आप कहते हैं कि पूंजीपतियों का राष्ट्रीकरण किया जाय, लेकिन जब हमने राष्ट्रीय-करण इस उद्योग का कर लिया है और पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये इस तरह के कर हम लगा रहे हैं, तो आप उसका विरोध करते हैं। यह कहां का समाजवाद है?

एक ओर तो विरोधी दल के नेता कहते हैं कि बहुमत के द्वारा हम पर यह कर थोपे जा रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि अभी एक माह ही हुआ जबकि हम चुनाव लड़ कर यहां आये हैं और जनता के सामने हम स्पष्ट रूप से कह कर आये हैं कि हम आपकी भलाई के लिये कर लगाने वाले हैं और उसने उसको देने का वादा किया है। आपके कहने से नहीं आये, जनता ने हमको यहां भेजा है। हम उसकी बहबूदी के लिये कर लगायेंगे। आपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाप्रसाद]

अभी कहा कि माननीय मन्त्री जी देहात के लोगों पर तो कर लगाते हैं, लेकिन शहर के लोगो पर नहीं लगाते ह, लेकिन जब मन्त्री जी शहर के लोगों पर कर लगाने जा रहे हैं तब आप उसका विरोध करते हैं। जरा यहां की सड़कों को तो देखिये, रोशनी को देखिये, कालेजों, मेडिकल कालेज और कारखानों को देखिये, सब लबालब और सुन्दरता से ओतप्रोत हैं। जो ऐसे स्थान पर रहते हैं, उनके लिये आप कहते हैं कि कर न लगाये जायं।

अभी जनसंघ के माननीय सदस्य कह रहे थे, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि पहले हमारे और आपके बुजुर्ग अयोध्या या काशी या प्रयाग जाते थे तो पैदल जाते थे, लेकिन आज आप देखें तो रोडवेज के स्टेशनों पर भीड़ लगी रहती है, टिकट नहीं मिलता। धक्कमधक्का होती है, जो मजबूत होता है वह आगे टिकट ले जाता है। लेकिन आज कोई पैदल जाता है तो अगर हम मोटर गाड़ियों पर, या बस पर यात्रा करने वालों पर कर नहीं बढ़ायेंगे तो किस तरह से कर्मचारियों को सुख-सुविधा दे सकेंगे? इसलिये आपको चाहिये कि खूब सोच-समझ कर बात करें। जहां शहरी भाइयों को इतनी सुख-सुविधा उपलब्ध है वहां माननीय मन्त्री जी को चाहिये था कि ५ नये पैसे के बजाय २५ नये पैसे या ४ आने कर लगाते, क्योंकि यहां पर उनको हर तरीके की सुविधा दी जाती है। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने केवल ५ नये पैसे का ही टैक्स लगाया है। आज तो चार नये पैसे का पान ही मिलता है। फिर यह छोटा-सा कर जो ५ नये पैसे का लगाया जा रहा है यह कोई बहुत बड़ा कर नहीं है, लेकिन आज हमें अपनी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये एक-एक पाई इकट्ठा करना है जिससे यहां की गरीबी व भुखमरी दूर हो सके। इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिये हर कोशिश करनी है।

आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि आप कर तो लगाते हैं, यह बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जो मोटर कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह, उनकी नौकरी व उनकी हर सुख-सुविधा की तरफ भी आप ध्यान दें, जिससे वे भी समझ सकें कि जो कर लगाया है उसका कुछ लाभ उनको भी मिल रहा है। जब मोटर कर्मचारी बस स्टैंड पर जाते हैं तो वहां उनके रहने के लिये कोई मकान नहीं मिलता। छोटे-छोटे शहरों में भी अगर उनके रहने के लिये वहां मकान बनवा दें तो ज्यादा बेहतर होगा।

दूसरी बात यह कि माननीय यूसुफ साहब जो मजदूरों के लीडर हैं जब वे पंचवर्षीय योजना का विरोध करते हैं तो बहुत दुख होता है। रूस से प्रेरणा लेकर ही हमने अपने यहां की पंचवर्षीय योजना बनाई और समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग जब इसका विरोध करते हैं तो वह बात मेरी समझ में नहीं आती। जो भी समाजवाद में विश्वास करता है वह कभी भी उस कर का विरोध नहीं कर सकता, जिससे राष्ट्र का लाभ हो, प्रदेश का लाभ हो। कुछ ज्यादा न कह कर मुझे सिर्फ यही कहना है कि माननीय मन्त्री जी इस पर गौर करें और विचार करें कि २५ फी सदी इस कर में बढ़ोत्तरी हो जाय जिससे देश का लाभ हो और यहां की गरीबी व भुखमरी मिट सके। यही मुझे कहना है।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—५ मिनट में राधेश्याम जी समाप्त कर दें, उसके बाद में इस प्रस्ताव को ले लूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय.....

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, अगर एक खंड के ऊपर तीन घंटे लगेंगे तो इस तरह से एक सप्ताह में भी यह बिल पास नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राधेश्याम जी, आप ५ मिनट में समाप्त कर दें।

*श्री राधेश्याम शर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून के विद्वान माननीय बनारसी दास जी अगर शांति से बात सुनें और दूसरों को भी सुनने दें तो निहायत अच्छा हो। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दोनों ओर की बातें मैंने सुनीं। बहन श्रद्धा जी ने जो संशोधन रखा है कि नगरों में भी बस यात्रियों पर टैक्स बढ़ाया जाय, वह बात अपनी जगह सही है। श्रीमन्, विरोधी दल की ओर से यह दलील दी गई है कि यह कर मध्यम वर्ग की जनता पर बढ़ेगा, इसका भार गरीब जनता पर पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोग ही बसों पर चढ़ते हैं। बड़े लोग जिनकी आमदनी ज्यादा है और जिनकी गिनती बड़े लोगों में की जाती है समाजवाद के आधार पर, वे अपनी-अपनी कारों में ही यात्रा करते हैं। तो विरोधी पक्ष की यह दलील और सरकारी पक्ष की दलील दोनों का समन्वय करके मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। सरकारी पक्ष की यह दलील कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में गरीबों के हित के लिये ही सुधार करेंगे और उसके लिये पैसा भी गरीबों से ही लेंगे। यह उनकी दृष्टि में अच्छा तर्क हो सकता है, लेकिन इसका निर्णय कौन करे हम लोग कहते हैं कि हम ६६ प्रतिशत वोट लेकर आये हैं और वह कहते हैं कि हम बहुमत में हैं हमारी एक ही पार्टी बहुमत में है और आप की ७ पार्टियां हैं और आप में मिलकर सरकार चलाने की क्षमता नहीं है। इसका निर्णय केवल एक ही तरह से हो सकता है, अगर उधर के लोग मेरी एक बात मान लें, आज इस टैक्सेशन के प्रश्न पर प्रदेश की साढ़े ८ करोड़ जनता की निगाह लगी हुई है और आज इसी की गांव-गांव, शहर-शहर और कस्बे-कस्बे में चर्चा हो रही है। मैं सुझाव देता हूं कि केवल इस तृतीय पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये टैक्स से रुपया वसूल करने के प्रश्न को ही लेकर दस माननीय सदस्य इधर से इस्तीफा दें और उधर से दस माननीय सदस्य इस्तीफा दें और उनमें माननीय मुख्य मन्त्री जी और सूचना मन्त्री जी इस्तीफा दें, हम मथुरा जिले के यहां दो सदस्य हैं और दोनों यहां से त्याग पत्र देने के लिये तैयार हैं जहां कि माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य ने कहा था और उनका वह कहना ही वहां उनकी हार का कारण बना, उन्होंने कहा था कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये टैक्स लगायेंगे। मैं बहुत गम्भीरता के साथ कहता हूं कि मेरे इस चैलेंज को वह कबूल करें और देखें कि हमारे क्षेत्र में वह जमानत न गंवा बैठें तो क्या बात है और अगर हम हार जायं तो जो सजा वह देना चाहें उसे भुगतने को हम तैयार हैं। वह १५ दिन के अन्दर इस प्रश्न को लेकर चुनाव करा लें तब उनको पता चल जायगा कि टैक्स के सम्बन्ध में जनता की क्या राय है। पुलिस की ज्यादतियां कराई जायं और टैक्स लगाये जायं जनता पर, इस को वह गणतन्त्र कहें या जनतन्त्र की परिभाषा की संज्ञा दें तो मैं क्या कहूं।

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में ६२,

विपक्ष में—४१।)

कुमारी श्रद्धादेवी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी और माननीय परिवहन मंत्री की आभारी हूं कि उन्होंने यथास्वरूप मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया और जो संसद की परम्परा है, उसके अन्तर्गत मेरे विषय पर ध्यान देते हुये अगर माननीय गेंदासिंह जी आगे बढ़े तो उन्होंने संबंधित किया माननीय परिवहन मंत्री को मेरा खयाल है वह मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ गये थे और जो उन्होंने कहा उसका उत्तर मंत्री जी देंगे, क्योंकि वह भी गम्भीर आदमी हैं और माननीय गेंदासिंह जी भी तपे-तपाये कांग्रेस के सेनानी रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुमारी श्रद्धादेवी]

इसके उपरान्त मान्यवर, यह ऐसा संशोधन नहीं था कि जिस पर इतनी लम्बी बहस होती। बहस होती रही यात्रा कर विधेयक पर, जबकि यात्रा कर विधेयक को प्रवर समिति के लिये भेजा जाय उस पर बहस हो गई थी और जो सिद्धान्त था उसको बहुमत से सदन ने स्वीकार कर ही लिया था, फिर भी इस संशोधन पर बहस हुई। यह बड़ी विडम्बना है। कल यहां बोलते समय माननीय मैनेजर और अन्य साथियों को बड़ी भारी शिकायत थी कि हर तरह से शहरियों को करों से बचाया जाता है, शहर वालों के साथ रियायत की जाती है, मेरी भी भावना उन्हीं के साथ-साथ थी और मैंने एक बड़ा सीधा-सादा संशोधन पेश कर दिया और वह इतने भारी विवाद का विषय बन गया। यह बहुत अच्छी बात है कि विवाद से अच्छी चीज निकल आये। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं हमारे यहां एक उच्च स्तरीय इकोनोमी कमेटी बना दी गई है जिसके अन्दर परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले दो नेता भी हैं--एक हैं जनसंघी श्री यादवेंद्रदत्त और दूसरे श्री जेड०ए० अहमद कम्युनिस्ट। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि जो बात आपने यहां कही हैं वही अगर दोनों नेताओं के सामने पेश करें और यही नहीं बल्कि इकोनोमी के बारे में भी जो सुझ व आप देंगे उनमें से जो मौलिक सुझाव होंगे उनको सरकार स्वीकार करेगी ही जो हमारी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में सहायक हंगे।

मान्यवर, माननीय चन्द्रजीत जी ने जो कहा उसे सुन कर थोड़ी तकलीफ हुई। वह करों का विरोध कैसे करते हैं यह बात समझ में नहीं आती। जहां से वे प्रकाश प्राप्त करते हैं वहां पर सन् २८ से योजनायें चलाई गयीं। दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर अधिनायकवाद है और यहां प्रजातंत्र है। पूंजीवादी कर नीति के अन्दर तो कल्याणकारी कर नीति कोई चीज होती नहीं, लेकिन अधिनायकवाद की कर नीति में कल्याणकारी चीजें होती हैं। तो क्या आप सभी दल के लोग अधिनायकवाद कर नीति पर विश्वास करते हैं? रूस में उन्होंने सन् १९२८ से अपनी योजनायें चलायीं और किसान की आय का ७० फीसदी उन्होंने जबरदस्ती रूस के विकास के लिये ले लिया और कहते हैं कि बड़ी भारी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं में प्रगति कर ली। रूस में लोग भूखे नंगे रहे और १७,१८ वर्ष तक खाने की चीजें अंडा, गोश्त, चीनी बाहर भेजी जाती रहीं। बिजली और लोहा बनाया जाता रहा। बड़े बड़े कारखाने बनाये जाते रहे और कहा यही जाता रहा कि यह सब जनता जनार्दन के लिये किया गया है। हमारे कल्याणकारी राज्य में इतना जरूर है कि हम आपकी सम्मति से सरकार व योजनायें चलाना चाहते हैं और वहां सम्मति नहीं ली जाती। बगैर कर के तो आप भी सरकार नहीं चला सकते।

रहा प्रश्न यह कि बड़ा भारी अनर्थ हो जायगा अगर १० पैसे बस का टिकट है और वह ११ पैसा हो जायगा। और १५ हैं तो १६ हो जायेंगे, २० हैं तो २१ हो जायेंगे तो बड़ा भारी आसमान टूट जायगा, जमीन फट जायगी। एक तरफ तो आप प्रदेश में उन लोगों की तरफ ध्यान खींचते हैं, जिनकी आय ५ रुपये है, २० रुपये है, ३० रुपये, २५,५० और १०० रुपये तक है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनका कल्याण किस तरह से होगा? आप जरा किसी चीज को सामाजिक करों के रूप में देख लीजिये, धार्मिक करों के रूप में देख लीजिये। आपको कोई घर बनाना होता है तो आप बच्चे के दूध में से कटौती करते हैं। शादी करनी होती है तो खाना, कपड़ा और दवा-दारू तक में से कटौती करते हैं और जो १०० रुपये माहवार पाता है उसको रहन-सहन के हर स्तर में कटौती करनी होती है और उसे जीवन के हर अंश से योगदान देना होता है। तो जब आप सामाजिक कर, धार्मिक कर में योगदान दे सकते हैं तो यही सिद्धान्त आप राष्ट्रीय कर-दान में क्यों लागू नहीं करते हैं? इसका मुझे बड़ा खेद है कि सदन में आकर आपकी नीति अनुदार हो जाती है।

फिर यह कर प्रदेशों—उत्तर प्रदेश, मैसूर और पश्चिमी बंगाल—को छोड़कर सभी प्रदेशों में लागू है और उन तीनों प्रदशों में, यह कर यहीं लागू कर दिया गया है। यात्री-कर

यात्रीणों पर लगाया गया जो जेठ मास की कड़ी दोपहरी में तपता है, जाड़े में काम करता है और बरसात में पानी में काम करता है। उसके बीबी बच्चे बीमार होते हैं तो उनको अस्पताल लाये जाने के लिये उन पर यात्री कर लिया जा सकता है तो जिन्हें प्रवृति की ये यातनाएं नहीं सहनी पड़ती, उनसे लिया जाना उचित है। लेकिन जो यहां के लोग हैं मैं लखनऊ को ही थोड़ी देर के लिये लेती हूं, यहां पर, मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि साढ़े तीन हजार कार हैं। इतने लोग अपनी निजी गाड़ियों में चलते हैं और बाकी लोग सभी बसों में चलते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, जो झल्ली ले जाने वाला है, वह बस से नहीं चलता, वह अपने पैरों चलता है। बस में वही चलेगा जो देने में समर्थ है। सेक्रेटरीएट के अधिकारी, बाबू लोग व व्यापारी यात्री चलेंगे यदि हम यह कहें कि एक पैसा या दो पैसे कर लेते हैं उस यज्ञ के लिये जिस यज्ञ का फल उस आदमी को मिलेगा जिसको समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि एक आदमी सड़क पर भूखा पड़ा हुआ है, जो कोढ़ी है, वृद्ध है, अन्धा और अपाहिज है, उसको मिलने वाला है तो कौन सा बड़ा अनर्थ हुआ जा रहा है। एक मेरे साथी यहां मौजूद नहीं हैं, सम्भवतः भगवानदास उनका नाम है, उन्होंने कहा कि घोर अन्याय हो रहा है, मुझे याद नहीं रहा, बड़े कठोर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये थे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूं कि जब यहां पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था थी और कर नीति थी तो कोई घोर अन्याय नहीं था, लेकिन अब एक प्रजातांत्रिक तरीके से, समाजवादी पद्धति से एक मौका मिला कि जनता-जनार्दन ने उन्हें चुन कर यहां भेजा तो आज बड़ा घोर अनर्थ है। जब उन्हें कुयें से पानी कोई नहीं भरने देता था, पास बिठाता नहीं था, पढ़ने-लिखने नहीं दिया जाता था तब घोर अनर्थ नहीं कहने की हिम्मत थी किन्तु जबकि आज हमारी प्रगतिशील समाजवादी सरकार समय-समय पर आप लोगों से राय लेकर चलती है, चाहे वह बहुमत की ही राय क्यों न हो और उसके आधार पर अगर उन्हीं की बिरादरी वालों के लिये जिनके लिये जीवन की कोई सुविधायें न थीं, वकील और मिनिस्टर बनना तो बहुत दूर की बात थी टीचर भी नहीं बनते थे न नौकरी में स्थान था। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग साढ़े १० करोड़ रुपया उनके उत्थान के लिये लगाया गया। उन्हीं करों से छोटी-छोटी धनराशियों को एकत्रित करके हम लोगों ने छात्रावास, पुस्तकालय और पाठशालाओं पर २४ लाख रुपया खर्च किया, १० लाख रुपया उनकी कृषि में खर्च किया, १८ लाख रुपया उनकी आवास व्यवस्था पर खर्च किया, पहाड़ों में जहां उनके रहने के लिये मकान नहीं हैं वहां पर भी हम लोगों ने क्वार्टर्स बनवाये और वहां पर भी ५ लाख रुपया खर्च किया। सन् १९६१ से १९६६ तक ९ करोड़ ५० लाख रुपया आवास, छात्रावास पर हम और खर्च करने जा रहे हैं। तो मान्यवर, हम उनके लिये एक-एक पैसा मांगते हैं और वे आज कहते हैं कि सरकार जुल्म करती है। नेता लोग जब जेल जाते थे तो फूलों की मालायें उनके गलों में पड़ती थीं, लेकिन आज यहां पर रोज सभ्य गालियों की होली होती है। रोज आप विधायक गण जो कि संसदीय परम्परा के बड़े प्रेमी हैं एक सुसंस्कृत भाषा में हमें कोसते हैं और बाहर जा कर चाहे जिस भाषा में कोसते हैं। तो क्या यह सब हमें अच्छा लगता है? लेकिन किया जा रहा है कल्याण के लिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मानती है कि देश की प्रगति हो तो कर लेना होगा चाहे सरकार किसी की हो। दूसरी चीज यह है कि जनसंघ तथा अन्य पार्टीज भी चाहती हैं कि कल्याणकारी राज्य हो तो कर लगेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि केरल में प्रजा समाजवादी पार्टी के जो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कोई कर नहीं लगाया है? क्या वहां सब कर माफ हैं? जब माननीय उग्रसेन जी और चन्द्रजीत जी की गवर्नमेंट आयगी तो सारे कर माफ हो जायेंगे और कोई कर नहीं होगा।

श्री उग्रसेन—गरीबों पर जरूर माफ हो जायेंगे।

कुमारी श्रद्धादेवी—मान्यवर, उनकी सरकार द्वारा लाखों की संख्या में छा भी बढ़ जायेंगे, अस्पताल भी खुल जायेंगे, उनके पास जादू की छड़ी होगी जो एक रात में सारी

[कुमारी श्रद्धादेवी]

कल्याणकारी योजनायें जारी हो जायंगी। हम लोग भी उनके बड़े आभारी होंगे और उनके साथ हो जायेंगे कि वे कर भी नहीं लेंगे और प्रजातांत्रिक ढंग से कल्याणकारी राज्य भी हो जायगा।

एक बात और कही गई कि शहरों पर ९ करोड़ रुपया छोड़ दिया गया है, उसे लिया जाय। इसके लिये मैं एक ही उदाहरण दूंगी। दो भाइयों के पास मकान है एक कहता है कि हमारा कब्जा है और दूसरा मुकदमा लड़ता है। इंजेक्शन आता है और कार्य रुक जाता है, कब्जा निजी मकान का भी नहीं मिलता है। प्रजातंत्र में आप न्याय प्रणाली को मानेंगे या नहीं? यदि मानेंगे तो जहां व्यापार तथा टैक्स है वहां पर कुछ न कुछ धन अदालतों के जरिये रुका रहता है। यही प्रथा उन सभी इंगलैन्ड, अमरीका आदि के करों की बकाया की है। जहां स्वतंत्र न्याय प्रणाली है। इंडस्ट्री व व्यापार ज्यादातर शहरों में हैं। अतः न्यायालयों द्वारा रुपया भी वहीं रुका है। मैं सभी विरोध नेताओं की आभारी हूंगी, यदि वे मुख्य मंत्री जी को यह रुपया न्याय प्रणाली के प्रतिबन्ध के बावजूद वसूल करने की नयी विधि बता देंगे।

अब रह गई बचत की बात। हमारे जनसंघ के नेता यानी हमारे विरोधी दल के नेता एक राजा हैं। मेरा निवेदन यह है कि बचत हो इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकती है। बचत होनी चाहिये अगर कार्य करने की क्षमता पर कोई विपरीत असर न पड़ता हो। ऐसी कोई तरकीब यदि उधर के माननीय सदस्य या राजा साहब सुझा सकेंगे तो मैं बड़ी आभारी होऊंगी और यह सरकार भी होगी। मैं सरकारी अधिकारीगण से भी कहूंगी कि वे बचत करने का प्रयास करें और हो सके तो आधी तनख्वाह छोड़ दें। बचत के लिये किसी ने नहीं रोका है। इसके लिये एक कमेटी भी बन गई है।

दूसरी बात मेरी यह है कि मंत्रिमंडल के ऊपर केवल १२ लाख रुपया खर्च होता है जिसमें स्टाफ भी सम्मिलित है और हमारे यहाँ ३२ मंत्री हैं बम्बई में और पश्चिमी बंगाल में हम से ज्यादा मंत्री हैं जब कि वहाँ की जनसंख्या हमारे यहाँ से बहुत कम है। फिर भी यदि खर्चा ज्यादा है है और बचत हो सकती हो तो मैं इसकी समर्थक हूं कि बचत होनी चाहिये। मैं पक्षपाती नहीं कि बचत नहीं होना चाहिये। दूसरा कारण यह है कि हमारे जितने राजे-महाराजे हैं, उनको ३२ लाख रुपया प्रीवीपर्स के रूप में यू० पी० में सरकार को देना पड़ता है। मैं आप लोगों की बड़ी आभारी हूंगी अगर ३२ लाख रुपया वह छोड़ दें। आज वह जन-कल्याण की बात करते हैं। तीस वर्ष तक जो जेल गये, जिन्होंने अपनी जवानी और बच्चों को नेगलेक्ट किया है उनके दिल में तो आज जनता का दर्द नहीं है, देश भक्ति की आग नहीं है, लेकिन राजा-महाराजाओं के दिलों में जनता-जनार्दन के कल्याण की भावना आज आ गई, जबकि १५ वर्ष पूर्व वे ही जनता को दीन और दरिद्र बनाते रहे हैं। राम भगवान तब बने थे जब उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी थी। बुद्ध भगवान तब बने थे जब राजगद्दी छोड़ दी थी। कृष्ण योगीराज तब बने थे जब राजगद्दी छोड़ दी थी। गद्दी तो उनकी कानून न छुड़ा गयी, अपनी प्रीवीपर्स वह अपने आप छोड़ दें, तब वह बचत की बात कहने के अधिकारी होंगे। तब सरकार के सामने कल्याणकारी राज्य की बात कह सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश कर रही हूं।

श्री मुजफ्फर हसन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से प्रस्ताव पर करीब-करीब दो घंटे बड़ी जोशीली तकरीरें हुई हैं। मैं तो इस अमेंडमेंट को पहले ही मंजूर कर चुका था। हमने सदन के सामने यह बात रख दी थी कि एक प्रैक्टिकल डिफीकल्टी की वजह से बड़े छोटे-छोटे किराये हैं, एक रुपये पर सिर्फ पाँच नये पैसे कर हैं, तो उसका इतना फ्रैक्शन होगा कि काम में दिक्कत होगी, इस वजह से, और कोई बात जहन में नहीं थी, इसको अलग कर दिया था। लेकिन जब मेरे सामने यह आया कि इस पर गलतफहमी पैदा की जायगी

और इसकी तसदीक श्री गेंदासिंह की स्पीच से और भी हुई तो मैंने उसको मंजूर कर लिया। यह छोटी सी चीज है और मैं समझता हूं कि इसको मंजूर किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ज) की पंक्ति ६ में से शब्द "होगा" के पश्चात् शब्द "किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी बस नहीं है, जो केवल नगरपालिका या नगर के भीतर अथवा नरगपालिका या नगर को जाने वाले ऐसे मार्गों पर और ऐसे आसन्न क्षेत्रों में चलती हों जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करें" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७८,

विपक्ष में—४६।)

श्री उपाध्यक्ष—एक संशोधन मेरे पास अभी-अभी और आया है। उसके लिये पर्याप्त नोटिस नहीं है। तो अगर परिवहन मंत्री इसको मानें तो मैं आज्ञा दे सकता हूं।

श्री मुजफ्फर हसन—अगर यह सिलसिला जारी हुआ तो यह काम खत्म करना बिलकुल मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं उसके खिलाफ हूं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, परम्परा का सवाल है, आप खड़े हैं, मैं कैसे बोलूं। इसलिये अगर आप एक मिनट के लिये बैठ जायं तो मैं अपनी बात कह सकूं। श्रीमन्, नम्र निवेदन यह है कि यह परम्परा इस सदन की रही है कि यदि माननीय सदस्य समय से संशोधन न दे सकें और वह कोई महत्वपूर्ण संशोधन उस समय भी देते हैं, पाँच मिनट पहले भी देते हैं तो वह हमेशा माना गया है। इसके लिये आप स्वयं सक्षम हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं इजाजत दे सकता हूं अगर माननीय मंत्री जी या दोनों पक्ष के लोग मानें।

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष की ऐसी व्यवस्था है, आप सेक्रेटरी साहब से पूछ लें, ऐसी व्यवस्था पहले की गई है। वह तो श्रीमन्, २० करोड़ का टैक्स लगायेंगे तो वह तो ऐसा करेंगे ही, अब उनकी बातों से आप प्रेरित न हों।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिए। मेरा ख्याल यह है कि इस तरह से अमेंडमेंट आना बहुत मुश्किल पेश कर देता है। (व्यवधान) यह ठीक है। टैक्स लगाने के ऊपर आप जैसी कुछ भी अपनी राय रखें, लेकिन यह पेश नहीं हो सकता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष जी, अभी माननीया श्रद्धादेवी जी का आपने संशोधन स्वीकार किया और माननीय कृष्णानन्द राय जी का स्वीकार किया तो मैं नहीं समझता कि उधर के पक्ष का संशोधन अगर पाँच मिनट पहले आता है तो परिवहन मंत्री जी तो उस तरफ के हैं ही, वह उसको मान लेते हैं और वह आ जाता है। तो इधर का संशोधन अगर दस या पाँच मिनट पहले आता है तो वह क्यों नहीं आ सकता?

श्री उपाध्यक्ष—वह संशोधन कम से कम इतना तो था ही कि आपके पहले आ गया था।

श्री उग्रसेन—मैं जानना चाहता हूं कि माननीया श्रद्धादेवी ने कब संशोधन दिया है?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—आप नियमावली देखेंगे तो पता चलेगा कि जो संशोधन मिनिस्टर इंचार्ज की अनुमति से पेश होता है, उसको तो स्वीकार किया जा सकता है। चाहे ३६ घंटे पहले उसकी सूचना न भी मिली हो तब भी वह ले लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन पहले साढ़े दस बजे आ चुके हैं, वह तो आ चुके और उनको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है ।

श्री उग्रसेन—मैं यह निवेदन करूंगा कि ३६ घंटे पहले संशोधन आने चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—इस समय मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नियमावली में कहाँ लिखा हुआ है कि साढ़े १० बजे तक जो संशोधन आ जायं उनको तो स्वीकार किया जाय और एक घंटा पहले जो संशोधन आयें उनको स्वीकार न किया जाय ?

श्री उग्रसेन—आप हमको बतलायें कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो हर मिनट पर संशोधन आयेंगे ।

श्री उग्रसेन—हर मिनट नहीं आयेंगे । इस संशोधन को पेश होने दें । आप घबराइये नहीं । ये ज्यादा नहीं है । सिर्फ २,३ ही ऐसे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—बात यह है कि कायदे की बात होनी चाहिये ।

श्री उग्रसेन—हम कायदे की बात ही कहना चाहते हैं । यदि कायदा एक श्रद्धा-देवी जी के लिये है, तो वह सब के लिये होना चाहिये । यह सदन है । सरकार नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—नियमावली की जहाँ तक बात है तो नियमावली में यह है कि ...

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ३६ घंटे की नोटिस के बिना जब आपने इतने संशोधन और मान लिये तो इसको भी मान लिया जाय ।

श्री मुजफ्फर हसन—अगर ऐसा किया जायगा तो यह काम चलना मुश्किल हो जायगा । हर कदम पर एक संशोधन का नोटिस अगर आयेगा तो मैं उसको स्टडी भी नहीं कर पाऊंगा और कंसीडर करने का मौका भी मुझे नहीं मिलेगा । पहले संशोधन पर मुझे कंसीडर करने का मौका मिला और इस बजह से मैंने उसको मान लिया । जो अमेंडमेंट आज मूव हुआ उसकी मुझको सूचना थी । उसको कंसीडर किया गया तो उसको मन्जूर कर लिया । हर क्लाज पर अगर १, २ अमेंडमेंट आने लगे तो मुझे कंसीडर करने का मौका नहीं होगा तो मैं इसको मन्जूर नहीं कर सकता ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी के पास कोई दलील नहीं होनी चाहिये । आपका जो सुझाव है वह उचित है और उसको उनको मान लेना चाहिये ।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक संशोधन का सवाल है आप अगर प्रक्रिया नियमावली के नियम १३८ को देखने का कष्ट करें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि संशोधन ३६ घंटे पहले आना चाहिये । उसमें ऐसा आपको अधिकार अवश्य है कि "यदि अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दें तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी" अगर उसमें कोई आपत्ति कर देता है तो वह नहीं लिया जा सकता । माननीय मंत्री जी ने जिन संशोधनों को माना उन पर वह विचार कर चुके थे । इसलिये उनको स्वीकार किया गया । जो संशोधन इस समय प्रस्तुत किये जा रहे हैं वह ३६ घंटे के पूर्व नहीं हैं और माननीय मंत्री उनको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, वह नहीं समझते हैं । कार्यवाहक मंत्री जिसको आवश्यक समझते हैं उसको ही मानते हैं । इस स्थिति में ये संशोधन अन्य संशोधनों से बिलकुल भिन्न हैं । अतः आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुये जो ३६ घंटे का नियम है उसको मानें । परिवहन मंत्री जी इनको मानने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि इससे सदन के समय का दुरुपयोग होगा ।

श्री उग्रसेन—माननीय सूचना मंत्री जी ने जो कहा है, उसका मुझे जवाब देने दें ।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें। बात यह है कि बहुत से संशोधन जो बाद में आए हैं उनमें से बहुतों को स्वीकार किया है। इसलिये जब एक परम्परा चली आई है, तो मैं समझता हूं कि किसी एक को अलग करना ठीक नहीं है।

लेकिन मुझे यह आश्वासन दिया गया है कि बाद में कोई इस तरह संशोधन नहीं आयेगा और मैं आशा करता हूं कि ऐसा होगा।

श्री बनारसीदास--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री उग्रसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप बोल रहे थे तो फिर बनारसी दास जी कैसे बोलने लगे ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह कह रहा था कि जहां तक ऐक्सेप्ट करने का प्रश्न है वह तो हाउस करेगा किसी मिनिस्टर के कहने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---मैं जो संशोधन रखा है मेरा खयाल है कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य उसका समर्थन करेंगे जिस प्रकार से अपने बयान में शहरों के संबंध में एक निवेदन किया था और इधर से स्वीकार किया गया था। मैं समझता हूं कि उन्हीं के फायदे के लिये संशोधन होगा। मैं तो यह कहूंगा कि बिना समझे बूझे ही माननीय मंत्री जी ने विरोध किया है और मैं समझता हूं कि सुनने के बाद वह इसका समर्थन करेंगे।

श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है---

"खंड (ज) में 'छ' के स्थान पर 'एक या एक से अधिक' रख दिया जाय।"

श्रीमन्, धारा २ के खंड (ज) में लिखा हुआ है कि 'ड्राइवर के अतिरिक्त ६ से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली या ले जाने के लिये अनुकूलित ऐसी मोटर गाड़ी से है। इसमें कृपया ६ के स्थान पर '१ से अधिक' कर दिया जाय। श्रीमन्, आप देखेंगे कि बहुधा ऐसा होगा कि यदि यह पास हो जायगा तो सरकार को जितना लाभ होता है वह नहीं हो सकेगा। जो छोटी-छोटी मोटर गाड़ियां है अधिकतर ऐसा होता है कि उनमें सवारियां ५ से अधिक बैठ सकती हैं और यदि उनको मालूम हो जाय कि सरकार के जो चेक करने वाले व्यक्ति हैं वह सड़क पर घूमते हैं तो हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को लेकर ड्राइवर गाड़ी में सवार हो। जो सरकार को यात्री कर मिलने वाला है उससे वंचित हो जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि 'एक से अधिक' 'छः' की जगह कर दिया जाय। उन पर यात्री कर लगाया जाय। इसलिये मैं यह संशोधन लाया हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय परिवहन मंत्री जी को बहुत दिनों से जानता हूं, उस समय जब कि मैं विद्यार्थी था। जहां तक मुझे खयाल है, जब स्वराज्य के पहले इलाहाबाद में माननीय मंत्री जी जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे और हम लोग अकसर जब पढ़ते थे तो उनके पास जाया करते थे। परन्तु आज मंत्री जी को श्री चन्द्रभानु गुप्ता के राज्य में इतना बदला हुआ देखकर हम को बड़ा दुख होता है। (व्यवधान)

आपने ८० लाख के टैक्स को लगाया, सारी योजनाओं के नाम पर जैसा कुमारी श्रद्धा देवी ने कहा। मैं कहता हूं कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का जो संशोधन है वह एक बड़ा मासूम संशोधन है। जहां वे रहते हैं वहां की यह हालत है कि आप वहां मोटर पर जा ही नहीं सकते हैं। उस इलाके में कार तो है ही नहीं। हमारा उनका बड़ा ही नजदीक का मामला है। एक बात और है श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जाते हैं ट्रेन से, रिजर्व एक सीट ही होती है, मगर डिब्बे की बाकी ६ सीट खाली जाती है। प्रधान मंत्री को एक ही सीट का दाम मिलता है। मगर पूरी गाड़ी खाली जाती है। तो यह सब क्या है ? जिनके पास कारें हैं, उनमें तो कर

[श्री उग्रसेन]

देने की क्षमता नहीं, है आपके हिसाब से, और जो गरीब जनता है वह कर दे सकती है। यह सब है क्या ?

श्रीमन्, जब मैं विद्यार्थी था तो पढ़ा था कि तीन प्रकार की जरूरतें हुआ करती हैं– एक तो आवश्यक, दूसरी आरामदेह तथा तीसरी ऐयाशी की। तो कार तो हिन्दुस्तान के लिये एक ऐयाशी की चीज है। तो जो ऐयाशी के लिये कार लेकर चलें, उनसे तो यह गांधी जी के चेलों की सरकार एक पैसा, दो पैसा भी टैक्स का लेना पसन्द नहीं करती, मगर जो किसी तरह से अपना पेट काट कर, अपने बीमार बच्चे की रक्षा के लिये बरहज स्टेशन पर आती है और किसी तरह से देवरिया हास्पिटल में एक गोली लेने के लिये जाती है, उससे आप टैक्स लेना चाहते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। रामसुन्दर जी के संशोधन ने तो साफ-साफ आंख खोल दी है। माननीय श्रद्धा जी जरा इस पर विचार तो करें। आज गांधी जी की मूर्ति वही है, यहां पर फर्नीचर भी वही है, मगर कुछ व्यक्ति बदले हुये हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी की जगह आज माननीय गुप्त जी विराजमान हैं। यह ठीक है कि वे ब्रह्मचारी हैं। मैं माननीया श्रद्धा जी को बतलाना चाहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी की सरकार ने कभी यात्री-कर नहीं लगाया .....(व्यवधान)

एक सदस्य---क्या कह रहे हैं माननीय सदस्य ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय उग्रसेन जी अनावश्यक बातें कह रहे हैं .....(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---अगर किसी को एतराज हो सकता है तो वह माननीया श्रद्धा जी को, दूसरे को नहीं .....(व्यवधान)

श्री बनारसीदास---मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २८६ की ओर दिलाना चाहता हूं और अपना प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं। उस नियम में यह है कि कोई भी स्पीकर जब बोल रहा हो तो उसमें बाधा नहीं डाली जा सकती और सदन में शान्ति रहेगी।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, आप मुझे इंगित कर दें, हम बिस्तर लेकर घर चले जायं।

श्री उपाध्यक्ष---संशोधन की बात को कहिये, विषय से परे न जायं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---उधर से १०० बार नियमों का उल्लंघन होता है।

श्री बनारसीदास---आप अपनी पहले व्यवस्था दीजिये।

(दोनों ओर के सदस्यों के खड़े होने पर शोर)

श्री उग्रसेन---पहले उनको बैठाइये या फिर हम दोनों को निकाल दीजिये। आपने फ्लोर मेरे कब्जे में दे दिया। क्या उनका यह दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है जो माननीय बनारसीदास फिर खड़े हुए हैं ?

श्री बनारसीदास---आप व्यवस्था दीजिये। मैंने २८६ का प्रश्न रखा तो उधर से राधेश्याम जी ने "शेम शेम" कहा, यह २८६ के अनुसार बाधा डालना है, आबस्ट्रक्शन है। इसके अलावा २९१ के अनुसार वह असंगत बोल रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष---आप यही चाहते हैं कि संशोधन पर कहें, दूसरी बात न कहें, तो मैं भी यही कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन---मैं तो उसे मान ही रहा हूं, कहां उसका विरोध कर रहा हूं ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---व्यवस्था का प्रश्न है। बिना आपकी अनुमति के इस सदन में कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता।

श्री उपाध्यक्ष---आप स्वयं बोल रहे हैं। विराजिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---आपने अनुमति दी है, इसलिये बोल रहा हूं। बनारसीदास जी कैसे बोले ?

श्री उपाध्यक्ष---अनुमति उनको भी थी, इसलिये बोले। विराजिये।

श्री उग्रसेन---मुझे एक उर्दू का शेर याद आ गया---

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।"

जब हम आह भरते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो यह नियम २८६ और २९१ का भय दिखलाया जाता है कि तोड़ेंगे तो निलंबन का प्रस्ताव आ जायगा। इस विधेयक के उद्देश्य कारण में स्पष्ट है। इसमें यह लिखा हुआ है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त साधनों को जुटाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि उन यात्री गाड़ियों को छोड़कर जो नगर सेवाओं के रूप में चलती है, अन्य यात्री गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों पर कर लगाया जाये। प्रारम्भ में कर की दर किराये की पांच प्रतिशत होगी। परिचालक (आपरेटर) इस कर को यात्रियों से वसूल करेंगे और समय-समय पर इसका भुगतान राज्य सरकार को करेंगे। एक मुश्त धनराशियों का भुगतान करने की भी व्यवस्था की गयी है।

"करवंचन की सम्भावनाओं को कम करने और अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये, परिचालकों की रजिस्ट्री की भी व्यवस्था की गयी है।"

तो बराबर योजना की दलील दी जाती है। कुमारी श्रद्धादेवी ने भी कहा कि हमारी योजना सफल न होगी तो देश का भला कैसे होगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप संशोधन पर ही बोलने का वचन दे चुके हैं। आप पांडेय जी का जो संशोधन है, उसी पर बोलिये।

श्री उग्रसेन---आपकी योजना के चार उद्देश्य हैं लोगों को खाना मिले, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़े, सबकी शिक्षा की व्यवस्था हो।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो उस संशोधन में है नहीं। छोटा सा संशोधन है कि छः के स्थान पर एक या एक से अधिक कर दिया जाय।

श्री उग्रसेन---वही मैं कह रहा हूं। यद्यपि मैं उस योजना को नहीं मानता हूं जो सरकार ने चलाई है क्योंकि इस योजना ने मुल्क को और प्रदेश को बरबाद किया है। अगर माननीय मंत्री जी पैसा चाहते हैं तो हम उसको भी बता देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी बरूआ (गुनहगार) समझे जाते हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जिन्होंने हमें रास्ता बताया, हमारे हाथ में हथियार दिया, हम उन्हीं को पीटेंगे। जिन्होंने प्रदेश की हुकूमत उनके हाथ में दी उन्हीं को ये बरबाद करना चाहते हैं, जनता को पैरों तले रौंदना चाहते हैं। हिन्दोस्तान में केवल ५० लाख लोग ही अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे, मोटर पर चढ़ने वाले और टेलीफोन से बात करने वाले होंगे, लेकिन उसके अलावा ४२ करोड़ आदमी ऐसे हैं, उनकी ओर से हम सुझाव दे रहे हैं कि बजाय ६ के एक या एक से ज्यादा कर दिया जाय। क्योंकि मोटर के या हवाई जहाज के ड्राइवर पर तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। अब नैनीताल कौन जाता है ?

[श्री उग्रसेन]
सरकारी आफिस के बाबू लोग तो जाते नहीं है अब । मंत्री लोग जाते हैं, बड़े-बड़े लोग जाते हैं, हवा खाने के लिये जाते हैं तो उन पर आप किस रेट से टैक्स लगाते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—क्या माननीय सोशलिस्ट पार्टी के नेता नैनीताल नहीं जाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—आप संशोधन तक ही अपने को सीमित रखें ।

श्री उग्रसेन—नियमों के अनुसार आपको अधिकार है कि अगर हम कोई नयी बात नहीं कहते हैं तो आप हमको रोक सकते हैं, लेकिन हम तो नयी बात कह रहें हैं, पुरानी बातों को दुहरा नहीं रहें हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये संशोधन केवल यह है कि 'छः' के स्थान पर 'एक या एक से अधिक' कर दिया जाय ।

श्री उग्रसेन—मैं इसको समझता हूं । हम तो सरकार से कह रहे हैं कि छोटी मोटर में बैठने वाले पर भी टैक्स लगा दीजिये । यही रामसुन्दर जी ने कहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम नहीं लगायेंगे । जब नैनीताल जाते हैं तो मोटर में बैठने वाले को २ रुपया टोल टैक्स देना होता है और बस में बैठने वाले से एक पया लिया जाता है । लेकिन यहां आप कहते हैं कि मोटर में बैठने वाले से हम टैक्स नहीं लेंगे और बस में बैठने वाले से लेंगे । इतना बड़ा विरोधाभास हो रहा है और उसे आप एक लाइन का कहते हैं ? यह तो बिलकुल सूत्रवत है । सरकार ने यों ही चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह ३,००० रु० से ३,५०० रु० तक बढ़ा दी ? कारों पर टौल टैक्स तो डबल लगे और यात्री-कर लगाने की बात हो तो उन पर एक पैसा भी टैक्स न लगे, यह क्या बात है ? न मालूम परिवहन मंत्री कैसे इस फेर में पड़ गये जो उन्होंने इसे मान लिया कि मोटर में बैठने वाले एक पैसा भी न दें । मैं तो कहता हूं कि अ र आप कारों पर भी मेरे सुझाव को मान कर ५० पैसे कर देते तब ३ हजार पाने वालों को पता चलता जो कि कोयले का डिपो खोले हुये हैं, जो बड़े-बड़े फार्म चलाते हैं, जो मामा के मामा, साले के साले, फूफा के फूफा को मोटरों में बैठा कर घूमा करते हैं । इस देश के कुल ८० परिवार हैं और इस प्रदेश में मुश्किल से दान सिंह से लेकर सिंहानिया, खेतान तक केवल २० ,३० या ४० परिवार होंगें जिनको आप यह छूट दे रहें हैं जब कि देश की ४२ करोड़ जनता या प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ की जनता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है । अगर एक परिवार में ५ आदमी को मानें तो करीब डेढ़ करोड़ परिवार पर इसका असर पड़ने वाला है । मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुये माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस मासूम संशोधन को वे जरूर मान लें ।

श्री कृष्णानन्द राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करता हूं । विरोध करने का कारण यह है कि लाजिक में हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु का किसी तर्क से खंडन किया जाय तो वह वस्तु हास्यास्पद बन जाती है । तो अगर माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो यह विधेयक बिलकुल हास्यास्पद हो जायगा । इस विधेयक का मकसद यह है कि रोडवेज की गाड़ियों पर तथा जो प्राइवेट बसेज हैं, जिनके द्वारा किराया वसूल किया जाता है, उन पर कुछ यात्री कर लगे । लेकिन यह कर छोटी कारों या छोटी मोटरों जिन पर ६ आदमी से कम बैठते हैं, वसूल नहीं किया जायगा क्योंकि वे कोई टिकट इश्यू नहीं करते, इसलिये उन पर यात्री-कर का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है । क्योंकि जब कोई व्यक्ति टिकट नहीं बांटता तो फिर यह कर लगाने का सवाल ही नहीं उठता । यह तो स्पष्ट घोषणा की जा चुकी है कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना के लिये धनराशि वसूल करने में किसी वर्ग के साथ विभेद नहीं किया जायगा, शहरी व देहाती क्षेत्रों में रहने वालों के साथ एक-सा ऊंच नीच का खयाल इसमें नहीं होगा । इस प्रकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से यह विधेयक हास्यास्पद बन जायगा, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो एक सीधा सादा संशोधन माननीय रामसुन्दर जी ने रखा है, सरकारी पक्ष की ओर से उसका विरोध हो रहा है। यह साफ साबित करता है कि जिस बात का इल्जाम सरकारी पक्ष पर लगाया जाता है कि सरकारी पक्ष आज उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े लोगों की वकालत कर रहा है वह सत्य है। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि सरकार ने एक दूसरे विधेयक द्वारा इन कारों और मोटरों के लाइसेंस शुल्क में २० फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय परिवहन मंत्री और माननीय कृष्णानन्द राय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा उपरोक्त जो ने कहा ये बड़े बड़े लोग ही किराये पर अपनी टैक्सियां चलाते हैं। और हमारे यह आई०ए०एस० आफिसर और बड़े लोग ही भाड़े पर टैक्सी इस्तेमाल करते हैं और ऐसे जो एक दो यात्री इन टैक्सियों में सफर करते हैं वह इस संशोधन के मंजूर न होने पर इस टैक्स से मुक्त हो जायेंगे। अतः मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सीधे सादे संशोधन की अहमियत को स्वीकार कर इसको स्वीकार कर लें। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इस को प्रमाणित करेंगे कि आप की हमदर्दी पूंजीपतियों से है। जो लोग भाड़े पर टैक्सीज में यात्रा करते हैं उन को आप छूट देना चाहते हैं। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह खुले दिमाग से इस पर विचार करें और दलबन्दी से ऊपर उठकर जरा सोचें। कभी-कभी सरकारी पक्ष से जब अनावश्यक परिवर्तन भी आते हैं तो उन को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जो संशोधन अहमियत रखते हैं, जिस की उपयोगिता सब स्वीकार करते हैं उन विरोध पक्ष के संशोधनों को स्वीकार करने में मंत्री जी गुरेज करते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के विवेक को जगाकर उनसे निवेदन करना चाहता हूं। आप के प्रति सब को हमदर्दी है, इसलिये मेरा निवेदन है कि आप को यह आई०ए०एस० आफिसर अपने जाल में फंसायें हैं, आप उनके जाल को काटकर बाहर निकलें ताकि भाड़े की टैक्सी के यात्रियों पर भी टैक्स लगाया जा सके।

एक बात और निवेदन करूंगा कि यह जो यात्री-कर विधेयक पेश है या टैक्स औरंगजेबी जजीया टैक्स की तरह है। आज इस उत्तर प्रदेश में भी गुप्ता जी का औरंगजेबी शासन चल रहा है। वह जैसे अपने विरोधियों के साथ व्यवहार करता था ठीक वैसे ही गुप्ता जी भी व्यवहार कर रहें हैं। जब किसी सवाल पर बोलने के लिये गुप्ता जी खड़े होते हैं तो जहर भरे शब्दों से उन का भाषण भरा रहता है, जब यह बिल यहां आया तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो गुप्ता जी का राज्य भी औरंगजेब की तरह चलाया जा रहा है यह चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इस बिल का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—क्या इसी कारण से आप इसका समर्थन कर रहे हैं?

श्री मैनेजर सिंह—इसलिये ताकि बड़े लोग जो टैक्सी से सफर करते हैं वह भी इसमें आ जायं, गरीब तो पकड़े ही गये हैं और बहुमत से वह पास भी करा ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि गरीबों के साथ बड़े लोग इस टैक्स को जरूर दें। मैं निवेदन कर रहा था कि गुप्ता जी का जो औरंगजेबी शासन कायम है उस में यही मैं कह सकता हूं कि यात्री कर लगाना जिसका भार गरीबों पर और गांव के लोगों पर पड़ेगा यह जजीया का जैसा है। मैं समझता हूं कि औरंगजेब ने तो एक धर्म के मानने वालों पर ही टैक्स लगाया था और जो तीर्थ स्थानों पर जाते थे, उन्हीं से वह टैक्स लेता था। लेकिन गुप्ता जी के शासन ने सब पर टैक्स लाद दिया चाहे कोई अयोध्या, प्रयाग, बद्रीनाथ या किसी भी तीर्थ स्थान को जाय। कहीं भी यात्रा करेंगे, किसी भी वजह से तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं पुनः अपने परिवहन मंत्री जी से कहूंगा कि जो शराफत के लिये मशहूर हैं और कम पढ़े लिखे हैं इन आई० ए० एस० आफिसरों के चक्कर में न पड़ें और माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन को स्वीकार करें।

लघु उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री वीरसेन)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—मैं इसका विरोध करता हूं । उन्होंने कारण नहीं दिये, लेकिन मुझसे विरोध के कारण सुन लें।

श्री वीरसेन—श्रीमन्, बहस हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—हां, उनको विरोध में कारण बता देने का अधिकार है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं बता दूं क्यों इसका विरोध करता हूं ।

श्री वीरसेन—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं , मैं समझता हूं कि कोई डिबेट नहीं हो सकती । आपके डिस्क्रीशन पर है कि स्वीकार करें या न करें । मैं समझता हूं कि कभी भी ऐसी परम्परा नहीं रही है ।

श्री अध्यक्ष—मैं तो अभी आया हूं । उनको कहने का अधिकार है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, सरकार ने विधेयक में यह लिखा है कि जिस गाड़ी में ६ आदमी से ज्यादा यात्रा करेंगे उस पर टैक्स लग जायगा । माननीय रामसुन्दर जी का यह संशोधन है कि नहीं जिसमें १ से ज्यादा आदमी बैठें उसको भी यात्री गाड़ी मान लें ताकि सरकार को योजना के लिये ज्यादा धन मिले । तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिसमें सरकार को धन प्राप्त हो अगर उस पर हम अपनी बात न कह सकें तो इससे यही साबित होता है सरकार खुद योजना नहीं चलाना चहती । आप योजना के विरोधी हैं, आपके क्षेत्र में तो पर्चे बटवा देने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१०६,

विपक्ष में—५८ ।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करते हुये हमें आशा थी कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य इस विचार के होंगे कि इस प्रदेश में इस कानून के जरिये भ्रष्टाचार न बढ़े, लेकिन इस वाद-विवाद के बाद यही नतीजा निकला कि हमारे इरादे और मुजफ्फर हसन साहब के इरादे में फर्क है । हम गरीब लोगों का इस कानून के जरिये बचाव चाहते हैं और बड़े आदमियों पर यह टैक्स लगाना चाहते हैं और सरकार चाहती है कि गरीब आदमी पर टैक्स लगे और बड़े आदमियों को इससे छूट मिले । इस संशोधन के अस्वीकार हो जाने के बाद और बहस होने के बाद मैं निश्चित धारणा पर पहुंच चुका हूं कि इस कानून के जरिये गरीब आदमी की लूट होने वाली है और बड़े आदमी की छूट होगी । आप इसकी ताईद करेंगे कि छोटी गाड़ी को मंगनी पर, विवाह शादियों में कितने लोग ले जाते हैं और कौन लोग ले जाते हैं । वे इससे छटे रहेंगे और ऐसे लोगों को वह राहत देना चाहते हैं । हम तो चाहते हैं कि बड़े-बड़े आदमियों के पास से सरकार के पास पैसा आये और सही मानो में सरकार को फायदा हो सके । लेकिन सरकार इस संशोधन को अस्वीकार करके नहीं चाहती है कि सही मानो में इस नियोजन में बड़े आदमियों से पैसा लेकर गरीब आदमियों को फायदा पहुंच सके ।

सरकार यह भी कृपया बतलाये कि देहातों में कितनी गाड़ियां ऐसी हैं, जिन पर गांव के रहने वाले चढ़ेंगे ? शहर में उस रुकावट को दूर कर दिया है, लेकिन उससे सरकार के काम में जो रुकावट पैदा हो रही है, पैसे की कमी की वजह से वह रुकावट दूर हो जाती इस संशोधन के मानने से, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना और उसका नतीजा यह होगा कि भ्रष्टाचार फैलेगा

और भ्रष्टाचार फैलाने के लिये सरकार खेमा डाले हुये हैं, उसे वह रोकना नहीं चाहती। हम विरोधी दल के लोग जो भी सुझाव देते हैं उसको अस्वीकर करने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं होती। माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा कि विरोधाभास होगा। देहात के लोगों में काम करने वाले भी जब इस तरह की बात करते हैं तो तकलीफ होती है मेरे ऐसे आदमी को कि गांव और शहर की हालत क्या है। इस कानून के जरिये आप किसको बचाना चाहते हैं। कुंवर श्रीपालजी बैठे हुये हमारी तरफ देख रहे हैं। इस संशोधन के जरिये से उन पर कुछ टैक्स लगने वाला था, लेकिन वह तो बच गये और लगेगा माताप्रसाद जी और मंगलदेव जी ऐसे आदमियों पर जो कि कार पर चलते नहीं हैं, बस पर चलते हैं। इससे साफ जाहिर है कि किराये के मामले में भी सरकार अन्तर करना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संशोधन को स्वीकार करे।

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस बिल में जान बूझ कर टैक्सी को मुस्तसना किया गया है। किसी भी प्रदेश में जहां यात्री-कर है, टैक्सियां उसमें नहीं आती हैं। हमारे यहां टैक्सियों का करीब-करीब अभाव है। शहरों में टैक्सियां अभी तक नहीं फैल सकी हैं। बजाय इसके कि हमें इस इन्डस्ट्री को बढ़ाने का खयाल हो उसमें बाधा नहीं डालना चाहिये। टैक्सियां इतनी कम हैं कि इसके जरिये से बहुत कम रकम इस कर में आ सकेगी और काम ज्यादा बढ़ जायगा।

इसके अलावा जो रामसुन्दर जी ने कहा कि राजा साहब के ऊपर कुछ टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं यह बात सही नहीं है। वह तो कल ही हम एक टैक्स लगा चुके हैं, जिसमें कि जो अपनी मोटर रखते हैं उन पर २० फीसदी टैक्स बढ़ाया गया है। टैक्सियों पर भी इसे लागू करने से जिस इन्डस्ट्री को हम चाहते हैं कि डेवलप हो उसको बड़ा धक्का लगेगा। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को मन्जूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह कि खंड २ (ज) में 'छः' के स्थान पर 'एक या एक से अधिक' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ)—

पक्ष में—५९,

विपक्ष में—१०७।)

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय.....

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अमेंटमेंट की खबर तक नहीं है, मैं कैसे नोटिस ले सकता हूं। एक अमेंडमेंट आया था और मैंने एतराज किया था तो आप से पहले जो प्रेसाइड कर रहे थे, उन्होंने यह कहा था कि यह आखिरी अमेंडमेंट है। इसको मैं इजाजत देता हूं और कोई नया अमेण्डमेण्ट नहीं आयगा। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अध्यक्ष—(सूचना मंत्री से) आपने दिया है ?

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, मैंने कोई नहीं दिया।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, माननीय उपाध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि इनके पास ३६ घंटे के अन्दर जितने भी संशोधन आये हैं, सभी को वे मंजूर करते हैं। कार्यवाही देख ली जाय।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यदि ३६ घंटे के पूर्व जो संशोधन प्राप्त नहीं हुये थे, उनको इजाजत नहीं दी थी। इसके लिये विशेष रूप से इजाजत दे दी थी। लेकिन यह कहा था कि यह अन्तिम संशोधन होगा और कोई संशोधन नहीं लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूंगा कि आपकी अनुपस्थिति में जो भी व्यवस्था दी है वह हमें शिरोधार्य है। लेकिन यह परम्परा है कि कोई बिल पेश होता है और संशोधन सुपुर्द कर दिया जाय और स्वीकृति प्रदान कर दी जाय तो हर सदस्य को वह मान्य होती है। हो सकता है कि वह संशोधन किसी विरोधी दल का हो और सरकार की नजर में अच्छा न लगे और सरकार को स्वीकार न हो। लेकिन अभी कुछ देर के बाद यह भी हो सकता है उसे कि उधर से कोई संशोधन आ जाय, जो उनके हक में हो या सदन के हक में लाभदायक हो तो उसे भी इस व्यवस्था के अनुसार अस्वीकार करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय परिवहन मंत्री, मैं आप से निवेदन कर दूं कि मेरे सामने यह कागज आज प्रातः काल साढ़े दस, पौने ग्यारह बजे रखा गया था। इसमें माननीय हरिनाथ तिवारी और माननीया श्रद्धादेवी दो महानुभावों के संशोधन थे। यह समझ कर कि आपके पास इसकी प्रतिलिपि पहुंच चुकी होगी, मैंने इसको सवेरे ही स्वीकार कर दिया था।

जहां तक माननीय उग्रसेन और माननीय रामसुन्दर के संशोधनों का प्रश्न है, उनको मैंने स्वीकार नहीं किया था। जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है उसको तो मैं लूंगा। यदि आप समझते हैं कि इनका उत्तर देने में या इन पर विचार करने में बाधा है तो आज की कार्यवाही स्थगित करके हम परसों ले सकते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—स्थगित करने की जरूरत नहीं। अभी आपके सामने छपे हुये अमेंडमेंट बहुत काफी हैं। आप आगे ले लें। इसको अगर मंजूर कर चुके हैं तो मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष—इसमें नियमों की दिक्कत यह है कि जो हमारा नियम है उसके अनुसार खंड पर विचार क्रम से लिया जायगा। अगर पीछे का संशोधन ले लिया जाय तो फिर पहले की धारा संशोधित नहीं हो सकती है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, इस सदन में ऐसी बात कई बार हो चुकी है कि अगर किसी संशोधन के बारे में द्विविधा हो गयी तो उसको स्थगित कर के आगे बढ़े।

श्री अध्यक्ष—यद्यपि माननीय हरिनाथ तिवारी जी का संशोधन ३६ घंटे के अन्दर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। अब अगर किसी पक्ष को दिक्कत होती है तो हम लोगों को चाहिये कि उस दिक्कत को दूर करें और सदन का समय नष्ट न हो। इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं समझता। कार्यक्रम में जो छपे हुये संशोधन हैं उन पर विचार कर लें। और शेष को हम परसों ले लेंगे। इसके लिये सदन को सहमत हो जाना चाहिये।

माननीय तिवारी जी, आपको स्वीकार है?

श्री हरिनाथ तिवारी—इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उग्रसेन—मैं अपने संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा भी संशोधन है और माननीय राधेश्याम का भी है। हमारे संशोधन पर भी माननीय उपाध्यक्ष ने ऐसी व्यवस्था दे दी थी कि जो इस समय तक आये हुए हैं, वह भी मान्य कर लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—आप का संशोधन यह है कि खंड ३ की उपधारा (१) निकाल दी जाय। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहते हैं कि कोई कर न लगाया जाय। यही मतलब हुआ न? तो इसका मतलब यह है कि आप उसका विरोध करते हैं। जब खंड ३ प्रस्तुत होगा तो आप बोल लें। चूंकि खंड २ में एक उपखंड विचाराधीन रह जायगा इसलिए माननीय हरिनाथ जी का संशोधन तो अभी खंड २ के संबंध में सदन के समक्ष नहीं रखा है और जो हमारी सूची में संशोधन हैं उनको मैं ले रहा हूं।

खण्ड ३

३—(१) इस धारा के प्रवर्तन में आने के दिनांक से और उसके पश्चात् यात्री गाड़ी द्वारा ले जाय जाने वाले प्रत्येक यात्री पर उस दर से कर लगाया जायेगा जो उस यात्री द्वारा यात्री-गाड़ी के परिचालक को देय किराये के पांच प्रतिशत के बराबर हो और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा : यात्री-गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों पर कर का लगाया जाना ।

प्रतिबन्ध यह है कि कर की धनराशि की गणना आवश्यकतानुसार निकटतम नये पैसे में की जायगी तथा आधे नये पैसे और उससे अधिक को पूरा नया पैसा गिना जायेगा और आधे नये पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण—यदि यात्री-गाड़ी किसी यात्री को रियायती दर पर या बिना किराये के ले जाये, तो इस धारा के प्रयोजनार्थ यात्रा के लिए सामान्य रूप से देय किराया ही ऐसे यात्री द्वारा देय किराया समझा जायेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उस उपधारा के अधीन लगने वाले कर की दर बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त किराये के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो जाये।

श्री कृष्णा नन्द राय—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत विधेयक में मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड ३ के उपखंड (१) में शब्द 'यात्री द्वारा' तथा शब्द 'यात्री गाड़ी' के बीच में शब्द 'राज्य में अपनी यात्रा के सम्बन्ध में' बढ़ा दिये जाय।"

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! मैं समझता हूं कि माननीय उग्रसेन जी को मैं पहले बुलाऊं। वह खंड ३ (१) को निकालने का संशोधन पेश करना चाहते हैं। जब वह अस्वीकृत हो जाय तब आगे संशोधन उस पर लिया जायगा।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड ३ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय। मैं क्यों विरोध करता हूं खंड ३ का इसके संबंध में मैं दो बात कहना चाहता हूं। सरकारी पक्ष से, सुबह से शाम हो चली है, यह दलील दी जा रही है कि हम योजनाओं के लिए यह धन चाहते हैं। मगर योजनायें इस प्रदेश को जहां तक ले गईं, पहली और दूसरी योजना का भी एक वर्ष बीत गया है, हमारी क्या स्थिति दिन पर दिन होती जा रही है, उसको देखते हुए प्रदेश की आम जनता जिस पर कि यह कर-भार पड़ रहा है वह इस स्थिति में नहीं है कि एक पैसा भी इस सम्बन्ध में सरकार को कर दे सके। उसके तो बदन से खून चट गया है दो योजनाओं में। अब माननीय मन्त्री जी उस पर फिर से कर लगाना चाहते हैं तो हड्डी पर वह तराश कर रहे हैं, उस पर वह चाकू चला रहे हैं और कोई बात नहीं है। योजनायें सरकार की अन्तर्मुखी नहीं हैं। यद्यपि बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है और प्लानिंग कमीशन के बहुत से माननीय मनीषियों और अर्थशास्त्रियों ने इस बात की बड़ी विवेचना की है कि इन योजनाओं में पूरी तरह सफलता क्यों नहीं मिलती, जनता का जो हिस्सा होता है, उसका जो देय है, इसके आपरेशन में जो उसको दिलचस्पी लेनी चाहिए, वह क्यों नहीं ले रही है। तो वह लोग इस फैसले पर पहुंचे कि हम जनता में इस किस्म का उत्साह नहीं पैदा कर पा रहे हैं, जो जनता भूखों मर रही है, जिसकी देय शक्ति समाप्त हो गयी है, उस जनता पर उसी के कल्याणार्थ कल्याणकारी राज्य में उसके कल्याण हेतु कर अगर आप बढ़ाते चले जायं तो जनता में कोई उत्साह होने वाला नहीं है। यह सही है कि आज जनता में प्रबल प्रतिरोध की भावना नहीं है। अगर जनता में दूसरे देशों अल्जीरिया वगैरह की तरह प्रतिरोध की भावना होती तो जनता इस सरकार को पहले ही उलट देती, लेकिन उसमें वह शक्ति नहीं है। यह तो जब हम बात करते हैं तो उधर के लोगों से भी करते

[श्री उग्रसेन]

हैं कि जनता आज भूखों मर रही है, बाढ़, सूखे और गर्की से तबाह है, ८० लाख आदमी इस प्रदेश में बेकार हैं, माननीय गेंदासिंह ने कहा था कि ३० लाख आदमियों की रोजी का इन्तजाम कर दो तो कर लो। लेकिन रोजी-रोटी का कोई ठिकाना नहीं है और सरकार कहती है कि योजना के लिये हमको पैसा दीजिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता उसके लिए बिलकुल तैयार नहीं है। श्रीमन्, २० करोड़ रुपये का बकाया मिल-मालिकों पर है। यह मिल-मालिकों का बकाया, इनकम-टैक्स की चोरी, मिल-मालिकों द्वारा खर्च की गई बिजली का पैसा, एक्साइज का पैसा, गन्ना-कर जो सरकार लगाती है उसका पैसा, यह सब पैसा अगर सरकार वसूल करती तो मैं समझता हूं कि सरकार को एसी छोटी-मोटी रकम के लिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता न पड़ती।

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, जितनी बात आप कह रहे हैं, यह तो प्रिंसिपुल्स की बात है, सिद्धान्तों की बात है जो कल हो चुकी। अब तो इस खंड पर आइये। खंड ३ पर जरा कुछ कहिये।

श्री उग्रसेन—मैं इसी पर कह रहा हूं। पहली बात मैंने यह कही कि जिस योजना के लिए सरकार हमसे धन मांग रही है वह योजना अन्तर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है, वह बड़े-बड़े लोगों की पृष्ठपोषक है, गरीबों की पृष्ठपोषक नहीं है। इसलिये जनता, जिसके कल्याण के लिये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जिसमें क्रय-शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गयी है, उस जनता पर यह कर नहीं लगाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने दलील दी है कि चूंकि अन्य प्रान्तों में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में यह यात्री टैक्स लगा हुआ है तो इसलिये हम भी लगा रहे हैं। उन्होंने दूसरी दलील यह दी है कि.....

श्री वीरसेन—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। इस बिल के ऊपर जनरल डिबेट हो चुकी है। जनरल डिबेट के अवसर पर ही बिल के जनरल प्रिंसिपुल्स पर विचार होता है। वह हो चुका है। माननीय सदस्य इस स्टेज पर जनरल प्रिंसिपुल्स की बात उठा रहे हैं। इस वक्त तो इंडीवीजुअल सेक्शन के ऊपर ही सारे क्वेश्चन रेज किये जा रहे हैं। बाक़ी जनरल क्वेश्चन इस वक्त रेज नहीं किये जा सकते।

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय सदस्य का ध्यान पहले ही आकर्षित कर दिया है।

श्री उग्रसेन—जो व्यवस्था का प्रश्न वीरसेन जी ने उठाया उसका जवाब मैं क्या दूं। मैं उसी सम्बन्ध में बात कर रहा हूं। सरकार की तरफ से दो दलीलें दी गईं। सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने सहमति इसलिये दी कि चूंकि केन्द्रीय सरकार ने रेलवे पर किराया बढ़ाया है। दूसरी दलील का मैंने अभी जिक्र किया। माननीय सदस्य ने जो बात कही थी, उसका जवाब देने का हम को हक़ है। जब मौका मिले तो उसका जवाब देने का हमको पूरा हक़ है। एक यह दलील दी गई कि चूंकि दूसरे प्रान्तों में मन्त्रिमंडल बहुत बड़ा है। मैं कहता हूं कि दूसरे प्रान्तों में बम्बई प्रान्त है। बम्बई प्रान्त की आमदनी कितनी है? बम्बई प्रदेश की सरकार की कितनी वार्षिक आमदनी है? उसके मुकाबले में हमारी आमदनी कितनी है? वहां पर औद्योगिक मिलों से कितनी उनको आमदनी है जिसके जरिये से वहां की सरकार को पैसा मिलता है? यह दलील ठीक नहीं है कि चूंकि बगल की स्टेट ज्यादा जुल्म कर रही है तो हम भी ज्यादा जुल्म करें। रेलवे ने किराया क्यों बढ़ाया? रेलवे बोर्ड प्रतिवर्ष किराया बढ़ाता चला जा रहा है। वह इस बात की दलील देते जाते हैं कि.....

श्री वीरसेन—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं यह प्वान्इट आफ फार्डर रेज करना चाहता हूं। नियम २९१ की तरफ आप अपना ध्यान आकर्षित करें, जिसमें यह लिखा हुआ है कि "अध्यक्ष ऐसे सदस्य के, जो बार-बार असंगत बात करें या स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा

वाद-विवाद में प्रयुक्त युक्तियों की अरुचिकर पुनरावृत्ति करे, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त उस सदस्य का भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेंगे। माननीय सदस्य के पास कोई नई बात कहने को नहीं है। वह सिर्फ उन्हीं बातों का रिपीटेशन कर रहे हैं। इस समय इस बात को कहने का मौका नहीं है। यह असंगत बातें यहां पर कह रहे हैं और उन बातों को दोहरा रहे हैं जिन बातों या जिन सिद्धान्तों पर यहां पर विचार हो चुका है और स्वीकार कर लिये गये हैं। जो आरगूमेंट पहले दिये जा चुके हैं उनको ही ये दोहरा रहे हैं और अरुचिकर बातें कह रहे हैं। मैं समझता हूं यह नहीं होना चाहिये और इनको बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष---क्या यह बात यहां पर कही गई है कि बम्बई प्रान्त में ऐसा है ?

श्री उग्रसेन---इस प्रकार की बातें कही गई हैं।

श्री अध्यक्ष---आप समाप्त कीजिये।

श्री उग्रसेन---माननीय वीरसेन जी ने जो प्रश्न उठाया कि मैं यहां पर असंगत बातें कर रहा हूं, तो मेरी बात असंगत नहीं है। इसमें बड़ी भारी पोल है और सोशलिस्ट पार्टी उसको खोलना चाहती है और यह नाराज हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप विषय पर आइये।

श्री उग्रसेन---मैं जानता हूं कि रेलवे ने कई बार किराया बढ़ाया, मगर रोडवेज के किराये में आज तक क्या वृद्धि हुई है ? परिवहन मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो रोडवेज में २ करोड़ २० लाख का आपने मुनाफा कमाया है तो रोडवेज के किराये में आप २ पाई फी मील घटा दीजिये तो आपने किराया नहीं घटाया। आप उलटे कहते हैं और आप के डाक्टर सीताराम जी भी यही दलील देते हैं कि हमारा रोडवेज का किराया अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सब से कम है। इसलिए नहीं घटाया। परन्तु आप दूसरी ओर हमारे ऊपर बोझ लाद रहे हैं। यात्री-कर के नाम से आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आप को एक मिसाल दूं कि एक वैद्य जी थे, उन्होंने अपने लड़के से कहा कि कोई मरीज आए तो दवा दे देना। एक मरीज ने रामतेल मांगा, तो लड़के ने कहा कि नहीं है। वैद्य जी जब आए तो उन्होंने कहा कि रामतेल नहीं था तो नारायण तेल दे देते। दोनों एक ही हैं।

इसी तरह से माननीय मन्त्री जी रोडवेज के किराये को न बढ़ा कर यात्री-कर लगाते हैं यात्रियों के ऊपर। परन्तु इसका अन्त में तो प्रभाव यात्रियों पर ही पड़ता है। मैं आप को सिंधिया जी का एक और उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा अपने कर्मचारियों से कि तुमको भोजन भी देंगे और साथ में एक रूमाल भी देंगे। इसी तरह से मैं उनके लिए भी कहता हूं। दूसरी तरह से मंत्री जी पेश करते और दलील दे सकते थे। पर उन्होंने इसमें कोई औचित्य नहीं समझा। इसलिये जो देने वाले हैं वह नहीं दे सकते। यहां मैं इतना और कहूंगा कि यह जो मुकदमे बाजी है यह बड़ी घनघोर होगी, इससे प्रदेश की शान्ति क्षुब्ध हो जायेगी। मैं श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---उसको कृपया न पढ़ें।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, बस दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है ---"नतीजा सामने है। कांग्रेसी सरकार का यह दावा गलत है कि भारत ने पंचसाला योजनाओं के फल-स्वरूप उन्नति की है। कहा जाता है कि हर साल राष्ट्रीय आमदनी या पैदावार तीन सैकड़ा बढ़ी है, और फी आदमी पीछे करीब डेढ़ सैकड़ा। इन आंकड़ों को यदि मान भी लिया जाय तो इतनी तुलना दूसरे देशों के ग्यारह, आठ या पांच सैकड़ा से करनी चाहिये। ये आंकड़े भरमाते भी हैं क्योंकि सैकड़ों का अर्थ रुपयों में बताना जरूरी है। जबकि हिन्दुस्तान फी वर्ष पूरी पैदावार नौ रुपये से, और आदमी पीछे चार पये से बढ़ा रहा है, अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, इजरायल त्यादि डेढ़ सौ से तीन सौ पये बढ़ा रहे हैं और चीन भी करीब सत्तर-

[श्री उग्रसेन]

अस्सी रुपये। उन्नति का अर्थ हमेशा सापेक्ष होता है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसकी तुलना में ही उन्नति और अवन्नति का निर्णय होता है। साथ ही, जो थोड़ी बहुत उन्नति हुई है, वह बड़े लोगों के वर्ग को बढ़ाने में, हर साल करीब तीन-चार लाख आदमी छोटे लोगों के समुदाय से उठ कर बड़े आदमियों के वर्ग में घुस रहे हैं। उन्नति नहीं, यह मायाजाल है, जो छोटे लोगों को मृग मरीचिका की आशा दिलाता रहता है। तो श्रीमन्, यह मृग मरीचिका है। जब माननीय मंत्री जी इलाहाबाद जायेंगे तब उन्हें पता चल जायेगा। सन् १९६२ के इलेक्शन में उन्हें सका नतीजा पता होगा।

श्री अध्यक्ष---अब आप का समय समाप्त।

श्री उग्रसेन---इन शब्दों के साथ, मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री मुजफ्फर हसन---अध्यक्ष महोदय, इस में कोई नयी बात तो कही नहीं गयी है। वही बातें कही गयी हैं जो दो दिन से कही जा रही हैं बहस में। उसमें तो कोई सवाल है ही नहीं। मैं कुछ और कहना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, इसका तो आप को विभाजन कराना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय---श्रीमन्, मैं संशोधन उपस्थित कर चुका हूं। माननीय सदस्यों को भ्रम न हो, इसलिये मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संशोधन को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे थोड़ी सुविधा बढ़ जायेगी उन यात्रियों के लिये, जिनके बारे में माननीय सदस्य गर्म वाद-विवाद कर रहे हैं। इस खंड में यह व्यवस्था है कि बसेज पर जो यात्री मिलेंगे उनपर देय किराये से ५ प्रतिशत यात्रा-कर और लिया जायगा। बहुत से यात्री दूसरे राज्यों से उन मार्गों द्वारा जो अन्तर्राज्यीय मार्ग हैं, आयेंगे। हो सकता है कि दूसरे राज्य में भी वह कुछ कर किराये पर दे चुके हों, तो उत्तर प्रदेश में आने पर ५ प्रतिशत और यात्रा कर लग जायगा---उस राज्य का भी हो जायगा और इस राज्य का भी हो जायगा। यह ज्यादती की चीज़ हो जायगी, इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा इंतजाम कर दिया जाय कि यात्री को उसी अनुपात में, जिस अनुपात में वे इस प्रदेश में यात्रा करने पर कर देंगे, उसी अनुपात में उनसे लिया जायगा, अधिक न लिया जाय। यह यात्रियों की सुविधा के लिये है और आशा है कि विरोधी दल के लोग इसको स्वीकार करेंगे।

कुंवर श्रीपाल सिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा, बात सही है ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने उसी धारा ३ के उपखंड (४) को नहीं देखा "....किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर यात्री-गाड़ी में ले जाये जाने वाले अथवा किसी ऐसी यात्री-गाड़ी में, जो किसी शैक्षिक, चिकित्सीय, लोकोपकारी या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाई जाती हों, आने-जाने वाले यात्रियों को कर का भुगतान करने से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।" तो इसमें स्पष्ट छूट दी गयी है, जो दूसरे राज्य का किराया होगा उस पर कर नहीं लिया जायगा, तो यहां धारा ३ की उपधारा (१) में जो बढ़ाना चाहते हैं, मेरी समझ में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय जी का जो संशोधन है वह एजेन्डा के रूप में है, उसका कोई अर्थ नहीं होता।

हर एक विधेयक की शब्दावली संक्षिप्त और पारिभाषिक होनी चाहिए। धारा ३ में पूर्णरूपेण वे बातें आ जाती हैं जो कृष्णानन्द जी के संशोधन द्वारा रखी गयी हैं। "किराया" शब्द यात्रा का द्योतक है। धारा में लिखा हुआ है कि :

"इस धारा के प्रचलित होने के दिनांक से और उसके पश्चात् यात्री गाड़ी से ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री पर उस दर से कर लगाया जायगा जो उस यात्री द्वारा यात्री-गाड़ी के परिचालक के देय किराये के पांच प्रतिशत के बराबर हो और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा।" तो इस शब्दावली में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कृष्णानन्द जी स्वयं अपने दल के न्याय मन्त्री महोदय से पूछ लेते, उनको संशोधन के उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये मैं चाहूंगा कि किसी विधेयक की धारा में अनावश्यक शब्द न बढ़ाये जायं, उनसे विधेयक की खूबसूरती मारी जाती है। इसलिये मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी से कहूंगा कि वह इस रोशनी में अपने संशोधन को देखें और उसे वापस लेने की कृपा करें ताकि सदन का समय बरबाद न हो।

श्री कृष्णानन्द राय—ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ मैंने अपने संशोधन को पेश करते हुये कहा था, उसे माननीय सदस्य गौर से नहीं सुन पाये। श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि इस संशोधन की इसलिये आवश्यकता नहीं है कि खंड ४ में कुछ मुक्ति है। लेकिन खंड ४ केवल उन्हीं बसों से सम्बन्ध रखता है जो शिक्षा, चिकित्सा या लोकोपकारी उद्देश्यों के लिये हों। दीपनारायण सिंह जी ने कहा कि खंड ३ स्वयं इतना स्पष्ट है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि इसमें संशोधन की जरूरत है। मान लीजिये कि एक बस ईस्ट पंजाब में लुधियाना से मेरठ तक चलती है और कुल किराया २ रुपया है। जब उत्तर प्रदेश में वह बस आयेगी तो यात्री से, यदि मेरा संशोधन नहीं माना जाता, २ रुपये पर ५ प्रतिशत टैक्स लिया जायगा जबकि वह उत्तर प्रदेश में केवल १२ या ८ आने की यात्रा किया हो। परन्तु मेरे संशोधन से केवल १२ या ८ आने का ही ५ प्रतिशत लिया जायगा। हो सकता है कि पंजाब में भी यात्रा-कर उसने दिया हो। वह दोहरे कर से बच जायगा। मंत्री जी इसे उचित समझें तो स्वीकार कर लें। आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—यह संशोधन एक भूल को पूरा करता है। धारा ४ और चीजों के लिये है और उसमें नोटीफीकशन की जरूरत है। इस संशोधन में प्रपोर्शनल कर लेने की बात है। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "खंड ३ के उपखंड (१) में शब्द 'यात्री द्वारा' तथा शब्द 'यात्री-गाड़ी' के बीच में शब्द 'राज्य में अपनी यात्रा के संबंध में' बढ़ा दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर संख्या व शब्द "ढाई प्रतिशत" कर दिये जावें, ऐसा प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री ने प्रातःकाल मेरे प्रवर समिति के प्रस्ताव के सिलसिले में बातचीत करते हुये इस बात का लांछन मेरे ऊपर लगाया कि हम योजना के खिलाफ हैं। मैं आपके जरिये उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है। हम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी लोग हैं वे योजना में विश्वास करते हैं और उसकी सफलता की कामना करते हैं। इसलिये मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कही थी। इसके माने हैं कि सिद्धान्ततः हम इस विधेयक से सहमति प्रकट करते हैं। लेकिन उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिये, उसमें बढ़ोत्तरी करने के लिये, बिल को सार्थक बनाने के लिये, इसको प्रवर समिति में भेजने की मांग की गयी थी। लेकिन आपने उसको अस्वीकार कर दिया। आपके पास जो छपा हुआ कागज है उसमें भी हमारे संशोधन हैं, वे भी योजना को

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

सार्थक बनाने और योजना को सहयोग देने के बारे में हैं। फिर भी माननीय परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि हम नियोजन के विरुद्ध हैं। मुझे इसका दुख है।

मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करते हुए कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के जरिये परिवहन मंत्री जी केवल ७५ लाख रुपये वसूल करना चाहते हैं जो प्रदेश के पौने दो अरब के बजट में नहीं के बराबर हैं। इतने से धन के लिये गरीबों को परेशान करने वाली बात उनको शोभा नहीं देती, यह कफन खसोटी की सी बात है और उस पर भी तुर्रा यह कि इससे तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाया जायगा। बहुत-सी मदों में रुपया है, लेकिन उसको खर्च नहीं किया जाता है, बहुत-सा पैसा आपका बकाया है, उसको वसूल नहीं किया जाता है। इन सब बातों को देखते हुए आपका इस प्रकार से गरीबों से ७५ लाख रुपया वसूल करना किसी गणना में नहीं है। फिर भी आप इस विधेयक को पास कराने पर तुले हुए हैं।

यहां तो सभी जानते हैं कि सरकारी बसों में करीब ४० सीट होती हैं जिनमें से ८ सीट अपर की होती हैं और ३२ सीट लोअर की। इस प्रकार से ८० प्रतिशत सीट्स पर किसान और मजदूर बैठते हैं जो गरीब होते हैं। क्या यह कफन खसोटी नहीं है ? किसान और मजदूर तो पहले से ही ऐसी हालत में पहुंच गये हैं कि वे कर देने की हालत में नहीं हैं। वे अनेक प्रकार के परोक्ष और अपरोक्ष कर दे रहे हैं। पंचायत-कर, मालगुजारी और जहां चकबन्दी हो रही है वहां ४-५ रुपया फी एकड़ उनको देना पड़ता है। नाना प्रकार के और भी कर उनको बरदाश्त करने पड़ते हैं। फिर भी मंत्री जी उनसे ७५ लाख रुपया वसूल कर लेना चाहते हैं। यह गरीबों का गला घोटने के लिये किया जा रहा है। प्रदेश में वैसे ही करों से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की विभीषिका मुंह बाये खड़ी है। उनके खाने-पीने, दवादारू का कोई इन्तजाम नहीं है। इस बाढ़ के प्रश्न को ही लेकर पिछले २–३ दिनों में कैसी परेशानी पैदा हो गयी थी, आप जानते हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति में से गुजरने वाले किसान और मजदूरों के ऊपर यह टैक्स लगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—माननीय केशरी प्रसाद जी, अभी आपको और बोलना है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो अब आप २३ तारीख को बोलेंगे। अब एक दूसरा विषय हमारे सामने है। परसों आप जारी रखेंगे।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसको पुरःस्थापित करने की सदन अनुज्ञा न दे, क्योंकि प्रदेश के अन्दर जनता पर पहले ही से कर भार लदा हुआ है, जिससे जनता मर रही है। अब इस विधेयक के द्वारा और कर-भार बढ़ाने के लिये इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की सदन अपनी अनुज्ञा प्रदान न करे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी तो इसको पुरःस्थापित कर रहे हैं, बाद में इस पर बहस हो सकती है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरः स्थापित करने की सदन अनुज्ञा प्रदान करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो बीच में यह कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय केशरी प्रसाद जी से मालूम किया कि आप अभी और बोलेंगे । तो उनके हां कहने पर मैंने उनसे कहा कि अब ५ बज रहे हैं, आप परसों जारी रखेंगे, यह तय हो गया था ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—कब तय हुआ, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये, बाद में बतला दिया जायगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की सदन अनुज्ञा प्रदान करे ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आप अपनी कब व्यवस्था देंगे ? क्या वोटिंग हो जाने के बाद ?

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय केशरी प्रसाद जी से पूछा कि आप अभी कितनी देर तक बोलेंगे, उन्होंने कहा कि मैं अभी देर तक बोलूंगा । फिर मैंने उनसे कहा कि आप कृपा करके परसों बोल लेंगे, क्योंकि सदन के सामने कुछ दूसरी कार्यवाही भी है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, ५ बजने में अभी ४ मिनट बाकी थे, फिर आपने बीच में पहले ही कैसे माननीय केशरी प्रसाद जी को रोक दिया, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जब ५ बजने में अभी ४ मिनट बाकी ही रहा तो पहले ही आपने उनको बुला लिया, मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अनुसार आपने यह किया ? अगर पहले से मुझे मालूम होता कि आप यह करने जा रहे हैं तो मैं तीन क्या ३० मिनट तक बोलता रहता और इस विधेयक को कभी पुरःस्थापित ही नहीं होने देता । मेरी समझ में नहीं आता कि आपने यह किस नियम के अनुसार किया ?

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही को मुनासिब ढंग से संचालन करने के लिये जो मुझे अधिकार है उसके अनुसार मैंने काम किया और उसी दृष्टि से मैंने माननीय केशरी प्रसाद जी से कहा कि कृपा करके आप इस समय समाप्त कर दें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—कोई भी डिबेट बिना क्लोजर के बन्द नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—बिना क्लोजर मूव किये कोई बहस बन्द नहीं हो सकती । मैं जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत आपको यह अधिकार प्राप्त है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—जो कुछ मुझे करना था मैं कर चुका, अब आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन—आप व्यवस्था दें कि आप ने यह कैसे किया ?

श्री अध्यक्ष—जो मैंने कार्यवाही की है वह नियम के अनुसार की है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आप नियम तो बतावें कि किस नियम से आप को ऐसा करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, जो मैंने किया वह ठीक है, यही मेरी व्यवस्था है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह तो कोई बात ही नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को विधान सभा में पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नियम ३०० के अन्दर किस तरह से जो बिल चल रहा था कि उसका विवाद बन्द कर के आप ने किस नियम के अन्तर्गत नये बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१२१,

विपक्ष में—४९।)

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आपको पहले औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था देनी चाहिये। हमारा अधिकार है आप बतायें, केवल नियम ही आप बता दें, मैंने देखा है प्रक्रिया नियमावली में कहीं ऐसा नियम नहीं है कि ५ बजे से पहले चालू विवाद को रोक कर इस तरह से पुरःस्थापन की आज्ञा दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—मैंने जो व्यवस्था दी उस सम्बन्ध में अब कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता, आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं आप से केवल नियम जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं या सदन छोड़ दें।

श्री उग्रसेन—औचित्य के प्रश्न पर क्यों सदन छोड़ दें, आप को जवाब देना चाहिये, आप किस लिये बैठे हैं, आप अध्यक्ष काहे को बने हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप इसको नहीं पूछ सकते, आप बैठ जाइये और अगर नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ दीजिये। अगर आप नहीं बैठते हैं तो मैं आपके खिलाफ आगे कार्यवाही करने पर मजबूर होऊंगा।

श्री उग्रसेन—मैं बैठता हूं। (फिर उठकर) अब मैं फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि आप कृपा करके हमें नियम बता दें कि ऐसा आपने किस नियम के अन्तर्गत किया ?

श्री अध्यक्ष—आप बठ, मैंने जो व्यवस्था दी है वह ठीक है।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष स्वयं ही नियमावली के खिलाफ कोई आदेश दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—जिस सुव्यवस्थित ढंग से यहां की कार्यवाही चल सके उस सम्बन्ध में मैं आदेश दे सकता हूं और इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता।

श्री उग्रसेन—तो इसके विरोध में हम सदन त्याग करते हैं।

(इसके उपरान्त समाजवादी दल तथा कुछ अन्य विरोधी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

एक सदस्य—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं सदन की व्यवस्था कहां पर बिगड रही थी ?

श्री अध्यक्ष—जो व्यवस्था मुझे देनी थी वह दे चुका हूं।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ३३७–३४८ पर)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

स्वायत शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ३४९–३६७ पर)

राजकीय महिला चिकित्सालय, अलीगढ़ से नवजात शिशु को कुत्ते द्वारा उठा ले जाने के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब राजकीय महिला चिकित्सालय, अलीगढ़ से १ मई, १९६२ को एक नवजात शिशु को कुत्ते द्वारा उठा ले जाने के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपाल सिंह के २ अगस्त, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ के विषय पर श्री शिवनाथसिंह की सूचना पर नियम ५० (१) के अन्तर्गत आधे घंटे का विवाद।

अब चूंकि माननीय सदस्य निलम्बित हैं इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अब हम उठते हैं और २३ तारीख को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर बृहस्पतिवार, २३ अगस्त, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२१ अगस्त, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर]

आजमगढ़ जिले में प्रत्येक तहसील में सिंचित भूमि तथा अर्सिंचित भूमि का विवरण :

तहसील का नाम			सिंचित क्षेत्र (एकड़)	अर्सिंचित क्षेत्र (एकड़)
आजमगढ़	..	..	८२,५५६	६६,३६८
सगड़ी	..	..	७३,६८०	९८,७७६
फूलपुर	..	..	१,१४,४४९	१,०१,२३७
लालगंज	..	..	८३,१९६	९६,४८६
घोसी	..	..	९२,७६८	८९,६८१
मोहम्मदाबाद	..	..	८६,७२२	८६,५२५
	योग	..	५,३३,३७१	५,३९,०७३

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१७ पर]

सूची 'क'

१—संकर मक्का—बी० टाल० ५४ बी० यल० ५२, बी०यल० ४५ ए, बी० यल० २३।

२—संकर ज्वार—बी० यल १।

३—साधारण ज्वार—हेगारी।

४—संकर प्याज।

५—मेहूं बी० यल० १३, व्हाइट फेडरेशन।

६—शकरकंदी की उन्नत किस्में।

७—टमाटर, भिन्डी, मटर, सेम, मिर्च, सागी मिर्च की उन्नत किस्में।

८—स्ट्राबेरी, जायन्ट स्टार ग्रास, सब ग्रास तथा कुंज लता की कलमें, पौध व बीज।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१७ पर]

विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये ट्रैक्टरों की संख्या

जिला	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२	योग
१—लखनऊ ..	३८	२७	१५	६	६	८	१००
२—रायबरेली ..	..	..	..	..	..	..	..
३—लखीमपुर-खीरी	१३	२४	१२	३२	१८	६	१०५
४—सीतापुर ..	३	..	२	१	१	..	७
५—उन्नाव ..	१	..	..	..	..	..	१
६—सुल्तानपुर	..	..	..	..	..	१	१
७—फैजाबाद ..	४	..	..	..	३	१	८
८—हरदोई ..	..	१	१	१	१	..	४
९—बाराबंकी ..	२	..	१	३	२	..	८
१०—बरेली ..	२७	२३	१५	९	७	४	८५
११—पीलीभीत	९	३	८	९	१४	१	४४
१२—बदायूं ..	५	५	१	६	१	१	१९
१३—मुरादाबाद	११	२४	१५	१३	११	३	७७
१४—बिजनौर ..	१४	१८	८	१६	२०	९	८५
१५—शाहजहांपुर	८	६	३	४	२	१	२४
१६—रामपुर ..	१५	१४	१३	१५	१९	५	८१
१७—कानपुर ..	१६	८	९	४	१	२	४०
१८—फतेहपुर ..	..	१	..	..	..	..	१
१९—फर्रुखाबाद	१	२	१	..	२	..	६
२०—देहरादून ..	३	१	९	१२	५	४	३४
२१—सहारनपुर	१९	१८	२५	२५	४४	२७	१५८
२२—पौड़ी-गढ़वाल	१	१	..	१	२	..	५
२३—चमोली ..	..	..	..	..	..	..	..
२४—टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..
२५—उत्तरकाशी	..	..	..	..	..	..	..
२६—मेरठ ..	३०	२७	३३	४४	४३	१२	१८९
२७—मुजफ्फरनगर	४४	४२	१३	७७	१३२	१९	३२७
२८—बुलन्दशहर	११	१२	८	१८	१२	६	६७
२९—गोरखपुर ..	१७	११	६	११	१४	१३	७२
३०—देवरिया ..	१९	१७	२	८	२६	८	८०
३१—बस्ती ..	८	६	१	३	५	१	२४
३२—गोंडा ..	४	६	..	३	५	..	१८
३३—बलिया ..	१	१	..	..	..	१	३
३४—बहराइच ..	..	..	१	..	..	..	१
३५—आजमगढ़ ..	१	३	१	..	..	..	५
३६—नैनीताल ..	१२	४३	२०	४७	४७	४३	२१२

जिला	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२	योग
३७—अल्मोड़ा ..	..	..	..	१	..	..	१
३८—पिथौरागढ़ ..	..	..	..	..	..	..	..
३९—इलाहाबाद ..	२	५	१	८	३	२	२१
४०—प्रतापगढ़ ..	..	..	..	१	..	..	१
४१—मिर्जापुर ..	१	..	..	२	२	..	५
४२—आगरा ..	१३	१४	७	१७	५	९	६५
४३—अलीगढ़ ..	८	७	७	५	३	३	३३
४४—मथुरा ..	३	१२	५	१०	१६	१	४७
४५—एटा ..	४	२	३	३	३	..	१५
४६—इटावा ..	..	२	१	५	१	..	९
४७—मैनपुरी ..	१	३	१	१	..	..	६
४८—वाराणसी ..	५	५	४	९	८	१५	४६
४९—जौनपुर ..	१	..	..	..	..	..	१
५०—गाजीपुर ..	..	..	१	..	..	..	१
५१—झांसी ..	२३	१८	६	१५	१६	१७	९५
५२—बांदा ..	१	..	..	२	..	१	४
५३—जालौन ..	१६	२६	१	८	११	४	६६
५४—हमीरपुर ..	४	९	५	८	७	११	४४
कुल योग ..	४१९	४४७	२६५	४६३	५१८	२३९	२,३५१

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पष्ठ २२० पर]

रीजन का नाम		मार्ग का नाम
आगरा		१—अलीगढ़-दादों-संकरा ।
		२—शिकोहाबाद-अछलदा वाया सिरसागंज ।
इलाहाबाद	..	३—अहरौरा-चाकिया-नौगढ़ ।
बरेली	..	४—मुरादाबाद-काशीपुर ।
		५—चन्दौसी-वहजोई ।
		६—किच्छा-सितारगंज ।
		७—बिजनौर-नजीवाबाद वाया कीरतपुर ।
गोरखपुर	..	८—कासिया-रामकोला ।
		९—मऊ-आजमगढ़ वाया चिरइयाकोट ।
		१०—गोंडा-मनकापुर वाया बरजीकुंआ ।
		११—बस्ती-क्लावरी वाया विशुनपुरी ।
		१२—गोंडा-मट्टीगंज ।
कानपुर	..	१३—बांदा-वेवर-कमासिन ।
		१४—इटावा-मैनपुरी वाया करहल ।
		१५—कालपी-झांसी ।
लखनऊ	..	१६—सीतापुर,लहरपुर-टमवोर ।
		१७—हरदोई-सांडी ।
		१८—हरदोई-पिहानी ।
		१९—बाराबंकी-हैदरगढ़ ।
		२०—लखनऊ-हरदोई ।
मेरठ	..	२१—मेरठ-बाघपत-चपरौली ।

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे २२४ पृष्ठ पर]

प्रथम पंचवर्षीय एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सिंचाई साधनों से उत्पन्न सिंचन क्षमता तथा व्यय के लक्ष्य तथा उसकी उपलब्धि

राजकीय सिंचाई साधनों से संबंधित—

विषय	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
१—सिंचन क्षमता (लाख एकड़ों में)	२०.१००	२०.१००	२१.४५	२१.४५
२—व्यय (करोड़ रुपयों) में	३५.४४	३५.४४	४१.४९	४०.१०
अन्य सिंचाई साधनों से संबंधित				
१—सिंचन क्षमता (लाख एकड़ों में)	६.६०	४.२३	६.६८	६.९८
२—व्यय (करोड़, रुपयों में)	..	२.२२६	..	७.३९

नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४पर]

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पन्न सिंचन क्षमता तथा उसका उपयोग

राजकीय साधनों द्वारा

प्रथम पंचवर्षीय योजना—

उत्पन्न सिंचन क्षमता	उपयोग
२०.१००	७.८२०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—

वर्ष	उत्पन्न सिंचन क्षमता	उपयोग
१९५६–५७	३.१४०	५.३१०
१९५७–५८	७.४४०	९.५७०
१९५८–५९	३.१५०	१.३२०
१९५९–६०	२.८००	४.३९०
१९६०–६१	४.३२०	२.३००
योग, १९५६—६१ ..	२१.४५०	२३.८९०

नोट—प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के प्रतिवर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अन्य साधनों द्वारा

प्रथम पंचवर्षीय योजना—

उत्पन्न सिंचन क्षमता	उपयोग
४.२३	*

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—

वर्ष	उत्पन्न सिंचन क्षमता	उपयोग
१९५६–५७ ..	.७०६५	†
१९५७–५८	.८७४०५	..
१९५८–५९	.९७५१५	..
१९५९–६०	१.८५२१६	..
१९६०–६१	२.५७९४७	..
योग ..	६.९८७०८	..

*वार्षिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

†उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पष्ठ २२८ पर]

तहसील, करछना जिला इलाहाबाद के ग्रामों की सूची जिनकी भूमि गंगा के कटाव के कारण कट गई है

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	रकबा जो कटा		
१	२		३	
		बी०	वि०	वि०
१—दूहापुर कछार		५३४	६	०
२—अरैल कछार		३४६	२	२
३—देवरख कछार		१७५	१७	०
४—लवाइन उपरहार		१	०	०
५—लबाइन खुर्द		३	४	०
६—चांडी		३६	८	०
७—खडेहसरा		१७	४	०
८—सजरोलउपरहार		२१८	११	१३
९—लटकता		३७२	५	७
१०—खनिका कछार		२६	११	१२
११—सेमरहा उपरहार		३१	५	५
१२—रामपुर उपरहार		२	१९	५
१३—रामपुर कछार		३४	१	०
१४—गडैला कछार		२०७	१३	१३
१५—गडैला उपरहार		९१	१४	१८
१६—चबगडैला		२८	१९	१०
१७—चक ओसान चौबे		८	९	०

नत्थी 'ज'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पष्ठ २३९ पर]

प्रश्न संख्या १०५—जिला सहारनपूर की निम्नांकित तहसीलों में राजकीय नलकूपों की संख्या व चालू नलकूपों की संख्या इस प्रकार है:—

तहसील	निर्मित नलकूपों की संख्या	चालू नलकूपों की संख्या
नकुड़	४९	४९
रुड़की	४५	४५
सहारनपुर	२०	१९
देवबन्द	५७	५२

प्रश्न संख्या १०६—३१ सहकारी नलकूप जो लिये जाने के लिये चुने गये हैं उनके स्थानों का विवरण:—

१—खतौली नं०२
२—कुरी नार्थ
३—बसेडा
४—मीरपूर
५—खजूर वाला
६—शिमलाना
७—भाया हैडी
८—भायला कलां
९—गन्धेरी
१०—सोंचीरा नं०
११—चाईना नं०१
१२—पहाड़पुर
१३—चाईना नं० २
१४—तानसीपुर
१५—चलोली
१६—सोंचीरा नं० २
१७—नन्हेडा नं० १
१८—नन्हेडा नं० २
१९—पन्डौली नं० १
२०—खटोली नं० १
२१—पंडौली नं० २
२२—देव बन्द
२३—डगरोली
२४—तलहेडी बुजुर्ग नं०२
२५—सरसा हैडी
२६—कोटा
२७—सीडकी नं०१
२८—सीडकी नं० २
२९—भलसवा ईसापुर
३०—वेरीतागा
३१—कुतुबपुर ।

नत्थी 'झ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४४ पर]

बाढ़ से हरैया तहसील में निम्नलिखित क्षति हुई तथा सहायता दी गई।

३८८ ग्राम बाढ़ ग्रस्त थे जिन में २५४ घरों को हानि पहुंची। दो जानवरों की जाने गयीं। ६४,८५० मनुष्य बाढ़-ग्रस्त हुए और ६३,५८१ एकड़ भूमि में से ४२,५५० एकड़ भूमि की फसलें ६ आने से १६ आने तक खराब हुईं। बहुत-सी कच्ची सड़कें बह गईं।

बाढ़ पीड़ितों को निम्नलिखित सहायता दी गई—

(१) १९४५ रु० गरीबों को तकावी के रूप में अपने गिरे हुए मकानों को फिर से निर्माण कराने हेतु बांटा गया।

(२) १,२५,००० रु० तकावी धारा १२ के अन्तर्गत दी गई।

(३) १,२३,६६७.५० रुपये की मालगुजारी में छूट दी गई।

(४) १,७०० रु० किराये पर किस्तियां लोगों को गल्ला पहुंचाने के लिये एवं ३७३ मनुष्यों को सुरक्षित स्थान में भेजने के लिये खर्च हुए।

(५) सहायातार्थ बिना मूल्य चना, गेहूं, नमक, मिट्टी का तेल दियासलाई बाटी गई और मनुष्यों तथा पशुओं को दवाओं की सहायता दी गई।

नत्थी 'ञ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४५ पर]

स्थानों के नाम जहां नलकूप लगाने के लिये सर्वे कराया गया

१—मानिकपुर
२—बेदौली
३—खान का कलां
४—सुभाकरपुर
५—कनसेहरी
६—यूसुफपुर
७—मालिकपुरा
८—जगदीशपुर
९—हाजीपुर बरेसर
१०—परसा
११—पाटेपुर
१२—कादीपुर
१३—ताजपुर
१४—बिन्दापारा
१५—गढ़ौली
१६—नसदपुर
१७—नसरतपुर
१८—पहाड़पुर
१९—लोनेपुर और
२०—कठघरा

उपरोक्त स्थानों में से जिन स्थानों पर नलकूप खोदे जा चुके हैं उसके नाम

१—मानिकपुर
२—बेदौली
३—खान का कलां
४—सुभाकरपुर
५—कनसेहरी
६—मालिकपुरा और
७—यूसुफपुरा

नत्थी 'ट'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर]

१९५८ में ए० टी० आई० के लिये इम्तहान में लिये गये लोगों तथा वेटिंग लिस्ट वाले नामों की सूची—

क्रम-संख्या	नौकरी में लिये गये ए० टी० आई० के नाम	वेटिंग लिस्ट में नाम
१	२	३
१	सर्वश्री आर० के० सेठ	सर्वश्री भगवतीप्रसाद
	प्रतवीर सिंह	कुलदीप शंकर
	रामशंकर त्रिपाठी	महाराज दीन
	एम० एम० सिद्दकी	
	उमाप्रसाद शर्मा	

नत्थी 'ठ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर]

घाघरा नदी के कटाव के अन्दर प्रत्येक ग्राम का क्षेत्रफल और जनसंख्या

नाम ग्राम	कटे हुये भूमि का क्षेत्रफल	जनसंख्या जो प्रभावित हुई
१	२	३
	(एकड़ों में)	
१—विशुनपुरा	२	१२
२—परसिया	२	१३
३—भावलपुर	१५	३०
४—बलिया उत्तर	२	१०
५—महाल मझरिया	१३०	८०

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर]

मैनपुरी जिले में निम्नलिखित नलकूपों का स्थितीकरण हो चुका है

क्रम-संख्या	गांव का नाम/तहसील, ग्रुप तथा नलकूप संख्या	गांव	खेत नं०	स्थितीकरण
१	२	३	४	५
	जसराना तहसील—			
१	६३ जसराना ..	सकनी	५९७	जी हां, बोरिंग कामयाब हुई
२	६४ जसराना ..	सकनी	३०८	,, ,,
३	६८ जसराना ..	हतवनत	७८९	,, ,,
४	७० जसराना ..	संदलपुर	२७८	,, ,,
५	६९ जसराना ..	बिलतौगढ़	६०५	,, ,,
	मैनपुरी तहसील—			
६	२५ मैनपुरी ..	सनाये	—	,, ,,
	शिकोहाबाद तहसील—			
७	२६ शिकोहाबाद ..	मोहम्मदपुर-नवादा	—	,, ,,
८	३६ ,, ..	जिजौली	११६	,, ,,
९	३७ ,, ..	जिजौली	४३२	,, ,,
१०	४३ ,, ..	ब्रह्माबाद-लाहपुर	३२५	,, ,,
११	३८ ,, ..	जेवरा	१२८	,, ,,
१२	३९ ,, ..	नगला	२७	,, ,,
१३	४२ ,, ..	सिकन्द्रपुर	२०	,, ,,
१४	४० ,, ..	अरमोराजल	६३९	,, ,,
१५	४१ ,, ..	रसूलपुर	२२४	,, ,,
१६	३४ ,, ..	सिरसागंज	७७२	,, ,,
१७	४४ ,, ..	बरियारमऊ	१३०	,, —
१८	४८ ,, ..	अबाबकरपुर	११८	,, —
१९	५१ ,, ..	सुजावलपुर	५०८	,, —
२०	४७ ,, ..	करनपुर	११८	,, —
२१	४६ ,, ..	हैबनपुर	३८४	,, —
२२	४५ ,, ..	हरहा	१७०	,, —
२३	३५ ,, ..	किसरावन	८६४	,, —
२४	३३ ,, ..	जघोली	३८१	,, —
२५	५० ,, ..	नगला चन्दा	६८	,, —
२६	४९ ,, ..	दाऊदपुर	१००	,, —
२७	.. ,, ..	चेरी चौपर	१२५	,, —

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

पद का नाम	संख्या	हरिजन की संख्या	प्रतिशत अनुपात
१	२	३	४
क—जनरल मैनेजर ..	८	..	.. ..
ख—सहायक जनरल मैनेजर	२८	..	.. ..
ग—ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट ..	२९	१	३.४५ प्रतिशत
घ—असिस्टेन्ट ट्रैफिक इंसपेक्टर (असिस्टेन्ट ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेंट)	३५०	१०	२.८६ ,,
ङ—स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट ..	१३	..	..
च—स्टेशन इन्चार्ज ..	२५६	६	२.३४ ,,
छ—बुकिंग क्लर्क ..	३,४८०	१५७	४.५१ ,,
ज—कंडक्टर ..	३,८७६	४६३	११.९५ ,,
योग ..	८,०४०	६३७	७.९२ ,,

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

अनुबन्धन 'क'

सहायक खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय आयोजना काल के लिये निर्धारित कार्यक्रम तथा उनके लक्ष्य का ब्योरा निम्नलिखित है

क्रम-संख्या	कार्यक्रम	लक्ष्य
१	२	३
१—नए क्षेत्र में बाग लगाना		१.० लाख एकड़
२—पुराने बागों का पूनर्जीयाकरण		०.७५ लाख एकड़
३—उन्नतिशील आलू के बीज का वितरण		३.० लाख मन
४—तरकारियों के उन्नत बीजों का वितरण		३,० हजार पौंड
५—केले की पैदावार में वृद्धि		२, हजार एकड़
६—पपीते की खेती में वृद्धि		५, हजार ,,
७—सिंघाडे की खेती में वृद्धि		३, हजार ,,
उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिये निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है—		
१—राजकीय बागों की स्थापना		३ नम्बर
२—आलू के फार्मों की स्थापना		५ ,,
३—प्राइवेट नर्सरी की स्थापना		१०० ,,
४—पौध वितरण		४० लाख नम्बर।

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६७ पर)

सूची

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बलिया जिले से किन गांवों में नलकूप लगाये गये उनकी सूची :—

१—जगदीशपुर
२—हुमरी
३—जाम
४—रहुआं
५—मुन्डा डीह
६—जगदीशपुर
७—डेमरिया
८—मुराडीह
९—पचरूखा
१०—सरंख
११—नियामतपुर
१२—इटैली
१३—विलौंझी
१४—हल्धरपुर
१५—नवलपुर (रतोही)
१६—साहूपुर
१७—दुगई
१८—अलीमपुर
१९—खड़ाओं
२०—खालीपुर
२१—गोपालपुर
२२—मुस्तफाबाद
२३—अमरपुरा
२४—प्रतापपुर
२५—सकरेपुरा
२६—मानिकपुर
२७—रिगवां
२८—मनियर
२९—रूपवर
३०—सरवन छपरा
३१—त्रिकालपुर
३२—रूपवर
३३—पकरी कोल
३४—जगदीशपुर
३५—बिन्दहा
३६—कसौरी कलां
३७—डेमरी २

नत्थी 'थ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का

सं० प्रा० अधि-नियम सं० १५, १९४८ ई०

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेहरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) यह, इस अधिनियम में की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, तुरन्त प्रचलित होगा।

सं० प्रा० अधि-नियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ८ की उपधारा (१) में शब्द "कर-निर्धारण की सूचना" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण और मांग के नोटिस" रख दिये जायं।

सं० प्रा० अधि-नियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा ८-क का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ८-क में—

(१) उपधारा (१) में शब्द और पूर्ण विराम "प्रार्थना-पत्र देगा।" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के लिये या, उसकी स्वेच्छा से, और अधिक अवधि के लिये, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न होगी, दिया जा सकता है।"

(२) उपधारा (१-क) में खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(क) कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्धारित की जायें, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है। इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, रजिस्ट्री उस अवधि में प्रवृत्त रहेगी जिसके लिये वह स्वीकृत हुई हो।

(ख) इस धारा के अधीन रजिस्टर हुआ व्यापारी, जब तक कि उसका रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द न कर दिया गया हो, अपने रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र का नवीकरण ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर करायेगा जो निर्धारित किया जाये।

(ग) व्यापारी को प्रत्येक ऐसे कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके लिये रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकृत किया गया हो, १० रुपये शुल्क देना होगा;" और

(३) उपधारा (३) में—

(क) शब्द "नकदी पर्चा (कैश मेमो)" तथा शब्द "देगा" के बीच में शब्द तथा कामा "या उधार पर्चा, जैसी भी दशा हो," रख दिये जायें, तथा

(ख) शब्द "क्रेता से कोई रकम कर के रूप में वसूल करता है" के स्थान पर शब्द "कर के रूप में कोई धनराशि क्रेता से लेता या आदेय करता है", शब्द "वसूल की गई" के स्थान पर शब्द "ली या आदेय की गयी," शब्द "नकदी पर्चा" के स्थान पर शब्द "पर्चे" तथा शब्द "जिन्हें उसने निर्धारित ढंग से वसूल किया हो, सही और ठीक लेखा भी रखेगा" के स्थान पर शब्द "जिन्हें उसने लिया या आदेय किया हो, निर्धारित ढंग से सही और ठीक लेखा भी रखेगा" रख दिये जांय।

सं० प्रा० अधि-नियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा ९ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ९ में—

(१) उपधारा (३) में—

(क) खंड (ग) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाये और तत्पश्चात् शब्द "अथवा" बढ़ा दिया जाये; और

(ख) खंड (ग) के पश्चात् नये खंड (घ) और (ङ) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"(घ) (१) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन मुक्त करने या न करने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द या परिष्कृत कर सकते हैं; या

(२) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा लगाये गये शुल्क का समर्थन कर सकते हैं या उसे बढ़ा-घटा सकते हैं; या

(३) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन मुक्त करने या न करने की आज्ञा को रद्द कर सकते हैं और कर-निर्धारक अधिकारी को, ऐसी अतिरिक्त जांच, जिसका निदेश दिया जाये, करने के पश्चात् नयी आज्ञा देने का निदेश दे सकते हैं; या

(ङ) धारा ३० के अधीन दी गयी आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं अथवा उसे रद्द कर सकते हैं और कर-निर्धारक अधिकारी को धारा ३० के अधीन मामले की सुनवाई पुनः आरम्भ करने के लिये निदेश दे सकते हैं।"

(२) उपधारा (५) में—

(क) शब्द "यदि अपील सुनने वाले अधिकारी के निर्णय के अनुसार देय कर की धनराशि कम हो जाती है" के स्थान पर शब्द "यदि निर्धारित कर या लगाये गये शुल्क या अर्थ-दंड की धनराशि उपधारा (३) के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा कम कर दी जाये" रख दिये जांय; और

(ख) शब्द "अधिक कर" और शब्द "को लौटाने" के बीच में कामा तथा शब्द "शुल्क या अर्थ-दंड" रख दिये जायें।

५—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (३) के खंड (१) में—

(क) शब्द "पुनरीक्षण अधिकारी (Revising Authority)" तथा शब्द "अपना" के बीच में शब्द "अथवा कोई अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी" रख दिये जायें; और

(ख) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में आये हुये पूर्ण-विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाये और तत्पश्चात् निम्न-लिखित नये प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिये जायें :—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कर, शुल्क या अर्थ-दंड की किसी धनराशि की वसूली के स्थगन के लिय प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण अधिकारी या किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण न किया जायेगा, जब तक कि कर-निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी, जैसी भी दशा हो, की आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण उसके समक्ष विचाराधीन न हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी कर, शुल्क या अर्थ-दंड की किसी धनराशि की वसूली पुनरीक्षण अधिकारी या किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थगित की जाय, तो प्रार्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि यह सम्बद्ध कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार, ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाये, प्रतिभूति दे।"

(२) उपधारा (३) के खण्ड (२) में शब्द "संविधान के अनुच्छेद २१७ के खंड (२) के अधीन उच्च न्यायलय में न्यायाधीश (Judge) की नियुक्ति के निमित्त अर्ह (qualified) किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त पुनरीक्षक अधिकारी (Additional Revising Authority) नियुक्त कर सकती है" के स्थान पर शब्द तथा कामा "पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह व्यक्तियों में से उतने अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जितने वह आवश्यक समझे" रख दिये जायें; और

(३) उपधारा (५) में—

(क) शब्द "यदि फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा (३) के अन्तर्गत निर्धारित की गई रकम को कम कर देता है" के स्थान पर शब्द "यदि निर्धारित कर या लगाये गये शुल्क या अर्थ-दंड की रकम उपधारा (३) के अधीन पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा कम कर दी जाये" रख दिये जायें; और

(ख) शब्द "वह कर" और शब्द "की उस अधिक रकम" के बीच में कामा तथा शब्द "शुल्क या अर्थ-दंड" रख दिये जायें।

सं० प्रा० अधिनियक सं० १५, १९४८ ई० की धारा १० का संशोधन

६—मूल नियम की धारा २४ की उपधारा (२) का खण्ड (चच) निकाल दिया जाये।

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा २४ का संशोधन

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई० में नयी धारा ३१ का बढ़ाया जाना

७—मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात, नयी धारा ३१ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये और १ अप्रैल, १९४८ से इसी प्रकार बढ़ाया गया समझा जाय :—

"३१—(१) यदि किसी व्यापारी ने उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५६ की धारा ७ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व की धारा ७ के उपबन्धों के अनुसार, पूर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन के आधार पर कर-निर्धारण किये जाने की स्वेच्छा व्यक्त की हो, तो उस पर कर ऐसी दरों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा जो उस वर्ष में प्रचलित हों, जिसके लिये कर-निर्धारण किया जा रहा हो, और यदि कोई उस कर-निर्धारण वर्ष में किसी माल या माल के वर्ग पर कर की दरों में परिवर्तन कर दिया जाये तो व्यापारी, ऐसे माल के विक्रय धन के संबंध में, परिवर्तित दरों के अनुसार कर का उसी प्रकार देनदार होगा मानों परिवर्तित दरें पूर्व वर्ष में भी उसी अनुपात में उतने दिनों के लिये प्रचलित थीं, जितने दिनों के लिये वे कर-निर्धारण वर्ष में प्रचलित रहीं।

(२) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आज्ञा में किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५६ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व की धारा ७ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हुये भासित होने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी कर निर्धारण या दी गयी सभी आज्ञाएं, किये गये सभी कार्य या की गयी सभी कार्यवाहियां, जारी किये गये सभी निदेश, प्रयुक्त सभी क्षेत्राधिकार या लगाये गये अथवा वसूल किये गये, सभी कर, विधि की दृष्टि से उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझे जायेंगे मानों वे कर-निर्धारण, आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियां, निदेश, क्षेत्राधिकार और कर, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६२ द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उक्त उपबन्धों के अधीन या अनुसार, यथास्थिति, विधिवत् किये गये, दी गयी, दिये गये, की गयी, जारी किये गये, प्रयुक्त हुये, लगाये गये या वसूल किये गये, हों, और मानो इस प्रकार किया गया संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो।

उ० प्र० अधिनियम संख्या, १९६२

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पदावली "पूर्व वर्ष" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, सन् १९५६ ई० की धारा २ द्वारा संशोधित होने के पूर्व के इस अधिनियम की धारा २ के खंड (ञ) के उप-खंड (२) में दिया हुआ था।"

सं० प्रा० अधिनियम संख्या १५, १९४८ ई० में नयी धारा का बढ़ाया जाना

८—मूल अधिनियम की उक्त धारा ३१ के पश्चात् नयी धारा ३२ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये और २० जुलाई, १९६१ से इसी प्रकार बढ़ाया गया समझा जाये :—

"३२—(१) उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये—

(१) धारा ९ के अधीन अपीलों के ज्ञाप-पत्रों पर,

(२) कर, शुल्क या अर्थ-दंड की वसूली के स्थगन के लिये प्रार्थना-पत्रों सहित, धारा १० के अधीन पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्रों पर; और

(३) इस अधिनियम के अधीन अन्य प्रार्थना-पत्रों पर, जो २० जुलाई, १९६१ को या उसके पश्चात् प्रस्तुत किये गये हों, चाहे कर-निर्धारण की कार्यवाहियां उक्त दिनांक के पूर्व प्रारम्भ की गयी हों या उसके पश्चात्, शुल्क निम्नलिखित प्रकार से देय होगा और उपर्युक्त दिनांक से इस प्रकार देय समझा जायगा, मानों उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन)) अधिनियम, १९६२ द्वारा इस अधिनियम का संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो, भले ही किसी अन्य विधि, न्यायालय की डिक्री या आज्ञा में कोई प्रतिकूल बात दी हो :—

(१) धारा ९ के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर ..	विवाद-ग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ-दंड की धनराशि का एक प्रतिशत, किन्तु कम से कम एक रुपया तथा अधिक से अधिक पचास पये ।
(२) धारा १० के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र पर ..	विवाद-ग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का पांच प्रतिशत, किन्तु कम से कम पांच रुपये तथा अधिक से अधिक एक सौ रुपये ।
(३) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर—	
(क) यदि वह बिक्री-कर कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को संबोधित हो—	दो रुपये ।
(ख) यदि वह किसी अन्य अधिकारी को सम्बोधित हो—	एक रुपया ।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित शुल्क का भुगतान या तो कोर्ट फीस टिकट लगा कर किया जायेगा या ऐसा खजाना चालान लगा कर किया जायेगा जिससे यह विदित हो कि उसके संबंध में देय शुल्क की अपेक्षित धनराशि खजाने में जमा कर दी गयी है ।

(३) निम्नलिखित के संबंध में कोई शुल्क देय न होगा—

(क) बिक्री-कर कमिश्नर या कर-निर्धारक अधिकारी या इस अधिनियम अथवा तद्धीन बने नियमों के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र;

(ख) ऐसा प्रार्थना-पत्र जिसमें केवल सूचना मांगी गयी हो और जिसमें किसी विशेष अनुतोष की मांग न की गयी हो; और

(ग) सुनवाई का स्थगन करने के लिये प्रार्थना-पत्र ।

९—मूल अधिनियम में—

(१) धारा १० के शीर्षक में शब्द "फिर से कर निर्धारण" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "पुनरीक्षण (अथवा निरीक्षण या फिर से कर-निर्धारण)" रख दिये जायें; तथा

(२) जहां भी शब्द "फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी" अथवा "फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी" अथवा "पुनरीक्षक अधिकारी" या "पुनरीक्षक प्राधिकारी" आये हों उनके स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण अधिकारी" रख दिये जायें।

नियम ८४ का निरसन

१०—२० जुलाई, १९६१ के असाधारण गजट में वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२७६०/१०—९००(एस)-५२, दिनांक १५ जुलाई, १९६१ में प्रकाशित उत्तर देश सेल्स टैक्स रूल्स, १९४८ (उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ ई०) का नियम ८४ निकाल दिया जाता है।

विधान भवन

उद्देश्य और कारण

वर्तमान उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में, व्यापारियों की वार्षिक रजिस्ट्री की व्यवस्था है। कुछ समय से राज्य का व्यापारी-वर्ग वार्षिक रजिस्ट्री की इस प्रणाली के प्रति असन्तोष इस आधार पर प्रकट करता रहा है कि इससे उन्हें ऐसी असुविधा होती है जो दूर की जा सकती है। इसलिए उनकी यह माँग रही है कि व्यापारियों को एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी जाये। यह निर्णय किया गया है कि यह माँग स्वीकार कर ली जाये और ऐक्ट को समुचित रूप से संशोधित किया जाये, ताकि व्यापारियों की रजिस्ट्री एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए कराने की व्यवस्था हो जाये। इसके अतिरिक्त ऐक्ट के वर्तमान उपबन्धों के अधीन उस आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती जो ऐक्ट की धारा ४ या ३० के अधीन दी गयी हो। ऐक्ट की इस कमी को उसकी धारा ९ को समुचित रूप से संशोधित करके दूर करने का विचार है।

२—एक बात और है जिसके कारण ऐक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता हुई और उसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोदी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड में भारत के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा दिये गये निर्णय से है। इस निर्णय के अनुसार उन व्यापारियों के विक्रय-धन के सम्बन्ध में, जिन्होंने "पूर्व वर्ष" के विक्रय-धन के आधार पर कर निर्धारित किये जाने की इच्छा व्यक्त की थी, कुछ परिस्थितियों में जो कर निर्धारित और वसूल किया गया था वह वैध उद्ग्रहण (levy) नहीं था। ऐसे उद्ग्रहणों और वसूलियों को वैध बनाने के लिए यह विचार किया गया है कि ऐक्ट को समुचितरूप से संशोधित किया जाये। साथ ही इस अवसर का उपयोग अपीलों के ज्ञाप-पत्रों, पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना पत्रों तथा अन्य विविध प्रार्थना-पत्रों पर शुल्क (फीस) लगाने की व्यवस्था करने के लिये भी किया गया है। उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में ऐसे शुल्क लगाने की व्यवस्था पहले ही से है चूंकि नियमों में यह व्यवस्था पुनरीक्षण अधिकारी (रिवाईजिंग अथारिटी) द्वारा एक मामले में त्रुटिपूर्ण पायी गयी है इसलिये ऐक्ट ही में शुल्क लगाने की व्यवस्था करने का विचार किया गया है। ऐक्ट में कुछ अन्य ऐसे छोटे-मोटे संशोधन भी करने का विचार है जो न्यूनाधिक मात्रा में प्रक्रिया-सम्बन्धी है।

३—अतएव, यह विधेयक पुरस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
वित्त मंत्री।

प्रतिनिहित विधायन के संबंध में ज्ञापन-पत्र

इस संशोधन विधेयक में राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा २४ के अधीन कतिपय नियम बनाने के लिये प्राधिकार दिये गये हैं। जिन विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाये जायेंगे, उन्हें नीचे दिया गया है :—

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ८-क के वर्तमान उपबन्धों के अधीन व्यापारी को रजिस्ट्री और परिणामतः उसका नवीकरण वार्षिक आधार पर कराने की स्वीकृति दी जाती है, और, इसीलिए, नवीकरण के नियम भी इन उपबन्धों के अनुसार हैं। विधेयक के खंड ३ द्वारा यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि व्यापारी, अपनी स्वेच्छा से एक वर्ष से अधिक के लिये रजिस्ट्री करा सकता है, किन्तु एक बार में तीन वर्ष से अधिक के लिये रजिस्ट्री नहीं करा सकता अतएव रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के सम्बन्ध में तदनुसार परिवर्तन करना होगा और राज्य सरकार को यह प्राधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियमों में ऐसे परिवर्तन करने की व्यवस्था करे। इसी प्रकार राज्य सरकार को यह प्राधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह नियमों द्वारा उन शर्तों को निर्धारित करे जिनके अधीन रहते हुये कर-निर्धारक अधिकारी व्यापारियों को रजिस्ट्री की अनुमति दे सके।

२—नियम बनाने का अधिकार सामान्यरूप का है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की ऐसी संगत धाराओं का विवरण जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा –२ परिभाषायें—इस ऐक्ट में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विपरीत न हो—

× × ×

(ञ) (१) "कर-निर्धारण वर्ष" से तात्पर्य उन बारह महीनों से है जो ३१ मार्च को पूरे हों।

(२) "पूर्व वर्ष" से तात्पर्य उन बारह महीनों से है जो कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पहले ३१ मार्च को समाप्त होते हों अथवा यदि किसी व्यापारी का लेखा (हिसाब) उक्त बारह महीनों के भीतर किसी दिनांक तक किसी ऐसे वर्ष के विषय में बनाया गया है जो ३१ मार्च के अतिरिक्त किसी और दिनांक पर अन्त होता हो, तो ऐसे व्यापारी की स्वेच्छा पर वह वर्ष माना जायेगा जो उस दिनांक पर अन्त होता है जिस तक उसका लेखा (हिसाब) बनाया गया है।

प्रतिबन्ध यह है कि जब व्यापारी पर एक बार इस ऐक्ट के आदेशों के अन्तर्गत कर निर्धारण कर दिया गया हो तो वह स्वेच्छा का इस प्रकार प्रयोग न कर सकेगा, जिससे "पूर्व वर्ष" का अर्थ बदल जाय, परन्तु उपर्युक्त कर-निर्धारक अधिकारी की अनुमति से और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ जो उक्त अधिकारी उचित समझे वह उस अर्थ को बदल सकता है।

× × ×

धारा –८ कर का भुगतान तथा उसकी प्रगति

(१) इस ऐक्ट के अधीन निर्धारित कर का भुगतान ऐसे ढंग से तथा ऐसी किस्तों में, यदि कोई हो, तथा ऐसे समय के भीतर जो कर निर्धारण की सूचना की तारीख के पश्चात् १५ दिन से कम न होगा, जैसा कि नोटिस में दिया हुआ हो, किया जायगा। ऐसा भुगतान न करने की दशा में फिर जो रकम शेष रह जायगी उपधारा (२) के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

× × ×

धारा ८–क व्यापारियों की रजिस्ट्री और उनके द्वारा कर की वसूली

(१) (क) प्रत्येक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचता है जिसके विक्रय धन पर धारा ३–क की उपधारा (१) के अधीन कर देय है; तथा

(ख) प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का देनदार है; तथा

(ग) प्रत्येक व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन दी गई अथवा स्वीकृत छूट के अभाव में तदधीन कर का देनदार होता, यदि कर निर्धारण वर्ष में उसका वास्तविक या अनुमानित विक्रय धन १२,००० रु० से अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, कम न हो, तथा

(घ) प्रत्येक व्यापारी जो कर निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार प्रारम्भ करता है तथा जिसका वर्ष के शेष भाग का औसत मासिक अनुमानित विक्रय धन, अथवा जिसका उपर्युक्त अवधि के किसी मास का वास्तविक विक्रय धन १२,००० रु० के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम

प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, बारहवें भाग से कम न हो; कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप में, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित किये जायं, रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र देगा।

(१-क) (क) कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझें, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्री कर निर्धारण वर्ष में अथवा उस कर निर्धारण वर्ष के जिसके लिये वह स्वीकृत हुई हो, अव्यतीत भाग में प्रवृत्त रहेगी।

(ख) जो व्यापारी इस धारा के अधीन रजिस्टर हो जाय वह प्रतिवर्ष अपने रजिस्टरी के प्रमाण-पत्र का नवीकरण कराने के लिये उत्तरदायी होगा जब तक कि रद्द न कर दिया जाय।

(ग) रजिस्ट्री तथा उसके प्रत्येक नवीकरण के लिये व्यापारी को १० रु० शुल्क देना होगा।

* * *

(३) धारा १२ में किसी बात के होते हुये भी प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी, जो कोई माल बेचते समय क्रेता से कोई रकम कर के रूप में वसूल करता है, क्रेता को एक नकदी पर्चा (कैशमेमो) देगा, जिस पर व्यापारी या उसके नौकर, मैनेजर अथवा एजेन्ट के हस्ताक्षर होंगे और जिसमें बेचे गये माल का मूल्य तथा क्रेता से कर के रूप में वसूल की गई रकम अलग-अलग दिखलाई जायगी और वह उस नकदी पर्चे का प्रतिरूप हस्ताक्षर सहित अपने पास रखेगा और ऐसी सब रकमों का, जिन्हें उसने निर्धारित ढंग से वसूल किया हो, सही और ठीक लेखा भी रखेगा।

* * *

धारा ९ (३) अपील सुनने वाले अधिकारी (अपीलेट अथारिटी) अपील करने वाले अपील को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्—

(क) कर-मात्रा (असेसमेंट) का समर्थन कर सकते हैं, घटा-बढ़ा सकते हैं अथवा रद्द कर सकते हैं; अथवा

(ख) कर-मात्रा को अस्वीकार कर सकते हैं और कर लगाने वाले अधिकारी को यह आदेश दे सकते हैं कि ऐसी अतिरिक्त जांच के बाद जिसके लिये कहा गया हो, नई आज्ञा दें, अथवा

(ग) अर्थदंड लगाने वाली आज्ञा का समर्थन (confirm) कर सकते हैं या उसे निरस्त (cancel) कर सकते हैं या लगाये गये अर्थ-दंड की धनराशि को कम कर सकते हैं।

* * * *

धारा १० (५) यदि अपील सुनने वाले अधिकारी के निर्णय के अनुसार देय कर की धन-राशि कम हो जाती है, तो अपील सुनने वाले अधिकारी भुगतान किये हुये अधिक कर को लौटाने का आदेश देंगे।

* * * *

फिर से कर-निर्धारण का अधिकार (३) (१) पुनरीक्षण अधिकारी (Revising Authority) अपना इस बात का समाधान करने के निमित्त कि अपील सुनने वाले अधिकारी अथवा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा वैध अथवा उचित है, अपनी इच्छा से या बिक्री-कर कमिश्नर या विक्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर,

अपने विवेक से, उक्त आज्ञा के कागजात मंगा सकता है तथा उनकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा दे सकता है, जिसे वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी प्रार्थना-पत्र ऐसी किसी दशा में नहीं लिया जायगा, जब कि आज्ञा के विरुद्ध अपील की जा सकती थी परन्तु की नहीं गई।

(२) राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद २१७ के खंड (२) के अधीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश (Judge) की नियुक्ति के निमित्त अर्ह (Qualified) किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त पुनरीक्षक अधिकारी (Additional Revising Authority) नियुक्त कर सकती है। अतिरिक्त पुनरीक्षक अधिकारी या तो किसी क्षेत्र में सामान्यतः, या वादों (Cases) के किसी वर्ग के सम्बन्ध में पुनरीक्षक प्राधिकारी के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायं या उसे सौंपे जायं।

* * * *

(५) यदि फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा (३) के अन्तर्गत निर्धारित की गई रकम को कम कर देता है, तो वह कर की उस अधिक रकम को यदि वह वसूल कर ली गई हो, लौटा देने की आज्ञा देगा।

धारा-२४ (१) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये। — नियम बनाने का अधिकार

(२) ऐसे नियमों में विशेष रूप से और पूर्व वर्णित अधिकार की सामान्यता को बिना प्रभावित किये, निम्नांकित विषयों के सम्बन्ध में आदेश हो सकते हैं —

* * * *

"(चच) कर-निर्धारक अधिकारी या सहायक बिक्री-कर कमिश्नर अथवा बिक्री-कर कमिश्नर के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर और अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के ज्ञापन-पत्रों तथा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्रों पर या किन्हीं अन्य प्रार्थना-पत्रों पर फीस निर्धारित करना।"

* * * *

नियम-८४ फीस—(१) उपनियम (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अपीलों के लिये प्रार्थना-पत्र, निरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र तथा अन्य प्रार्थना-पत्रों पर, या तो कोर्ट फीस टिकट लगा कर अथवा खजाना चालान संलग्न करके, जिससे यह विदित हो कि उसके सम्बन्ध में अपेक्षित धनराशि खजाने में जमा कर दी गई है, निम्नलिखित फीस देय होगी :—

(१) धारा ९ के अधीन अपील के प्रार्थना-पत्र पर—	विवादग्रस्त कर या फीस की धनराशि की एक प्रतिशत, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कम से कम एक रुपया तथा अधिक से अधिक पचास रुपये होगी।
(२) धारा १० के अधीन निरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र पर—	विवादग्रस्त कर या फीस की धनराशि की पांच प्रतिशत, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कम से कम पांच रुपया तथा अधिक से अधिक एक सौ रुपये होगी।

(३) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर—	(क) यदि वह विक्री कर अधिकारी या असिस्टेंट कमिश्नर अथवा न्यायाधीश (अपील) को सम्बोधित किया गया हो तो	एक रुपया
	(ख) यदि वह बिक्री-कर कमिश्नर या बिक्री कर अतिरिक्त कमिश्नर या बिक्री-कर संयुक्त कमिश्नर या बिक्री-कर डिप्टी-कमिश्नर अथवा न्यायाधीश (निरीक्षण) को सम्बोधित किया गया हो तो	दो रुपया

(२) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई फीस देय न होगी :—

(क) बिक्री-कर कमिश्नर, बिक्री-कर अतिरिक्त कमिश्नर, बिक्री-कर संयुक्त कमिश्नर, बिक्री-कर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र,

(ख) ऐसा प्रार्थना-पत्र, जिसमें केवल सूचना मांगी गई हो और जिसमें किसी विशेष सुविधा की मांग न की गयी हो, तथा

(ग) सुनवाई का स्थगन करने के लिये दिया गया प्रार्थना-पत्र।

———

नत्थी 'द'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१९ पर)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में भूमि और भवनों पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिए;

विधेयक

यह आवश्यक और इष्टकर है कि नियोजित विकास के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वित्तीय साधनों की वृद्धि करने की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में स्थित भूमि या भवनों अथवा दोनों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाये :

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह अनुसूची में उल्लिखित नागर क्षेत्रों में १ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायेगा और शेष नागर क्षेत्रों में उन दिनांकों से प्रचलित होगा जिनका निदेश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा दे, और जैसा राज्य सरकार उचित समझे, विभिन्न नागर क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(१) "करदाता" का तात्पर्य ऐसे भवन या भूमि के स्वामी से है, जिसके संबंध में कर देय हो, और उसकी मत्यु हो जाने पर, उसके विधिक प्रतिनिधि से है ;

(२) "भवन" के अन्तर्गत गृह, बाह्य गृह, अस्तबल, छादक, झोपड़ी तथा अन्य बाड़े या संरचनाएं हैं, चाहे वे किसी चुनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या किसी भी अन्य पदार्थ की बनी हों और चाहें किसी भी काम में लायी जाती हों, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या कोई ऐसी अन्य चल संरचना नहीं है;

(३) "नगर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३ के अधीन नगर के रूप में संघटित किसी स्थानीय क्षेत्र से है ; उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(४) "कलेक्टर" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त (एडीशनल) कलेक्टर भी हैं; यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(५) "आयुक्त" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में "Commissioner" का है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) भी है; यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

उ० प्र० अधिनियम संख्या १९६२

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(६) "भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो भवन के स्थल के रूप में काम में लायी जाती हो या लायी जाने योग्य हो, किन्तु जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में यथापरिभाषित holding (जोत) न हो;

(७) "विधिक प्रतिनिधि" का तात्पर्य वही होगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" का दिया गया है;

(८) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य, किसी ऐसे क्षेत्र से है जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रशासित हो;

(९) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य—

(क) किसी नगर की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में, उस नगर की नगर महापालिका से है;

(ख) किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में उस नगरपालिका के नगरपालिका बोर्ड से है;

(ग) किसी नोटीफाइड एरिया की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में, उस नोटीफाइड एरिया की नोटीफाइड एरिया कमेटी से है;

(घ) किसी टाउन एरिया की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में, उस टाउन एरिया की टाउन एरिया कमेटी से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(१०) "नगरपालिका" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन म्युनिसिपैलिटीज के रूप में घोषित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(११) "नगरपालिका बोर्ड" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबंधों के अधीन संघटित म्युनिसिपल बोर्ड से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(१२) "नोटीफाइड एरिया" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३३७ के अधीन नोटीफाइड एरिया के रूप में घोषित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(१३) "नोटीफाइड एरिया" कमेटी का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३३८ की उपधारा (१) के खंड (सी) के अधीन नियुक्त कमेटी से है;

(१४) "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके वास्तविक अध्यासन या उपयोग में ऐसी भूमि या भवन अथवा उसका भाग हो, जिसके संबंध में कर देय हो, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) अध्यासीन स्वामी;

(ख) किरायेदार जो तत्समय उसके संबंध में स्वामी को किराया दे रहा हो या किराये का देनदार हो;

(ग) उसका किराये से मुक्त किरायेदार या लाइसेंसगृहीता; और

(घ) वह व्यक्ति, जो उसके अनधिकृत उपयोग तथा अध्यासन के लिए स्वामी को क्षतिपूरक का देनदार हो;

(१५) "आदेश" का तात्पर्य गजट में प्रकाशित आज्ञा से है;

(१६) किसी भूमि, या भवन अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो तत्समय उसका किराया लेता हो अथवा जो उसे किराये पर उठाये जाने की दशा में किराया लेने का हकदार होता, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(क) अभिकर्ता या न्यासधारी जो स्वामी की ओर से ऐसा किराया लेता हो;

(ख) अभिकर्ता या न्यासधारी जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये समर्पित किसी भूमि या भवन का किराया लेता हो या जिसे उस भूमि या भवन का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(ग) प्रापक (रिसीवर), सम्पत्ति-निरोधक (sequestrator) या प्रबन्धक, जिसे क्षेत्राधिकारयुक्त किसी न्यायालय ने उस भूमि या भवन अथवा उसके भाग का प्रभार लेने या स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया हो;

(घ) उसका भोग-बन्धकधारी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि या भवन के विषय में उसका पट्टेदार या अनुदान ग्रहीता (grantee) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, भूमि या भवन का स्वामी समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसी भूमि के विषय में जो तीस साल या अधिक के पट्टे पर हो, उसका पट्टेदार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसका स्वामी समझा जायगा;

(१७) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(१८) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(१९) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन देय कर से है ;

(२०) "टाउन एरिया" का तात्पर्य यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३ के अधीन टाउन एरिया के रूप में घोषित किसी स्थानीय क्षेत्र से है ; यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(२१) "टाउन एरिया कमेटी" का तात्पर्य यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ५ के अधीन स्थापित कमेटी से है ; यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(२२) "नागर क्षेत्र" का तात्पर्य, यथास्थिति नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमाओं में समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

(२३) "वर्ष" का तात्पर्य वित्तीय वर्ष—अर्थात् १ अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी ३१ मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है ।

अध्याय २

कर का आरोपण

भूमियों या भवनों अथवा दोनों पर कर का लगाया जाना

३—(१) नागर क्षेत्र में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों पर प्रत्येक वर्ष के लिए कर ऐसी दर से लिया जायेगा, लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा जो उक्त भूमि या भवन के संयोगित मूल्य से दस प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ घोषित करे;

प्रतिबन्ध यह है कि उस भूमि के सम्बन्ध में कर, जो भवन से अनुलग्न हो, जहां तक उस (भूमि) का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न हो, उक्त भवन के संबंध में देय कर में सम्मिलित समझा जायेगा और केवल एक एकड़ क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि पर कर पृथक रूप से लगाया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि पहले वर्ष में, जिसमें कर निर्धारित किया जाये देय कर का सम्पूर्ण वर्ष के लिए देय कुल कर से वही अनुपात होगा जो (अनुपात) उन दिनों की संख्या का जिनमें यह अधिनियम उस वर्ष में प्रचलित रहे, संख्या ३६५ से हो।

(२) कर ऐसे दिनांकों को देय हुआ करेगा जो नियत किये जायं और, यथास्थिति, भूमि या भवन के स्वामी द्वारा राज्य सरकार को देय होगा।

(३) यह कर भूमि या भवन अथवा उसके भाग के संबंध में तत्समय देय किसी अन्य कर के अतिरिक्त होगा।

पूंजीगत मूल्य का अवधारण

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

४—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि या भवन का पूंजीगत मूल्य निम्नलिखित धनराशि के बराबर समझा जायेगा—

(१) यदि भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य (annual value) का अवधारण यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबंधों के अधीन पहले ही किया जा चुका हो, तो इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य अथवा उपर्युक्त किसी अधिनियम के अधीन समय-समय पर यथा परिवर्तित वार्षिक मूल्य:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी भूमि या भवन के विषय में कर निर्धारण प्राधिकारी की यह राय हो कि उसका इस प्रकार से अवधारित वार्षिक मूल्य, भूमि या भवन में, उक्त वार्षिक मूल्य के अवधारण के बाद में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण, अपर्याप्त या अत्यधिक हो गया है, तो वह खंड (२) के उपबन्धों के अनुसार उसका पूंजीगत मूल्य अवधारित कर सकता है; और

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(२) उन मामलों में जो खंड (१) के अन्तर्गत न आते हों,

(क) यदि भवन कोई होटल, फैक्टरी अथवा ऐसा अन्य भवन हो जो नियत किया जाये, तो उस धनराशि का बीसवां भाग जो भवन का निर्माण करने की वर्तमान अनुमानित लागत को उससे अनुलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य में जोड़ देने से प्राप्त हो;

(ख) यदि भूमि या भवन किराये पर उठा दिया गया हो, तो यथास्थिति, वार्षिक किराये अथवा मासिक किराये का बारह गुना, जो उस (भूमि या भवन) के लिए स्वामी को देय हो; तथा

(ग) यदि भूमि या भवन जो उप खंड (क) के अन्तर्गत आने वाला भवन न हो, किराये पर न उठाया गया हो और जो स्वामी के, अथवा उसकी ओर से, किरायेदार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के, वास्तविक अध्यासन में हो, अथवा जो खाली पड़ा हो, तो वह वार्षिक किराया या उस मासिक किराये का बारह गुना जिस पर वह पास पड़ोस में प्रचलित किरायों और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए जो नियत की जायें, किराये पर उठाया जा सकता हो:

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) के अधीन किसी भूमि या भवन के पूंजीगत मूल्य का अवधारण करने में उस भूमि या भवन में स्थित किसी मशीन, उपस्कर (furniture) अथवा स्थापक (fixture) के किराये का ऐसी धनराशि का जो उचित रूप से उसका किराया निर्धारित की जा सके विचार नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि आपवादिक परिस्थितियों के कारण किसी भूमि या भवन के पूंजीगत मूल्य की गणना उपर्युक्त रीति से किये जाने पर वह कर निर्धारण प्राधिकारी की राय में अत्यधिक हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी पूंजीगत मूल्य को ऐसी कम धनराशि पर निश्चित कर सकता है जो उसे साम्यपूर्ण और उचित प्रतीत हो।

अध्यासी से कर वसूल करने का अधिकार

५—(१) किसी ऐसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग के संबंध में, जिसका स्वामी स्वयं उसका अध्यासी न हो, किसी वर्ष में देय कर, स्वामी द्वारा भूमि या भवन के अध्यासी से उसी अनुपात में वसूल किया जा सकेगा जो (अनुपात) वर्ष के उन दिनों की संख्या का जिनमें यथास्थिति ऐसी भूमि या भवन अथवा उसका भाग उस अध्यासी के वास्तविक अध्यासन या उपयोग में रहा हो, संख्या ३६५ से हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय कर स्वामी द्वारा अध्यासी से, यथास्थिति, भूमि या भवन के उपयोग तथा अध्यासन के क्षतिपूरक के साथ या उसके किराये के साथ या किसी अन्य प्रकार से वसूल किया जा सकेगा।

विमुक्तियां

६—पूर्वोक्त उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में कोई कर न लगाया जा सकेगा—

(१) कोई भूमि या भवन अथवा उसका भाग यदि वह—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में हो, अथवा उसमें निहित हो, परन्तु ऐसी भूमि या भवन या उसका भाग न हो जो राज्य सरकार के पट्टेदार या अनुदानग्रहीता (g antee) के रूप में किसी व्यक्ति के अधिकार में हो;

(ख) पार्क, पुस्तकालय, संग्रहालय (museum), अस्पताल, खेल का मैदान, सड़क या गली, जो सार्वजनिक हो;

(ग) केवल शवों के निस्तारण से संबद्ध प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाता हो;

(२) कोई भूमि या भवन अथवा उसका भाग जिससे स्वामी को कोई आर्थिक लाभ प्रोद्भूत न होता हो यदि वह—

(क) स्थानीय प्राधिकारी या जिला परिषद् (जिसके अन्तर्गत अन्तरिम जिला परिषद् भी हैं) अथवा क्षेत्र समिति के स्वामित्व में हों या उसके द्वारा प्रशासित होता हो और केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता हो; या

(ख) सार्वजनिक उपासना-स्थल के रूप में या सार्वजनिक पूर्त प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता हो; या

(ग) किसी शिक्षा संस्था के स्वामित्व में हो अथवा उसके द्वारा मुख्यतः शिक्षा के प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता हो; और

(३) ऐसी अन्य भूमियां और भवन, जिनका पूंजीगत मूल्य ऐसी धन-राशि से अधिक न हो जो राज्य सरकार आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि उस वर्ष के, जिसमें कोई भूमि या भवन उस प्रकार न रह जाय जिसके कारण वह इस धारा के अधीन कर के दायित्व से विमुक्त होने का पात्र रहा हो, बाद वाले वर्ष से भूमि या भवन के संबंध में कर लगाया जा सकेगा ।

अध्याय ३

कर का निर्धारण और उसकी वसूली—अपील और पुनरीक्षण

कर निर्धारण प्राधिकारी की नियुक्ति

७—(१) प्रत्येक नागर क्षेत्र या एक से अधिक नागर क्षेत्रों के लिए एक कर-निर्धारण प्राधिकारी होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि एक नगर क्षेत्र के लिए एक से अधिक कर-निर्धारण प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं ।

(२) कर निर्धारण प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा ।

प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

८—(१) कर निर्धारण प्राधिकारी, उन समस्त भूमियों और भवनों की जिस पर कर का दायित्व हो एक प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची ऐसी रीति से तैयार करेगा या करायेगा जो नियत की जाये और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायें ।

(२) कर-निर्धारण प्राधिकारी सूची तैयार करते समय उन समस्त भूमियों और भवनों का, जिन पर कर का दायित्व हो पूंजीगत मूल्य और उन पर निर्धारित किये जाने वाले कर की राशि अवधारित करेगा और उन्हें सूची में यथोचित रूप से दिखाया जायेगा ।

(३) जब प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची तैयार हो जाये तो कर निर्धारण प्राधिकारी उस स्थान का जहाँ पर, और उस दिनाँक का जब से, उसका निरीक्षण किया जा सके, सार्वजनिक नोटिस ऐसे रीति से देगा जो नियत की जाये, और सूची में उल्लिखित भूमि या भवन का स्वामी या अध्यासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता भी है) उसका निरीक्षण कर सकेगा और कोई शुल्क दिये बिना उसका उद्धरण ले सकेगा :

प्रतिबंध यह है कि उन समस्त मामलों में, जिनमें किसी भूमि या भवन पर कर, धारा ४ के खंड (२) के अनुसार उस का पूंजीगत मूल्य अवधारित करके, निर्धारित करने का प्रस्ताव हो कर निर्धारण प्राधिकारी, स्वामी पर, ऐसी रीति से और ऐसे ब्योरे देते हुये जो नियत किये जायं नोटिस भी तामील करायेगा ।

सूची की प्रविष्टियों पर आपत्ति

९—प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची की किसी प्रविष्टि से या उसमें किसी बात के सम्मिलित किये जाने या छोड़ दिये जाने से अथवा सूची के संबंध में अन्य प्रकार से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनाँक से जब धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन सूची निरीक्षण के लिये उपलभ्य की जाये; तीस दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उसके संबंध में आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है :

प्रतिबंध यह है कि यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि आपत्तिकर्ता उपर्युक्त अवधि के भीतर आपत्ति पर्याप्त कारणवश प्रस्तुत न कर सका तो वह उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की गयी आपत्ति ग्रहण कर

सकता है, यदि वह धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन माँग का नोटिस प्राप्त होने के दिनाँक से तीन दिन के बाद न प्रस्तुत की गयी हो :

प्रतिबंध यह भी है कि जब तक कि मामला धारा ४ के खंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आ जाये, ऐसी किसी आपत्ति में उक्त खंड (१) में अभिदिष्ट वार्षिक मूल्य के अवधारण पर विवाद नहीं उठाया जायेगा ।

कर निर्धारण सूची को अन्तिम रूप देना

१०—(१) यदि प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची में उल्लिखित भूमि या भवन के संबंध में धारा ९ के उपबंधों के अनुसार कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाये तो उस भूमि या भवन के संबंध में प्रविष्टियाँ अन्तिम मान ली जायंगी ।

(२) यदि प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची में उल्लिखित भूमि या भवन के संबंध में धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आपत्ति प्रस्तुत की जाये तो कर निर्धारण प्राधिकारी, आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा और उस भूमि या भवन से संबद्ध प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची की प्रविष्टियों की पुष्टि करेगा या उनका पुनरीक्षण या परिष्कार करेगा ।

(३) तदुपरान्त प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यथाविधि प्रमाणीकृत की जायेगी और वह ऐसे किसी संशोधन, परिवर्तन शुद्धि या परिष्कार के अधीन रहते हुए, जो यथास्थिति, धारा ११ या धारा १२ के अधीन किया जाये, या धारा १६ के अधीन किसी अपील या धारा १९ के अधीन किसी पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप हो, अन्तिम मानी जायगी । अंतिम रूप से तैयार की गयी सूची, ऐसी रीति से जो नियत की जाये, प्रकाशित और सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिये उपलभ्य की जायेगी ।

(४) इस प्रकार अन्तिम रूप से तैयार की गयी सूची ऐसे किसी संशोधन, परिवर्द्धन, शुद्धि या परिष्कार के अधीन रहते हुये जो, यथास्थिति, धारा ११ या धारा १२ के अधीन किया जाये या धारा १६ के अधीन किसी अपील या धारा १९ के अधीन किसी पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप हो, उसे अंतिमरूप दिये जाने के दिनाँक के बाद आने वाली पहली अप्रैल से प्रभावी और प्रचलित होगी और उस समय तक प्रचलित रहेगी जब तक कि नयी सूची तैयार होकर प्रचलित न हो जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के पचलित होने के पश्चात् पहली बार अन्तिम रूप से तैयार की गयी सूची, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनाँक से प्रभावी होगी और प्रचलित हुई समझी जायेगी ।

(५) कर निर्धारण प्राधिकारी धारा ८, ९ और इस धारा की उपधारा (१) से (४) तक में निर्धारित रीति से प्रत्येक पाँच वर्ष में एक नयी सूची तैयार कर सकता है ।

धारा १० के अधीन अन्तिम रूप से तैयार की गई सूची में संशोधन

११—(१) यदि किसी भी समय कर निर्धारण प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि सूची को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, सूची में संशोधन कर सकता है और विशेषतया

(१) सूची में किसी लिपिक, अंक संबंधी या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक कर सकता है;

(२) त्रुटिवश हुए किसी इन्द्राज, लोप या गलत विवरण को ठीक कर सकता है;

(३) सूची में ऐसा परिवर्द्धन या शुद्धियाँ कर सकता है जो उसे निम्नलिखित के कारण आवश्यक मालूम हो :—

(क) सूची में सम्मिलित भवन का पूंजीगत मूल्य अन्तिम बार अवधारित किये जाने के बाद उसके नष्ट कर दिये जाने या उसे तत्वतः हानि पहुंचाये जाने के कारण; या

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर की दर में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण; या

(ग) भूमि या भवन के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने या उस पर कर का दायित्व आ जाने या न रह जाने के कारण; या

(घ) किसी भूमि या भवन के संबंध में पूंजीगत मूल्य या निर्धारित कर के विषय में यह पाये जाने के कारण कि वह कपट, मिथ्या व्यपदेश या त्रुटि के फलस्वरूप गलत आँका गया या निर्धारित किया गया :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (३) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में तत्समय प्रचलित सूची में तब तक कोई संशोधन न किया जायेगा जब तक कि, यथास्थिति, भूमि या भवन के स्वामी को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो और कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रस्तावित संशोधन के संबंध में स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी आपत्ति पर विचार करके उस पर निर्णय न दे दिया हो ।

(२) कर निर्धारण प्राधिकारी भी किसी भी समय, किन्तु धारा ८, ९ और १० के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात्, कर-निर्धारण सूची में ऐसी शुद्धियां, परिष्कार या परिवर्द्धन कर सकता है जो उसे निम्नलिखित के कारण आवश्यक प्रतीत हो :—

(१) सूची में सम्मिलित भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन किये जाने के कारण; या

(२) कर-निर्धारण सूची के अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के पश्चात् नया भवन निर्मित कर दिये जाने के कारण ।

कर-निर्धारण से छूट जाना

१२—(१) यदि किसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग के संबंध में कोई कर किसी कारण से निर्धारण से छूट गया हो तो कर-निर्धारण प्राधिकारी धारा ८, ९ और १० के उपबन्धों का पालन करने के पश्चात् उसके संबंध में कर-निर्धारित या पुनः निर्धारित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि, कर-निर्धारण के वर्ष के पूर्व तीन वर्षों से पहले की किसी भी अवधि के लिये कर का निर्धारण कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा न किया जायगा ।

(२) जब किसी भूमि या भवन के संबंध में कर उपधारा (१) के अधीन निर्धारित किया जाये तो कर-निर्धारण सूची तदनुसार परिष्कृत की जायगी ।

सूची में प्रविष्टियों का निश्चायक होना

१३—कर निर्धारण सूची में उल्लिखित किसी भूमि या भवन के संबंध में उसकी कोई प्रविष्टि उस अवधि के लिये जिसमें उक्त सूची प्रचलित रही हो या रहे कर से संबद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये निश्चायक प्रमाण होगी ।

संशोधन के प्रयोजनों के लिये सूचना देने का दायित्व

१४—जब किसी भवन का निर्माण, पुनर्निमाण या परिवर्द्धन किया जाये तो स्वामी उस निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्द्धन के पूरा हो जाने के दिनांक से अथवा उस भवन में अध्यासन के दिनांक से, जो भी दिनांक पहले हो, तीस दिन के भीतर उसकी सूचना कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी रीति से और ऐसे ब्योरे के साथ देगा जो नियत किये जायं ।

कर की वसूली

१५—(१) किसी भूमि या भवन के संबंध में कर ऐसे स्थान पर और ऐसी किस्तों में देय होगा जो नियत की जायं और कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा (जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी है) जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, वसूल किया जायगा ।

(२) कर वसूल करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी, कर या उसकी कोई किस्त देय हो जाने पर यथाशक्य शीघ्र मांग का नोटिस—जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे जो नियत किये जायं—स्वामी पर तामील करायेगा और उसमें उससे नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर देय कर का भुगतान करने के लिये कहेगा ।

(३) यदि कर-दाता द्वारा देय कर या उसकी किसी किस्त का भुगतान नियत अवधि के भीतर न किया जाय तो उक्त अवधि की समाप्ति पर कर—दाता बाकीदार समझा जायगा और धारा १७ के अधीन आरोपित शास्ति (यदि कोई हो) की धनराशि सहित कर, यथास्थिति, करदाता या उसके विधिक प्रतिनिधि से, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा ।

(४) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी ने, उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसरण में कर वसूल किया हो, तो वह वसूली के लिये ऐसा पारिश्रमिक, जो वसूल किये गये कर के पांच प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे, पाने का हकदार होगा और राज्य सरकार द्वारा उसका भुगतान उसे किया जायगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६
नियम संख्या २, १९५९

(५) यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में दिये गये किसी उपबन्ध से विरोध होने की दशा में इस धारा के उपबन्ध पूर्वोक्त उपबन्ध पर अभिभावी होंगे और उन्हें कार्यान्वित किया जायगा, भले ही उपर्युक्त अधिनियमों में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।

अपील और पुनरीक्षण

अपील

१६—(१) धारा १०,११ या १२ के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व, किसी समय उस जिले के जिसमें भूमि या भवन जिसके संबंध में आज्ञा दी गयी हो, स्थित हो, कलेक्टर या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करे अपील प्रस्तुत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जायगी जब तक कि उसके साथ अपीलकर्त्ता द्वारा देय निर्धारित कर के कम से कम दो तिहाई का भुगतान कर दिये जाने का सन्तोषजनक प्रमाण न हो ।

(२) यदि अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है ।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील नियत रीति से प्रस्तुत और सत्या-पित की जायगी ।

(४) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्त्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसी आज्ञा देगा जो वह उचित समझे और आज्ञा की एक-एक प्रतिलिपि, कर निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, भेजेगा ।

(५) यदि आवश्यक हो तो कर-निर्धारण सूची अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार परिष्कृत की जायगी ।

कर का भुगतान न करने पर शास्ति

१७—(१) यदि कोई करदाता देय कर की किसी किस्त का बाकीदार हो जाय, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, स्वमति से निदेश दे सकता है कि कर के बकाये की धनराशि के अतिरिक्त उस धनराशि के दसवें भाग से अनधिक धन-राशि करदाता से शास्ति के रूप में वसूल की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब कर-निर्धारण की आज्ञा के विरुद्ध अपील विचारा-धीन हो तो कोई शास्ति आरोपित नहीं की जायगी ।

(२) यदि कोई व्यक्ति—

(क) धारा १४ के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजी जाने के लिये अपेक्षित सूचना तदर्थ निर्धारित अवधि के भीतर उसे न दे, या

(ख) धारा २१ के अधीन कर-निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित अभिलेख, लेख्य, लेखा या ब्योरे प्रस्तुत न करे ;

तो कर-निर्धारण प्राधिकारी, स्वमति से उस पर पचास रुपये से अनधिक धनराशि की शास्ति आरोपित कर सकता है और वह धनराशि उस व्यक्ति से उसके द्वारा देय कर (यदि कोई हो) के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी ।

(३) मांग का नोटिस जिसमें उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि भी दिखायी जायगी, करदाता पर नियत रीति से तामील किया जायगा ।

शास्ति के विरुद्ध अपील

१८—कोई करदाता जो धारा १७ के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि पर आपत्ति करे अथवा उसके दायित्व से इंकार करे, धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, धारा १६ के अधीन अपील सुनने के लिये अधिकृत अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो अपीलकर्त्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसी आज्ञा देगा जो वह उचित समझे और आज्ञा की एक-एक प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा, जो नियत किया जाये । अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

पुनरीक्षण

१९—राज्य सरकार, या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जो आयुक्त के पद के नीचे पद का न हो और जो तदर्थ नियुक्त किया जाय, स्वतः या प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अभिलेख या किसी प्राधि-कारी की आज्ञा को, उक्त कार्यवाही या आज्ञा की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसके संबंध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो उसे न्याय की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत हो ।

अतिरिक्त भुगतान का लौटाया जाना

२०—कोई धनराशि जो करदाता द्वारा देय धनराशि के अतिरिक्त दी गयी हो, कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, करदाता को लौटा दी जायेगी ।

अध्याय ४

विविध

किसी भूमि या भवन के संबंध में लेख्य, अभिलेख लेखा या अन्य व्योरे प्रस्तुत करना

२१.—यदि कर निर्धारण प्राधिकारी की यह राय हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से, जिसके संबंध में कर निर्धारित की जाने की सम्भावना हो, उक्त भूमि या भवन के संबंध में कोई अभिलेख, लेख्य, लेखा या अन्य आवश्यक व्योरे अपने समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये कह सकता है और तब स्वामी या अध्यासी नोटिस तामील होने के दिनांक से तीन दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करेगा ।

प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार

२२.—कर निर्धारण प्राधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किया जाय, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये, ऐसी भूमि या भवन के जिसके संबंध में कर निर्धारित की जाने की सम्भावना हो, अध्यासी को समुचित नोटिस देने के पश्चात् उस भूमि या भवन में प्रवेश कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार प्रवेश निम्नलिखित दशाओं में न किया जायगा :—

(१) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में;

(२) मानव निवास में, सिवाय उस दशा के जब अध्यासी की सहमति ले ली गयी हो या उसे प्रस्तावित प्रवेश का कम से कम चार घंटे का पूर्व लिखित नोटिस दे दिया गया हो; और

(३) अध्यासी की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं पर—जिनके अन्तर्गत पर्दा करने के लिये आवश्यक पूर्वोपाय भी हैं—यथोचित ध्यान दिये बिना ।

अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां और सूची का कुछ अननुपालन या लोपों के कारण अवैध न होना

२३.—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही की पूर्ति उसके लिये व्यवस्थित समय के भीतर न करने अथवा अधिनियम के अधीन तैयार की गयी किसी सूची में किसी ऐसी प्रविष्टि के रह जाने से ही जो महत्वपूर्ण न हो, यथास्थिति, कार्यवाही या सूची अवैध न हो जायगी ।

शपथ पर साक्ष्य लेने का अधिकार आदि

२४.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कर निर्धारण प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी को वही अधिकार होंगे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी मुकदमें पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्—

ऐक्ट संख्या ५, १९०८.

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना ;

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना;

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने के लिये कमीशन जारी करना; और

ऐक्ट संख्या ४५, १९६०

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञाएं देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों; तथा इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थों में और उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजन के लिये भी न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

कर निर्धारण प्राधिकारी, अधिकारी और सेवक, लोक सेवक समझे जायेंगे ।

२५---प्रत्येक कर निर्धारण प्राधिकारी, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे प्राधिकारी की आज्ञा के अधीन काम करने वाला प्रत्येक अधिकारी, इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public Servant) समझा जायगा ।

दीवानी न्यायालयों में वादों पर रोक

२६---इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर-निर्धारण को रद्द करने के लिये कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत न किया जा सकेगा और इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होना

२७---किसी भूमि या भवन का कोई स्वामी या अध्यासी जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार हो या जिससे इस प्रकार उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, या तो स्वयं या उपस्थित होने के लिये यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है ।

नियम बनाने का अधिकार

२८---(१) राज्य सरकार, गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल भाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्---

(१) कर-निर्धारण प्राधिकारी की नियुक्ति, अधिकार और कर्त्तव्य,

(२) प्रारम्भिक कर निर्धारण-सूची और अन्तिम कर-निर्धारण-सूची तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और उनमें दिये जाने वाले ब्योरे ;

(३) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों के (जिनके अन्तर्गत मांग के नोटिस भी हैं) प्रपत्र तथा ब्योरे और उन्हें तामील करने की रीति;

(४) ऐसे भवन जिनका पूंजीगत मूल्य धारा ४ के खंड (२) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाना हो;

(५) वस्तुयें जिन पर भूमि या भवन का किराया-मूल्य अवधारित करने में विचार करना हो ;

(६) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें जिनके अधीन कर-निर्धारण सूची में संशोधन किया जाये;

(७) इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों का आकार ;

(८) कर-निर्धारण सूची को प्रमाणीकृत करने की रीति ;

(९) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में जिनके अन्तर्गत कर-निर्धारण से छूट गये मामलों के संबंध में कार्यवाहियां भी हैं---अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(१०) इस अधिनियम के अधीन अपीलों के आकार और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उनकी सुनवाई करने तथा उन पर निर्णय देने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(११) स्थान जहां कर वसूल किया जा सकता है, उस की किस्तों की संख्या और दिनांक जब वे देय होंगी;

(१२) कर वसूल करने की रीति;

(१३) विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत करने में या जो नियत किये जा सकें।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान-मन्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अनुसूची

[देखिये धारा १(३)]

नगर क्षेत्र

नगर

१—कानपुर	(जिला कानपुर)
२—आगरा	(जिला आगरा)
३—वाराणसी	(जिला वाराणसी)
४—इलाहाबाद	(जिला इलाहाबाद)
५—लखनऊ	(जिला लखनऊ)

नगरपालिका

६—देहरादून	(जिला देहरादून)
७—मंसूरी	(जिला देहरादून)
८—सहारनपुर	(जिला सहारनपुर)
९—देवबन्द	(जिला सहारनपुर)
१०—रुड़की	(जिला सहारनपुर)
११—मंगलौर	(जिला सहारनपुर)
१२—मुजफ्फरनगर	(जिला मुजफ्फरनगर)
१३—शामली	(जिला मुजफ्फरनगर)
१४—खतौली	(जिला मुजफ्फरनगर)
१५—मेरठ	(जिला मेरठ)
१६—बड़ौत	(जिला मेरठ)
१७—गाजियाबाद	(जिला मेरठ)
१८—पिलखुआ	(जिला मेरठ)
१९—मवाना	(जिला मेरठ)
२०—बुलन्दशहर	(जिला बुलन्दशहर)
२१—दिवाई	(जिला बुलन्दशहर)
२२—खुर्जा	(जिला बुलन्दशहर)
२३—सिकन्दराबाद	(जिला बुलन्दशहर)
२४—अनूपशहर	(जिला बुलन्दशहर)
२५—अलीगढ़	(जिला अलीगढ़)
२६—मथुरा	(जिला मथुरा)
२७—वृन्दावन	(जिला मथुरा)
२८—कोसी	(जिला मथुरा)
२९—फिरोजाबाद	(जिला आगरा)
३०—शिकोहाबाद	(जिला मैनपुरी)
३१—मरेहरा	(जिला एटा)
३२—आंवला	(जिला बरेली)
३३—मुरादाबाद	(जिला मुरादाबाद)
३४—अमरोहा	(जिला मुरादाबाद)
३५—तिलहर	(जिला शाहजहांपुर)
३६—बीसलपुर	(जिला पीलीभीत)
३७—फर्रुखाबाद-कम-फतेहगढ़ ।	(जिला फर्रुखाबाद)
३८—औरइया	(जिला इटावा)
३९—फतेहपुर	(जिला फतेहपुर)
४०—बिन्दकी	(जिला फतेहपुर)
४१—झांसी	(जिला झांसी)
४२—मऊरानीपुर	(जिला झांसी)
४३—ललितपुर	(जिला झांसी)
४४—उरई	(जिला जालौन)
४५—जालौन	(जिला जालौन)
४६—कोंच	(जिला जालौन)
४७—बांदा	(जिला बांदा)
४८—जौनपुर	(जिला जौनपुर)
४९—गाजीपुर	(जिला गाजीपुर)
५०—पडरौना	(जिला देवरिया)
५१—बस्ती	(जिला बस्ती)
५२—अल्मोड़ा	(जिला अल्मोड़ा)
५३—नैनीताल	(जिला नैनीताल)
५४—काशीपुर	(जिला नैनीताल)
५५—रामनगर	(जिला नैनीताल)
५६—कोटद्वार	(जिला गढ़वाल)
५७—पौड़ी	(जिला गढ़वाल)
५८—उन्नाव	(जिला उन्नाव)
५९—सीतापुर	(जिला सीतापुर)
६०—नीमसार-मिसरिख	(जिला सीतापुर)
६१—बिसवां	(जिला सीतापुर)
६२—लखीमपुर	(जिला खेरी)
६३—मोहम्मदी	(जिला खेरी)
६४—गोला गोकरन-नाथ ।	(जिला खेरी)
६५—गोंडा	(जिला गोंडा)
६६—बहराइच	(जिला बहराइच)
६७—सुल्तानपुर	(जिला सुल्तानपुर)

नोटोफाइड एरिया

६८—सरधाना	(जिला मेरठ)
६९—बागपत	(जिला मेरठ)
७०—भुवाली	(जिला नैनीताल)
७१—बागेश्वर	(जिला अल्मोड़ा)
७२—दुगड्डा	(जिला गढ़वाल)
७३—टेहरी	(जिला टेहरी-गढ़वाल)
७४—देवप्रयाग	(जिला टेहरी-गढ़वाल)

टाउन एरिया

७५—केमरी (जिला रामपुर)
७६—पिथौरागढ़ (जिला पिथौरागढ़)
७७—गोपीगंज (जिला वाराणसी)
७८—गंगापुर (जिला वाराणसी)
७९—ज्ञानपुर (जिला वाराणसी)
८०—दरियाबाद (जिला बाराबंकी)
८१—फतेहपुर (जिला बाराबंकी)
८२—देवा (जिला बाराबंकी)
८३—रामनगर (जिला बाराबंकी)
८४—टिकेतनगर (जिला बाराबंकी)
८५—जतपुर (जिला बाराबंकी)

सत्यमेव जयते

उद्देश्य और कारण

पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनायें राज्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन की नींव को मजबूत करने में सहायक हुई हैं और उन्होंने उसके औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को अनुप्राणित किया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक लक्ष्यों को और स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है और उनकी प्राप्ति की ओर यह एक बहुत बड़ा कदम है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में राज्य सरकार की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि आय के नये साधन ढूंढ़े जायं । नगरों और शहरों में बढ़ते हुये महत्व को और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राज्य सरकार को अपेक्षाकृत अधिकाधिक उत्तरदायित्व वहन करना होगा, यह उचित समझा गया है कि समाज के पूर्ण लाभ के लिये नागर क्षेत्रों में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों के पूंजीगत मूल्य पर कर आरोपित किया जाय । प्रस्तुत विधेयक में इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की गयी है ।

तदनुसार यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है ।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ में दिये हुये ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है। विधेयक के खंड २८ के उपखंड (१) में राज्य सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को सामान्यतः कार्यान्वित करने और विशेषतः उसके खंड (२) में उल्लिखित विषयों के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। विधेयक में, जैसा कि वह विधान मन्डल द्वारा अधिनियमित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों को ध्यान में रखकर और उसमें स्वीकृत उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियम बनाये जायेंगे। विधान मन्डल को इन नियमों का परीक्षण तथा उसमें परिष्कार करने का अवसर मिलेगा क्योंकि खंड २८ के उपखंड (३) में व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे सभी नियम विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे और उनमें ऐसे परिष्कार किये जा सकेंगे जिन्हें विधान मन्डल में करना चाहे।

उक्त खंड २८ के अतिरिक्त विधेयक के अन्य खंड भी हैं जिनमें प्रतिनिहित विधायन के लिये प्रस्थपनायें हैं और उनका वर्णन नीचे किया गया है :—

खंड ३—इस खंड के उपखंड (२) में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह उन दिनाँकों को नियत करे जब भूमि या भवन के स्वामी द्वारा राज्य सरकार को कर देय होगा।

खंड ४—(१) इस खंड के उपखंड (२) (क) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह होटल या फैक्ट्री से भिन्न भवन इस उद्देश्य से नियत करे कि ऐसे भवन का पूंजीगत मूल्य उस धनराशि के बीसवें भाग पर अवधारित किया जा सके जो भवन का निर्माण करने के अनुमानित मूल्य को भवन संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य में जोड़ देने से प्राप्त हो।

(२) इस खंड के उपखंड (२) (ग) में ऐसी भूमि या भवन का, जो खाली हो या जो स्वामी के अध्यासन में हो अथवा स्वामी की ओर से किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो पूंजीगत मूल्य अवधारित करने के लिये राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह पास-पड़ोस में प्रचलित किराये से भिन्न उन बातों को नियत करे जिन पर वार्षिक किराया या उस मासिक किराये का बारह गुना, जिस पर ऐसी भूमि या भवन किराये पर उठाया जा सकता हो, अवधारित करते समय ध्यान दिया जायगा।

खंड ८—(१) इस खंड के उपखंड (१) में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति, जिसके अनुसार कर-निर्धारण सूची तैयार की जायगी और वे ब्योरे जो उसमें सम्मिलित किये जायेंगे, नियत करे।

(२) इस खंड के उपखंड (३) में राज्य सरकार को प्राधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार उसे स्थान का जहाँ पर, और उस दिनाँक का, जब से, प्रारम्भिक कर-निर्धारण (draft assessment list) सूची का निरीक्षण किया जायगा, सार्वजनिक नोटिस दिया जायगा।

(३) इस खंड के उपखंड (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार स्वामी पर उन दशाओं में नोटिस तामील किया जायगा जब किसी भूमि या भवन पर पहली बार कर निर्धारित करने का प्रस्ताव हो या निर्धारित कर बढ़ने का प्रस्ताव हो। इसमें राज्य सरकार को उन ब्योरों को भी नियत करने का अधिकार दिया गया है जो ऐसे नोटिस में होंगे।

खंड १०—इस खंड के उपखंड (३) में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार अन्तिम रूप से तैयार की गई कर-निर्धारण सूची प्रकाशित की जायगी और सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिये उपलब्ध की जायगी ।

खंड ११—इस खंड के उपखंड (१) में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह उन शर्तों को नियत करे, जिसके अधीन रहते हुये कर-निर्धारण प्राधिकारी कतिपय दशाओं में कर-निर्धारण सूची में संशोधन कर सकता है ।

खंड १४—इस खंड में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह नोटिस के ब्योरे को, और वह रीति नियत करे जिसके अनुसार निर्मित, पुनर्निमित या परिवर्द्धित भवन की दशा में स्वामी द्वारा कर-निर्धारण प्राधिकारी को नोटिस दिया जायगा ।

खंड १५—(१)इस खंड के उपखंड (१) में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह ऐसे स्थान को जहाँ पर कर देय होगा और उन किस्तों को जिनमें कर देय होगा, नियत करे ।

(२) इस खंड के उपखंड (२) में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह उन ब्योरों को नियत करे जो कर या उसकी किसी किस्त की माँग के ऐसे नोटिस में दिये जायेंगे, जो कर या उसकी किस्त को देय होने पर यथाशक्य शीघ्र भवन या भूमि के स्वामी पर तामील किया जायगा ।

खंड १६—(१) इस खंड के उपखंड (३) में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह खंड १६ के उपखंड (१) के अधीन अपीलों को प्रस्तुत करने और उनके सत्यापन की रीति नियत करे ।

(२) इस खंड के उपखंड (४) में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह कर-निर्धारण प्राधिकारी से भिन्न ऐसा प्राधिकारी नियत करे, जिसके अपीलीय प्राधिकारी, खंड १६ (१) के अधीन अपील पर दी गयी अपनी आज्ञा की एक प्रतिलिपि भेजेगा ।

खंड १७—इस खंड के उपखंड (३)में राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार माँग का नोटिस जिसमें शास्ति की धनराशि दिखाई गई हो, करदाता पर तामील किया जायगा ।

खंड १८—इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह कर-निर्धारण प्राधिकारी से भिन्न ऐसा प्राधिकारी नियत करे, जिसे अपीलीय प्राधिकारी खंड १७ के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि के विरुद्ध अपील पर दी गई आज्ञा की प्रतिलिपि भेजेगा ।

राज्य सरकार को विधायन अधिकार प्रतिनिहित करने की उपर्युक्त सभी प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं ।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ में निम्नलिखित उपबन्ध ऐसे हैं जिनमें राज्य की संचित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त है :

खंड ७—इस खंड में यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार प्रत्येक नागर क्षेत्र, या एक से अधिक नागर क्षेत्रों, के लिये एक कर-निर्धारण प्राधिकारी, या एक नागर क्षेत्र के लिये एक से अधिक कर-निर्धारण प्राधिकारी नियुक्त करेगी ।

राज्य कोष से नया व्यय तभी होगा जब इस पद-नाम के अधिकारी पृथक रूप से नियुक्त किये जायं, न कि केवल पदेन अधिकारी के रूप में ।

खंड १५/(१) और (४)—इन उपखंडों में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार, कर संग्रहण करने और उसे वसूल करने के लिये कर-निर्धारण प्राधिकारी से भिन्न प्राधिकारी (जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी हैं) नियुक्त कर सकती है या इस कार्य को स्वयं करनिर्धारण प्राधिकारी को सौंप सकती है । यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी को यह कार्य सौंपा जाय तो वह संग्रहण व्यय के लिये ऐसी धनराशि पाने का हकदार होगा, जो वसूल किये गये कर के पाँच प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे ।

इस प्रकार राज्य कोष से व्यय तभी होगा जब निम्नलिखित दो उपायों में से कोई एक अपनाया जाय : अर्थात्

(क) कर वसूल करने का कार्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपा जाय; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर का संग्रहण करने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जो कर-निर्धारण प्राधिकारी से पृथक हो और साथ ही राजस्व विभाग के पहले से ही विद्यमान संग्रहण कर्मचारियों से भी भिन्न हो ।

पहला विकल्प, यदि सम्भव समझा जाय, तो कतिपय नागर-क्षेत्रों के संबंध में अपनाया जा सकता है, किन्तु इसकी संभावना नहीं है कि इस कर के लिये बिल्कुल ही पृथक संग्रहण-व्यवस्था करने का दूसरा विकल्प वास्तविक रूप से व्यवहार में लाने के लिये आवश्यक होगा । फिर भी अनुज्ञेय उपबन्ध किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिये बनाया जा रहा है । यह संभावना है कि इस कर के संग्रहण का कार्य, अधिकाँशतः राज्य-करों के संग्रहण के लिये विद्यमान कर्मचारियों को ही सौंपा जाय, जिनकी संख्या इस अतिरिक्त कार्य को देखते हुये बढ़ानी पड़ सकती है, और उसके परिणाम स्वरूप कुछ अतिरिक्त व्यय भी होगा लेकिन यह अतिरिक्त व्यय कितना होगा उसे इस समय बताना संभव नहीं है क्योंकि उसके संबंध में अभी ब्योरे तैयार करने हैं ।

खंड १६(१)—इस उपखंड में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार कर के विरुद्ध अपील सुनने के लिये कलेक्टर से भिन्न प्राधिकारी को नियुक्त कर सकती है ।

इस खंड के अधीन किसी अतिरिक्त व्यय का प्रश्न तभी उठेगा, जब अपीलों की सुनवाई के लिये कलेक्टर से भिन्न कोई पृथक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाय ।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३३—एल० ए०—१९६२—८४५ ।